सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

क्र. स.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	महत्वपूर्ण गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं	01 - 20
2.	संगठनात्मक ढांचा और कार्य	21 - 34
3.	औद्योगिक संबंध केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)	35 - 119
4.	निःशक्तताजन हेतु गतिविधियाँ	120
5.	मज़दूरी	121 - 126
6.	सामाजिक सुरक्षा	127 - 145
7.	श्रम कल्याण	146 - 149
8.	असंगठित कामगार	150 - 156
9.	बंधुआ मज़दूरी	157 - 158
10.	ठेका श्रमिक	159 - 160
11.	महिलाएं और श्रम	161 - 166
12.	बच्चे एवं कार्य	167 - 173
13.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य	174 - 205
14.	दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड	206 - 213
15.	कार्यक्रम	214 - 219
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र	220 - 221
17.	श्रम सांख्यिकी	222 - 233
18.	श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण	234 - 253
19.	सूचना प्रौद्योगिकी/मीडिया संबंधी पहलें/ई–गवर्नेंस	254 - 264
20.	सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निवारण	265 - 278
21.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	279 - 285
22.	प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	286 - 290
23.	रोजगार महानिदेशालय	291 - 303
24.	विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता	304 - 311
25.	जेंडर बजटिंग	312 - 313

अध्याय 1

महत्वपूर्ण गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

परिचय

1.1 काम हर किसी के दैनिक जीवन का हिस्सा है और एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा, कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल नौकरियों का सृजन ही नहीं है, बल्कि काम करने की स्थिति भी है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के साथ काम कर सकता हो। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक, विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम बल की सुरक्षा, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं द्वारा श्रमिकों के हितों का संरक्षण और सुरक्षोपाय, उनके कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश की श्रम शक्ति के जीवन और सम्मान में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। चूंकि श्रम भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सरकारें भी कानून बनाने के लिए सक्षम हैं।

1.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कामगार के लिए काम करने की अच्छी स्थिति और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने और श्रम कानूनों के सरलीकरण के माध्यम से व्यापार करने में आसानी के लिए विधायी और प्रशासनिक रूप से कई पहल की हैं। मंत्रालय का प्रयास विश्वास का ऐसा माहौल बनाना है जो आर्थिक विकास और उन्नति और देश की श्रम शक्ति की गरिमा के लिए आवश्यक है।

नई पहलें / महत्वपूर्ण गतिविधियां

विधायी पहलें

श्रम संहिताएं

1.3 एक ऐतिहासिक निर्णय में, केंद्रीय सरकार ने मौजूदा 29 श्रम कानूनों को समामेलित करते हुए और तर्कसंगत बनाते हुए 4 श्रम संहिताओं अर्थात, वेतन संहिता, 2019 को 8 अगस्त, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया है। ये संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी बनायी गयी हैं। इसके अलावा, चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों को भी हितधारकों की टिप्पणियाँ लेने के लिए 30.12.2025 को पूर्व–प्रकाशित किया गया था।

1.4 श्रम विनियमों को आधुनिक बनाकर, कामगारों की भलाई बढ़ाकर और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को बदलती हुई कार्य दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करके, श्रम संहिता का कार्यान्वयन भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत, लचीले उद्योगों की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार कर रहे हैं।

1.5 श्रम कानूनों का संहिताकरण, अन्य बातों के साथ–साथ, परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करेगा, श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा और प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, जिससे अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और देश में रोजगार के अवसरों के निर्माण को गति मिलेगी। इसलिए, यह श्रम बाजार की कठोरता को कम करके उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा और बिना किसी परेशानी के अनुपालन को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, यह श्रमिकों और उद्योग की आवश्यकताओं को सामंजस्यपूर्ण बनाएगा और श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

चार श्रम संहिताओं के प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं:

- परिभाषाओं की एकरूपता: एक मुख्य प्रावधान,

विशेष रूप से "वेतन," "कर्मचारी," की परिभाषाओं में एकरूपता है, जो सभी संहिताओं में एकरूपता सुनिश्चित करती है।

- वेब–आधारित निरीक्षण प्रणाली: प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वेब–आधारित निरीक्षण जैसी तकनीक का उपयोग शुरू किया गया है।
- निरीक्षक अब निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता हैं जो अनुपालन में सहायता करने और नियोक्ताओं तथा कामगारों को मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं, जिससे "निरीक्षक राज" समाप्त हो गया है।
- अपराधों के संयोजन का प्रावधान शुरु किया गया है।
- संहिता में अपराधों को आपराधिक दंड (जैसे कारावास) की जगह सिविल दंड (जैसे मौद्रिक जुर्माना) के साथ पहले बार होने वाले अपराधों के लिए गैर–आपराधिक बनाने का प्रावधान भी है।
- सरलीकृत अनुपालन: एकल लाइसेंस, एकल पंजीकरण, और एकल रिटर्न प्रणाली।
- भर्ती, वेतन या कार्यदशाओं में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित, किसी के साथ लिंग आधारित भेदभाव नहीं।
- महिलाओं के लिए अधिक अवसर: महिलाओं को रात की शिफ्ट सहित (सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ) सभी क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाती है।
- शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का समानुपातिक प्रतिनिधित्व किया गया है।

1.6 कामगारों को मिलने वाले लाभों से संबंधित श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएं:–

- सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन का समय पर भुगतान प्राप्त करने का कानूनी अधिकार।
- सभी कामगारों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कार्यदशाएं।
- वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था और सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करके रोजगार को औपचारिक बनाने की व्यवस्था।
- पुनर्नियुक्त कामगारों के पुनःकौशल विकास के लिए कामगारों के पुनःकौशल कोष की व्यवस्था।
- महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा के आधार पर रात में काम करने की अनुमति।
- 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारियों की राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कवरेज स्वैच्छिक आधार पर।
- ईएसआईसी के तहत लाभ अधिसूचना के माध्यम से उन संस्थाओं पर भी लागू किए जा सकते हैं जो जोखिमपूर्ण या जीवन के लिए खतरा वाले व्यवसाय संचालित करते हैं, चाहे उसमें केवल एक कर्मचारी ही नियोजित हो।
- असंगठित कामगारों और उनके परिवार जनों को ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लाभ का विस्तार।
- असंगठित कामगारों के लिए योजनाओं के निर्माण हेतु सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना।
- श्रम संहिता में पहली बार गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार को परिभाषित किया गया है। इसमें जीवन और विकलांगता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओं के निर्माण के प्रावधान भी शामिल हैं।

1.7 सामाजिक सुरक्षा कवरेज

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से तेजी से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। अब भारत अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है।
- भारत को 3 अक्टूबर, 2025 को कुआलालंपुर, मलेशिया में 'सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि' के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।
- भारत सरकार ने 'व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ

वर्गीकरण' को आगे बढ़ाने के लिए 16 सितंबर, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो बदले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम गतिशीलता में सहायता करेगा।

1.8 प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो रोजगार सृजन को तेज़ करने और कार्यबल में औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे 1 जुलाई 2025 को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और 15 अगस्त 2025 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह योजना समावेशी और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पंजीकरण अवधि, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण कराने के लिए दो साल का अवसर प्रदान करती है। ₹99,446 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ, इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की राष्ट्रीय दृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करती है।

1.9 रोजगार सृजन और कार्यबल औपचारिकरण को बढ़ावा देना: पीएमवीबीआरवाई रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार बनाए रखने और भारत के युवाओं में रोजगारक्षमता बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने का भी लक्ष्य रखता है, जिससे देश के औपचारिक कार्यबल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके। विनिर्माण रोजगार को पुनर्जीवित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ, यह योजना भारत के व्यापक औद्योगिक परिवर्तन और आत्मनिर्भर भारत मिशन की पूरक है।

1.10 संरचना और प्रोत्साहन ढांचा: पीएमवीबीआरवाई में दो मुख्य घटक हैं जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक नौकरियां बनाने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

भाग क – पहली बार वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन: इस घटक के तहत औपचारिक कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को एक माह की ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 है। यह प्रोत्साहन दो किश्तों में दिया जाता है, जिसमें पहली किश्त छह माह की निरंतर सेवा के बाद और दूसरी किश्त बारह माह की सेवा पूरी होने तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद भुगतान की जाती है। दूसरी किश्त को वित्तीय समावेशन और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुरक्षित बचत साधन में जमा किया जाता है। इस घटक के तहत लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है।

भाग ख –नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन (निर्माण क्षेत्र पर ध्यान): यह घटक नियोक्ताओं को उनके मूल कर्मचारियों से अधिक स्थायी अतिरिक्त भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान दो नई भर्ती तक प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं, जबकि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान पांच नई भर्ती तक प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं। जो नियोक्ता कम से कम छह महीने तक अतिरिक्त रोजगार बनाए रखते हैं, वे प्रत्येक कर्मचारी प्रति माह ₹ 3,000 तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, यह अवधि निर्माण इकाइयों के लिए चार साल तक बढ़ाई जा सकती है। प्रोत्साहन ईपीएफ वेतन के अनुसार भिन्न होता है:इस घटक से अनुमानित रूप से 2.59 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा, जिससे देश भर में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब	नियोक्ता के लिए लाभ (प्रति माह अतिरिक्त रोजगार पर)
<= रुपए 10,000*	1,000 रुपए तक
> रुपए 10,000 और <= रुपए 20,000	2,000 रुपए
> रुपए 20,000 (कुल वेतन तक < = रुपए 1 लाख/माह)	3,000 रुपए

1.11 क्रियान्वयन की प्रगतिः

- योजना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लागू की गई
- आधिकारिक लैंडिंग पेज कार्यान्वितः https://pmvbry.epfindia.gov.in/
- मुख्य ढांचा, संचालन दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए गए
- हेल्प डेस्क/टोल–फ्री नंबरः 14480 / 1800–180–1850 स्थापित
- स्टीयरिंग कमिटी का गठन; पहली बैठक सितंबर 2025 में आयोजित की गई
- सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने श्रम–गहन मंत्रालयों में आउटरीच और क्रियान्वयन को मजबूत करने हेतु अंतर–मंत्रालयीय बैठक की अध्यक्षता की।
- जुलाई और अगस्त 2025 में राज्य श्रम और उद्योग मंत्रियों की माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई।
- अगस्त 2025 में योजना पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई।
- क्रियान्वयन और प्रचार गतिविधियों के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी और सीएलसी के अधिकारियों से मिलकर राज्य क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन किया गया।
- उद्योग सहयोग के साथ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में व्यापक मीडिया और प्रचार गतिविधियाँ।
- 14,266 प्रचार पहलें
- 7,744 कार्यशालाएँ और बैठकें
- 6,522 सोशल मीडिया सहभागिताएँ

1.12 क्षेत्रीय सम्मेलनः

डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के श्रम मंत्रियों और सचिवों के साथ 29–30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। बैठक की कार्यसूची में श्रम सुधारों, संगठित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा (ईएसआईसी), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी), असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, निरीक्षक की भूमिका का निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता में रूपांतरण, संविदा श्रमिक और ऐसे अन्य मुद्दे शामिल थे, जिनमें राज्य सरकारों की सहभागित महत्वपूर्ण है।

1.13. डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के श्रम एवं रोजगार एवं उद्योग मंत्रियों और सचिवों के साथ 11–12 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक की कार्यसूची में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति का प्रारूप, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बिल का प्रारूप, निर्माण और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू), श्रम सुधार, ईएसआईसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डिजिटल पोर्टल, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के लिए ईपीएफओ और राज्य सरकारों के बीच डेटा साझा करना, वीवीगिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम ब्यूरो द्वारा राज्यों/केंद्रीय क्षेत्रों की क्षमता निर्माण और अन्य ऐसे मुद्दे शामिल थे जिनमें राज्य सरकारों के साथ सहभागिता महत्वपूर्ण है।

1.14 श्रम सुविधा पोर्टलः

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन की जटिलता को कम करने के लिए एक एकीकृत 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है। यह श्रम मंत्रालय के तहत चार प्रमुख संगठनों की ज़रूरतों को पूरा करता हैः

- मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ); और
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

1.15 पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः

- नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों के आसान अनुपालन

के लिए पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख मॉड्यूल इस प्रकार हैं:

1. पंजीकरण
2. लाइसेंस
3. रिटर्न
4. निरीक्षण

- विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन): यह सुविधा पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही दिनांक 16.10.2014 को शुरू की गई थी, जिसमें ऑनलाइन निरीक्षण और अनुपालन की सुविधा के लिए पंजीकरण के बाद प्रत्येक निरीक्षण योग्य इकाई को एक विशिष्ट एलआईएन आवंटित किया जाता है। दिनांक 31.12.2025 तक, पोर्टल पर 51,06,808 विशिष्ट एलआईएन आवंटित किए जा चुके हैं।
- ऑनलाइन रिटर्न: प्रत्येक निरीक्षण योग्य इकाई को अब पहले की तरह अलग–अलग रिटर्न भरने के बजाय एक एकल स्व–प्रमाणित और सरलीकृत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। दिनांक 31.12.2025 तक श्रम सुविधा पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्र में 5,06,106 ऑनलाइन रिटर्न (केवल सीएलसी और डीजीएमएस रिटर्न का कुल योग) और राज्य क्षेत्र के तहत 54 रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
- जोखिम–आधारित मानदंडों पर कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना। निरीक्षण योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. निरीक्षणों की एक कंप्यूटरीकृत सूची जोखिम–आधारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर यादृच्छिक रूप से तैयार की जाती है।
2. गंभीर मामलों को अनिवार्य निरीक्षण सूची के अंतर्गत कवर किया जाना है।
3. शिकायत आधारित निरीक्षणों का निर्धारण प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी की केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाइयों (सीएआईयू) द्वारा डेटा और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद केंद्रीय रूप से किया जाता है।
4. निरीक्षण रिपोर्ट को 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है।

1.16 सामान्य पंजीकरण

वर्तमान में पोर्टल पर ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए सामान्य पंजीकरण फॉर्म की सुविधा है। दिनांक 31.12.2025 तक ईपीएफओ के साथ 6,70,229 इकाइयां और ईएसआईसी के साथ 7,29,630 इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे में न आने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण: दिनांक 31.12.2025 तक पोर्टल के माध्यम से ऐसे 35,868 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है।

नई पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों तथा एक व्यक्ति कंपनी के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी पंजीकरण को कंपनी के निगमन के समय ही एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर Spice$ और AGILE&PRO ई–फॉर्म के माध्यम से दिनांक 08.10.2020 से क्रियाशील बना दिया गया है।

1.17 राज्य एकीकरण

राज्य श्रम प्रवर्तन एजेंसियों के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए मंत्रालय के साथ डेटा साझा किया जा रहा है और इसके बाद, एलआईएन आवंटित किया जाता है। वर्तमान तारीख तक, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली पोर्टल के साथ एकीकृत हैं।

1.18 स्टार्टअप इंडिया

श्रम निरीक्षण से छूट की सुविधा उन स्टार्टअप्स को भी प्रदान की जाती है जो श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्व–प्रमाणित घोषणापत्र जमा करते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जहाँ भी लागू हो, स्टार्टअप्स के लिए निरीक्षणों को विनियमित करें और स्व–प्रमाणन अनुपालन व्यवस्था को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक करें।

1.19 श्रम सुविधा पोर्टल का श्रम संहिता के अनुसार पुनर्गठन

माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2024–25 के पैरा 102 में

घोषणा की थी कि "उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की सुगमता बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का पुनर्गठन किया जाएगा।"

भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताओं – वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020, को लागू किया है जिसके तहत मौजूदा 29 श्रम कानूनों का तर्कसंगत एकीकरण किया गया है। श्रम संहिताओं के अनुसार, नियमों को अंतिम रूप देने के पश्चात आरंभ करने हेतु निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल को बेहतर बनाया जा रहा है:

- संशोधनों, नवीनीकरण आदि सहित एकल पंजीकरण
- सामान्य लाइसेंस जिसमें उनका नवीनीकरण/संशोधन शामिल है;
- सामान्य वार्षिक रिटर्न
- वेब आधारित यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली

रोज़गार महानिदेशालय

1.20 राष्ट्रीय करियर सेवा

मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए विभिन्न रोजगार संबंधित सेवाएँ प्रदान करना है, जैसे करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप आदि। एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) को 20.07.2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 23 देखें।

1.21 ई–श्रम

- ई–श्रम पर पंजीकरण 31.34 करोड़ को पार कर चुका है, जो असंगठित श्रमिकों के बीच इसकी तेज़ और व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। यह उपलब्धि सामाजिक प्रभाव और देशभर में असंगठित श्रमिकों का समर्थन करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को असंगठित श्रमिकों के लिए 'वन–स्टॉप–सॉल्यूशन' के रूप में ई–श्रम का शुभारंभ किया, ताकि वे ई–श्रम पर पंजीकरण करके विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकें और अब तक प्राप्त लाभों को देख सकें।
- अब तक, चौदह (14) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को ई–श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत या मैप किया जा चुका है, जिसमें प्रमुख पहलें जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) शामिल हैं। इसके अलावा, ई–श्रम को कई प्रमुख भारत सरकार के पोर्टल्स जैसे स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस), उमंग, माय स्कीम, डिजीलॉकर, और ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त योजनाओं और पोर्टल्स को ई–श्रम प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके अतिरिक्त, यह प्लेटफॉर्म कार्यान्वयन एजेंसियों को ई–श्रम डेटा का उपयोग करके योजना की पहुंच बढ़ाने और राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर संभावित लाभार्थियों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने में सक्षम बनाता है।
- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को ई–श्रम डेटा वितरित करने हेतु डेटा साझा करने के दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप, ई–श्रम पोर्टल सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ डेटा साझा करने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बना रहा है, ताकि असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित वितरण और

व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई–श्रम पंजीकरणकर्ताओं का सत्यापन पूरा करने की सलाह दी गई है, जिससे डेटा की सटीकता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, रिवर्स डेटा साझा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें तमिलनाडु को एकीकृत प्रक्रिया के लिए पायलट राज्य के रूप में चुना गया है।

- ई–श्रम प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स मॉड्यूल, 12 दिसंबर 2024 को शुरु किया गया था, इसका उद्देश्य एग्रीगेटर्स को ऑनबोर्डिंग करना, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स का सत्यापन करना और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए परिकल्पित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के निष्पादन में सुविधा प्रदान करना है। अब तक, 12 प्रमुख एग्रीगेटर्स को ऑनबोर्ड किया जा चुका है और 5.10 लाख से अधिक प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स ने ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। पहुँच और पंजीकरण प्रयासों को और बढ़ावा देने के लिए, अप्रैल, मई और अगस्त 2025 में तीन राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए थे।

- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, ई–श्रम माइक्रोसाइट का 29 जनवरी 2025 को माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का दृष्टिकोण प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उसकी अपनी समर्पित ई–श्रम माइक्रोसाइट प्रदान करना है। ऐसा करके, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ई–श्रम को अधिक सुलभ, प्रभावशाली और प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का लक्ष्य रखता है। यह माइक्रोसाइट श्रमिक पंजीकरण, डेटा अपडेट और सत्यापन की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, साथ ही प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए राज्य–विशिष्ट विश्लेषण भी प्रदान करेगी। ई–श्रम के लिए राज्य स्तर की माइक्रोसाइट्स का निर्माण इस प्लेटफॉर्म को उन लोगों के करीब लाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनकी यह सेवा करती है। ई–श्रम की कार्यक्षमता को स्थानीय स्तर पर अपनाकर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, शासन को मजबूत करने, सेवा वितरण को बेहतर बनाने और पूरे भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का लक्ष्य रखता है। गुजरात और पंजाब के लिए मौजूदा साइटों के अतिरिक्त, तेलंगाना के लिए माइक्रोसाइट का शुभारंभ 31 अक्टूबर को किया गया।

1.22 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी):

1.22.1 ईएसआईसी द्वारा उठाए गए कदम:

चिकित्सा

1. सामान्य सहायता मिशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि ईएसआईएस चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की जा सके और उन लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके जिन्हें सुविधाओं में सुधार के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

2. "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य बीमारियों का समय पर पता लगाना, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, और परिवारों के लिए स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था। कुल मिलाकर 8,21,711 स्क्रीनिंग की गईं।

3. ईएसआईसी ने अस्पतालों के लिए विशेष रूप से ऐसे मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की हजो इसके व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क में सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने और समानता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

4. एसआईसी ने डिस्पेंसरीज़ के लिए एसओपी जारी किए हैं ताकि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में संगत, सुरक्षित और रोगी–केंद्रित देखभाल के लिए एक ढांचा स्थापित किया जा सके।

5. 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों का संचालन: माननीय प्रधानमंत्री के अगले पांच वर्षों में 75,000 नई

मेडिकल सीटें जोड़ने के संकल्प के अनुरूप, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पूरे भारत में दस नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। 15 अक्टूबर 2025 तक, ईएसआईसी ने इन कॉलेजों के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। 10 में से नौ कॉलेजों को अनुमति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने मडगाँव (गोवा), सूरत (गुजरात), मानेसर (हरियाणा), अंधुरा (ओडिशा), आसनसोल (पश्चिम बंगाल), कोल्लम (केरल), बिबवेवाड़ी (पुणे), पांडु नगर (उत्तर प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में 10 और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी मंजूरी दी है।

गैर–चिकित्सा

एसपीआरईई (नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) के शुभारंभ का उद्देश्य उन नियोक्ताओं/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है, जिन्हें ईएसआई अधिनियम की कवरेज से बाहर रखा गया है, ताकि वे बिना किसी पूर्वव्यापी कवरेज और दंडात्मक कार्रवाई की चिंता के स्वयं को अधिनियम के तहत कवर कर सकें । इस योजना को 01.07.2025 की निर्देशों के माध्यम से लॉन्च किया गया और यह 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक छह महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी। इसके अतिरिक्त, योजना को 01.01.2026 से 31.01.2026 तक एक और महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

अम्नेस्टी योजना – 2025, 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक बार लागू होने वाली विवाद समाधान योजना है, जिसका उद्देश्य मुकदमों को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, कर्मचारियों की राज्य बीमा निगम की एक कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार बीमित व्यक्तियों को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए नकद राहत प्रदान की जाती है। इस लाभ की दर उनके औसत दैनिक वेतन का 50% है। यह योजना प्रारंभ में 01.07.2018 को पायलट आधार पर दो वर्ष की अवधि अर्थात् 30.06.2020 तक के लिए लागू की गई थी,। हालांकि, बीमित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को समय–समय पर बढ़ाया गया है। हाल ही में, 28.04.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, इस योजना को 01.07.2024 से 30.06.2026 तक दो और वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें योगदान संबंधी शर्तों में छूट दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में एक संशोधन को मंजूरी दी है। 27.06. 2025 को आयोजित अपनी 196वीं बैठक में, निगम ने महानिदेशक, ईएसआईसी को बेरोजगारी भत्ता के लिए दावों/आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा में छूट प्रदान करने की शक्तियों का प्रतिनिधिकरण करने को मंजूरी दी। प्रत्येक मामले के आधार पर यह छूट, रोजगार के नुकसान की तिथि से 12 महीने की अनुमेय अवधि को बढ़ाकर 24 महीने तक करने की अनुमति देती है।

ईएसआईसी अब 'पुनर्निर्मित पहचान कार्ड' को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है, जो नियोक्ता पोर्टल, आईपी पोर्टल और स्टाफ पोर्टल के माध्यम से बीमित व्यक्ति (आईपी) और उनके परिवार के सदस्यों के लिए अलग–अलग उपलब्ध होगी। 'पुनर्निर्मित पहचान कार्ड' पर एक क्यूआर कोड मुद्रित किया जाएगा, और कार्ड पर आईपी और उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीर मुद्रित करने की सुविधा होगी।

विद्यमान हर्जाना ढांचे का सरलीकरण

ईएसआईसी ने श्रेणीबद्ध दरों की पुरानी प्रणाली को एक समान निर्धारित दर संरचना से प्रतिस्थापित करते हुए अपने हर्जाना ढांचे को सरल बना दिया है। पिछले ढांचे के अंतर्गत, हर्जाने की अधिकतम दर 25% प्रति वर्ष थी; जिसे अब नियोक्ता द्वारा देय राशि पर 1% प्रति माह के रूप में संशोधित किया गया है। इस सुधार का उद्देश्य अनुपालन को

बढ़ावा देना, विवादों को कम करना और अधिक अनुकूल नियामक वातावरण को बढ़ावा देना है, जिससे व्यापार करने में सुगमता मिलती है।

1.22.2 चिकित्सा सेवाएँ– ईएसआई सोसाइटी

ईएसआई योजना बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से ही व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, विशेषज्ञ, सुपर–विशेषज्ञ सेवाएँ, दवाएँ और निदान शामिल हैं।

चिकित्सा सेवाएँ ईएसआईसी /ईएसआईएस अस्पतालों, डिस्पेंसरी, डीसीओबी, आईएमपी क्लीनिक, ईयूडी और निजी/सरकारी अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्थाओं सहित व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएँ लाभार्थियों की निवारक, संवर्धक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

अस्पताल में भर्ती उपचार ईएसआईसी /ईएसआईएस अस्पतालों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, और जहाँ विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होती है वहाँ नामांकित अस्पतालों में रेफरल किया जाता है।

देश में ईएसआईसी का चिकित्सा ढांचा निम्नानुसार है–

ईएसआईसी अस्पतालों की कुल संख्या	166
ईएसआईसी निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पताल	62
राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल	104
औषधालयों की कुल संख्या	1603
औषधालयों सह शाखा कार्यालयों की कुल संख्या	117
ईएसआईसी /ईएसआईएस अस्पतालों में स्वीकृत बिस्तरों की कुल संख्या	28915
बीमित चिकित्सकों की कुल संख्या	863

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार में राज्य ईएसआई सोसाइटी को कार्यान्वित किया जा चुका है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के लिए अनुमोदित राज्य सोसाइटी अभी कार्यान्वित किया जाना है। संबंधित सोसाइटियों के बैंक खातों में निधियां सीधे जारी की जा रही हैं। 21 राज्यों ने राज्य ईएसआई सोसाइटी बनाने के लिए सहमति दी है और इस विषय पर इन राज्यों के साथ निरंतर काम किया जा रहा है।

1.22.3 स्वास्थ्य सुधार एजेंडा ईएसआईसी 2.0 के तहत नई पहलें

ईएसआईसी की स्वास्थ्य देखभाल संरचना और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित नई पहलें अपनाई गई हैं:

1. ईएसआईसी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता वृद्धि

ईएसआईसी ने छह अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमोदन किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा संरचना और रोगियों के ठहरने की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है।

क्रम सं.	राज्य	अस्पताल	से	तक	तारीख
1	राजस्थान	ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, अलवर	330	420	23.09.2024
2	बिहार	ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय बिहता, बिहार	330	420	23.09.2024
3	असम	ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, बेलटोला	85	220	16.01.2025
4	झारखंड	ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, रांची	200	220	16.01.2025
5	उत्तर प्रदेश	ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, वाराणसी	150	220	16.01.2025
6	मध्य प्रदेश	ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, इंदौर	300	420	11.02.2025

2 ईएसआईसी /ईएसआईएस चिकित्सा सुविधाओं के नए अनुमोदन

क) एयूएम फाउंडेशन हेल्थ सेंटर, वलसाड, गुजरात में संशोधित नियोक्ता उपयोग औषधालय (एमईयूडी) की स्थापना (02.02.2025 से परिचालित)।

ख) ईएसआईएस डिस्पेंसरी, सरापाका (तेलंगाना) का 1–डॉक्टर से 3–डॉक्टर औषधालय में उन्नयन (15.05.2025 से लागू)।

3. नए ईएसआईसी अस्पताल की शुरुआत

हिमाचल प्रदेश के कालाअंब में नए 50–बिस्तर वाले (100 बिस्तरों तक बढ़ने योग्य) ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन 31.05.2025 को किया गया।

4. राज्य–चालित ईएसआईएस अस्पतालों का अधिग्रहण

क) ईएसआईएस अस्पताल, गोरीमेडु, पुदुचेरी – समझौता ज्ञापन (एमओयू) 19.05.2025 को हस्ताक्षरित।

ख) ईएसआईएस अस्पताल, सूरत – समझौता ज्ञापन (एमओयू) 03.09.2025 को हस्ताक्षरित।

5. नए ईएसआईसी अस्पतालों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन

शिलांग, मेघालय में 100– बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया (15.09.2025)

ईएसआईसी 2.0 के अंतर्गत, योजना को सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विस्तारित किया गया है।

ईएसआईसी 2.0 की शुरुआत के बाद से ईएसआई योजना का भौगोलिक विस्तार काफी बड़ा हुआ है और 01.11.2025 तक यह योजना देश के 713 जिलों में विस्तारित की जा चुकी है, जिसमें 620 पूर्ण जिले और 93 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल हैं।

ईएसआईसी ने अपनी 194वीं कॉर्पोरेशन में एबी– पीएमजेएवाई के साथ अखिल भारतीय समाकलन का अनुमोदन किया है। ईएसआईसी लाभार्थियों को एबी–पीएमजेएवाई के साथ पंजीकृत 30,000 से अधिक अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा सुविधाओं (जो सेवाएँ इन–हाउस उपलब्ध नहीं हैं) का लाभ मिलेगा, जिससे देशभर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित होगी। पायलट रन के हिस्से के रूप में, 17.05.2025 को ईएसआईसी अस्पताल बापुनगर, बेल्टोला और गुड़गांव में सॉफ्ट लॉन्च शुरू किया गया, जहाँ इन अस्पतालों को योग्य मरीजों को पीएमजेएवाई – नामित अस्पतालों में संदर्भित करना शुरू करने का निर्देश दिया गया, ताकि तकनीकी एकीकरण का परीक्षण किया जा सके और परिचालन समस्याओं की पहचान हो सके। इस प्रारंभिक चरण के बाद, पायलट को असम, हरियाणा और गुजरात के सभी ईएसआईसी अस्पतालों के साथ–साथ डीसीबीओ भावनगर में बढ़ाया गया, जिससे संदर्भ कार्यप्रवाह और प्रणाली अंतर–संचालन का व्यापक परीक्षण सुनिश्चित हुआ।

ईएसआईसी ने गैर–लागू, आंशिक रूप से लागू जिलों और असंवेदनशील क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के माध्यम से ईएसआईसी लाभार्थियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए एक नीति ढांचा तैयार किया है। इस नीति के तहत, नागालैंड सरकार के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया जा चुका है और मिजोरम सरकार के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएचसीदृसीएचसी नीति के राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप देने और चुनौतियों की पहचान व समाधान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के साथ परामर्श और बैठकों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

1.23 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन, जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, कर्मचारियों के भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत निर्धारित योजनाओं का प्रशासन करता है। कर्मचारियों के भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक कल्याणकारी कानून है जिसे कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन फंड और जमा से जुड़ा बीमा फंड

स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह अधिनियम औद्योगिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करने, उनकी वृद्धावस्था, अक्षमता, परिवार के मुखिया की अनियोजित मृत्यु और इसी तरह की आपात स्थितियों में उन्हें संरक्षण देने के लिए बनाया गया है।

1.2 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गयी योजनाएं

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं बनायी गयीं हैं:–

i. **कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ) (प्रभावी तिथि**: 1 नवम्बर 1952) – भविष्य निधि एक निश्चित योगदान योजना पर आधारित है जिसमें दोनों, कर्मचारी और नियोक्ता, अपनी निर्धारित हिस्सेदारी का योगदान करते हैं।

ii. **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) (16 नवम्बर 1995 से प्रभावी) {कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर}** – पेंशन योजना में "निर्धारित योगदान" और "निर्धारित लाभ" का मिश्रण है। कर्मचारियों को इस योजना में योगदान देने की आवश्यकता नहीं है।

iii. **कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई) (प्रभावी दिनांक: 1 अगस्त 1976)** – यह बीमा योजना एक जमा से जुड़ी योजना है जो कर्मचारियों से किसी भी योगदान के बिना 7,00,000/– रुपये तक के लाभ प्रदान करती है।

1.23.3 अधिनियम के तहत संचयी निधि

31.03.2025 तक छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित कोष को छोड़कर ईपीएफओ द्वारा प्रशासित सभी तीन योजनाओं (ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई) का कुल संचयी निवेश कोष 28,04,723.47 करोड़ रुपये है।

1.23.4 ब्याज दर

सदस्यों की जमा राशियों पर कर्मचारी भविष्य निधि में घोषित ब्याज दर 2024–25 के लिए 8.25% (मासिक चल संतुलन पर) थी।

1.23.5 ईपीएफओ द्वारा की गई नई पहलें

क) 5 लाख रुपये तक की निकासी का स्वतः निपटान, अनिवार्य चेक/पासबुक अपलोडिंग का वितरण।

ख) केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली योजना (सीपीपीएस) पेंशनभोगियों को जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी।

ग) बैंकिंग समझौते पर हस्ताक्षर:

ईपीएफओ ने 01.04.2025 को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के 15 अतिरिक्त बैंकों के साथ, समझौते किए, ताकि वार्षिक संग्रह की प्रत्यक्ष भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की जा सके और उन नियोक्ताओं को सीधे पहुंच प्रदान की जा सके जो अपने खातों को इन बैंकों में रखते हैं, ताकि वे अपने मासिक योगदान का भुगतान कर सकें। ईपीएफओ ने पहले ही 17 बैंकों को सूचीबद्ध किया हुआ था, और इन 15 बैंकों के शामिल होने से कुल संख्या 32 बैंकों तक पहुँच गई है। बैंकों के साथ समझौते माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में किए गए थे।

घ) चेक पर्ची/प्रमाणित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की प्रक्रिया को हटाना और यूएएन के साथ बैंक खाता विवरण से जोड़ने के लिए नियोक्ता के अनुमोदन की आवश्यकता को हटाना: ऑनलाइन दावों के शीघ्र निपटान को सुगम बनाने और दावों के अस्वीकार होने को कम करने के पिछले प्रयासों के निरंतरता में, 03.04.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें चेक लीफ/सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता हटाने और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति की आवश्यकता हटाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता स्तर पर बैंक केवाईसी जोड़ने के लिए लंबित सभी अनुरोध बैंक/एनपीसीआई से सत्यापन प्रक्रिया के बाद स्वचालित रूप से स्वीकृत कर दिए जाएंगे।

ङ) स्वयं घोषणा के आधार पर ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 68ख (7) के तहत अग्रिम:

सदस्यों को ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68ख (7) के तहत अग्रिम लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए; जो सदस्यों या उनके पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले आवास

गृह में आवश्यक परिवर्द्धन, महत्वपूर्ण बदलाव या सुधार के लिए अग्रिम प्रदान करता है; एक परिपत्र दिनांक 17.04.2025 जारी किया गया है। अब सदस्य स्वयं घोषणा के आधार पर यह अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि दावा केवल आवास गृह के पूर्ण होने की तारीख से 60 महीनों के पश्चात ही किया गया है और इसे अनुच्छेद 68ख के तहत पूर्व निकासी से जोड़ा नहीं गया है।

च) कतिपय विशेष मामलों में यूएएन का सामूहिक निर्माणः

कतिपय विशेष मामलों में यूएएन के सामूहिक निर्माण के लिए फील्ड ऑफिसों को एक सॉफ़्टवेयर कार्यक्षमता उपलब्ध कराई गई है। पिछले संचय की उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए जो छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा ईपीएफओ को स्थानांतरित किया गया है –

क. छूट के अभ्यर्पण / रद्द होने के परिणामस्वरूप, और

ख. अन्य मामलों में, जो अतीत की अवधि के योगदानों के प्रेषण से संबंधित हैं और जिन्हें अर्ध– न्यायिक / संग्रह प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप हल किया गया है, ऐसे सदस्यों के लिए यूएएन निर्माण / अतीत के संचयों की जमा राशि के लिए आधार की आवश्यकता को सरल करने का निर्णय लिया गया है।

यह सुविधा रिकॉर्ड में उपलब्ध सदस्य आईडी और अन्य सदस्य जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर यूएएन निर्माण की अनुमति देती है, जिससे ऐसे सदस्यों के खातों में तुरंत धनराशि जमा करने में सक्षम बनाया जा सके। (परिपत्र दिनांक 25.04.2025)

छ) पुनर्निर्मित परिशिष्ट–ङ कार्यक्षमताः

पुनर्निर्मित परिशिष्ट–ङ कार्यक्षमता विकसित की गई है ताकि कर योग्य और गैर–कर योग्य सदस्य शेष राशियों का उचित विभाजन सुनिश्चित किया जा सके। कुछ मामलों में, छूट की वापसी / रद्द करने से संबंधित, वार्षिक ब्याज पर टीडीएस गलत तरीके से कुल पूर्व संचय पर प्रत्यक्ष रूप से कट गया था, बजाय इसके कि यह कर योग्य भाग में किए गए वास्तविक ब्याज पर कटना चाहिए था, क्योंकि ऐसे नियोक्ताओं द्वारा डेटा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।ऐसे त्रुटियों को सुधारने की सुविधा के लिए, पुनर्निर्मित परिशिष्ट–ई अब कर योग्य और गैर–कर योग्य शेष राशियों का उचित विभाजन करने की अनुमति देता है। मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त, यह कर योग्य प्रारंभिक शेष राशि,गैर–कर योग्य प्रारंभिक शेष राशि, और कुल प्रारंभिक शेष राशि को समायोजित करने की भी क्षमता प्रदान करता है। (परिपत्र दिनांक 25.04.2025)

ज) पुनर्निर्मित प्रपत्र 13 (ट्रांसफर–आउट) कार्यक्षमता – ट्रांसफर क्लेम प्रक्रिया का सरलीकरणः

ट्रांसफर क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पुनर्निर्मित फॉर्म 13 (ट्रांसफर–आउट) कार्यक्षमता विकसित की गई है। अद्यतन कार्यक्षमता अब पीएफ संचय के कर योग्य और गैर–कर योग्य घटकों का विभाजन शामिल करती है। ट्रांसफरी (गंतव्य) कार्यालय में 3–स्तरीय प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। एक बार जब ट्रांसफर क्लेम का अनुमोदन ट्रांसफरर (स्रोत) कार्यालय में हो जाता है, तो सदस्य के पिछले खाते से संबंधित भविष्य निधि संचय और पेंशन सेवा बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता के स्वतः ही वर्तमान खाते में ट्रांसफरी (गंतव्य) कार्यालय में जोड़ दी जाती है । संशोधित प्रक्रिया के परिचय से ट्रांसफर क्लेम के प्रसंस्करण समय में कमी आएगी, जिससे फील्ड कार्यालयों की दक्षता बढ़ेगी और सदस्यों को तेज और सहज सेवा प्राप्त होगी।

झ) आधार फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का निर्माणः

अप्रैल 2025 में, एक नई सुविधा पेश की गई थी ताकि सदस्यों को उमंग मोबाइल ऐप का उपयोग करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) के माध्यम से यूएएन निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सके। इसे 1 अगस्त 2025 से अनिवार्य कर दिया गया। इस नई सुविधा ने सभी सदस्यों के लिए त्रुटि रहित यूएएन उत्पन्न करने को सुनिश्चित किया, जिससे वे अपने मोबाइल में तुरंत अपने नए आवंटित यूएएन के साथ–साथ सदस्य पोर्टल में यूएएन तक पहुँचने के लिए पासवर्ड जान सकते हैं और ऑनलाइन सेवाओं जैसे कि दावा दर्ज करना, पासबुक डाउनलोड करना, शेष राशि चेक करना आदि का सुगम उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा यह सुनिश्चित करने में भी मदद करती है कि सदस्य की पहचान ईपीएफओ सिस्टम में ऑनबोर्डिंग के समय ही

दर्ज हो जाए, जिससे सदस्य की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित होती है और बिना सदस्य की जानकारी के यूएएन निर्माण होने या पहचान की चोरी की संभावना को रोका जा सके। वे सदस्य जिन्होंने पहले यूएएन निर्माण कर लिया है लेकिन अपने यूएएन को अभी तक सक्रिय नहीं किया है (अर्थात् अपने मोबाइल नंबर को यूएएन से लिंक नहीं किया है), वे इस सुविधा का उपयोग कर ऐसे सक्रियण के लिए कर सकते हैं। जो सदस्य पहले ही अपने यूएएन का निर्माण और सक्रिय कर चुके हैं, वे अब इस नई सुविधा के माध्यम से एफएटी के जरिए अपनी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ञ) आधार (पहली बार) सीडिंग या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) में आधार सुधार की प्रक्रिया में सरलीकरणः

अगस्त 2025 से प्रभावी, ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है, जो उन सदस्यों के लिए आधार सीडिंग को सुगम बनाती है, जिनका आधार अभी तक उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से लिंक नहीं हुआ है। यह सुविधा संयुक्त घोषणा तंत्र के माध्यम से उपलब्ध है, जो ईपीएफओ परिपत्र दिनांक 13.08.2025 के अनुसार है।

इस सुविधा के तहतः

- जहां आधार विवरण पूरी तरह से यूएएन प्रोफ़ाइल में उपलब्ध जनसांख्यिकीय विवरणों से मेल खाते हैं, वहां नियोक्ता को प्रणाली में सीधे आधार सीड करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में ईपीएफओ कार्यालय से कोई अतिरिक्त अनुमोदन या हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।
- उन मामलों में जहां आधार डेटा और यूएएन प्रोफ़ाइल विवरणों में कोई विसंगति हो, नियोक्ता ऑनलाइन अनुरोध संबंधित ईपीएफओ कार्यालय को सत्यापन और सुधार के लिए भेज सकते हैं।
- समावेशिता और सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, जिन सदस्यों के नियोक्ता अब उपलब्ध नहीं हैं, वे सीधे ईपीएफओ कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) से संपर्क कर सकते हैं, जिनके पास सदस्य की ओर से ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करने और संसाधित करने का अधिकार है।
- इस सुविधा के अंतर्गत ऐसे मामलों में आधार विवरण को सुधारने की भी व्यवस्था है, जहाँ पूर्व में सदस्य के यूएएन के साथ गलत आधार जानकारी दर्ज की गई थी।

यह पहल आधार सीडिंग और सुधार प्रक्रियाओं को काफी हद तक सुव्यवस्थित कर चुकी है, मैनुअल हस्तक्षेप पर निर्भरता को कम किया है, और सेवा वितरण की सुविधा, डेटा की सटीकता तथा सदस्य की सुविधा को बढ़ाया है, जिससे ईपीएफओ के डिजिटल शासन ढांचे को सुदृढ़ किया गया है।

ट) गलत/धोखाधड़ी वाले यूएएन को डि–लिंक करनाः

अब सदस्यों को उनके यूएएन लॉगिन में यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने यूएएन से गलत/धोखाधड़ी वाले लिंक को अलग कर सकें ताकि अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके।

ठ) अवयस्क बच्चों को मृत्यु दावों के क्रेडिट की प्रक्रिया का सरलीकरणः

अवयस्क नामांकितों से संबंधित मामलों में लाभ वितरण को शीघ्र बनाने के लिए, ईपीएफओ ने पीएफ दावा निपटान के लिए अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को हटा दिया है, बशर्ते कि अवयस्क के नाम पर एक बैंक खाता खुला हो। 13.08.2025 के परिपत्र के अनुसार, अब योग्य राशि सीधे अवयस्क के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे भविष्य निधि, पेंशन और ईडीएलआई योजनाओं के अंतर्गत लाभ का तेजी से निपटान संभव होता है और सदस्य–केंद्रित सरल प्रक्रिया के माध्यम से शोक संतप्त परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है।

ड) ईडीएलआई योजना 1976 के तहत लाभों को ईडीएलआई योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों के माध्यम से और अधिक उदार बनाया गया है, जो कि 18.07.2025 को सा.का.नि. 476(अ) के माध्यम से जारी किए गए हैं;

- जिन सदस्यों का औसत पीएफ बैलेंस ` 50,000 से कम है, उनके आश्रितों/कानूनी वारिसों को देय न्यूनतम लाभ, भले ही उन्होंने 12 महीने की लगातार सेवा की हो या न की हो, ` 50,000 कर दिया गया है।

- जो सदस्य अपनी अंतिम योगदान राशि प्राप्त करने के छः महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि वे अभी भी नियोक्ताओं की सूची में हों, ईडीएलआई लाभ कर्मचारियों के आश्रितों/कानूनी उत्तराधिकारियों को योजना के अनुसार भुगतान किए जाएंगे।

- न्यूनतम आश्वासन लाभ के लिए आवश्यक बारह महीने की निरंतर अवधि निर्धारित करने के लिए, दो रोजगार कालों के बीच 60 दिनों तक के अंतराल को अनदेखा किया जाएगा और ऐसी कई सेवाओं को निरंतर सेवा माना जाएगा। इसके अलावा, समान अर्थव्यवस्था और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए, एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि सेवा का निरंतर काल जो तुरंत शनिवार, रविवार या अंतिम या वर्तमान संस्थान में घोषित साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, अधिसूचित अवकाश, राज्य अवकाश और सीमित अवकाश से संबंधित हो, उसे निरंतर सेवा का हिस्सा माना जाएगा और इसे सेवा में विराम नहीं माना जाएगा।

ढ) हस्तांतरण दावों का सरलीकरण – संलग्नक V में हस्तांतरण प्रमाणपत्र अब सदस्य पोर्टल में उपलब्ध है:

पारदर्शिता बढ़ाने और सदस्य की सुविधा में सुधार करने के उद्देश्य से, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (संलग्नक V)– जिसमें सदस्य के प्रोविडेंट फंड खाते का संपूर्ण रिकॉर्ड, पीएफ शेष राशि सहित ब्याज, ईपीएस लाभ की गणना के लिए पूरी सेवा इतिहास और रोजगार विवरण शामिल हैंकृ अब ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। सदस्य इस दस्तावेज़ को निम्न मार्ग के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं: सदस्य पोर्टल ⇨ ऑनलाइन सेवाएँ ⇨ दावे की स्थिति ट्रैक करें। संलग्नक V डाउनलोड करें। यह पहल ईपीएफओ के सदस्य–केंद्रित, प्रौद्योगिकी–संचालित सेवाओं को प्रदान करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो उच्च दक्षता, पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित करती है।

ण) सितंबर 2025 से वेतन माह के लिए पुनर्निर्मित इलेक्ट्रॉनिक चालान–सह–रिटर्न (ईसीआर) का शुभारंभ:

सितंबर 2025 के वेतन माह से प्रभावी, ईपीएफओ ने नियोक्ता पोर्टल पर पुनः डिज़ाइन किया गया इलेक्ट्रॉनिक चालान–सम्बंधित रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली पेश की है, ताकि रिटर्न फाइलिंग को सुव्यवस्थित किया जा सके और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्नत प्रणाली रिटर्न सबमिशन और भुगतान निर्माण के पृथक्करण की सुविधा प्रदान करती है, गलत फाइलिंग रोकने के लिए सिस्टम–आधारित सत्यापन शामिल करती है, और धारा 14ख के तहत हर्जाने तथा धारा 7थ के तहत ब्याज की स्वचालित गणना सक्षम करती है। मासिक योगदानों के साथ धारा 7 थ के तहत ब्याज का भुगतान अनिवार्य किया गया है। प्रणाली, निर्धारित शर्तों के अधीन, ईसीआर में संशोधन की अनुमति देती है, जबकि मौजूदा ईसीआर प्रारूप को बनाए रखती है, और ईसीआर को माहवार, क्रमिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य करती है। यह सुधार नियोक्ता फाइलिंग में अनुपालन, सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करता है।

त) ईपीएफ आंशिक निकासी प्रावधानों का सरलीकरण और उदारीकरण:

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 13 जटिल नियमों को एक एकल, सुव्यवस्थित ढांचे में विलय करके ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बना दिया है, जिसे आवश्यक आवश्यकताओं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास की जरूरतों और विशेष परिस्थितियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

निकासी की सीमाओं को उदार बनाया गया है, जिससे शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए 5 निकासी की अनुमति है, जबकि पहले यह संयुक्त सीमा तीन थी। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता एक समान रूप से 12 महीनों तक घटा दी गई है। विशेष परिस्थितियों में, सदस्य अब बिना किसी कारण के आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एक प्रावधान लागू किया गया है जिसमें सदस्य अंशदान का 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे उच्च ईपीएफओ ब्याज (वर्तमान में प्रति वर्ष 8.25%) की संचयी लाभ की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित होगी, और सेवानिवृत्ति कोष की सुरक्षा की भी गारंटी मिलेगी। इन सुधारों के साथ–साथ

दस्तावेज़ीकरण को समाप्त करने के कदम ने आंशिक निकासी दावों का 100% स्वचालित निपटान सक्षम किया है और जीवन की आसानी तथा सदस्य सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

थ) 'विश्वास योजना' –वैध विवादों को कम करने के लिए दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तार्किक बनाने के लिए: विश्वास योजना के तहत, जिसे सीबीटी द्वारा 13.10.2025 को आयोजित अपनी 238वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, दंडात्मक क्षतिपूर्ति की दर को एक स्तरीकृत संरचना में तार्किक बनाया गया है, जिसमें दो माह तक की देरी के लिए प्रति माह 0.25%, चार माह तक की देरी के लिए प्रति माह 0.50%, और लंबी अवधि की देरी के लिए प्रति माह 1% की स्थिर दर लागू है। यह योजना छह माह तक लागू रहेगी, और इसे और छह माह तक बढ़ाने का प्रावधान भी है। इसी संबंध में, केंद्रीय बोर्ड ने 14.06.2024 की पूर्व सूचना को संशोधित किया है, जिससे चार माह तक की देरी के लिए समान स्तरीकृत दर संरचना लागू हो गई, जिससे दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लगाव में निरंतरता और समानुपात सुनिश्चित होती है।

द) डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवाओं के लिए ईपीएफओ–आईपीपीबी साझेदारी:

ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को मुफ्त डोरस्टेप डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पेंशनभोगियों के लिए यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी क्योंकि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान और सुलह केंद्र (सीपीपीआरसी, ईपीएफओ) द्वारा आईपीपीबी को शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन पेंशनभोगी का डीएलसी देय है और जो स्मार्टफोन पर एफएटी का उपयोग करके स्वयं डीएलसी जमा करने में असमर्थ हैं, वे मुफ्त डोरस्टेप डीएलसी सेवा के लिए आईपीपीबी से संपर्क कर सकते हैं। इस सेवा के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत एसओपी जारी किया गया है ताकि आईपीपीबी के साथ मिलकर सभी लंबित डीएलसी को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जा सके।

ध) ईपीएफओ डिजिटल परिवर्तन ढांचा:

ईपीएफओ 3.0 के हिस्से के रूप में, सीबीटी ने भविष्य निधि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक सदस्य–केंद्रित डिजिटल परिवर्तन ढांचे को मंजूरी दी। यह पहल तेज, स्वचालित दावों, तात्कालिक निकासी, बहुभाषी स्व–सेवा और सहज पेरोल–लिंक्ड योगदान की सुविधा प्रदान करेगी, जो करोड़ों सदस्यों के लिए पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी–आधारित सेवा प्रदान करने के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है।

न) पुनर्निर्मित प्रयोक्ता प्रबंधन मॉड्यूल:

सीआईटीईएस परियोजना के तहत नया कार्यालय प्रबंधन मॉड्यूल शुरु किया गया है ताकि ईपीएफओ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रणाली की सुरक्षा, पहुँच की सुविधा और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाया जा सके, यह सभी सुधारित प्रमाणीकरण तंत्र और सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से संभव हुआ है। इस मॉड्यूल के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार यह सुविधा है कि अब संस्थानों को सिस्टम में नए बनाए गए ईपीएफओ कार्यालयों से जोड़ा जा सकेगा, जो कि 2017 से पुराने सिस्टम में उपलब्ध नहीं थी। यह सुधार संस्थागत लचीलापन बढ़ाता है, डेटा की सत्यनिष्ठा में सुधार करता है और ईपीएफओ के भीतर मापनीय प्रशासनिक विस्तार की सुविधा प्रदान करता है।

प) कर्मचारी नामांकन अभियान 2025

सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईपीएफओ के साथ कर्मचारियों का नामांकन बढ़ाने के लिए ईपीएफओ द्वारा 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया गया था। नियोक्ता एक ऐसे कर्मचारी की घोषणा कर सकता है जो जीवित है और 01.07.2017 से 31.10.2025 तक उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन जिसे किसी भी कारण से ईपीएफ के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जा सका है। जुर्माने को युक्तिसंगत बनाया गया है और अब इस योजना का लाभ उठाने वाले नियोक्ताओं को केवल एकमुश्त 100 रुपये की मामूली दंडात्मक क्षति का भुगतान करना होगा, जो गैर–अनुपालन के लिए मानक दंड से एक महत्वपूर्ण कमी है।

1.24 निगरानी और मूल्यांकन इकाई

निगरानी और मूल्यांकन इकाई (एमईयू) मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है और बजट के विभिन्न घटकों के तहत श्रम

और रोजगार मंत्रालय की सभी योजनाओं के आउटपुट–परिणाम की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इकाई नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई), जनजातीय मामले मंत्रालय (एमओटीए) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित कार्य सहित सूचना/सामग्री के समन्वय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह इकाई श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए आर्थिक सर्वेक्षण सामग्री तैयार करने और एमओएसजेई, एमओटीए और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के ईएफसी/एसएफसी और कैबिनेट नोट्स पर टिप्पणियों की तैयारी में भी समन्वय करती है।

1.25 यह मूल्यांकन और निगरानी (एम एण्ड ई) इकाई आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (तत्कालीन अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी)/ अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) (तत्कालीन जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) / अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी), उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) घटक के व्यय की निगरानी, फील्ड कार्यालयों के कामकाज की निगरानी और श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र/नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, गृह मंत्रालय के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पीएम–गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की निगरानी के लिए एक नोडल इकाई भी है। इसके अतिरिक्त, एम एंड ई यूनिट श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं की प्रगति की निगरानी भी करता है, जिसे प्रयास पोर्टल पर आरंभ किया गया है।

1.26 वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान श्रमिक और रोजगार मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं के लिए ₹31,820.80 करोड़ का वित्तीय आवंटन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सीएस योजनाओं के तहत डीएपीएससी के लिए ₹5,284.13 करोड़ (कुल आवंटन का 16.60%) और डीएपीएसटी के लिए ₹2,740.11 करोड़ (कुल आवंटन का 8.60%) की राशि निर्धारित की है।

1.27 स्वच्छता पखवाड़ा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 मई से 15 मई, 2025 तक मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा, 2025 के लिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों की स्वच्छता स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों से युक्त एक समिति का गठन किया गया। समिति ने पूर्वनिर्धारित/निश्चित मानदंडों के आधार पर विभिन्न विभागों/कार्यालयों की स्वच्छता स्थिति का मूल्यांकन किया और मंत्रालय के भीतर स्वच्छता पुरस्कार के लिए विभागों/कार्यालयों की सिफारिश की।

1.28 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राश्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) पर, इस मंत्रालय ने डिप्टी स्पीकर हॉल, कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई), राफी मार्ग में योग शिविर का सफल आयोजन किया। सचिव (श्रम एवं रोजगार) सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की टैग लाइन थी "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग"।

1.29 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के तत्वावधान में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया गया था ताकि नागरिकों को अपने घरों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस वर्ष भी 'हर घर तिरंगा' अभियान का आयोजन उसी जोश और देशभक्ति के साथ 02–15 अगस्त, 2025 तक किया गया। अभियान की सफलता के लिए इस मंत्रालय ने अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों में राष्ट्रध्वज वितरित किया। सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे 'हर घर तिरंगा' अभियान के दौरान अपने घरों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर वेबसाइट www.harghartiranga.com पर साझा करें।

1.30 मंत्रालय ने 29 अगस्त 2025 को तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस (एनएसडी) मनाया। मंत्रालय के अधिकारियों/अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस को ओलंपिक भावना और उत्कृष्टता, मित्रता तथा सम्मान के मूल्यों को समर्पित किया गया।

1.31 'स्वच्छोत्सव' थीम के अंतर्गत 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया। डीएपीआरजी की अनुसूची के अनुसार सभी कार्यों में लंबितता को कम करने और कचरा/स्क्रैप के निपटान हेतु 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक लंबित कार्यों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 (एससीडीपीएम 5.0) प्रारंभ किया गया। अभियानों के दौरान कार्यालय परिसर, गलियारे, कक्ष, सीढ़ियाँ, शौचालय और लिफ्ट की सफाई की निगरानी प्रतिदिन संबंधित समिति द्वारा की गई। इस अवधि के दौरान परिसर की सुन्दरता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और फूलों का इंतज़ाम किया गया। पुराने सामान और स्क्रैप का निपटान किया गया और नीलामी के माध्यम से 6.71 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई।

1.32 राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ के समारोह और स्मरण के भाग के रूप में, मंत्रालय ने 7 नवंबर 2025 को सुबह 9:50 बजे मुख्य समिति कक्ष में पूर्ण "वन्दे मातरम" गीत के गायन का आयोजन किया। माननीय मंत्री और सचिव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम उद्घाटन समारोह के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसमें

माननीय प्रधानमंत्री की सादर उपस्थिति में सामूहिक गायन किया गया।

1.33 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाबदेह, नागरिक–हितैषी और जनता को सूचना प्रसारित करने में सक्षम हो। सूचना का अधिकार प्रशासन में इन सभी विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और इसलिए, सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 लागू किया, जो 12.10.2005 से लागू हुआ है।

1.34 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित उपबंधों के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें संगठन के विवरण, इसके कार्य और कर्तव्यों, सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण आदि के पदनाम से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का प्रसार शामिल है। मंत्रालय ने विभिन्न श्रम अधिनियमों/विनियमों के बारे में जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण भी शुरू किया है, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.labour.gov.in पर इस देश के नागरिकों के उपयोग के लिए सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों की अपनी वेबसाइटें हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट से जुड़ी हैं।

1.35 मंत्रालय ने एक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय आरटीआई सेल भी स्थापित किया है, जहां नागरिकों से आरटीआई आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों अर्थात् वर्ष 2022–2025 के दौरान, मुख्य सचिवालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्राप्त आवेदन (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से) इस प्रकार हैः

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आरटीआई आवेदन
1	2022 (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से)	4875
2	2023 (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से)	4467
3	2024 (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से)	5337 (ऑनलाइन)+494 (ऑफलाइन)=5831
4	2025 (मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से)	5615 (ऑनलाइन)+389 (ऑफलाइन)=6004

1.36 वर्ष के दौरान पहली जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में 21 आवेदक द्वितीय अपील के रूप में गए हैं।

1.37 विधिक प्रकोष्ठ

कानूनी मामलों के विभाग द्वारा कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) की शुरुआत अदालती मामलों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से की

गई थी। मंत्रालय के कानूनी प्रकोष्ठ ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत सभी संगठनों द्वारा एलआईएमबीएस को लागू किया जाए। श्रम और रोजगार मंत्रालय एलआईएमबीएस पोर्टल पर लगभग सभी न्यायालयी मामले (31 दिसंबर, 2025 तक लगभग 77,045 न्यायालयी मामले) की जानकारी अपलोड करके एलआईएमबीएस को लागू करने में सबसे आगे है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एलआईएमबीएस जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मंत्रालय द्वारा एलआईएमबीएस टीम, विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से 18.11.2025 (मंगलवार) को आयोजित किया गया था।

1.38 बाल श्रम

सरकार बाल श्रम की समस्याओं निपटने के लिए एक मजबूत बहु–आयामी रणनीति का अनुसरण कर रही है। इसमें वैधानिक और विधायी उपाय, बचाव और पुनर्वास, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं।

1.39 बाल श्रम संबंधी नीति

अगस्त, 1987 में घोषित बाल श्रम के विषय पर राष्ट्रीय नीति बाल श्रम की जटिल समस्याओं का व्यापक, समग्र और एकीकृत तरीके से समाधान करती है। इस नीति के तहत कार्य योजना बहु–आयामी है और इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- एक विधायी कार्य योजना
- बाल श्रम की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई
- बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना

1.40 विधायी कार्य योजना

वर्ष 2016 में यथासंशोधित, बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986, में अन्य बातों के साथ–साथ, सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार या कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आयु के साथ रोजगार के प्रतिषेध की आयु को जोड़ना; जोखिमकारी व्यवसायों या प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) के नियोजन पर प्रतिबंध और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का प्रावधान शामिल किया गया है।

1.41 परियोजना आधारित कार्य योजना

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसरण में बाल श्रम से बचाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

जिला और राज्य स्तर पर प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए एनसीएलपी योजना को अब 1 अप्रैल, 2021 के बाद चरणबद्ध तरीके से शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की "समग्र शिक्षा अभियान" योजना के साथ मिला दिया गया है। बाल श्रमिक के रूप में बचाये गये/चिन्हित किये गये बच्चों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एसएसए योजनान्तर्गत जिले में संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश दिया जा सकता है।

*****

अध्याय 2 संगठनात्मक ढ़ांचा और कार्य

श्रम क्षेत्राधिकार

2.1 भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची में शामिल है और इसलिए केन्द्र के लिए कतिपय आरक्षित मामलों के अध्यधीन केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों विधान अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं। **(तालिका 2.1)**

तालिका 2.1	
विषयों का आवंटन	
संघ सूची	**समवर्ती सूची**
प्रविष्टि संख्या 55 - खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियमन।	प्रविष्टि संख्या 22 - श्रमिक संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद।
प्रविष्टि संख्या 61 - संघों के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद।	प्रविष्टि संख्या 23 - सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी।
प्रविष्टि संख्या 65 - "व्यावसायिक प्रशिक्षण" संबंधी केन्द्रीय एजेंसियां और संस्थान	प्रविष्टि संख्या 24 - श्रमिकों का कल्याण जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि, नियोजकों के दायित्व, कर्मकारों को मुआवजा, निःशक्तता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय का विजन, मिशन एवं उद्देश्य

विजन

2.2 बाल श्रम मुक्त भारत सुनिश्चित करते हुए तथा निरंतर आधार पर नियोजनीयता को बढ़ाते हुए कामगारों के लिए मर्यादित कार्य–दशाएं तथा जीवन की उन्नत गुणवत्ता।

मिशन

2.3 कामगारों की कार्य दशाओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को विनियमित करते हुए, बाल श्रम का उन्मूलन करते हुए, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए तथा रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देते हुए कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपलब्ध कराने का प्रावधान करने के लिए नीतियां/ कार्यक्रम/ परियोजनाएं तैयार और कार्यान्वित करना।

2.4 उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में बढ़ोतरी करना।
2. संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. बाल श्रम का उन्मूलन।
4. रोजगार सेवाओं को सशक्त करना।
5. औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान तथा श्रम कानून प्रवर्तन मशीनरी का सशक्तिकरण तथा
6. कामगारों की सुरक्षा दशाओं और संरक्षा में सुधार करना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

डॉ. मनसुख मांडविया ने दिनांक 11.06.2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

सुश्री शोभा करान्दलाजे ने दिनांक 11.06.2024 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

सुश्री वंदना गुरनानी, आईएएस (कर्नाटकः1991) ने सुश्री सुमिता डावरा, आईएएस (आंध्र प्रदेशः 1991) के स्थान पर

दिनांक 21.04.2025 से सचिव (श्रम एवं रोजगार) के रूप में कार्यभार संभाला।

ब्यूरो प्रमुख

क्र. सं.	नाम व पदनाम	सेवा
1	श्री पी. संगीत कुमार, महानिदेशक (सांख्यिकी)	आईएसएस:1992
2	श्री आलोक चन्द्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार	(आईईएस:1992)
3	सुश्री जी. मधुमिता दास, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	(आईपीओएस:1996)
4	श्री अजॉय शर्मा, अपर सचिव	आईएएस (पीबी:1999)
5	सुश्री दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव	आईआईएस:1994
6	श्री आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव	आईआईएस: 1998
7	डॉ. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव	आईआरएसईई:1999
8	श्री आशुतोष ए टी पेड़नेकर, संयुक्त सचिव	आईएएस (आरजे : 2002)
9	श्री अतनु कुमार चौधुरी, उप-महानिदेशक	आईएसएस: 1999
10	सुश्री अंजली रावत, उपमहानिदेशक	आईएसएस: 2002
11	सुश्री शेफाली ढींगरा, आर्थिक सलाहकार	आईईएस: 2004

श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन संगठन

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आईआरएस:1992)

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

श्री अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक (आईएएस: केरल:1999)

(3) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) {सीएलसी(सी)} का कार्यालय

सुश्री सोनल मिश्रा, आईएएस (जीजे : 1997)

(4) रोजगार महानिदेशक (डीजीई) का कार्यालय

श्री अजॉय शर्मा महानिदेशक (रोजगार) (आईएएस:पीबी:1999)

(5) कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान का कार्यालय (डीजीफासली)

श्री वी.सी. चतुर्वेदी, सीएसएस, महानिदेशक

(6) खान सुरक्षा महानिदेशक का कार्यालय (डीजीएमएस)

श्री उज्ज्वल ताह, महानिदेशक

(7) महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) का कार्यालय

डॉ. अरविंद, महानिदेशक (एएफएचक्यू सिविल सेवा 1996)

(8) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो का कार्यालय (डीजीएलबी)

श्री श्याम सिंह नेगी, महानिदेशक (आईईएस: 1993)

(9) महानिदेशालय श्रम कल्याण का कार्यालय (डीजीएलडब्ल्यू)

श्री आशुतोष ए टी पेड़नेकर, महानिदेशक (आईएएस: (आरजे : 2002)

(10) दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड का कार्यालय

कर्नल नीरज शर्मा, महानिदेशक

संबद्ध कार्यालय

2.5 मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सीएलसी(सी)) का कार्यालय)

यह कार्यालय (क) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों की रोकथाम, जांच तथा निपटान; (ख) पंचाटों तथा करारों के प्रवर्तन; (ग) उन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है; (घ) केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का सत्यापन करने ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके; और (ङ) अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के महंगाई भत्ता घटक के निर्धारण एवं संशोधन के लिए उत्तरदायी है।

2.6 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई)

रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) पूरे देश में रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए नीतियां, मानक, मानदंड और दिशा–निर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। 'रोजगार' समवर्ती विषय होने के कारण, नीतियों को निर्धारित करना, प्रक्रियाएं, मानक, मानदंड, दिशानिर्देशन आदि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि रोजगार कार्यालयों का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। अधिकांश राज्यों में राज्य की राजधानियों में रोजगार निदेशालय अवस्थित हैं। इन कार्यकलापों के अतिरिक्त, डीजीई विशेष लक्षित समूहों की नियोजनीयता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी संचालित करता है।

2.7 कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुंबई श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह निदेशालय, कारखानों और डॉक/बंदरगाहों के कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी स्कंध के रूप में कार्य करता है। यह कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रशासन पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है और मुख्य बंदरगाहों में डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को लागू करता है।

कारखाना अधिनियम, 1948 और डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के साथ–साथ अन्य 11 अधिनियमों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 में सम्मिलित कर लिया गया है। ओएसएच और डब्ल्यूसी (ओएसएच एण्ड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 दिनांक 21.11. 2025 से लागू हो गई है।

डीजीएफएएसएलआई के कार्य

- सलाह देने और सहायता गतिविधियाँ संचालित करने के माध्यम से कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रशासन।
- डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम, का प्रशासन और देश के प्रमुख बंदरगाहों में इन्हें लागू करना।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योगों, बंदरगाहों, संगठनों आदि को तकनीकी सलाह और सेवा प्रदान करना।
- कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवेश पर अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों/मानकों के अनुरूप कानून, मानक, दिशा–निर्देश और व्यवहार संहिता (कोड्स ऑफ प्रैक्टिस) विकसित करना।
- कारखानों और बंदरगाहों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रवर्तन के समान मानक सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और कानूनी गतिविधियों का समन्वय करना।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) के क्षेत्र में अध्ययन, सर्वेक्षण और ऑडिट; तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- संयुक्त राष्ट्र, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, जी–20 जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना

और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना।

- प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना।
- ओएसएच के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और प्रदान करना।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और सामग्री एकत्र करना और उनका प्रसार करना।

डीजीफासली संगठन में मुख्यालय, पांच श्रम संस्थान तथा प्रमुख पत्तनों में 11 डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुख्यालय मुंबई में है और इसके विभिन्न प्रभाग / सेल हैं जैसे कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, सांख्यिकी सेल, डॉक सुरक्षा प्रभाग, निर्माण सलाहकार सेवा प्रभाग, एमआईएस प्रभाग और भागीदारी प्रभाग।

मुंबई स्थित केंद्रीय श्रम संस्थान ने 1959 से कार्य करना शुरू किया और फरवरी 1966 में इसे इसके वर्तमान परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में, यह संस्थान विकसित हुआ है और निम्नलिखित प्रभागों के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का दर्जा प्राप्त कर चुका है:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक स्वच्छता**
- **औद्योगिक चिकित्सा**
- **कार्य पर्यावरण इंजीनियरिंग**
- **कर्मचारी प्रशिक्षण और उत्पादकता**
- **प्रमुख दुर्घटना जोखिम सलाहकार सेवा**

संस्थान के विभिन्न प्रभाग अध्ययन और सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने, तकनीकी सलाह जैसी सेवाएं प्रदान करने, सुरक्षा ऑडिट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के परीक्षण और उनके प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करने आदि जैसी गतिविधियां संचालित करते हैं।

चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता और शिलांग स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान देश के उन संबंधित क्षेत्रों की सेवा करते हैं जहाँ ये स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैं:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक स्वच्छता**
- **औद्योगिक चिकित्सा**

भारत के 11 प्रमुख बंदरगाहों अर्थात् कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कांडला, मोरमुगाओ, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर डॉक सुरक्षा महानिरीक्षालय स्थापित हैं।

2.8 श्रम ब्यूरो

श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसका प्रमुख महानिदेशक होता है। संगठन का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और इंदौर में स्थित हैं।

ब्यूरो मजदूरी, कमाई, अनुपस्थिति, श्रम टर्नओवर, औद्योगिक संबंध आदि की जानकारी सहित मूल्य, रोजगार और श्रम सांख्यिकी के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो द्वारा नियमित रूप से जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमुख मापदंडों में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई –आईडब्ल्यू), कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई– एएल/आरएल), मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) आदि शामिल हैं। ब्यूरो 11 श्रम अधिनियमों के तहत प्रशासनिक सांख्यिकी भी एकत्र और संकलित करता है।

अधीनस्थ कार्यालय

2.9 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)

इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है। यह खानों और तेल क्षेत्रों पर

लागू भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों का प्रवर्तन भी करता है।

2.10 कल्याण आयुक्त

कल्याण आयुक्तों के अठ्ठारह (18) कार्यालय, अभ्रक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों और बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कार्यालय अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नागपुर, पटना, रांची, रायपुर, चेन्नई और श्रीनगर में स्थित हैं, और सीधे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

स्वायत्त संगठन

2.11 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

ईएसआईसी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जो बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करता है। बीमारी और प्रसूति के दौरान लाभ, रोजगार से संबंधित चोट के लिए मुआवजे, रोजगार से संबंधित चोट के कारण कामगारों की मृत्यु पर आश्रितों के लिए पेंशन आदि के रूप में सहायता दी जाती है।

2.12 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लाभ के लिए इस संगठन द्वारा भविष्य निधि, परिवार पेंशन और जमा सहबद्ध बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, जो 16.11.1995 से अस्तित्व में आयी है, के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।

2.13 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय, जिसकी स्थापना जुलाई 1974 में हुई थी, श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान ने अपने अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशनों के माध्यम से संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न समूहों तक पहुंचने का प्रयास किया है।

दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड

2.14 बोर्ड पचास क्षेत्रीय निदेशालयों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के साथ कार्य करता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कंध, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई एक पंजीकृत सोसायटी है जो ट्रेड यूनियनवाद, सॉफ्ट स्किल्स, शॉप–फ्लोर प्रबंधन में भाग लेने के लिए क्षमता निर्माण, रोजगार/नियोजनयता, उचित कल्याण/ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने, श्रम बाजार की जानकारी, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कामगारों के संगठन का निर्माण और कामगारों में उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में चेतना लाने के लिए कामगारों के प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं पर कार्य करती है। बोर्ड ई–श्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, पीएमएसवाईएम आदि सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं में कामगारों के पंजीकरण के लिए जागरूकता सह पंजीकरण शिविर (एसीआरसी) के रूप में कार्यक्रम भी चलाता है।

न्याय निर्णयन निकाय

2.15 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय (सीजीआईटी)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए बाईस औद्योगिक अधिकरण–सह–श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार

समुचित सरकार है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 से उत्पन्न अपीलों को निपटाने की शक्तियां भी इन अधिकरणों को दी गई हैं। ये अधिकरण धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरू, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी में (प्रत्येक में एक न्यायालय) स्थित है। इसके अलावा मुम्बई तथा कोलकाता स्थित दो औद्योगिक अधिकरण भी राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

2.16 केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस)

केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) का गठन श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं और श्रम कानूनों के प्रवर्तन का उपबंध करते हुए 3 फरवरी, 1987 से बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) को वर्ष 2004 में अधिसूचित कर दिया गया था।

2.17 जिन कारखानों, खानों और बागानों में 250 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं, उन्हें प्रासंगिक कानूनों के तहत निर्धारित संख्या में कल्याण अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) और उप श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) वैधानिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और वे संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सलाह और सहायता भी देते हैं। इसके अलावा, कामगारों की शिकायतों के समाधान में संगठन की सहायता करके, ये अधिकारी उन्हें औद्योगिक विवादों में बदलने से रोकते हैं।

2.18 इसके अतिरिक्त, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की अध्यक्षता वाली केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) में सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के रूप में नियुक्त अधिकारियों को केंद्रीय क्षेत्र में अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। सीआईआरएम के तहत अधिकारी केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों/उद्योगों में लागू श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ये अधिकारी श्रम संहिताओं के तहत अर्ध–न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। उपरोक्त के अलावा, वे केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों का सामान्य सत्यापन और अनुशासन संहिता के तहत ट्रेड यूनियन इकाई स्तर की सदस्यता का सत्यापन भी करते हैं।

2.19 महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अधीन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कल्याण संगठन में सहायक कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) और कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) के रूप में नियुक्त सीएलएस अधिकारी बीड़ी निर्माण उद्योग, गैर–कोयला खानों आदि में लगे असंगठित कामगारों के लिए स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रशासन करते हैं।

2.20 विभिन्न ग्रेडों में सेवा की वर्तमान संवर्ग संख्या की पुनर्संरचना करके उसे एचएजी स्तर पर 01 पद, एसएजी में 02 पद, जेएजी में 59 पद, एसटीएस में 115 पद तथा जेटीएस ग्रेड में 163 पद पर संशोधित किया गया है।

संसद एकक

2.21 संसद एकक

संसद अनुभाग, संसद से संबंधित मामलों के लिए मंत्रालय की नोडल इकाई है। संसद अनुभाग का मुख्य कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, मंत्रालय के माननीय मंत्रियों के कार्यालयों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों और लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिवालयों/विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय करना है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं:

- लोकसभा के तारांकित और अतारांकित प्रश्नों, राज्यसभा के तारांकित और अतारांकित प्रश्नों, लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मुद्दों, शून्य काल के दौरान उठाए गए लोक महत्व के जरूरी मामलों, विशेष उल्लेखों, प्रस्तावों, अल्पकालिक चर्चाओं आदि के उत्तर प्रस्तुत करना।

- विधायी कार्यों और गैर–विधायी कार्यों, जैसे कि लोक महत्व के मामलों या संसद सत्र के दौरान चर्चा के लिए आवश्यक रिपोर्टों से संबंधित जानकारी प्रदान करना।

किया गया कार्यः –

वर्ष 2025 में, संसदीय परामर्शदात्री समिति ने निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा की: -

क्र. सं.	बैठक का एजेंडा	तिथि	स्थान
	प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना	दिनांक 12 अगस्त, 2025	संसद भवन सौध, नई दिल्ली

कैलेंडर वर्ष 2025 (2025 के बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र) में कुल 635 संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए और सदन-वार विवरण इस प्रकार हैं-

	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न	कुल
लोक सभा	28	338	366
राज्य सभा	22	247	269
कुल	50	585	635

- श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति तथा अन्य समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर उत्तर/कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

2.22 वित्तीय सलाहकार

सुश्री मधुमिता दास, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (आईपीओएस:1996) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। वह मंत्रालय के वित्त प्रभाग और बजट और लेखा (बी और ए) अनुभाग की प्रमुख हैं। वह श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अनुदानों की मांगों से संबंधित मामलों और मंत्रालय के व्यय की निगरानी संबंधी कार्य देख रही हैं।

वित्तीय सलाहकार की मुख्य जिम्मेदारियां

- बजट तैयार करना और बजट प्रक्रिया का समन्वय।
- मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा।
- परियोजना/योजना मूल्यांकन, निगरानी और समीक्षा।
- व्यय और नकदी प्रबंधन
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस);
- वित्त मंत्रालय को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग;
- गैर–कर राजस्व/प्रयोक्ता शुल्क/लाभांश की निगरानी।
- परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानी।
- संपरीक्षा और लेखा परीक्षा।
- विदेश यात्रा प्रबंधन प्रणाली (एफवीएमएस)।

- यह सुनिश्चित करना कि योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में दिशानिर्देशों का विधिवत पालन किया जाता है।
- बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक रूप से रिपोर्टिंग।
- स्वायत्त निकायों के संबंध में जीएफआर का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आउटकम बजट में सहायता।

2.23 वित्त स्कंध

सचिव (श्रम और रोजगार मंत्रालय) श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) और मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बजट और वित्त के प्रमुख है और मुख्य लेखा नियंत्रक श्रम और रोजगार मंत्रालय में लेखाकरण संगठन के प्रमुख है।

2.24 समेकित वित्त प्रभाग

मंत्रालय में एकीकृत वित्त प्रभाग की अध्यक्षता अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एण्ड एफए) द्वारा की जाती है। उप सचिव (वित्त), वित्तीय सलाह देने से संबंधित सभी मामलों पर वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं।

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर), 2024 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, एएस एण्ड एफए की अध्यक्षता वाला आईएफडी निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करता है: –

- वित्त मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले समस्त विषयों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह प्रदान करना। इसमें कार्यालय प्रमुख की हैसियत में मंत्रालय को दी गई अन्य शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियां शामिल हैं;
- अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनःप्रत्यायोजन प्रस्तावों की जांच करना;
- मंत्रालय में विभागीय प्रमुख को प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक के सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना और सहमति देना;
- वैसे सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना जिन्हें सहमति या टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है;
- परियोजनाओं एवं अन्य जारी स्कीमों की प्रगति और निष्पादन के मूल्यांकन संबंधी कार्यों से निकट से जुड़े रहना;
- योजनाओं को बनाने और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों से प्रारम्भिक चरणों से निकट से जुड़े रहना;
- श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों से प्राप्त एसएफसी/ईएफसी की जाँच व संवीक्षा करना।

2.25 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान, श्रम और रोजगार मंत्रालय में आईएफडी के परामर्श से निम्नलिखित मुख्य कार्य मदें निष्पादित की गईं:–

- व्यय विभाग (डीओई) द्वारा जारी वित्तीय चार्टर का पालन करने और आईएफडी के कामकाज में दक्षता, प्रभावशीलता और तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आईएफडी को भेजे जाने वाले मामलों के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे। इन मानदंडों के अनुसार, आईएफडी में किसी भी प्रस्ताव पर प्रारंभिक कार्रवाई 5 कार्य दिवसों के भीतर की जाती है और किसी भी संदर्भ पर अंतिम राय 15 कार्य दिवसों के भीतर दी जाती है। 90% मामलों का निपटान निर्धारित मानदंडों के भीतर किया जा रहा है।
- आईएफडी के परामर्श से योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया। विस्तृत जांच के बाद विभिन्न योजनाओं की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्टों पर आईएफडी द्वारा उचित टिप्पणियां दी गईं।
- 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखने के लिए प्रस्तावित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की

योजनाओं के लिए मसौदा एसएफसी/ईएफसी नोटों की जांच की गई और आईएफडी की टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। एसएफसी ने दिनांक 13.11.2025 को 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखने के लिए दो योजनाओं, अर्थात् श्रम पंजीकरण, निरीक्षण, समाधान और पारदर्शिता पहल (एसआरआईएसटीआई) और श्रम रोजगार एवं मूल्य सांख्यिकी योजना (लीप्स) का मूल्यांकन किया, जिन्हें बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया।

- जीएफआर, 2017 के नियम 229(xi) के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो स्वायत्त निकायों, यानी डीटीएनबीडब्ल्यूईडी और वीवीजीएनएलआई के बीच वित्त वर्ष 2025–26 के लिए समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया/हस्ताक्षर किए गए।

- वित्तीय सलाहकार से व्यय विभाग को फीडबैक के तंत्र के तहत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सभी गतिविधियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के अर्ध–शासकीय पत्र के माध्यम से मासिक रूप से भेजी गई।

- उपरोक्त के अलावा, उन सभी व्यय प्रस्तावों, जिनमें इस मंत्रालय में विभागाध्यक्ष की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की विशिष्ट सहमति/अनुमोदन की आवश्यकता होती है, की जीएफआर और डीएफपीआर के अनुसार कड़ाई से जांच/संवीक्षा की गई।

- वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजकोषीय विवेक और व्यय प्रबंधन में मितव्ययिता के संबंध में दिशा–निर्देशों को सुनिश्चित किया गया और वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों की जांच की गई।

- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में जीईएम पर स्थायी समिति (एससीओजीईएम) की नियमित बैठकें होती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकांश खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाए और भुगतान में चूक को कम किया जा सके।

- इस मंत्रालय के स्थापना व्यय से संबंधित पूंजीगत व्यय के विभिन्न प्रस्तावों की सूक्ष्मता से जांच और सहमति दी गई, साथ ही उसी व्यय की निरंतर निगरानी भी की गई।

- इस मंत्रालय के विभागाध्यक्षों की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित खरीद प्रस्तावों की जीएफआर, 2017 का पालन करते हुए जांच और सहमति दी गई।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त पदों के सृजन/पुनरुद्धार संबंधी प्रस्तावों की जांच की गई और उन्हें समयबद्ध तरीके से व्यय विभाग को अग्रेषित किया गया।

- हवाई यात्रा के प्रस्तावों में छूट से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की जांच की गई है।

- मुख्य सचिवालय और मंत्रालय के विभिन्न संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग से संबंधित प्रस्तावों की प्रासंगिक सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जांच की गई है।

- वित्तीय निहितार्थ वाले विभिन्न न्यायालयी मामलों का प्रासंगिक सरकारी नियमों और न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षण किया गया।

- प्रस्तावों की जांच करते समय, वित्तीय सलाहकारों के चार्टर में उल्लिखित सभी मानदंडों और शर्तों को ध्यान में रखा गया।

2.26 बजट एवं लेखा अनुभागः बजट एवं लेखा अनुभाग श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अभिन्न अंग है

तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय का बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय में इस प्रभाग के/की प्रमुख अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस और एफए) हैं। अवर सचिव (बजट एवं लेखा), उप सचिव (वित्त और बजट) और मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) इस प्रभाग से संबंधित सभी मामलों में वित्तीय सलाहकार की सहायता करते हैं।

2.27 बजट एवं लेखा अनुभाग के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:–

- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने की समय–सीमा का पालन किया जा रहा है तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बजट का प्रारूप तैयार किया जाता है।
- संबंधित ब्यूरो प्रमुखों के परामर्श से मंत्रालय की वार्षिक अनुदान मांगों को अंतिम रूप देने के लिए इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों से प्राप्त वार्षिक बजट प्रस्तावों को एएसएण्डएफए के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इनकी जांच करना।
- वित्त मंत्रालय द्वारा संप्रेषित अंतिम अवसीमा के आधार पर विस्तृत अनुदान मांगें तैयार करने के साथ–साथ एससीएसपी, टीएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट आबंटन से संबंधित अनुदेशों का पालन करना।
- एएसएण्डएफए की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही बैठकों के माध्यम से संस्वीकृत अनुदानों के अनुसार व्यय की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना, जिनमें व्यय की एक समान गति बनाए रखने हेतु अभिप्रेरित किया जाता है ताकि यह संसद द्वारा अनुमोदित मासिक व्यय अनुमान और तिमाही व्यय अनुमान के अनुरूप हो।
- अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए इस मंत्रालय के प्रभागों/अनुभाग से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना तथा प्रस्ताव को संसद के अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करना।
- पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करने से पहले इनकी जांच करना।
- लेखा–परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, लेखा–परीक्षा के पैराओं, आदि के परिनिर्धारण पर निगरानी रखना तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्टों और पुनर्विनियोजन लेखाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना **(तालिका क में लेखा–परीक्षाओं की स्थिति दर्शाई गई है)।**
- प्रलेखों/सामग्री का संकलन अर्थात स्कीमों पर टिप्पणियां, स्थायी समिति की रिपोर्ट्स आदि दस्तावेंजों/सामग्री के संकलन के साथ–साथ वार्षिक आधार पर संसद भवन की एनेक्सी में "अनुदान मांगों" पर आयोजित संसदीय स्थायी समिति की बैठक के संबंध में लोक सभा सचिवालय को अनुदान मांग पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करना। की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए किए गए विचार–विमर्श पर आधारित एक संपूर्ण रिपोर्ट और उपर्युक्त प्रलेखों में दी गई सूचना भी लोक सभा सचिवालय द्वारा भेजी जाती है। तदनुसार, यह अनुभाग संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं की रिपोर्ट (एटीआर) पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को समेकित करता है। लोक सभा सचिवालय को एटीआर पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना।
- बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति को वित्त मंत्रालय के पास भेजना/अपलोड करना।
- विभिन्न बजट संबंधी मामलों के लिए स्वायत्त निकायों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ संपर्क बनाये रखना।

- अनुदान मांगों पर बजट चर्चाओं के लिए कटौती प्रस्तावों पर जानकारी देना
- सरकारी सेवकों को ऋण देने में सुविधा प्रदान करना।
- वित्तीय सलाहकार से व्यय विभाग को फीडबैक के तंत्र के तहत, निर्धारित प्रारूप के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय की सभी गतिविधियों पर जानकारी अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के अर्ध–शासकीय पत्र के माध्यम से मासिक रूप से भेजी गई।
- सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षा समिति को सचिवालीय सेवाएं प्रदान करना।

2.28 मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की भूमिका और उत्तरदायित्व

- सामान्य रूप से वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और विशेष रूप से बजट और लेखांकन से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन में वित्तीय सलाहकार की सहायता करना।
- मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखा और आंतरिक लेखा परीक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी।
- सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.3 में यथा विस्तृत अन्य सभी भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व।
- लेखा स्कंध के प्रमुख के रूप में सीसीए को एफए के समग्र अधीक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करना–प्रशासनिक मामलों, फाइल प्रोसेसिंग, एपीएआर आदि पर एफए को रिपोर्ट करना।
- बजट तैयार करने की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग। बजट संबंधी फाइलें सीसीए के माध्यम से एफए को सौंपी जाती हैं। बजट अनुभाग को सामान्यतः सीसीए के तहत कार्य करना चाहिए (अपवाद के लिए डीओई की सहमति की आवश्यकता होगी)।
- पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बजट एवं लेखा अनुभाग द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य मदें निष्पादित की गईः–

- मंत्रालय के संबंधित प्रभागों/अनुभागों से प्राप्त संशोधित अनुमान (आरई) 2025–26 और बजट अनुमान (बीई) 2026–27 हेतु प्रस्ताव की जांच की गई/अंतिम रूप दिया गया तथा यूबीआईएस पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.12.2025 को प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए अनुदान की मांगों पर क्रमशः पहली रिपोर्ट और चौथी रिपोर्ट में शामिल संसदीय स्थायी समिति के प्रेक्षणों/सिफारिशों पर कार्रवाई की गई टिप्पणियां लोकसभा सचिवालय को भेज दी गई हैं।
- यूबीआईएस के ईसीएल मॉड्यूल पर स्वायत्त निकायों से संबंधित डेटा अपलोड कर दिया गया है।
- वर्ष 2014–15 से 2025–26 तक की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर कार्रवाई की गई रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति, जिसका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पर प्रभाव है, वित्त मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन निगरानी के लिए मासिक आधार पर डीईए के ई–समीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
- अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रभागों को बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए डीएफपीआर 2024 का पालन करते हुए निधियों के पुनर्विनियोजन के विभिन्न प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन किया गया है।
- जेम के माध्यम से की गई वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की नियमित निगरानी की गई।
- स्वीकृत अनुदानों के मुकाबले व्यय की गति की समीक्षा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा

साप्ताहिक बैठकें आयोजित करके की जाती है ताकि व्यय की समान गति बनी रहे और यह एमईपी/क्यूईपी अनुमानों के अनुरूप हो।

2.29 ऑडिट पैरा

- **मुख्य सचिवालयः**— चालू वित्त वर्ष में, सी और एजी ने वित्त वर्ष 2023—24 के लिए लेनदेन ऑडिट किया है जिसमें जुलाई, 2025 में केवल 13 नए ऑडिट निरीक्षण पैरा प्राप्त हुए हैं। सभी पैरा के उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं।
- इसके अलावा, जनवरी 2025 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 69.11 करोड़ रुपये की राशि के 597 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे (कुछ उपयोगिता प्रमाण पत्र 1979 से लंबित हैं)। सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का पता वेतन एवं लेखा कार्यालय के रिकॉर्ड से लगाया गया। इनमें से 51.33 करोड़ रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एनसीएलपी से संबंधित हैं। वर्ष 2025 के दौरान 20% लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समाधान किया गया।

2.30 राजभाषा

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा नीति और उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक पूर्ण विकसित हिंदी अनुभाग है। वर्ष 2025—26 के दौरान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच हिंदी का व्यापक रूप से उपयोग करने के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। राजभाषा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और राजभाषा विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। मंत्रालय के हिंदी अनुभाग को भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य सौंपा गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, वार्षिक रिपोर्ट, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात जिनमें संसदीय प्रश्न/उत्तर शामिल हैं, हाल ही में बनाई गई श्रम संहिताएं और श्रम कानून, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के भाषण, प्रेस विज्ञप्ति आदि और मंत्रालय के अन्य कार्यों का अनुवाद किया गया।

मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14—30 सितंबर, 2025 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रैमासिक आधार पर हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

हिन्दी सलाहकार समिति की 42वीं बैठक दिनांक 19 नवंबर 2025 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारान्दलाजे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों और मंत्रालय तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

2.31 प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) प्रकोष्ठ

सूचना/निधि के सरल और त्वरित प्रवाह के लिए कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रियाओं की री—इंजीनियरिंग करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने तथा लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण, दोहराव को समाप्त करने और धोखाधड़ी को कम करने के उद्देश्य से, लाभार्थियों को निधि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) 1 जनवरी, 2013 को शुरू किया गया था। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु योजना आयोग में डीबीटी मिशन बनाया गया था। इस मिशन को जुलाई, 2013 में व्यय विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया और यह 14.09.2015 तक कार्य करता रहा। इसे और अधिक गति देने के लिए, डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को 14.09.2015 से कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) के अधीन रखा गया है। कैबिनेट सचिवालय स्थित डीबीटी मिशन को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ—साथ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार—आधारित डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। डीबीटी मिशन ने एक वेब—आधारित एमआईएस पोर्टल (www.dbtbhara

.gov.in) भी विकसित किया है, जो नियमित आधार पर निम्नलिखित मापदंडों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की सभी डीबीटी संबंधित जानकारी एकत्र और संकलित करता है:

1. लाभार्थी डिजिटलीकरण और उनका आधार सीडिंग / आधार प्रमाणीकरण।
2. भारत की संचित निधि द्वारा प्रायोजित लाभार्थियों को दिए गए लाभ (नकद या वस्तु के रूप में)।
3. डीबीटी / गैर–डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थियों को स्थानांतरित निधि।
4. डुप्लिकेट / फर्जी / नकली लाभार्थियों को हटाने के कारण हुई बचत, यदि कोई हो।

2.32 डीबीटी मिशन के निर्देशों के अनुसरण में, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित कार्यों को देखने के लिए अगस्त, 2016 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एक डीबीटी सेल का गठन किया गया था। यह सेल मुख्य नियंत्रक लेखा की सहायता से अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम एवं रोजगार) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। डीबीटी सेल के दैनिक कामकाज की देखरेख लेखा नियंत्रक द्वारा की जाती है। डीबीटी सेल, डीबीटी मिशन के निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय में डीबीटी की प्रगति का समन्वय और निगरानी कर रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 17 डीबीटी योजनाओं की सूची **तालिका–ख के रूप में संलग्न** है।

2.33 श्रम और रोजगार मंत्रालय के नागरिक/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) और निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी), कैबिनेट सचिवालय के दिशानिर्देशों के आधार पर और मंत्रालय के हितधारकों के परामर्श से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सीसीसी को जनता की आसान पहुंच के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

2.34 नागरिक/क्लाइंट्स चार्टर (सीसीसी) में मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए दृष्टिकोण, मिशन, सेवाओं/लेनदेन के साथ–साथ जिम्मेदार व्यक्तियों और उनके संपर्क विवरण के संबंध में जानकारी शामिल है। शिकायत निवारण अधिकारी के संपर्क विवरण और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के संदर्भ में सूचना के साथ–साथ उनकी वेबसाइटों के संपर्क विवरण और पते को चार्टर में शामिल किया गया है।

तालिका क

पीएसी और सीएण्डएजी के लेखा-परीक्षा पैराओं पर कृत कार्रवाई नोट

	रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	पैरा	उन पैरा/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित हैं।			
			उन एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं।	उन एटीएन की संख्या जो भेजे गए थे परंतु जिन्हें टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया गया है और लेखा परीक्षा को मंत्रालय द्वारा उन्हें पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	उन एटीएन की संख्या जिन्हें लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित कर दिया गया है, परंतु मंत्रालय द्वारा उन्हें सीएजी/पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।	टिप्पणी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विरुद्ध कोई भी सीएजी/पीएसी पैरा लंबित नहीं है।						

तालिका ख

2025-26 के दौरान डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की डीबीटी योजनाओं की सूची

(दिनाकं 02.01.2026 तक)

क्र.सं.	योजना का नाम	2025-26 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	2025-26 के दौरान लाभार्थियों को दी गई राशि [आंकडें रुपए में]
1	ईपीएफ सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना	8,06,64,262	38,93,97,00,816.00
2	ईपीएफ पेंशनधारकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना	19,35,871	6,71,31,83,258.00
3	रोजगार सृजन योजना	0	0.00
4	असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन आश्वासन और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाएं	2,19,824	53,02,17,276.00
5	बीडी, सिने, आईओएमसी, एलएसडीएम कामगारों के वार्डों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	23,993	7,48,80,000.00
6	दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) को अनुदान	0	0.00
7	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को अनुदान	1,536	1,51,20,847.00
8	असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस	728	3,34,00,000.00
9	व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना [पूर्व में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन (पीएम-एलवीएम) योजना]	22,763	2,15,67,687.00
10	नया रोजगार सृजन योजना - भाग ख	0	0.00
11	नई रोजगार सृजन योजना - भाग ग	0	0.00
12	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)	15,33,800	1,46,60,60,212.00
13	बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता	41	19,30,000.00
14	बीड़ी, आईओएमसी, एलएसडीएम, और सिनेमा कामगारों के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस)	0	0.00
15	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के तहत विशेष स्कूलों में बच्चों को वजीफा	0	0.00
16	विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की योजना के तहत अलग-अलग निःशक्त उम्मीदवारों को वजीफा	2,301	1,80,57,500.00
17	कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों के कल्याण की योजना के तहत प्रशिक्षुओं को वजीफा	8,189	1,99,96,000.00

*****

अध्याय 3

औद्योगिक संबंध केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम)

3.1 मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) भी कहा जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) होते हैं। इसे केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और सीटीयूओ (केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन) की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है। संगठन के कार्यालय क्षेत्रीय और इकाई स्तर के गठन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं।

3.2 संगठन के कार्यः

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मोटे तौर पर कार्य निम्नलिखित हैं–

1. केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना।
2. केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू कराना।
3. पुरस्कारों का कार्यान्वयन।
4. अर्द्ध–न्यायिक कार्य।
5. ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।
6. कल्याण एवं प्रशिक्षण
7. अन्य विविध कार्य

3.3. औद्योगिक विवादों का निवारण एवं निपटान

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित के माध्यम से सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता हैः–

1. केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की मॉनीटरिंग करना।
2. विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से, औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और समझौता कराना।
3. हड़ताल और तालाबंदी टालने के लिए आशंकित हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप।
4. समझौतों और पुरस्कारों का कार्यान्वयन।
5. (1) कार्य समिति (2) बकायों की वसूली (3) छंटनी (4) बर्खास्तगी (5) अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्य प्रावधानों को लागू करना।

3.3.1 (क) निपटाए गए औद्योगिक विवाद

वर्ष 2025–26 (जनवरी से दिसंबर, 2025) के दौरान सीआईआरएम द्वारा निपटाए गए औद्योगिक विवादों का विवरण इस प्रकार हैः –

शीर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2025
निपटाए गए औद्योगिक विवाद	16815
निस्तारित औद्योगिक विवाद	6823
टाली गई हड़तालें	288

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप के क ारण कामगारों को लाभ

वर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2025
लाभान्वित कामगारों की संख्या	521151
उपरोक्त कामगारों को राहत की राशि (करोड़ रुपये में)	7565766881 756.57(करोड़)
नियमित किए गए बहाल किए गए / कामगारों की संख्या	2895

3.4 श्रम कानूनों का प्रवर्तनः

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू करना है जिनके लिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। यह तंत्र निम्नलिखित श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू कराता हैः

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा उसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायु यातायात सेवाओं एवं बंदरगाहों, घाट और जेटी के लिए बनाए गए नियम,
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा नियम,
3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा नियम,
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम,
5. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (आर.ई.–सी.एस.) अधिनियम,1979 और नियम,
6. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम,
7. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और नियम,
8. श्रम विधि (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणी प्रस्तुतीकरण और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988,
9. भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा नियम,
10. भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय VI–ए; रेलकर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटो का विनियमन,
11. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एवं नियम,
12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा खान एवं सर्कस नियम, 1963 एवं नियम और
13. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 एवं नियम।

केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 2.32 लाख प्रतिष्ठान हैं। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं। तंत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी निरीक्षण वेब एनेबल्ड श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं । निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिससे निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं कमियों को नियोक्ताओं द्वारा ठीक किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है। निरंतर गलती करने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमे दायर किए जाते हैं। जनवरी से दिसंबर, 2022 की अवधि के निरीक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

3.4.1 जनवरी से दिसंबर, 2025 के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत निरीक्षणों की संख्या आदि को दर्शाने वाला विवरण

शीर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2025
किए गए निरीक्षण	28100
पाई गई अनियमितताएं	113725
दूर की गई अनियमितताएं	46427
दायर अभियोजन मामलों की संख्या	6221
दोषसिद्धि की संख्या	1004

3.5 पुरस्कारों का कार्यान्वयनः–

सीआईआरएम के अधिकारी केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी) द्वारा जारी किए गए पुरस्कारों का कार्यान्वयन करते हैं। जनवरी से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान, 18171 पुरस्कार प्राप्त किए गए जिनमें से 499 को लागू किया गया, 10394 पुरस्कारों का कार्यान्वयन माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित किया गया था तथा 5304 पुरस्कारों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

नियोक्ताओं द्वारा कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालयों से स्थगन

आदेश प्राप्त करने के कारण पुरस्कारों को लागू करने में कठिनाईयां अनुभव की गई। अभियोजन प्रस्ताव अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत संस्वीकृति के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को भेजा गया।

3.6 अर्ध न्यायिक कार्यः—

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) से लेकर मुख्य श्रम आयुक्त (के.) स्तर तक के अधिकारी कुछ अर्ध—न्यायिक कार्य भी करते हैं जो निम्नानुसार हैं:

मुख्य श्रमायुक्त (कें.):— भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत महानिदेशक (निरीक्षण) घोषित किया गया है परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत विवाद उत्पन्न होने पर उनमें हस्तक्षेप के लिए सुलह अधिकारी के रूप में मुख्यालय में उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी तथा रेल सेवक रोज़गार घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों के पर्यवेक्षक को ये शक्तियाँ सौंपी गई हैं।

अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.):— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सुलह अधिकारी, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के सभी कार्यों में सहायता के लिए सीआईआरएम के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं।

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.):— औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम1996, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 के अन्तर्गत और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 और 12 के अन्तर्गत अपीलों को देखने के लिए अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), नियमावली 1971 के नियम 25 (2) (अ) (क) और (ख) के अंतर्गत प्राधिकारी घोषित किया गया है; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सुलह अधिकारी घोषित किया गया है; रेल सेवक रोज़गार घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.)— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राधिकारी घोषित किया गया है; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत प्रमाणन अधिकारी घोषित किया गया है और रेल सेवक (काम के घंटे) नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सुलह अधिकारी घोषित किया गया है, एचओईआर के अंतर्गत वर्गीकृत विवादों का निपटान क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) द्वारा किया जाता है; स्वतंत्र क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (कें.) को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है; भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार उपकर (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयक अधिकारी घोषित किया गया है।

सहायक श्रम आयुक्त (कें.)— उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी घोषित किया गया है; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राधिकारी घोषित किया गया है; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सुलह अधिकारी घोषित किया गया है; और रेल सेवक कार्य घंटे नियम, 2005 के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षक घोषित किया गया है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.):— कुछ स्थानों पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा मुख्य श्रम आयुक्त (के.) संगठन के अधिकारियों को विभिन्न श्रम कानून अधिनियमों के तहत निरीक्षक के रूप में घोषित किया गया है।

इन अधिकारियों द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम के तहत तय किए गए दावा मामले नीचे तालिका में दिए गए हैं:—

शीर्ष	जनवरी से दिसंबर, 2024
प्राप्त दावा मामले, जिनमें आगे लाए गए मामले भी शामिल हैं	138238
निर्णीत दावों के मामले	14281
प्रदान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	5394415878 (539.44 करोड़)
लंबित दावों संबंधी मामले	123957

3.7. न्यायालयी मामले

शीर्ष	कुल उपयोगकर्ता	चल रहे मामले	निपटाए गए मामले	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय	जिला एवं सत्र न्यायालय के मामले	अधिकरण के मामले
मामलों की संख्या	208	16734	8439	141	4007	4967	342

3.8. वार्षिक विवरणी

वर्ष	
ऑनलाइन प्राप्त वार्षिक विवरणियों की संख्या (वर्ष 2025 के लिए)	68854

3.9 अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रमुख यूनियनों की पहचान करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में सक्रिय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन

केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों मे सक्रिय यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्देशित मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन ने निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में गुप्त मतदान कराया गया है:

क्रमांक संख्या	संस्थान का नाम
1.	मेसर्स इंडिया गवर्नमेंट मिंट, हैदराबाद
2.	मेसर्स कैप्टिव पावर प्लांट ऑफ़ मेसर्स नाल्को लिमिटेड, अंगुल
3.	मेसर्स ओएनजीसी लिमिटेड, अहमदाबाद
4.	प्रतिभूति कागज़ कारखाना (सिक्योरिटी पेपर मिल), नरमदापुरम
5.	मेसर्स सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस
6.	एनएलसी लिमिटेड, नेयवेली
7.	मेसर्स एलुमिना रिफ़ाइनरी ऑफ़ नालकों लिमिटेड, दमनजोड़ी
8.	एनएपीएस, नारोरा
9.	बैंक नोट प्रेस, देवास
10.	आइओसीएल हल्दिया रिफ़ाइनरी
11.	मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेयवेली
12.	तारापुर 1 और 2
13.	तारापुर 3 और 4
14.	भाकरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवारा
15.	इंडिया गवर्नमेंट मिंट, मुंबई

उपरोक्त के अतिरिक्त, 8 संस्थानों में रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं और 31 संस्थानों में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की गोपनीय मताधिकार चुनाव के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

3.10 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत यूनियनों की सदस्यता का वैधानिक सत्यापन

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपनी दिनांक 19.11.2008 की अधिसूचना के द्वारा प्रतिनिधि यूनियन की बहुमत स्थिति के निर्धारण हेतु तथा कामगार/ कामगार को बैंकों के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत विभिन्न यूनियनों के सदस्यों की सदस्यता संख्या के सत्यापन हेतु प्रक्रिया को संशोधित किया है। इस अधिसूचना के अनुसार, ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन बैंक के अध्यक्ष या प्रबंधक निदेशक द्वारा नामित महाप्रबंधक के स्तर पर नामित अधिकारियों द्वारा जांच प्रणाली के माध्यम से किया जाना है। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नामित अधिकारी की रिपोर्ट के विरुद्ध एक अपील निहित है।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकरण केंद्र सरकार या उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें.), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार है।

3.11 कल्याण एवं प्रशिक्षणः—

3.11.1 कल्याण

सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (एएलडब्ल्यूसी) और उप श्रम कल्याण आयुक्त (डीएलडब्ल्यूसी) रक्षा और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे के.लो.नि.वि., आयुध कारखानों, टेलीकॉम फैक्ट्रियों और अस्पताल आदि में तैनात किए जाते हैं जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। श्रम कल्याण आयुक्त (एलडब्ल्यूसी) इन प्रतिष्ठानों के मुख्यालय में तैनात किए जाते हैं। ये अधिकारी अपने संबंधित प्रतिष्ठानों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करते हैं। वे कर्मकारों के कल्याण तथा शिकायतों के निवारण, कल्याण योजनाओं के संचालन का कार्य भी देखते हैं और प्रबंधनों को दुकान परिषद, कार्य समितियों आदि जैसी द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ—साथ विभिन्न श्रम संबद्ध मामलों पर सलाह देते हैं।

3.11.2 कल्याणकारी पहलें

कामगार कल्याण, जुड़ाव और एक सहायक कार्य वातावरण को मजबूत करने के दृष्टिकोण के साथ, प्रधान श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने वर्ष 2025—26 के दौरान नामित कल्याण समन्वयकों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी पहलें लागू कीं, जो निम्नलिखित हैंः —

क. श्रम संबंधी मामलों, सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य, फिटनेस आदि पर क्विज़ प्रतियोगिताओं और समान ज्ञान—साझाकरण कार्यक्रमों का आयोजन।

ख. 5 एस और अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं जैसी कार्यस्थल संगठन पद्धतियों पर सीखने और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।

ग. कामगार सहभागिता और भलाई को बढ़ावा देने के लिए इनडोर खेल और मनोरंजन गतिविधियों की व्यवस्था।

घ. क्षेत्रीय कार्यालय में नए सदस्यों/कर्मचारियों का उचित स्वागत और परिचय सुनिश्चित करना।

ङ. जहां संभव हो, कर्मचारियों के बच्चों के लिए आवास और स्कूल प्रवेश में सहायता प्रदान करना।

च. कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की इंटरैक्टिव बैठकें/ मिलन कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें छोटी पिकनिक या सामाजिक आयोजन शामिल हो सकते हैं, ताकि सौहार्दता को बढ़ावा मिले।

3.11.3 प्रशिक्षणः—

केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के तीन विभागों में तैनात अधिकारियों को नियमित आधार पर आंतरिक अर्थात 1. केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम)/मुख्य श्रम आयुक्त संगठन, 2. महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन और 3. कल्याण अधिकारी के रूप में केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम

के अंतर्गत "प्रशिक्षण विंग श्रम अधिकारियों का सुधार और सुदृढ़ीकरण" नामक एक योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य सीएलसी अधिकारियों और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) को उनके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के अनुमोदन से "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण" पर और इसकी सिफारिशों के आधार पर एक समिति का गठन किया गया था; चयनित विशिष्ट संस्थानों में अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने वर्ष 2025–26 के दौरान व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलें शुरू की, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए संरचित प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना था।

1. दिनांक 16 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 तक वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में 31 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रम कानूनों, प्रवर्तन तंत्रों और क्षेत्र स्तर की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2. इसके अलावा, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कर्मयोगी दृ जन सेवा कार्यक्रम के तहत 30 केंद्रीय श्रम सेवा (CLS) अधिकारियों जिसमें सहायक श्रमायुक्त (कें.)(ALCs), क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) (RLCs), और उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) (Dy- CLCs) शामिल थे, के लिए तीन–दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम आयोजित किया गया ।
3. श्रम सुधार की एक समान समझ को मज़बूत करने के लिए, कई क्षेत्रों जैसे अहमदाबाद, अजमेर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जबलपुर, पटना और गुवाहाटी में श्रम सुधार पर दो–दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कामगार शामिल थे।
4. मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के 474 कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
5. इन संरचित कार्यक्रमों के पूरक रूप में, विभिन्न स्तरों पर कामगार ई–ऑफिस, आचार संहिता, श्रम संहिताएँ और नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग जैसे विषयों पर iGOT कर्मयोगी प्रशिक्षणों को सक्रिय रूप से पूरा कर रहे हैं, जिससे डिजिटल दक्षता, प्रक्रियागत ज्ञान और प्रशासनिक क्षमता में सुधार हो रहा है।

3.12 विविध कार्यः–

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन करता हैः

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत एआईसीपीआई संख्या के अनुसार हर छह महीने में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता अधिसूचित करना।
2. विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मंत्रालय के खिलाफ दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय का बचाव करना।
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार शिकायतों की जांच करना।
4. विभिन्न नौकरियों में अनुबंध श्रम के निषेध की जांच करने के लिए विभिन्न उप–समितियों के संयोजक के रूप में केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड की सहायता करना।
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना।
6. मु.श्र.आ. (कें.) संगठन द्वारा लागू श्रम कानूनों पर संसद प्रश्न का उत्तर देने में मंत्रालय को जानकारी प्रदान करना।
7. देशव्यापी हड़तालों और अन्य श्रम मामलों पर मतभेद की स्थितियों में श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना।

8. मंत्रालय की सलाह के अनुसार संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेना।

9. मंत्रालय के निदेशानुसार सूचना के संग्रहण हेतु राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ संपर्क रखना।

3.13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मुख्य श्रमायुक्त (के.) संगठन क्षेत्रीय स्तर पर सभी आरटीआई आवेदनों का निपटान कर रहा है। ऑनलाइन और साथ ही साथ ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए 54 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और 21 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। नोडल बिन्दु पर, नोडल अधिकारी ने 2952 आरटीआई आवेदनों और 342 अपीलों को निपटान किया है। पिछले वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों का विवरण निम्नानुसार है:–

	ऑनलाइन	ऑफलाइन	कुल
आरटीआई आवेदन	2952	269	3221
प्रथम अपील	342	25	367

3.14 जन शिकायतें:–

वर्ष 2024–2025 (जनवरी से दिसंबर 2025) के दौरान कुल 18192 (ऑनलाइन/ऑफलाइन) जन शिकायतें प्राप्त हुई और कुल 18192 (ऑनलाइन/ऑफलाइन) जन शिकायतों का निपटारा किया गया, जो कुल शिकायतों का 89% है।

वर्ष 2025-2026 (जनवरी से दिसंबर 2025) के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतों की स्थिति का विवरण

	बी/एफ	प्राप्त जन शिकायतें	कुल	निस्तारित जन शिकायतों	31.12.2025 तक लंबित /प्रक्रियाधीन
ऑनलाइन/ ऑफलाइन	359	17833	18192	16218	1974

3.15 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963, यथा संशोधित 1967 एवं राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा विभिन्न आदेशों /अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास करता आ रहा है।

राजभाषा नीति एवं वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन तंत्र

मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय के हिंदी अनुभाग में वर्तमान में उप–निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी प्रत्येक के एक–एक स्वीकृत पद हैं। यह एकक राजभाषा नीति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ–साथ मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय के नेमी कार्यों, जोकि मुख्यतः श्रम कानून संबंधी तथा प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, का अनुवाद कार्य करता है तथा कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं एवं हिन्दी में प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करता है ।

वर्ष 2025–26 के दौरान मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय (मुख्यालय) में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने के लिए किए गए कार्य

(i) हिन्दी के प्रगामी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी गईं ।

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।

(iii) राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय में दिनांक 13.02.2025, 06.06.2025 एवं 28.08.2025 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(iv) वर्ष के दौरान विभिन्न अनुभागों में उपयोग में लाए

जाने वाले मानक प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।

(v) मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय में सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करने की प्रोत्साहन योजना लागू है।

(vi) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय में जांच बिन्दु (चेक पॉइंट्स) स्थापित किए गए हैं।

(vii) वर्ष के दौरान, मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान संबंधी रोस्टर तैयार किया गया।

(viii) राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों /कर्मचारियों को अपना समस्त सरकारी कार्य हिन्दी में करने संबंधी व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए।

(ix) मुख्यालय स्तर पर कार्यालय के अनुभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

(x) मंत्रालय के स्तर पर मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय का सफलतापूर्ण निरीक्षण किया गया।

(xi) संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय गांधीधाम, गुजरात एवं देहरादून कार्यालय का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया।

(xii) मुख्य श्रमायुक्त (कें) कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा–2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें नियमित पदाधिकारियों एवं संविदात्मक कर्मियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं एवं विख्यात कवियों की अध्यक्षता में भव्य काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

3.16 दिनांक 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के दौरान प्रमुख औद्योगिक संबंध कार्यक्रम जिनमें ब्स्ट्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाईः–

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय में दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक अलग–अलग संस्थानों में हुई हड़तालों का विवरण निम्नलिखित हैः –

बैंक

i **फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस**

फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस के महासचिव ने बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन को दिनांक 10.02.2025 को हड़ताल का नोटिस दिया, जिसकी एक प्रति मुख्य श्रमायुक्त (कें.)(दिल्ली) को भी भेजी गई, यह हड़ताल दो दिनों अर्थात दिनांक 24.02.2025 और 25.02.2025 के लिए थी। हड़ताल की सूचना को सुलह कार्यवाही में लिया गया और चर्चा की तारीख दिनांक 21.02.2025 को सुबह 11.30 बजे तय की गई। फेडरेशन ने अवार्ड स्टाफ (स्वयं) के लिए बकाया राशि के 90% और परिवार के सदस्यों के लिए 75% की मांग की है।

विस्तारित चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने बताया कि दिनांक 17.02.2025 और 18.02.2025 को कॉर्पोरेट स्तर पर द्विपक्षीय चर्चा की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने बोर्ड की मंजूरी के अधीन अवार्ड स्टाफ(स्वयं) के लिए बकाया राशि के 90% और परिवार के सदस्यों के मामले में 70% पर आपसी समझौता करने का इरादा किया। लाभों की प्रक्रिया पर भी द्विपक्षीय रूप से चर्चा की जाएगी और तय समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। मृत्यु के मामले में मौजूदा सुविधाएं जारी रहेंगीं। सीएसए (CSA) की भर्ती के अन्य मामले के संबंध में, दोनों पक्षों के दो सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति, जो उनके द्वारा बनाए गए मापदंडों के आधार पर सीएसए (CSA) की आवश्यकता का आकलन करेगी, जारी रहेगी।

सुलह अधिकारी ने श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करने और संबंधित क्षेत्रीय प्रमुख को तदनुसार परिपत्र जारी करने की सलाह दी।

तथ्यों के दृष्टिगत, प्रबंधन ने इस मंच के समक्ष फेडरेशन से विचाराधीन हड़ताल वापस लेने की अपील की, जिसे सुलह अधिकारी ने भी समर्थन दिया, और फेडरेशन ने इस पर स्वीकृति जताई, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल टल गई।

उपरोक्त दृष्टिकोण के आधार पर, विचाराधीन हड़ताल स्थगित कर दी गई। इस कार्यालय के त्वरित और सफल हस्तक्षेप ने देश के बड़ी संख्या में मानव–संसाधन बचाए और साथ ही पूरे देश में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में किसी भी प्रकार के व्यवधान का न होना सुनिश्चित किया, जिससे आर्थिक हानि से भी बचा जा सका।

ii. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस

इस कार्यालय को आईडी(ID) अधिनियम 1947 की धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 05.03.2025 की तारीख का हड़ताल का नोटिस मिला जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा आईबीए(IBA) को संबोधित किया गया था और इस कार्यालय द्वारा सचिव,डीएफएस (DFS) को एक प्रति प्रेषित की गई थी, जिसमें दिनांक 23.03.2025 की मध्यरात्रि से 25.03.2025 की आधी रात तक 48 घंटे की निरंतर हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव है ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके।

हड़ताल के नोटिस पर सुलह की कार्यवाही शुरू की गई और चर्चा के लिए दिनांक 18.03.2025 और 21.03.2025 की तारीखें तय की गईं। सुलह के दौरान हड़ताल नोटिस में शामिल सभी 13 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यूनाइटेड फोरम इस बात से नाराज़ था कि बैंकिंग उद्योग में पांच दिन काम करने के मुद्दे के अलावा अन्य मुद्दों पर भी द्विपक्षीय समझौता सरकार को सौंपे जाने के बावजूद, इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया और एक साल बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया।

आईबीए (IBA) के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि उनका यह अनुमान था कि एक बार द्विपक्षीय समझौते को सरकार यानी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदित कर दिया गया, तो उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है और इसलिए, वे सरकार के साथ आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को सरकार के साथ अपने सर्वोत्तम स्तर पर आगे बढ़ाएंगे।

संयुक्त फोरम के माननीय प्रतिनिधि अभी भी आईबीए के माननीय प्रतिनिधियों के आश्वासनों से संतुष्ट नहीं थे और इस प्रकार गतिरोध जारी रहा। इस समय, हस्ताक्षरकर्ता ने तुरंत डीएफएस के वरिष्ठ प्रतिनिधि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया। तदनुसार, डीएफएस के संयुक्त सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया और सूचित किया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी ईमानदारी के साथ विचार कर रही है और यह सरकारी स्तर पर चर्चा के अंतर्गत है।

अधोहस्ताक्षरी ने माननीय संघ प्रतिनिधियों से हड़ताल वापस लेने के अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया और यह भी आश्वासन दिया कि अगर हड़ताल वापस ले ली जाती है, तो हस्ताक्षरकर्ता आईबीए और डीएफएस के साथ मिलकर आईबीए द्वारा यूनियनों/संघों के साथ सहमति से 12वें द्विपक्षीय समझौते/9वीं संयुक्त नोट में 05 दिनों के कार्य दिवस पर विचार करेंगे। इस प्रकार, लंबी और विस्तारपूर्ण चर्चाओं के बाद, यूबीएफयू के प्रतिनिधियों ने हड़ताल को स्थगित और टालने पर सहमति दी।

इस कार्यालय के त्वरित और सफल हस्तक्षेप ने देश के बड़ी संख्या में मानव–संसाधन की बचत की और साथ ही पूरे देश में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में कोई व्यवधान नहीं होने देना सुनिश्चित किया, जिससे आर्थिक नुकसान से भी बचाव हुआ।

iii. ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गनाइजेशन (AIGBOO) और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन (AIGBWO)

ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गनाइजेशन (AIGBOO) और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन (AIGBWO) के महासचिव ने मिलकर दिनांक 12.06.2025 को सचिव, डीएफएस को हड़ताल का नोटिस दिया, जिसकी एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य श्रमायुक्त (कें.) को भी भेजी गई। इसके बाद, मामले को सुलह–समझौते की कार्यवाही में लिया गया और चर्चा के लिए दिनांक 20.08.2025 की तारीख तय की गई।

संघ के जानकार प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मांगों को सूचीबद्ध किया, जिन्हें विभिन्न मंचों पर चर्चा के बावजूद हल नहीं किया जा सका।

i. आरआरबी के आईपीओ जारी करने के आधार पर निजीकरण की आशंका।

चर्चा के दौरान, इस मामले पर गहराई से चर्चा नहीं की गई क्योंकि यह सरकार की नीति हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

ii. स्थानांतरण नीति में असमानताओं का समाधानः

इस संबंध में उचित चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि संघ के प्रतिनिधि पहले अपने बैंक स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और यदि यह हल नहीं होता है तो वे संबंधित प्रायोजक बैंकों की आरआरबी सेल को आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे।

iii. आरआरबी में 12वीं बीपीएस आई.आर.ओ. का कार्यान्वयनः

दोनों पक्षों के बीच बातचीत इस सुझाव के साथ समाप्त हुई कि यूनियन 12वें बीपीएस के अंतर्गत आरआरबी –वार idd/nabard.org पर 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। इसके बाद नाबार्ड मिलकर आरआरबी के मैनेजमेंट से सलाह करके मामलों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगा और अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय की वेबसाइट clcir-mole/gov.in पर रिपोर्ट करेगा।

iv. आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति/नियमितीकरण आदि

हड़ताल नोटिस के मद सं. 4 में बताई गई बातों पर विस्तार से चर्चा की गई और पाया गया कि भर्ती, पदोन्नति नीति, आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि बैंक की मानव संसाधन नीति का हिस्सा है। इस संबंध में डीएफएस ने बताया कि मानव संसाधन नीति पर काम चल रहा है और इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। इस मौके पर डीएफएस के सम्मानित प्रतिनिधि को सलाह दी जाती है कि वे अगली सुनवाई की तारीख पर पॉलिसी की स्थिति बताएं।

v. राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन और आईबीए का हिस्सा बनने के लिए यूनियन के अनुरोध से नीति से जुड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, इसलिए इन पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई।

vi. सुविधा लाभ

इस संबंध में संघों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित आरआरबी प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाएं ताकि यह मुद्दा द्विपक्षीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। हालांकि, यदि यह सुलझता नहीं है, तो संघ अगली सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, संबंधित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। इस कार्यालय के त्वरित और सफल हस्तक्षेप ने बड़ी मात्रा में, देश के मानव–संसाधन की बचत की और साथ ही पूरे देश में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में कोई विघ्न नहीं आने दिया, जिससे आर्थिक नुकसान से भी बचाव हुआ।

iv ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक कामगार संघ

दिनांक 15.02.2025 की तारीख का एक हड़ताल नोटिस ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन से प्राप्त हुआ जो सचिव, डीएफएस को संबोधित है और एक प्रति इस कार्यालय, नाबार्ड और अन्य को भी भेजी गई है। इस मामले को समन्वय में लिया गया है और सभी पक्षों सहित प्रायोजक बैंकों को ईमेल के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं।

शुरुआत में, यूनियनों की मांगों को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी 43 आरआरबी के लिए सामान्य और विशिष्ट मांगें। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और दिनांक 11.03.2025 की तिथि वाली मांगों की एक प्रति सभी आरआरबी के प्रतिनिधियों, डीएफएस और नाबार्ड को अगली सुनवाई की तारीख पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सौंप दी गई। आगे, सामान्य मांग के संबंध में, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) की मांगों से संबंधित है, पहले ही चर्चा की जा चुकी है और उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है।

इसके अलावा, आरआरबी, प्रायोजक बैंकों, नाबार्ड और डीएफएस के प्रतिनिधियों ने संघों और एसोसिएशन से हड़ताल न करने का अनुरोध किया, लेकिन संघ और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि चूंकि यह मामला

पूरी तरह से बैंकिंग उद्योग से संबंधित है, इसलिए वे सामान्य मांगों से संबंधित मुद्दे पर यूएफबीयू का समर्थन करेंगे।

सुलह अधिकारी ने औद्योगिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने और व्यापक सार्वजनिक हित में प्रबंधन के अनुरोध को स्वीकार करने और तदनुसार कार्य करने की सलाह दी।

v. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन

इस कार्यालय को आईडी अधिनियम 1947 की धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 04.03.2025 की तारीख का हड़ताल संबंधी नोटिस प्राप्त हुआ जो श्री एस. नागराजन, महासचिव, एआईबीओए द्वारा आईबीए को संबोधित किया गया है और इस कार्यालय को भी इसकी एक प्रति सचिव, डीएफएस को प्रेषित करने के लिए प्रदान की गई है, जिसमें दिनांक 23.03.2025 की मध्यरात्रि से 25.03.2025 की मध्यरात्रि तक 48 घंटे लगातार हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव उनकी मांगों पर जोर देने के लिए है।

सुलह प्रक्रिया में हड़ताल का नोटिस जब्त कर लिया गया और चर्चा की तिथि दिनांक 18.03.2025 और 21.03.2025 को निर्धारित की गई। एआईबीओए ने हड़ताल नोटिस में उल्लिखित अपनी मांगों का विस्तार किया। इसके बाद, आईबीए और डीएफएस के प्रतिनिधियों ने हर मांग पर अपनी प्रस्तुतियाँ दीं। आईडीबीआई लिमिटेड में निष्कासन के मुद्दे पर, प्रबंधन के प्रतिनिधि ने कहा कि यह भारत सरकार का एक नीतिगत मामला है। पीएलआई के मुद्दे पर, आईबीए ने डीएफएस के साथ पुनर्विचार के लिए मामला उठाने की पेशकश की। पांच दिवसीय बैंकिंग के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और डीएफएस ने बताया कि वह इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और इस मामले में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। सभी कैडर में पर्याप्त भर्ती की मांगों के संबंध में, आईबीए ने एसोसिएशन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रस्ताव दिया। पेंशन योजना के अद्यतन सहित शेष मामलों से संबंधित मांगों पर भी आगे आईबीए के साथ चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा, सुलह अधिकारी ने एआईबीओए के सम्मानित प्रतिनिधियों से हड़ताल को वापस लेने का अनुरोध किया, क्योंकि यह न तो उनके सदस्यों के हित में है और न ही बैंकों और पूरे देश के हित में है। इस प्रकार, लंबी और विस्तृत चर्चा के बाद, एआईबीओए के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित हड़ताल को टालने पर सहमति व्यक्त की।

इस कार्यालय के त्वरित और सफल हस्तक्षेप से देश के मानव–संसाधन के नुकसान को बचाया गया और साथ ही पूरे देश में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में कोई रुकावट नहीं आई और इस तरह आर्थिक नुकसान से भी बचाव हुआ।

vi. आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज का यूनाइटेड फोरम

इस कार्यालय को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 की धारा 22 के अंतर्गत दिनांक 22.07.2025 की हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ, जिसे यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज़ ने मिलकर एनडी और सीईओ, आईडीबीआई बैंक को भेजा था, जिसकी एक प्रति इस कार्यालय और अन्य को भी भेजी गई थी। इसमें बताया गया था कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 11.08.2025 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे।

सूचना को इस कार्यालय के पत्रांकित 29.07.2025 के माध्यम से उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.),मुंबई को भेजा गया और सूचना प्राप्त होते ही सहायक श्रमायुक्त (कें.), मुंबई ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12(1) के तहत मामले को संज्ञान में लिया और समन्वय बैठकें आयोजित कीं, जिसमें संबंधित यूनियनों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोनों पक्षों के मतभेदों के कारण कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी।

इसके अलावा, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने हस्तक्षेप किया और दिनांक 09.08.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले पर चर्चा की, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे। हालांकि, सभी प्रयासों के बावजूद, कोई मैत्रीपूर्ण समाधान नहीं निकाला जा सका और संघ/संस्थाओं ने प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने पर सहमति नहीं दी। आईडीबीआई बैंक में पूरे देश में कुल कर्मचारियों की संख्या का 15% हड़ताल में शामिल था।

2. तेल

1. आईओसीएल के पाइपलाइन डिविजन के मान्यता प्राप्त संघों द्वारा दिया गया संयुक्त नोटिस

इस कार्यालय को 1947 के आईडी अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत हड़ताल नोटिस प्राप्त हुआ जिसे आईओसीएल के पाइपलाइन विभाग के मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से निदेशक (पाइपलाइन) को संबोधित किया गया है और इसकी एक प्रति इस कार्यालय को प्रतिलिपि के रूप में भेजी गई है, जिसमें दिनांक 09.07.2025 को अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक दिवसीय प्रतीकात्मक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हड़ताल की सूचना को सुलह प्रक्रिया में लिया गया और चर्चा की तिथि 07.07.2025 निर्धारित की गई। सुलह के दौरान हड़ताल सूचना में शामिल सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक की शुरुआत में यूनियनों के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रबंधन ने पाइपलाइन विभाग के पुनर्गठन के लिए "सिनर्जी सिस्टम" लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत पाइपलाइन को जबरदस्ती मार्केटिंग विभाग में विलय किया जा रहा है। यह एकतरफा निर्णय मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ स्थापित समझौते की अवहेलना करता है और पाइपलाइन विभाग की स्वायत्तता को कुचलता है। यूनियनों के प्रतिनिधि ने स्टैंडिंग ऑर्डर (पाइपलाइन विभाग) की प्रति के साथ–साथ नियुक्ति पत्र में उल्लिखित रोजगार की शर्तें और नियम प्रस्तुत किए।

प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सेवा की शर्तों और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है, सीनर्जी सिस्टम को व्यावसायिक नीति निर्णय के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसलिए, धारा 9(ए) के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। विस्तृत सोच–विचार के बाद निम्नलिखित मुद्दे सामने आए और प्रबंधन ने द्विपक्षीय चर्चा के लिए सहमति दी:

i. संपूर्ण रूप से सिनेर्जी सिस्टम के विरोध में – दोनों पक्षों को सलाह दी गई है कि वे इस मुद्दे पर द्विपक्षीय रूप से चर्चा करें और संरचनात्मक बदलाव से संबंधित सभी तथ्यों पर विचार करें, जिसे लागू किए जाने की संभावना है। और चर्चा के परिणाम को अगली सुनवाई की तारीख पर प्रस्तुत करें।

ii. वर्तमान मूल अवधारणा की निरंतरता से संबंधित मुद्दें – दोनों पक्षों को परामर्श दिया गया कि वे द्विपक्षीय चर्चा करें और अगले सुनवाई के दिन समन्वय अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

iii. रिक्त पद को तुरंत भरे जाने से संबंधित मुद्दें के मामले में, मान्यता प्राप्त संघ का सम्मान और आदर किया जाना चाहिए, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भर्ती का सम्मान, कार्यालय कार्य में सफेद–कॉलर कर्मियों की भर्ती, त्रैमासिक किट को बंद करने के निर्णय को वापस लेना – इन मुद्दों पर द्विपक्षीय रूप से चर्चा की गई और इस कार्यालय को अगली सुनवाई की तिथि पर अपडेट किए जाने/रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

इसके अलावा, सुलह अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप किया गया और प्रयासों के बाद एवं प्रबंधन के अनुरोध पर, यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल को 21 दिनों की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमति दी। इस कार्यालय के तेज़ और सफल हस्तक्षेप ने देश के बड़ी संख्या में मानव–संसाधन बचाए और साथ ही पूरे देश में बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में किसी भी प्रकार की बाधा का न आना सुनिश्चित किया, जिससे आर्थिक नुकसान से भी बचाव हुआ।

ii. आईओसीएल के रिफाइनरी, पाइपलाइन और मार्केटिंग डिवीजन के मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा संयुक्त सूचना सेवा

इस कार्यालय को दिनांक 15.09.2025 की संयुक्त हड़ताल सूचना प्राप्त हुई जो आइओसील के रिफाइनरी, पाइपलाइन और मार्केटिंग डिवीजन के मान्यता प्राप्त संघों द्वारा निदेशक (एचआर) आइओसील को भेजी गई थी और इस कार्यालय को भी एक प्रति प्रेषित की गई थी, जिसमें दिनांक 07.10.2025 को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा गया ।

हड़ताल की सूचना को समन्वय प्रक्रिया में लिया गया और चर्चा की तिथि 03.10.2025 को तय की गई और लंबी

चर्चाओं के बावजूद, किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका। हालांकि, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मुद्दों पर द्विपक्षीय स्तर पर विस्तार से चर्चा करने पर सहमति दी और इस बीच, संघों ने दिनांक 07.10.2025 के लिए प्रस्तावित हड़ताल को अगली चर्चा की तिथि 14.10.2025 तक स्थगित करने पर भी सहमति दी।

दिनांक 14.10.2025 को, पक्षकारों ने बैठक में भाग लिया और मैराथन सुलह प्रक्रिया के बाद 13 घंटे से अधिक समय तक चर्चा जारी रही और अंततः दिनांक 15.10.2025 की सुबह 4.00 बजे यह समाप्त हुई। गंभीर और लंबी चर्चाओं और मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आईओसीएल के सभी तीन विभागों में हड़ताल की घोषणा को स्थगित कर दिया गया।

3. विविध

i. भाखड़ा ब्यास कामगार संघ (AITUC-AIFEE)

दिनांक 17.02.2025 को भाखड़ा ब्यास कामगार संघ (AITUC-AIFEE) द्वारा एक हड़ताल नोटिस भेजा गया, जो अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), चंडीगढ़ को संबोधित किया गया, और जिसकी एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) एवं अन्य को भेजी गई थी। अनजाने में, इस मामले को मुख्य श्रम आयुक्त (कें.), नई दिल्ली और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.), चंडीगढ़ दोनों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को जारी नोटिस के माध्यम से संज्ञान में लिया गया। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.) चंडीगढ़ ने पहली सुनवाई की तारीख 04.03.2025 निर्धारित की जबकि मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) ने इसे दिनांक 07.03.2025 के लिए निर्धारित किया। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.), चंडीगढ़ ने दिनांक 04.03.2025 को सुलह के दौरान संघों से संबंधित हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था, लेकिन संघों ने इसे स्थगित करने पर सहमति दी। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.), चंडीगढ़ ने दिनांक 04.03.2025 को सुलह के दौरान यूनियनों से संबंधित हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था, लेकिन यूनियनों ने इसे स्थगित करने पर सहमति दी।

पक्षकारों के बीच विस्तृत चर्चा के दौरान, यूनियनों के माननीय प्रतिनिधियों ने पहले से सहमति के अनुसार हड़ताल को स्थगित करने का आश्वासन दिया।

ii. दिनांक 20.05.2025 और 9.7.2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा एक दिन की देशव्यापी सामान्य हड़ताल।

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी मांगों के चार्टर को मनवाने के लिए दिनांक 20.05.2024 को देशव्यापी सामान्य हड़ताल के अवलोकन के लिए आह्वान किया है।

इस संबंध में, मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) संगठन के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) को सलाह दी गई कि वे किसी भी ट्रेड यूनियन द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में हड़ताल नोटिस प्राप्त होने पर समय–समय पर हस्तक्षेप करें और हड़ताल रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इसके बाद, दिनांक 20.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पाया गया कि केवल मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL), विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, हैदराबाद में इस्पात उद्योग (अनुपस्थिति 24.10%) में हड़ताल हुई, और शेष कहीं कोई हड़ताल नहीं हुई क्योंकि संघों ने प्रस्तावित राष्ट्रीय हड़ताल को स्थगित/टाल दिया और इसे दिनांक 09.07.2025 के लिए पुनर्निर्धारित किया।

इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 09.07.2025 को उद्योगों में अनुपस्थिति का कुल प्रतिशत लगभग 9.22% था।

iii. भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट कामगार महासंघ

भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट श्रमिक संघ ने अपने पत्र क्रमांक (संदर्भ संख्या) 17/06/02 दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से अहमदाबाद स्थित अडानी सीमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हड़ताल नोटिस दिया गया, जिसकी एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (कें.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजी गई, जिसमें दिनांक 3 मार्च 2025 से अपनी मांगों को दबाव बनाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा गया। चूंकि यह मामला देशभर में फैली कई इकाइयों से संबंधित था, इसलिए इसे सार्वजनिक हित में मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) के कार्यालय द्वारा सुलह कार्यवाही के लिए रखा गया।

इस बीच, प्रबंधन, अडानी सीमेंट कंपनी ने दिनांक 24.02.2025 को आइएनसीडब्ल्यूएफ (आईएनटीयूसी) के साथ

एक बैठक बुलाई और विस्तृत चर्चा के बाद उन्होंने आगे की चर्चा और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक योजना तैयार की। विस्तृत चर्चा के बाद, महासंघ ने प्रबंधन के अनुरोध को स्वीकार किया और हड़ताल को स्थगित करने के लिए सहमति दी।

इस कार्यालय के त्वरित और सफल हस्तक्षेप ने बड़ी संख्या में देश के मानव–संसाधन की हानि को बचाया और पूरे देश में उद्योग में होने वाले किसी भी व्यवधान को रोक गया, जिससे आर्थिक हानि से भी बचा जा सका।

3.17 दिनांक 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के दौरान महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन जिसमें सीआईआरएम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाईः–

मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) कार्यालय, नई दिल्ली

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रमुख समझौते

समझौता ज्ञापन

1. मेसर्स स्मार्ट मरीन इंजीनियरिंग और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच मांगों के चार्टर पर दिनांक 07.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कर्मचारियों को 31,80,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

2. मेसर्स चेरियन गैस एजेंसी, मेसर्स साई गैस और मेसर्स बेस्ट गैस, जो मेसर्स एचपीसीएल–एलपीजी' बॉटलिंग प्लांट, इरिम्पानम के कॉन्ट्रैक्टर हैं, और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन और इरिम्पानम जनरल वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 17.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 40 कामगारों को 1,20,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

3. मेसर्स वेस्टर्न इंटीरियर डिजाइनर्स एंड मरीन कॉन्ट्रैक्टर (मेसर्स वेस्टर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज), जो मेसर्स एचपीसीएल, एलाथुर, कालीकट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन सीआईटीयू के बीच दिनांक 28.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 06 कामगारों को 4,80,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

4. थर्मल पावर हाउस कंस्ट्रक्शन कामगार संघ और मेसर्स बीटीएल इपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 10.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), लखनऊ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 04 कामगारों को 1,80,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

5. बड़ौदा यूपी बैंक अस्थायी मजदूर संघ बनाम बड़ौदा यूपी बैंक के बीच दिनांक 03.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), लखनऊ के समक्ष मांगों के चार्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट बनाम बीईएल टीईएक्स एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 28.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–१, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 90 कामगारों को 1,35,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

7. सीमेंट एंड खदान श्रमिक यूनियन बनाम एनयू विस्ता के बीच दिनांक 07.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 900 कामगारों को 6,00,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

8. अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ बनाम बीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटीसीएल रावन के अन्य कान्ट्रैक्टरों के बीच दिनांक 08.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 900 कामगारों को 6,00,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

9. मेसर्स G4 बनाम केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 06.01.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) बारबिल

के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप कामगारों को लाभ मिला।

10. मेसर्स जेएसडब्ल्यू, मेसर्स सतपथी एंड ब्रदर्स बनाम केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 06.01.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 262 कामगारों को 1,50,59,063/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

11. काल्टा आयरन ओर माइंस/बरसुआं आयरन ओर माइंस/ताल्डीह आयरन ओर माइंस बनाम महासचिव, सुंदरगढ़ माइंस एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, कोइरा के बीच दिनांक 23.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 345 कामगारों को लाभ मिला।

12. मेसर्स ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, मेसर्स शिवानी कंस्ट्रक्शन (सब—कान्ट्रैक्टर) बनाम श्री शंकर प्रसाद के बीच दिनांक 21.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 35,000/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

13. मेसर्स ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, मेसर्स शिवानी कंस्ट्रक्शन (सब—कान्ट्रैक्टर) बनाम श्री अमित कुमार के बीच दिनांक 21.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 10,000/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

14. मेसर्स एम.एस एंटरप्राइजेज (वेस्टर्न रेलवे, वडोदरा डिवीजन, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और वेस्टर्न रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइज यूनियन के बीच बकाया भुगतान को लेकर 24.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 12 कामगारों को नौकरी पर वापस रखा गया।

15. मेसर्स एम.आर सेलन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल., गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और परिवर्तन मजदूर संगठन के बीच बकाया भुगतान को लेकर दिनांक 27.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 20,000/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

16. मेसर्स बंसल इंफ्राटेक सिनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल., गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और परिवर्तन मजदूर संगठन के बीच बकाया भुगतान को लेकर दिनांक 10.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को 1,26,661/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

17. मेसर्स सैनिक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड (भारतीय जीवन बीमा निगम, वडोदरा डिवीजन, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और परिवर्तन मजदूर संगठन के बीच श्री पंकजकुमार लक्ष्मणभाई डामोर को बकाया भुगतान को लेकर दिनांक 21.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 20,000/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

18. मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल., गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और परिवर्तन मजदूर संगठन के बीच श्री विक्रमभाई रमेशभाई चौहान की बर्खास्तगी को लेकर दिनांक 08.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर वापस रखा गया।

19. बकाया भुगतान को लेकर मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल., गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और परिवर्तन मजदूर संगठन के बीच 08.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन

पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 9 कामगारों को आर्थिक लाभ मिला।

20. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार, न्झ बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कामगार संघ के बीच दिनांक 22.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 200 कर्मचारियों को 1,90,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

21. सतेंद्र सिंह बनाम वेंचर सिक्योरिटी फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट के बीच दिनांक 02.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

22. बीईएल श्रमिक ट्रेड यूनियनों बनाम ठम्स्, गाजियाबाद के बीच दिनांक 21.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 258 कामगारों को 8,18,01,168/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

23. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स यूनियन पंचकूला बनाम ठम्स्, पंचकूला के बीच दिनांक 21.01.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 161 कामगारों को प्रति वर्ष 2,09,30,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

24. सुश्री चंपा देवी बनाम जेवी एचआर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 16.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 95,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

25. एफसीआई मजदूर विकास यूनियन बनाम एफसीआई, डिवीजनल ऑफिस, हिसार के बीच दिनांक 22.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप एफसीआई, हरियाणा के 6 डिपो में 464 कामगारों को काम प्रदान किया गया।

26. यूसीबीईए हरियाणा बनाम यूको बैंक, करनाल के बीच दिनांक 24.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,07,568/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

27. एनटीपीसी कामगार संघ, फरीदाबाद बनाम एनटीपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के बीच दिनांक 28.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) करनाल के समक्ष, संरक्षित कामगार पर जारी आदेश और एक कामगार के लाभ के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

28. हरदीप कुमार बनाम मेसर्स सोहन लाल के बीच दिनांक 15.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

29. नीलम बनाम मेसर्स सोहन लाल के बीच दिनांक 15.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

30. आकाश थापा बनाम मेसर्स सोहन लाल के बीच दिनांक 15.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

31. रोहित ठाकुर बनाम मेसर्स सोहन लाल के बीच दिनांक 15.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

32. कुलदीप कुमार बनाम मेसर्स सोहन लाल के बीच दिनांक 15.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

33. श्री रोहित बडेरा बनाम मेसर्स एट्रीया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बीच दिनांक 24.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–III, दिल्ली के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 92414/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

34. मेसर्स एम श्रीनिवास ब्रदर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कान्ट्रैक्टर बनाम श्रीमती के. स्वरूपा के बीच दिनांक 08.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

35. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम श्रीपुर एरिया के तहत निमचा कोलियरी और कोयला मजदूर संघ के बीच दिनांक 06.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.) आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मैनेजमेंट स्वर्गीय सुखमय बौरी की पत्नी श्रीमती चंदना बौरी, पूर्व–जनरल मजदूर के संबंध में स्ै राशि का निपटारा करने पर सहमत हो गया। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ हुआ।

36. मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कामगार कांग्रेस यूनियन के बीच दिनांक 24.01.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, मुंबई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 114 कामगारों को 74,46,480/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

37. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के साथ एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली के बीच दिनांक 28.01.2025 को मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्यालय के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

38. मेसर्स एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर मेसर्स रेवेनबेक टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके कामगारों, जिनका प्रतिनिधित्व केरल समस्थाना मोबाइल फोन टॉवर एम्प्लॉइज यूनियन (सीआईटीयू) कर रहा था, के बीच मांगों के चार्टर पर दिनांक 11.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 78 कामगारों को 1,61,46,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

39. मेसर्स इलेक्ट्रोमेक सॉल्यूशंस, मेसर्स श्रीलक्ष्मी एंटरप्राइजेज, मेसर्स रेवेनबेक टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कान्ट्रैक्टरों और उनके कामगारों, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ (बीएमएस) कर रहा था, के बीच दिनांक 11.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 122 कामगारों को 2,52,54,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

40. मेसर्स हेक्सानेट इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स निधीश सर्विसेज, जो मेसर्स वीआइएल नेटवर्क ऑपरेशंस द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर हैं, और भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ(बीएमएस) के बीच फील्ड मेंटेनेंस असिस्टेंट (FMA) के दीर्घकालिक वेतन–सेवा समझौते के नवीनीकरण के मुद्दे पर दिनांक 20.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 35 कर्मचारियों को 71,75,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

41. मेसर्स गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और उनके कर्मचारियों, जिनका प्रतिनिधित्व केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (CITU) कर रहा था, के बीच मांगों के चार्टर पर दिनांक 18.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 09 कामगारों को 10,80,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

42. मेसर्स थॉमस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ (बीएमएस)

के बीच श्री अभिषेक एस की बर्खास्तगी के मुद्दे पर दिनांक 19.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को फिर से नौकरी मिली।

43. मेसर्स टेलीक्रैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर है, और भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ (बीएमस) के बीच वीडीए छुट्टी वेतन और अन्य लंबित लाभों के मुद्दे पर दिनांक 17.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 650 कामगारों को 4,48,27,586/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

44. मेसर्स हेक्सानेट इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स निधिश सर्विसेज, जो मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर हैं, और केरल समस्थाना मोबाइल फोन टॉवर कामगार संघ (सीआईटीयू) के बीच लॉन्ग टर्म समझौते के लिए मांगों के चार्टर पर दिनांक 20.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 16 कामगारों को 32,80,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

45. मेसर्स जीएसयूएस स्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो मेसर्स एल एंड टी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर है, और भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ (एमएस) के बीच क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष लंबी अवधि के निपटारे के लिए मांगों के चार्टर पर मेसर्स जीएसयूएस स्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेट्रोलर्स को समय पर वेतन का भुगतान न करने के मुद्दे पर दिनांक 19.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 26 श्रमिकों को 9,11,493/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

46. मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और उनके श्रमिकों, जिनका प्रतिनिधित्व केरल समस्थाना मोबाइल फोन टॉवर कामगार संघ (सीआईटीयू) कर रहा था, के बीच क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष मेसर्स वेरेमैक्स द्वारा वैधानिक तत्वों का भुगतान न करने के मुद्दे पर दिनांक 17.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 800 कामगारों को 5,51,72,414/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

47. श्री तुमनलाल और अन्य बनाम मेसर्स बीडी दत्ता एंटरप्राइजेज, मेसर्स जे के लक्ष्मी सीमेंट के कान्ट्रैक्टर के बीच दिनांक 14.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को उनकी नौकरी पर बहाल किया गया।

48. श्री अनूप रहंगडाले बनाम एनएमडीसी और यूएनआई रेल नागपुर के बीच दिनांक 18.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

49. श्री सुनील कुमार बनाम सुश्री शिवा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के बीच दिनांक 27.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को 16,654/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

50. श्री संजय कुमार वर्मा बनाम श्री सीमेंट लिमिटेड के बीच दिनांक 27.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को उनकी नौकरी पर बहाल किया गया।

51. श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री दीवान चंद बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एनएचपीसी, रैटल प्रोजेक्ट, दराबशाला, किश्तवाड़,यूटी(जे–के) के बीच दिनांक 28.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को

36,450/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

52. अमन चंदेल बनाम आईसीआईसीआई बैंक के बीच दिनांक 12.02.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.) करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ हुआ।

53. श्री टीटू कुमार बनाम फैबप्रो प्राइवेट लिमिटेड के बीच 25.02.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.) करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 21414/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

54. स्टेट बैंक ऑफ एम्प्लॉइज यूनियन बनाम एसबीआई के बीच ट्रांसफर के मामले पर दिनांक 18.02.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.) जालंधर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ हुआ।

55. श्रीमती मीनू देवी बनाम डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल के बीच बहाली के मामले पर दिनांक 18.02.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.)–III, नई दिल्ली के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को बहाल किया गया।

56. तूतीकोरिन पीएसए सिकल कंटेनर टर्मिनल स्टाफ यूनियन बनाम पीएसए सिकल टर्मिनल्स लिमिटेड, तूतीकोरिन के बीच छंटनी मुआवजे –12 (3) पर दिनांक 21.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), मदुरै के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 68 कामगारों को 21,00,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

57. वेतन संशोधन को लेकर तूतीकोरिन पीएसए सिकल कंटेनर टर्मिनल स्टाफ यूनियन और पीएसए सिकल टर्मिनल्स लिमिटेड, तूतीकोरिन के बीच दिनांक 21.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), मदुरै के समक्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप कामगारों को 2,00,00,000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

58. सेलम जिले के मैग्नेसाइट पट्टाली थोझिल संगम बनाम सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड/ केआरएसएस मैनपावर सर्विसेज/अय्यारप्पन कॉन्ट्रैक्टर/मेसर्स रामलिंगम एंड कंपनी के बीच दिनांक 14.02.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.)–II] चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 97 कामगारों को लाभ हुआ।

59. एरिस कारमेन सियरलाइट – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जेफरी जून शरभोग – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बानिसारा नोंग्खलॉ – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कैपेडोनवेल वानबाह – बनाम मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चिन्नम वानमी नियालंग – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, टिंकू कुमार सरकी – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लवली सोन खरबुली – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दिल बहादुर पून – बनाम – मेसर्स मेबीई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 18.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), गुवाहाटी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

60. मेसर्स. केजेएस अहलूवालिया बनाम के एमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 06.02.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 102785/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

61. राउरकेला स्टील प्लांट, सेल के पोनाई एंटरप्राइजेज कॉन्ट्रैक्टर बनाम महासचिव, आम मजदूर संगठन, राउरकेला के बीच दिनांक 18.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 51 कामगारों को 16,15,948/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

62. मेसर्स. पारादीप कुमार पाढ़ी, आरएसपी की बरुआन आयरन माइंस के कान्ट्रैक्टर बनाम माह सचिव, नॉर्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनियन, राउरकेला के बीच दिनांक 18.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त(कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 9 कामगारों को 122148/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

63. मेसर्स. पारादीप कुमार पाढ़ी, त्ै की बरुआन आयरन माइंस के कान्ट्रैक्टर बनाम जनरल सेक्रेटरी, नॉर्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनियन, राउरकेला के बीच दिनांक 19.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 9 कामगारों को 122148/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

64. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और उसके कान्ट्रैक्टर बनाम अल्ट्राटेक सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के बीच दिनांक 19.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 220 कामगारों को 1,80,00,000/— रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

65. श्री इज़हार अहमद बनाम आरएल बैंक के बीच पूर्ण और अंतिम निपटान और अनुभव पत्र के मामले में, दिनांक 05.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

66. बजाज फाइनेंस लिमिटेड और चटर्जी क्लीनिंग आट्र्स सर्विसेज बनाम संजय सिंह, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के बीच दिनांक 28.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 14,000/— रुपये का लाभ मिला।

67. मेसर्स मेवाड़ एंटरप्राइजेज (पश्चिमी रेलवे, वडोदरा डिवीजन के कान्ट्रैक्टर) और पश्चिमी रेलवे कान्ट्रैक्टर कामगार संघ के बीच बकाया भुगतान न करने के मामले में, दिनांक 25.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को 80,000/— रुपये का लाभ मिला।

68. मेसर्स सोपान ओ एंड एम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आईओसीएल, गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा के कान्ट्रैक्टर) और परिवर्तन मजदूर संगठन के बीच बकाया भुगतान न होने पर दिनांक 07.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को 1,20,000/— रुपये का लाभ मिला।

69. मेसर्स एचएएल हैदराबाद बनाम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 26.02.2025 को, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 89 कामगारों को 28,446/— रुपये का लाभ मिला।

70. मेसर्स. एस.के. एंटरप्राइजेज, आइओसील, टर्मिनल के कान्ट्रैक्टर बनाम इंडियन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन, के बीच दिनांक 06.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 7 कामगारों को 54,56,448/— रुपये का लाभ मिला।

71. मेसर्स. इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम श्री परमानंद, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के बीच दिनांक 07.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,21,592/— रुपये का लाभ मिला।

72. मेसर्स. जी.आर.जी. प्रोजेक्ट्स बनाम श्री एम. ब्रह्मानंदम, के बीच दिनांक 25.02.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,20,000/— रुपये

का लाभ मिला।

73. मेसर्स. के.एस.के. राजू बनाम एनएओबी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू), क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के बीच दिनांक 25.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 19 कामगारों को 2,94,000/– रुपये का लाभ मिला।

74. सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड बनाम कैंटोनमेंट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, के बीच दिनांक 24.02.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.) हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 12 कामगारों को नौकरी पर वापस रखा गया।

75. मेसर्स ईशा प्रोटेक्शनल सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीमती ई रेणुका, सहायक श्रमायुक्त(कें.) हैदराबाद के बीच दिनांक 19.02.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर वापस रखा गया।

76. श्री श्यामकुमार वी एन, इरुमपनम, जो मेसर्स बीपीसीएल, इरुमपनम इंस्टॉलेशन के कान्ट्रैक्टर हैं, और उनके कामगारों, जिनका प्रतिनिधित्व केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) कर रही है, के प्रबंधन के बीच मांगों के चार्टर पर दिनांक 28.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 05 कामगारों को 540000/– रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

77. श्री जोसेफ टिएक्स, मेसर्स फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज, मेसर्स बीपीसीएल, इरुमपनम इंस्टॉलेशन द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उनके कर्मचारियों के प्रबंधन के बीच वेतन संशोधन और अन्य लाभों की मांगों के चार्टर पर दिनांक 28.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 07 कामगारों को 840000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

78. मेसर्स आईवीईईएस बिल्डर्स एंड इंटीरियर्स, मेसर्स नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, त्रिक्काकारा द्वारा नियुक्त कान्ट्रैक्टर और एर्नाकुलम जिला औद्योगिक एस्टेट मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रबंधन के बीच वेतन संशोधन और अन्य लाभों की मांगों के चार्टर पर दिनांक 26.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 42 कामगारों को 176400/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

79. मेसर्स बीएसएल सेल, भावनाथपुर बनाम बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन आईएनटीयूसी, भावनाथपुर के प्रबंधन के बीच दिनांक 20.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को लाभ मिला।

80. मेसर्स बीएसएल सेल, भावनाथपुर बनाम बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन आईएनटीयूसी, भावनाथपुर के प्रबंधन के बीच दिनांक 27.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को लाभ मिला।

81. मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, आरवीएनएल पैकेज–5, यूके बनाम संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड के प्रबंधन के बीच दिनांक 27.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 11 कामगारों को 1427000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

82. महाराष्ट्र राज्य मोबाइल टावर टेक्निकल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन और मेसर्स बी4एस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे, मेसर्स इंडस टावर लिमिटेड पुणे के मैनेजमेंट के बीच दिनांक 26.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), मुंबई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 45 कामगारों को 742500/– रुपये का मौद्रिक

लाभ मिला।

83. सहायक महाप्रबंधक (आरएच) बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, भरूच और ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज़ यूनियन के प्रबंधन के बीच श्री अखिलेश कुमार के ट्रांसफर के मुद्दे पर दिनांक 05.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

84. श्री तुषार बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रबंधन के बीच दिनांक 21.03.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 22000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

85. श्री रितिक बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रबंधन के बीच दिनांक 21.03.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 22000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

86. अक्षत राठौर बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रबंधन के बीच दिनांक 21.03.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 2129/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

87. मेसर्स आनंदा कंस्ट्रक्शन, आरएसपी, सेल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर और जीएस, सुंदरगढ़ जिला औद्योगिक श्रमिक सभा, राउरकेला के प्रबंधन के बीच दिनांक 17. 03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को 160000/– रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

88. मेसर्स रॉयल मूवर्स, जो मेसर्स शिव सीमेंट लिमिटेड के खटकुरबहाल लाइमस्टोन और डोलोमाइट माइंस के कान्ट्रैक्टर हैं, के प्रबंधन और जीएस, सुंदरगढ़ और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट्स मजदूर यूनियन, बारबिल के बीच दिनांक 10.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के सामने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

89. मेसर्स पीकेएस टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो मेसर्स शिव सीमेंट लिमिटेड के खटकुरबहाल लाइमस्टोन और डोलोमाइट माइंस के कान्ट्रैक्टर हैं, के प्रबंधन और जीएस, सुंदरगढ़ और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट्स मजदूर यूनियन, बारबिल के बीच दिनांक 10.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

90. मेसर्स केबीएल मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट एलएलपी, जो मेसर्स शिव सीमेंट लिमिटेड के खटकुरबहाल लाइमस्टोन और डोलोमाइट माइंस के कान्ट्रैक्टर हैं, के प्रबंधन और जीएस, सुंदरगढ़ और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट्स मजदूर यूनियन, बारबिल के बीच दिनांक 10.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

91. चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और पारादीप पोर्ट मजदूर संघ के बीच दिनांक 25.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 256 कामगारों को 128167/– रुपये का लाभ मिला ।

92. श्री देवेंद्र रघुवंशी और एम्स, भोपाल के बीच क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

93. ऑल इंडिया एम्स एम्प्लॉइज यूनियन और एम्स, भोपाल के बीच दिनांक 20.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

94. श्री लोंगहोक डिएंगदोह और मेबाई सिक्योरिटी

सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 12.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), गुवाहाटी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

95. चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और चेन्नई पोर्ट कंटेनर टर्मिनल एम्प्लॉइज वेलफेयर यूनियन के बीच दिनांक 21.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II] चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 100 कामगारों को 28800000/– रुपये का लाभ मिला।

96. एजिस वोपाक टर्मिनल्स लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एसआर एंटरप्राइजेज के प्रबंधन और एसएमपीके (एचडीसी) तृणमूल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 10.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–।।, कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कामगारों को 1285704/– रुपये का लाभ मिला।

97. मेसर्स ईसीएल के गौरांगडी कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 25.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगारों को लाभ मिला।

98. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर एरिया के प्रबंधन और लोयाला मजदूर कांग्रेस के बीच मकान किराया भत्ते के मामले पर दिनांक 25.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

99. मेसर्स ऑनशोर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन और श्री श्रीनिवास राव के बीच दिनांक 06.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 70000/– रुपये का लाभ मिला।

100. मेसर्स क्वेस कॉर्प लिमिटेड और श्री बी. लक्ष्मी प्रसाद के बीच दिनांक 20.03.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 111712/– रुपये का लाभ मिला।

101. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के प्रबंधन और ईसीआईएल मज़दूर संघ पंजी.सं. ए–2344 के प्रतिनिधित्व में उनके कामगारों के बीच दिनांक 13.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के सामने ईसीआईएल की नामावली में शामिल कामगारों के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप प्रति कामगार 1.5 लाख रुपये की दर से 340 कामगारों को प्रतिवर्ष 5.10 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

102. मल्लावरपु अखिल और 50 अन्य, 5–13, वाईएसआर कॉलोनी, हैलैंड रोड, चिन्नाकाकानी पोस्ट मंगलागिरी मंडल, जिलाः गुंटूर, आंध्र प्रदेशद्522503 और एसएमसी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी प्रबंधन सॉल्यूशंस लिमिटेड, डी.सं. 30–15–140, डाबा गार्डन, विशाखापत्तनम, राज्यः आंध्र प्रदेश–530020 (एम्स, मंगलागिरी, गुंटूर जिले में नियुक्त एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड के सब–कॉन्ट्रैक्टर) के बीच दिनांक 24.03.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 105 कामगारों को 4410000/– रुपये का लाभ मिला।

103. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधन और बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बीच दिनांक 3.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), धनबाद–1 के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 15 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

104. बीसीसीआई के सिजुआ एरिया के प्रबंधन और बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बीच दिनांक

9.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), धनबाद–1 के सामने जन्म तिथि संशोधन के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

105. एस/श्री स्वन तुदु एवं अन्य 17 के प्रबंधन और एनआईटी, जमशेदपुर के बीच दिनांक 25.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चाईबासा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को 4,25,000/– रुपये का लाभ मिला।

106. एस/श्री बेताली कोंगारी एवं अन्य 10 के प्रबंधन और एनआईटी, जमशेदपुर के बीच दिनांक 25.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चाईबासा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 11 कामगारों को 2,75,000/– रुपये का लाभ मिला।

107. बोर्डर रोड कैजुअल पेड वर्कर्स यूनियन, कठुआ, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रबंधन और 69 आरसीसी जीआरईएफ के बीच दिनांक 9.4.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

108. अंबुजा सीमेंट वर्कर्स यूनियन के प्रबंधन और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के बीच दिनांक 08.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जालंधर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 524 कामगारों को 50304000/– रुपये का लाभ मिला।

109. चंद्र शेखर, सिया नंद, हीरू सिंह, राहुल, मोंटी और नीतू के बीच दिनांक 9.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

110. गीता राम और सीसीआई राजबन के बीच दिनांक 09.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 7,50,000/– रुपये का लाभ मिला।

111. सीमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन और सीसीआई राजबन के बीच दिनांक 09.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 12,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

112. श्री नरेंद्र कुमार और अन्य 03 और मेसर्स सिंह एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 22.4.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को 32000/– रुपये का लाभ मिला।

113. सीमेंट और खदान श्रमिक यूनियन (एआईटीयूसी) और एनयूवीओसीओ विस्टास कॉर्प लिमिटेड के बीच दिनांक 21.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 13 कामगारों को 10,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

114. सीमेंट और खदान श्रमिक यूनियन (एआईटीयूसी) और अंबुजा अडानी सीमेंट लिमिटेड रावन के बीच दिनांक 231.4.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को 40,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

115. पीएनबी एम्प्लॉइज यूनियन और पीएनबी के बीच दिनांक 01.04.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के सामने समयोपरि मजदूरी मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 2625/– रुपये का लाभ मिला।

116. इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और इंडियन बैंक के बीच दिनांक 11.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

117. डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और डालमिया सीमेंट वर्कर्स यूनियन, त्रिची के बीच दिनांक 29.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पुडुचेरी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 163 कामगारों को 60,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

118. पीएनबी एम्प्लॉइज यूनियन, आगरा और पीएनबी, आगरा के बीच दिनांक 02.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), झांसी के सामने समयोपरि मजदूरी मामले संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगारों को 11095.5/– रुपये का लाभ मिला।

119. मेसर्स जेआईटी एंटरप्राइजेज एवं उनके 7 कॉन्ट्रैक्टर्स और एसएमपीके (एचडीसी) तृणमूल कॉन्ट्रैक्टर्स कामगार यूनियन के बीच दिनांक 02.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–II के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 33 कामगारों को 18,84,960/– रुपये का लाभ मिला।

120. श्री एस राजू, डीआरएम वोर्डर, ओम नगर, शादीपुर, श्री विजयपुरम और श्री जगजीवन राम, अनुभाग अधिकारी, आई सी एम आर–आर एम आर सी, डॉलीगंज, श्री विजयपुरम के बीच दिनांक 24.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पोर्ट ब्लेयर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को प्रतिवर्ष 2,63,640/– रुपये का लाभ मिला।

121. वेस्ट बंगाल कॉन्ट्रैक्टर्स सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मेंटेनेंस लेबर यूनियन और एक्सिस बैंक लिमिटेड एवं मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 03.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), सिलीगुड़ी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 12 कामगारों को प्रतिवर्ष 1,77,684/– रुपये का लाभ मिला।

122. जीएस–राउरकेला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और आरएसपी के अंतर्गत मेसर्स जीएकेएसएच पावर कंपनी के बीच दिनांक 22.04.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 5 कामगारों को 93,000/– रुपये का लाभ मिला।

123. क्वेस कॉर्प इंडिया लिमिटेड और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 09.04.2025 को अवैध कटौती के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

124. सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता, वटवा अहमदाबाद और अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के बीच दिनांक 29.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

125. मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, गांधी नगर और सुश्री केया भालोदिया के बीच दिनांक 03.04.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

126. मेसर्स मेब्बाई सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड/जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शिलांग और श्री मालवीन माजॉ, श्री डिलेक्शियस नोंग्रुम, श्री बिनोद राउथ, श्री मेबेनशाम टायंगसन, श्री औमद एम संगमा, श्री आशीष कुमार सिंह, श्री एल्किन एस, श्री प्यंगलोंग सिंह, श्री विल्फ्रेड माजॉ, श्री मिडेल खिडलिट के बीच दिनांक 25.04.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), गुवाहाटी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

127. एफएसीटी –सीडी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन एवं मेसर्स द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और जनरल एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू), एफएसीटी–सीडी जनरल वर्कर्स यूनियन (आईएनटीयूसी) और एर्नाकुलम

डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन एंड जनरल वर्कर्स यूनियन (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 11.04.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को 4,49,28,000/– रुपये का लाभ मिला।

128. मेसर्स कोंकण स्टोरेज सिस्टम्स (कोच्चि) प्राइवेट लिमिटेड और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 23.04.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 22 कामगारों को 1,51,20,000/– रुपये का लाभ मिला।

129. कोवई मावत्ता पोरियाल पोथु थोझिलालार संगम (एआईटीयूसी) के प्रबंधन एवं तमिलनाडु पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) और मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, कोयंबटूर के लोडिंग कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स काइट लॉजिस्टिक्स कोच्चि, कोयंबटूर के बीच दिनांक 28.5.2025 को मजदूरी संशोधन के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), मदुरै के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 61 कामगारों को 1,94,96,820/– रुपये का लाभ मिला।

130. फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रबंधन और इंडियन बैंक के बीच दिनांक 5.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई–1 के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 4,87,596/– रुपये का लाभ मिला।

131. फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रबंधन और इंडियन बैंक के बीच दिनांक 5.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को 38,513/– रुपये का लाभ मिला।

132. चेन्नई कंटेनर टर्मिनल एम्प्लॉइज़ यूनियन के प्रबंधन और चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 8.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 107 कामगारों को 22,74,515/– रुपये का लाभ मिला।

133. चेन्नई कंटेनर टर्मिनल एम्प्लॉइज़ यूनियन के प्रबंधन और चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 8.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 46 कामगारों को 87,082/– रुपये का लाभ मिला।

134. जनरल सेक्रेटरी निर्माण मजदूर यूनियन, जम्मू के प्रबंधन और बीआरओ एवं परियोजना प्रबंधक श्री गिर्राजी इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 23.5.2025 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप लगभग 200 कामगारों को लाभ मिला।

135. सुखविंदर और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच दिनांक 22.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

136. सपना और एसएमएमएस प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 22.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

137. मेसर्स अर्थ एंटरप्राइजेज के प्रबंधन और 52 कामगारों के बीच 30.4.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जयपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 52 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

138. जितेंद्र सिंह और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रबंधन के बीच दिनांक 02.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

139. हिमांशु सेन और बजाज एलियांज, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन के बीच दिनांक 13.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

140. अशपाक अहमद और बड़ौदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक के बीच दिनांक 13.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप एसबीआई शाखा द्वारा 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

141. बैंक ऑफ़ बड़ौदा स्टाफ़ यूनियन और बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बीच दिनांक 14.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगारों को लाभ मिला।

142. श्री रवि सफ़ेला और मेसर्स आर्मामेंट सेक्रेटरी सर्विसेज के बीच दिनांक 22.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

143. श्री टिकेश्वर साहू एवं अन्य 3 और मेसर्स एम मोहन के बीच दिनांक 26.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 04 कामगारों को 38,000/– रुपये का लाभ मिला।

144. श्री गैंद लाल और धीरज ट्रेडर्स के प्रबंधन के बीच दिनांक 26.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

145. मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, आरवीएनएल पैकेज–5, उत्तराखंड और संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड के बीच दिनांक 6.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 49 कामगारों को 6542726/– रुपये का लाभ मिला।

146. मेसर्स मैक्स एचईएसजेवी कंपनी लिमिटेड, आरवीएनएल पैकेज–1, उत्तराखंड और संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड के बीच दिनांक 14.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 29 कामगारों को 3826417/– रुपये का लाभ मिला।

147. मेसर्स डीबीएल, आरवीएनएल पैकेज–9, गौचर चमोली (यू) और संविदा श्रमिक संघ के बीच दिनांक 19.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 24 कामगारों को 1320097/– रुपये का लाभ मिला।

148. प्रकाशवती और केनरा बैंक के बीच दिनांक 27.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

149. पीएनबी एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश और सर्कल हेड, पीएनबी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के बीच दिनांक 14.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), इलाहाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 53435/– रुपये का लाभ मिला।

150. सांघी अडानी सीमेंट और कच्छ जिला मजदूर संघ (बीएमएस) के बीच दिनांक 19.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आदिपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगार को लाभ मिला।

151. सांघी अडानी सीमेंट और अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ (बीएमएस) के बीच दिनांक 19.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आदिपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को लाभ मिला।

152. बीसीसीएल के बस्ताकोला एरिया और यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 6.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), धनबाद–III के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लगभग 15,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

153. आईओसीएल हल्दिया रिफाइनरी एवं उनके कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स कैरोलिना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूएमडीएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बंगाल इंजीनियरिंग सिंडिकेट और हल्दिया रिफाइनरी टाउनशिप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 13.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–II के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 84 कामगारों को लगभग 4389840/– रुपये का लाभ मिला।

154. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हल्दिया टर्मिनल) एवं उनके कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स पेस्ट कंट्रोलर, मेसर्स मैती इंजीनियरिंग वर्कशॉप, मेसर्स लिली मैरीटाइम (P) लिमिटेड और रिलायंस एक्स–मैन कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 19.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–II के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 24 कामगारों को प्रतिवर्ष लगभग 4,52,448/– रुपये का लाभ मिला।

155. संजय गुहा और एयर इंडिया के बीच दिनांक 9.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–I के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लगभग 2,78,460/– रुपये का लाभ मिला।

156. धीमन कांति बिस्वास बनाम एयर इंडिया के बीच दिनांक 9.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–I के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लगभग 2,78,460/– रुपये का लाभ मिला।

157. संभू बाग और एयर इंडिया के बीच दिनांक 9.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–I के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लगभग 2,78,460/– रुपये का लाभ मिला।

158. फिलोमीन रॉय और एयर इंडिया के बीच दिनांक 7.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता–I के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लगभग 2,78,460/– रुपये का लाभ मिला।

159. श्री पवन पटेल और बंधन बैंक, जबलपुर के बीच दिनांक 9.5.2025 को सेवा संबंधी मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), जबलपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

160. लाल झंडा कोल माइंस मजदूर यूनियन (सीआईटीयू) और डब्ल्यूसीएल के बीच सेवा से जुड़े मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष दिनांक 14.5.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

161. राउरकेला स्टील प्लांट, एसएआईएल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स टेलीकॉन सिस्टम्स और राउरकेला श्रमिक संघ, राउरकेला के महासचिव के बीच दिनांक 22.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 44 कामगारों को लगभग 6,25,262/– रुपये का लाभ मिला।

162. मेसर्स एनआर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और श्री बासुदेव महापात्रा और अन्य 06 के बीच दिनांक 14.5.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 7 कामगारों को लगभग 61,760/– रुपये का लाभ मिला।

163. मेसर्स समीप इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और प्रताप कुमार मलिक एवं अन्य 1 के बीच दिनांक 14.5.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को लगभग 74,559/– रुपये का लाभ

मिला।

164. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और प्रताप कुमार मलिक एवं अन्य 1 के बीच श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को लगभग 74,559/— रुपये का लाभ मिला।

165. श्रीमती दारसनम्मा और शास्तास एसोसिएट्स (डीआरडीओ के कॉन्ट्रैक्टर) के बीच दिनांक 27.5. 2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), बैंगलोर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

166. मेसर्स ओएनजीसी, राजमुंदरी और पेट्रोलियम कर्मचारी संघ के बीच दिनांक 14.5.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 381 कामगारों को लगभग 6,66,75,000/— रुपये का लाभ मिला।

167. मेसर्स एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी, विशाखापत्तनम और विशाख रिफाइनरी के कामगारों के बीच दिनांक 17.5.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 600 कामगारों को लगभग 150000000/— रुपये का लाभ मिला।

168. मेसर्स जिलानी आर्ट्स और इंडियन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 13.5. 2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 13 कामगारों को लगभग 7640850/— रुपये का लाभ मिला।

169. मेसर्स अर्बन इलेक्ट्रिक इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 14.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 5 कामगारों को लगभग 3474495/— रुपये का लाभ मिला।

170. मेसर्स रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और आरएफसीएल कार्मिक संघम के बीच दिनांक 5.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), मंचेरियल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 24 कामगारों को लगभग 76800/—.का लाभ मिला।

171. एम/इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कांजीकोड, पलक्कड़ और इंस्ट्रूमेंटेशन वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू), इंस्ट्रूमेंटेशन एम्प्लॉईस यूनियन और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्प्लॉईस संघ के बीच दिनांक 30.5.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 116 कामगारों को लगभग 41,76,00,000/— रुपये का लाभ मिला।

172. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम—श्रीपुर क्षेत्र के निंगा कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मज़दूर सभा के बीच दिनांक 7.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

173. मेसर्स ईसीएल के सोदपुर क्षेत्र के पटमोहना कोलियरी के प्रबंधन और कोयला मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 21.5.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

174. भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ (बीएमएस) और डब्ल्यूसीएल, पाथाखेड़ा के बीच दिनांक 14.6. 2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

175. श्री मेटालिक्स लिमिटेड के मेसर्स खोनबोंड आयरन ओर माइंस और जनरल सेक्रेटरी, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल श्रमिक सभा, राउरकेला के बीच दिनांक 5.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,29,148/– रुपये का लाभ मिला।

176. ओएमसी लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स कुर्मिटर आयरन ओर माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और उनके उप–कॉन्ट्रैक्टर, मेसर्स आनंद ट्रेडिंग और जनरल सेक्रेटरी, नॉर्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनियन, ओरमपारा, राउरकेला के बीच दिनांक 30.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 50 कामगारों को 2,31,759/– रुपये का लाभ मिला।

177. मेसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तालाबीरा II और III कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स तालाबीरा ओडिशा माइनिंग लिमिटेड (पहले तालाबीरा ओडिशा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड) और संयुक्त सचिव, वीर सुरेंद्र साई श्रमिक संघ, खिंडा के बीच दिनांक 23.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 37 कामगारों को 1,14,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

178. एयरपोर्ट एम्प्लॉइज़ यूनियन और डीआईएएल के दो कॉन्ट्रैक्टरों के बीच दिनांक 3.6.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), नई दिल्ली के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 852 कामगारों को 6,00,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

179. श्री विजय कुमार, प्रबंधक (एचआर), हुर्रा सी ओसीपी, ईसीएल राजमहल क्षेत्र, गोड्डा और श्री रामस्वरूप, अध्यक्ष एवं श्री रामजी साह, सेल्वेटरी, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन (एआईटीयूसी), गोड्डा के बीच दिनांक 3.6.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 135 कामगारों को 66,54,960/– रुपये का लाभ मिला।

180. बीसीसीएल की एडीआई कोलियरी और राष्ट्रीय मजदूर यूनियन के बीच दिनांक 24.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 15,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

181. अपर महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय भरूच और कच्छ ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉईस यूनियन के बीच दिनांक 30.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

182. बीएसपी वर्कर्स यूनियन और बीएसपी के बीच दिनांक 19.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 15 कामगारों को लाभ मिला।

183. सेंटर ऑफ़ स्टील वर्कर्स और जीआर एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 19.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 13,000/– रुपये का लाभ मिला।

184. सेंटर ऑफ़ स्टील वर्कर्स और जीआर एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 19.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) , रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 12,000/– रुपये का लाभ मिला।

185. सेंटर ऑफ़ स्टील वर्कर्स और टेक्नोकेयर इंजीनियरिंग के बीच दिनांक 19.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

186. सीमेंट एवं खदान श्रमिक यूनियन और नुवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड के बीच दिनांक 19.6.2025 को श्री राहुल शर्मा, रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 63 कामगारों को 6,50,000/– रुपये का लाभ मिला।

187. श्री गिरिराज और मेसर्स स्टर्लिंग विल्सन लिमिटेड रावतभाटा के बीच दिनांक 12.6.2025 को सहायक

श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 38000/— रुपये का लाभ मिला।

188. श्री अजय कुमार और मेसर्स स्टर्लिंग विल्सन लिमिटेड रावतभाटा के बीच दिनांक 12.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 30000/— रुपये का लाभ मिला।

189. श्री विजय और मेसर्स स्टर्लिंग विल्सन लिमिटेड रावतभाटा के बीच दिनांक 12.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 32000/— रुपये का लाभ मिला।

190. श्री नवीन कुमार और मेसर्स स्टर्लिंग विल्सन लिमिटेड रावतभाटा के बीच दिनांक 12.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 22000/— रुपये का लाभ मिला।

191. श्री संजय कुमार और मेसर्स स्टर्लिंग विल्सन लिमिटेड रावतभाटा के बीच दिनांक 12.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 38000/— रुपये का लाभ मिला।

192. श्री मुनिशामेगौड़ा बीएम और नेलमंगला टोल प्लाजा के बीच दिनांक 25.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), बैंगलोर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

193. सुश्री कविता और मनसा एंटरप्राइजेज (एमएफसी, हासन) के बीच दिनांक 11.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), बैंगलोर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

194. मेसर्स बीपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, अंबालामुगल द्वारा नियुक्त कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एस मैक्स इंडिया, और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) एवं बीपीसीएल एरिया लोडिंग एंड अनलोडिंग जनरल वर्कर्स कांग्रेस (आईएनटीयूसी) के बीच दिनांक 16.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के परिणामस्वरूप 68 कामगारों को 42,02,400/— रुपये का लाभ मिला।

195. मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड आरवीएनएल पैकेज—5, उत्तराखंड और संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड के बीच दिनांक 27.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 20 कामगारों को 24,00,000/— रुपये का लाभ मिला।

196. मेसर्स मैक्स एचईएस जेवी कंपनी लिमिटेड, आरवीएनएल पैकेज—1, उत्तराखंड और संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड के बीच दिनांक 27.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 27 कामगारों को 38,49,877/— रुपये का लाभ मिला।

197. आर्मी पब्लिक स्कूल और श्रीमती आशा के बीच दिनांक 30.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

198. मेसर्स ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, विशाखापत्तनम और श्री पदी सिवा के बीच दिनांक 19.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 70,000/— रुपये का लाभ मिला।

199. मेसर्स ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, विशाखापत्तनम और श्री पोरीदा रविंद्र के बीच दिनांक 19.6.2025 को

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 40,000/– रुपये का लाभ मिला।

200. मेसर्स अल्ट्रा डाइमेंशन्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम और श्री पुडी सतीश कुमार के बीच दिनांक 25.6.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), विशाखापत्तनम के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 3,23,831/– रुपये का लाभ मिला।

201. मेसर्स एचडीएफसी, हयातनगर शाखा, हैदराबाद और श्री अम्मिसेट्टी नरसिम्हा राव के बीच 10.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 2,16,000/– रुपये का लाभ मिला।

202. मेसर्स शेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, आईओसीएल और श्री डी. सुरेंद्र के बीच दिनांक 12.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

203. बंधन बैंक, जिला नंदीगामा, कृष्णा और श्री वी राजेश के बीच दिनांक 26.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कर्मचारी को सेवा लाभ प्राप्त हुए।

204. एनटीपीसी रामागुंडम के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स केटीपीएल और पेड्डापल्ली ज़िला कॉन्ट्रैक्ट कार्मिकुला संघम के बीच दिनांक 30.6.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), मंचेरियल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 84 कामगारों को 19,52,025/– रुपये का लाभ मिला।

205. एस विग्नेश बनाम ओलंपस सिक्योर प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड/एचडीएफसी बैंक के बीच दिनांक 03.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

206. बीपीसीएल और कमलेश प्रसाद के बीच दिनांक 08.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

207. मेसर्स बीकेबी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 07.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रांची के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

208. मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, बरूनी और बरूनी ताप विद्युत श्रमिक संघ यूनियन के बीच दिनांक 28.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 37 कामगारों को 22,32,000/– रुपये का लाभ मिला और 5 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

209. पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन और एनबीईयू बिहार और पीएनबीईयू, बिहार के बीच सहायक श्रमायुक्त (कें.), पाकुड़ के सामने दिनांक 14.07.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

210. बिहार ग्रामीण बैंक, पटना के प्रबंधन और बिहार ग्रामीण बैंक श्रमिक संगठन पटना के बीच सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष दिनांक 24.07.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

211. बैंक ऑफ़ बड़ौदा, गया के प्रबंधन और रूपेश कुनार के बीच दिनांक 25.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

212. पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन और पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन (नॉर्थ ईस्टर्न रीजन) के बीच दिनांक 07.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

गए।

213. श्री थेरप बहादुर सोनी और अंबुजा सीमेंट के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 22.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

214. श्री जयपाल और मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 22.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

215. श्री पवन कुमार और मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 22.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

216. श्री देव चरण और मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 22.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

217. श्री भूषण और मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 22.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

218. श्री महेश और मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 22.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

219. मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर संघ आईएनटीयूसी और एएसआई के बीच दिनांक 04.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को अलग–अलग मांगों पर लाभ मिला।

220. जीएस राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन एचएमएस और एएसआई के बीच दिनांक 25.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 02 कामगारों को लाभ मिला।

221. धीरज वर्मा और बैंक ऑफ इंडिया के बीच दिनांक 01.07.2025 को स्थानांतरण के मामले पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

222. उपाध्यक्ष राजस्थान परमाणु बिजु अनु चालक–परिचालक यूनियन और एल एण्ड टी पावर के बीच दिनांक 21.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 78000/– रुपये का लाभ मिला।

223. श्री महेंद्र मेघवाल और सीआईएसएस सिक्योरिटी लिमिटेड मुंबई के बीच दिनांक 02.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

224. श्री वीरेंद्र और सीआईएसएस सिक्योरिटी लिमिटेड, मुंबई के बीच दिनांक 04.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

225. श्री डालू राम और सीआईएसएस सिक्योरिटी लिमिटेड मुंबई के बीच दिनांक 04.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

226. श्री ओम प्रकाश और सीआईएसएस सिक्योरिटी लिमिटेड मुंबई के बीच दिनांक 04.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

227. श्री शेर सिंह सोलंकी और एनआईईएलआईटी के बीच दिनांक 18.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 89,499/– रुपये का लाभ मिला।

228. श्री राजेश सिंह स्वर्णकार और बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच दिनांक 22.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 111370/– रुपये का लाभ मिला।

229. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (पीई), मेसर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएट (कॉन्ट्रैक्टर) और बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बीच दिनांक 17.07.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 07 कामगारों को 49,58,500/– रुपये का लाभ मिला।

230. डॉयश बैंक (पीई), मेसर्स पेरेग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (कॉन्ट्रैक्टर) और बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बीच दिनांक 15.07.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 14 कामगारों को 39,56,094/– रुपये का लाभ मिला।

231. एक्सिस बैंक लिमिटेड (पीई), मेसर्स कोलकाता रिस्पॉन्स ग्रुप (कॉन्ट्रैक्टर) और बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बीच दिनांक 24.07.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 19 कामगारों को 59,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

232. एक्सिस बैंक लिमिटेड (पीई), मेसर्स कोलकाता रिस्पॉन्स ग्रुप (कॉन्ट्रैक्टर) और बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बीच दिनांक 24.07.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कामगारों को 85,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

233. आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बज बज (पीई), मेसर्स फ्लैश इलेक्ट्रिकल वर्क्स (कॉन्ट्रैक्टर) और एसके इनाई उद्दिन (आवेदक), श्री कृतंत बेरा और श्री तारापद दास के बीच दिनांक 30.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 03 कामगारों को 1,07,343/– रुपये का लाभ मिला।

234. एनटीपीसी लिमिटेड, रम्मम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (पीई), मेसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कॉन्ट्रैक्टर) और श्री रवि पांडे के बीच दिनांक 03.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), सिलीगुड़ी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 2,18,385/– रुपये का लाभ मिला।

235. ऑल पैक्ड ट्रांसपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कम ट्रांसपोर्टर्स (पीई) और तृणमूल इंडस्ट्रियल एस्टेट वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 14.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), सिलीगुड़ी के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 200 कामगारों को पांच साल के लिए 2.16 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

236. ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जोका (पीई), मेसर्स मेडिलिंक (कॉन्ट्रैक्टर) और ईएसआईसी एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 04.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 06 कामगारों को 1,80,000/– रुपये का लाभ मिला।

237. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (पीई) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 04.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, कोलकाता के

समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 2,84,418.25/– रुपये का लाभ मिला।

238. पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज और पंजाब नेशनल बैंक के बीच दिनांक 31.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वास्को के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 65 कामगारों को लाभ मिला।

239. पीएनबी प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज यूनियन (उत्तर प्रदेश) और पंजाब नेशनल बैंक, कानपुर क्षेत्र के बीच दिनांक 22.07.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 7000 कामगारों को लाभ मिला (प्रबंधन ने हाजिरी के मौजूदा तरीका को बनाए रखने पर सहमति जताई और क्यूआर कोड फीडबैक और डिपॉजिट एवं रिटेल लोन ड्राइव के बारे में यूनियन की मांग को पूरा करने पर भी सहमति जताई)।

240. कानपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन और एनटीपीसी ऊंचाहार के कॉन्ट्रैक्टर ड्रिपलेक्स वॉटर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 30. 07.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला (प्रबंधन बकाया भुगतान करने के लिए सहमत हो गया)।

241. कानपुर क्षेत्र में जगत पाल एवं अन्य और मेसर्स कुमा ग्लोबल फैबटेक के बीच दिनांक 30.07.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला (प्रबंधन बकाया भुगतान करने के लिए सहमत हो गया)।

242. पीएनबी एम्प्लॉइज एसोसिएशन मध्य प्रदेश और पीएनबी के बीच दिनांक 16.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। (हड़ताल की मांगों को सुलझा लिया गया)।

243. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाझखंड और भारतीय खनिज मजदूर संघ के बीच दिनांक 02.07.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), जबलपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 84 कामगारों को प्रतिवर्ष 4.83 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

244. नीलेश आई पटेल, टेक्नीशियन एवं अन्य 7 कामगारों और गेल (इंडिया) लिमिटेड, वडोदरा के बीच दिनांक 15.07.2025 को सेवा शर्तों को लेकर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 17 कामगारों को 2,55,000/– रुपये का लाभ मिला।

245. संविदा कामगारों की मांगों के चार्टर को लेकर विवाद उठाने वाले भारतीय कर्मचारी संघ के राज्य सचिव और एनटीपीसी लिमिटेड, झानोर (प्रधान नियोक्ता) के कॉन्ट्रैक्टर्स और एनटीपीसी लिमिटेड, झानोर के प्रबंधन के बीच दिनांक 29.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), वडोदरा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 5 कामगारों को 7,500/– रुपये का लाभ मिला।

246. शैफाली जैन और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच दिनांक 23.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार लाभ मिला।

247. पीएनबी स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा और पीएनबी के बीच दिनांक 02.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप लगभग 4000 कामगारों को लाभ मिला।

248. पीएनबी स्टाफ एसोसिएशन पंजाब और पीएनबी के बीच दिनांक 02.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप लगभग 5000 कामगारों लाभ को मिला।

249. पीएनबी स्टाफ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और पीएनबी के बीच दिनांक 02.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप लगभग 2500 कामगारों को लाभ

मिला।

250. कुलदीप सिंह और हाई–टेक्नो क्राफ्ट्स लिमिटेड के बीच दिनांक 25.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 29,544 /– रुपये का लाभ मिला।

251. राजबीर और हाई–टेक्नो क्राफ्ट्स लिमिटेड के बीच दिनांक 25.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), करनाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 29,544 /– रुपये का लाभ मिला।

252. मेसर्स गेल गैस लिमिटेड और श्री शुभम महापात्रा के बीच दिनांक 17.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 71,202 /– रुपये का लाभ मिला।

253. मेसर्स गेल गैस लिमिटेड और श्री राकेश यादव के बीच दिनांक 17.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 59,385 /– रुपये का लाभ मिला।

254. मेसर्स गेल गैस लिमिटेड और श्री रजत कुमार महंत के बीच दिनांक 17.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 59,385 /– रुपये का लाभ मिला।

255. मेसर्स गेल गैस लिमिटेड और श्री सुगिया ओराम के बीच दिनांक 17.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 52,020 /– रुपये का लाभ मिला।

256. मेसर्स गेल गैस लिमिटेड और श्री मनबोध दीप के बीच दिनांक 17.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 59,385 /– रुपये का लाभ मिला।

257. राउरकेला स्टील प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स रोज़ी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल श्रमिक सभा, राउरकेला के महासचिव के बीच दिनांक 24.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 24,205 /– रुपये का लाभ मिला।

258. एनएसपीसीएल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन, और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल श्रमिक सभा, राउरकेला के महासचिव के बीच दिनांक 21.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 02 कामगारों को लाभ मिला।

259. मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड के सब–कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एबीएस इंजीनियरिंग, आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी और श्री हैप्पी माझी और अन्य 12 लोगों के बीच दिनांक 11.07. 2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 13 कामगारों को 2,56,500 /– रुपये का लाभ मिला।

260. मेसर्स मित्रा एस के प्राइवेट लिमिटेड, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट और पारादीप पोर्ट मजदूर संघ के बीच दिनांक 11.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 34 कामगारों को 22,73,481 /– रुपये का लाभ मिला।

261. केएमएफडब्ल्यूयू और क्येस आईएमसी के बीच दिनांक 11.07.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

262. मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स टेलीक्रेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता

भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ के उनके वर्कर्स के बीच दिनांक 14.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 36 वर्कर्स को 1,06,74,000/– रुपये का लाभ मिला।

263. मेसर्स पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस, एर्नाकुलम और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, केरल के बीच दिनांक 03.07.2025 को सेवा शर्तों के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 859 कामगारों को लाभ मिला।

264. मेसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स ब्यूमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता सीआईएएल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 02.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष केन्द्रीय न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन के मुद्दे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 08 कामगारों को 96,000/– रुपये का लाभ मिला।

265. मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स टेलीक्रेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ के उनके वर्कर्स के बीच दिनांक 10.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 584 कामगारों को 14,86,28,000/– रुपये का लाभ मिला।

266. मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स टेलीक्रेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और केरल संस्थान मोबाइल फोन टावर एम्प्लॉइज यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 10.07.2025 को दीर्घावधि समझौते के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 780 कामगारों को 19,85,10,000/– रुपये का लाभ मिला।

267. मेसर्स बीपीसीएल रीजनल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और मेसर्स बीपीसीएल– कोच्चि रिफाइनरी अंबालामुगल और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता लोडिंग और अनलोडिंग वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 04.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 60 कामगारों को 6,48,000/– रुपये का लाभ मिला।

268. मेसर्स आईओसीएल इरुम्पनम के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स दीनू इलेक्ट्रिकल्स और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 15.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष वेज रिवीजन के मुद्दे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 05 कामगारों को 2,70,000/– रुपये का लाभ मिला।

269. मेसर्स आईओसीएल, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, चेलारी के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन, केरल प्रदेश पेट्रोलियम एंड गैस मजदूर संघ (एमएस), आईओसी जनरल लेबर कांग्रेस एण्ड स्वतंत्र थोझिलाई यूनियन के बीच दिनांक 16.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 31 कामगारों को 16,74,000/– रुपये का लाभ मिला।

270. वेदांता लिमिटेड केयर ऑयल गैस और रावा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 17.07. 2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 245 कामगारों को 4,55,06,101/– रुपये का लाभ मिला।

271. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और एआईटीयूसी रेकॉगनाइज्ड यूनियन के बीच दिनांक 24.07.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 43 कामगारों को नौकरी पर बहाल किया गया।

272. पंजाब नेशनल बैंक, ज़ोनल ऑफिस, हैदराबाद और पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, तेलंगाना के बीच दिनांक 08.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 619 कामगारों को लाभ मिला।

273. पंजाब नेशनल बैंक, ज़ोनल ऑफिस, हैदराबाद और पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, आंध्र प्रदेश के बीच दिनांक 08.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 559 कामगारों को लाभ मिला।

274. बीवीएल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशम और एम यलमंदा राव के बीच दिनांक 22.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार 75,000/– रुपये का लाभ मिला।

275. एनटीपीसी एवं कॉन्ट्रैक्टर्स के ड्राइवरों और एनटीपीसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के बीच दिनांक 11.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), मंचेरियल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 82 कामगारों को प्रति माह 2,95,200/– रुपये का लाभ मिला।

276. श्रीमती मंजुला पी और पीपल ट्री ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 29.07.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), बैंगलोर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार नौकरी पर बहाल किया गया।

277. श्री आर प्रकाश और आईआईआईटी धारवाड़ के बीच दिनांक 09.07.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), हुबली के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 45,800/– रुपये का लाभ मिला।

278. फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन और इंडियन बैंक के बीच दिनांक 22.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 604 कामगारों को 1,77,992/– रुपये का लाभ मिला।

279. श्री राजेंद्र सिंह और मेसर्स धर्मपुरम प्रताप सुरक्षा एजेंसी और एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा के बीच दिनांक 26.08.2025 को बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जबलपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

280. सुनील द्विवेदी और एसएस इलेक्ट्रिकल्स के बीच दिनांक 26.08.2025 को बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

281. मेसर्स ग्लोबल फोर्स मैनिज्मन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एलआईसी के कॉन्ट्रैक्टर) और एलआईसी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 13.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को लाभ मिला।

282. मेसर्स यूके एसोसिएट्स, मेसर्स मोतीउर रहमान, मेसर्स ब्लू लैडर, मेसर्स जेंटल कंस्ट्रक्शन, मेसर्स जेके एंटरप्राइजेज, मेसर्स नसीरुद्दीन कंस्ट्रक्शन, मेसर्स रेकाब एसके सीमेंट, मेसर्स फरक्का अंबुजा सीमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स श्रमिक आईएनटीयूसी एवं अंबुजा सीमेंट्स श्रमिक यूनियन तथा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन फरक्का के बीच दिनांक 28.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को प्रति माह 6,00,000/– रुपये का

लाभ मिला।

283. पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 04.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–I, कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को लाभ मिला।

284. मेसर्स एमईआईएल, आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी और अभिषेक नायक एवं अन्य 7 के बीच दिनांक 13.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को 2,12,083/– रुपये का लाभ मिला।

285. मेसर्स स्नाइव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और जीएस पीआईडब्ल्यूयू, पारादीप के बीच दिनांक 13.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 13 कामगारों को 5,84,844/– रुपये का लाभ मिला।

286. मेसर्स निगम मल्टी प्रोजेक्ट, आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी और श्री दिलीप कुमार सामंत्रे और अन्य के बीच दिनांक 29.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को 1,35,000/– रुपये का लाभ मिला।

287. मेसर्स सोपान ओ एंड एम प्राइवेट लिमिटेड, आईओसीएल, पारादीप रिफाइनरी और श्री लोकनाथ स्वैन, ग्राइंडर के बीच दिनांक 13.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 22,285/– रुपये का लाभ मिला।

288. मेसर्स सोपान ओ एंड एम प्राइवेट लिमिटेड, आईओसीएल, पारादीप रिफाइनरी और श्री बुटू बेहरा और अन्य 7 लोगों के बीच दिनांक 05.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को 1,75,200/– रुपये का लाभ मिला।

289. आरएसपी, एसएआईएल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स जेएस इंस्ट्रूमेंट सर्विस, और जीएस, राउरकेला श्रमिक संघ, राउरकेला के बीच दिनांक 21.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को बहाल किया गया।

290. आरएसपी, एसएआईएल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स सुशांत कुमार गौड़ा और जीएस, गंगपुर मज़दूर मंच, राउरकेला के बीच दिनांक 29.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगारों को 50,000/– रुपये का लाभ मिला।

291. मेसर्स टीडी कंस्ट्रक्शन, आरएसपी, एसएआईएल, राउरकेला और जीएस, गंगपुर मज़दूर मंच, राउरकेला के बीच दिनांक 29.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगारों को 50,000/– रुपये का लाभ मिला।

292. मेसर्स एन्केबी इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरएसपी, एसएआईएल, राउरकेला और जीएस, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल श्रमिक सभा, राउरकेला के बीच दिनांक 28.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 30 कामगारों को 7,51,000/– रुपये का लाभ मिला।

293. पंजाब नेशनल बैंक, ज़ोनल ऑफिस, बीबीएसआर और ऑल ओडिशा पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉई यूनियन के अध्यक्ष के बीच दिनांक 29.08.2025 को मांगों के चार्टर पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 12 कामगारों को लाभ मिला।

294. आरके बेहेरा कॉन्ट्रैक्टर और वी केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 20.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कामगारों को 1,59,225/– रुपये का लाभ मिला।

295. प्रधान कैटरिंग और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 20.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कामगारों को 1,62,090/– रुपये का लाभ मिला।

296. श्री साई सिक्योरिटी और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 26.08.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 11 कामगारों को 11,000/– रुपये का लाभ मिला।

297. मेसर्स आरएसएएसआईपीएल जेवी और पिंटू सामल के बीच दिनांक 22.08.2025 को सेवा बर्खास्तगी के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), अंगुल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

298. मेसर्स आरकेटीसीबीएलएआरएलएजेवी और बहुदा बेहरा के बीच दिनांक 22.08.2025 को सेवा बर्खास्तगी के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), अंगुल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

299. श्री बर्दिया उत्तम उशांतभाई और मेसर्स जय भारत एसोसिएट्स, इलाहाबाद और सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, राजकोट के बीच दिनांक 29.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), राजकोट के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को 2,84,211/– रुपये का लाभ मिला।

300. मेसर्स भारती ट्रैवल्स, अहमदाबाद के विरुद्ध अखिल भारतीय मजदूर संघ अहमदाबाद और डिप्टी चीफ इंजीनियर सी ण्प् वेस्टर्न रेलवे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच दिनांक 11.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को 2,07,740/– रुपये का लाभ मिला।

301. अंकिता सिंह और मेसर्स फर्स्ट मेरिडियन ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड/भारती एयरटेल लिमिटेड के बीच दिनांक 14.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

302. सारदाबेन एवं अन्य 11 कामगारों और इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्लाज़्मा रिसर्च गांधीनगर के बीच दिनांक 25.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 12 कामगारों को 1,44,000/– रुपये का लाभ मिला।

303. अखिल भारतीय मजदूर संघ अहमदाबाद और सीनियर डिविजनल इंजीनियर वेस्टर्न रेलवे के बीच दिनांक 20.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अहमदाबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 04 कामगारों को लाभ मिला।

304. महाराष्ट्र समर्थ कामगार संगठन और मेसर्स मॉडर्न वीर रेज सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 06.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पुणे के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप में 103 कामगारों को 24,30,000/– रुपये का लाभ मिला।

305. महाराष्ट्र मोबाइल तंत्रिक कामगार संगठन और 1) मेसर्स प्रताप टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड 2) मेसर्स एरियल टेलीकॉम पी. लिमिटेड 3) मेसर्स इंडस टावर लिमिटेड के बीच दिनांक 14.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पुणे के समक्ष समझौता ज्ञापन पर

हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 143 कामगारों को 29,17,200/– रुपये का लाभ मिला।

306. आर.पी.आई. और 1) मेसर्स आर.के. पेस्ट कंट्रोल 2) एसबीआई लर्निंग सेंटर, औरंगाबाद के बीच दिनांक 20.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पुणे के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को 62,000/– रुपये का लाभ मिला।

307. पीएनबीएसयू के महासचिव और पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू के बीच दिनांक 08.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के सामने हाजिरी के मामले पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 321 कामगारों को लाभ मिला।

308. शीतल सिंह और एनएचएआई रामबन एवं मेसर्स टाटा सीएआई जेवी, मेसर्स निर्माण विरधी कंस्ट्रक्शन एलएलपी के बीच दिनांक 19.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 19,000/– रुपये का लाभ मिला।

309. कुलदीप राज और मेसर्स टीमलीज सर्विस लिमिटेड, भारती एयरटेल, जम्मू के बीच दिनांक 21.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जम्मू के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 27,160/– रुपये का लाभ मिला।

310. सीडब्ल्यूसी गोडाउन वर्कर्स यूनियन और मेसर्स उपेंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी (सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) के कॉन्ट्रैक्टर) के बीच दिनांक 19.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), मैंगलोर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 17 कामगारों को 11,79,120/– रुपये का लाभ मिला।

311. श्री खेम सिंह, श्री जितेंद्र सिंह, श्री सुरेश सिंह, श्री लखन सिंह, श्री राजेंद्र कुमार और मेसर्स आधार सिक्योरिटी सर्विस के बीच दिनांक 05.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 05 कामगारों को 40,000/– रुपये का लाभ मिला।

312. मंत्री राष्ट्रीय मजदूर संघ रामगंजमंडी और मेसर्स एएसआई कंपनी राजागंजमंडी के बीच दिनांक 25.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

313. राजस्थान माइंस वर्कर्स यूनियन के महासचिव और मेसर्स एएसआई कंपनी के बीच दिनांक 26.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 02 कामगारों को लाभ मिला।

314. सुरेश कुमार जिंगर और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स के बीच दिनांक 05.08.2025 को बहाली के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को बहाल किया गया।

315. सूर्य प्रकाश सोनी और बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी के बीच दिनांक 20.08.2025 को भार–मुक्त पत्र के संबंध में सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 58,553/– रुपये का लाभ मिला।

316. राजेश कुमार योगी और माइक्रो केयर फाउंडेशन के बीच दिनांक 29.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष भार–मुक्त पत्र के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 14,200/– रुपये का लाभ मिला।

317. एसआईएस लिमिटेड और घनश्याम प्रजापत के बीच दिनांक 27.08.2025 को नौकरी में बहाली के

मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जयपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को बहाल किया गया।

318. सीमेंट और खदान एम्प्लॉइज यूनियन और अनन्या एंटरप्राइजेज एवं नु विस्टा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 01.08.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 139 कामगारों को 1,80,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

319. ठिकेदार मजदूर यूनियन और मेसर्स राधा एसईएल–टीईआरएस के बीच दिनांक 21.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 05 कामगारों को 1,25,000/– रुपये का लाभ मिला।

320. नेशनल मजदूर यूनियन और बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र के बीच दिनांक 27.08.2025 को भविष्य निधि दावे के संबंध में क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

321. राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन और बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के बीच दिनांक 29.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 62,695/– रुपये का लाभ मिला।

322. मेसर्स आईओसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, उदयमपेरूर के कॉन्ट्रैक्टर श्री सुमेश डेस एम., मेसर्स क्वार्टेट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 07.08.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 07 कामगारों को 9,24,000/– रुपये का लाभ मिला।

323. मेसर्स आईओसीएल, फेरोक इंस्टॉलेशन, कोझिकोड के कॉन्ट्रैक्टर श्री अनूप मोहन, मेसर्स नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 07.08.2025 को वेतन संशोधन और दूसरे लाभों के लिए मांगों के चार्टर पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 04 कामगारों को 5,28,000/– रुपये का लाभ मिला।

324. मेसर्स रिलायंस जियो के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स जीनियस कंसल्टेंट्स लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 22.08.2025 को दीर्घावधि समझौते के नवीकरण के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 44 कामगारों को 81,84,000/– रुपये का लाभ मिला।

325. मेसर्स इंटेलक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल संस्थान मोबाइल फोन टावर एम्प्लॉइज यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 20.08.2025 को वर्ष 2024–25 के बोनस के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को 90,000/– रुपये का लाभ मिला।

326. मेसर्स इंटेलक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल संस्थान मोबाइल फोन टावर एम्प्लॉइज यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 20.08.2025 को वर्ष 2024–25 के बोनस के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के

परिणामस्वरूप 10 कामगारों को 90,000/– रुपये का लाभ मिला।

327. मेसर्स थॉमस कॉन्स्ट. प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एमजे टेली सर्विसेज़ एवं मेसर्स बीटा सॉल्यूशंस के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता केरल संस्थान मोबाइल फ़ोन टावर एम्प्लॉइज यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 20.08.2025 को वर्ष 2024–25 के बोनस के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें हर कामगार को वर्ष 2024–25 के बोनस के तौर पर 14,800/– रुपये का वित्तीय लाभ शामिल था।

328. मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स प्लैनेट पीसीआई इंफोटेक लिमिटेड के प्रबंधन और उनके कामगारों के प्रतिनिधित्वकर्ता भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मज़दूर संघ (बीएमएस) के बीच दिनांक 22.08.2025 को वर्ष 2024–25 के बोनस के मुद्दे पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें हर पेट्रोलर कामगार को 15,000/– रुपये और हर केयरटेकर और लेबर को 14,800/– रुपये का वित्तीय लाभ शामिल था और कुल मिलाकर 52 कामगारों को वर्ष 2024–25 के बोनस के तौर पर बोनस मिला।

329. मेसर्स बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स एचआरजे रेफ्रिजरेशन और भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम मजदूर संघ (बीएमएस) के बीच दिनांक 02.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 28 कामगारों को 1,96,000/– रुपये का लाभ मिला।

330. मेसर्स एचपीसीएल के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स अर्शा ट्रांसपोर्ट्स और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 24.9.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को 25,20,000/– रुपये का लाभ मिला।

331. डालमिया सीमेंट नेशनल वर्कर्स यूनियन और डालमिया सीमेंट, तिरुचि के बीच दिनांक 09.09.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 424 कामगारों को 1,83,48,800/– रुपये का लाभ मिला।

332. मेसर्स एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड और बीआरबीसीएल मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 02.09.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 175 कामगारों को 65,24,736/– रुपये का लाभ मिला।

333. बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के बीच दिनांक 24.09.2025 को मांगों के चार्टर पर उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

334. यूनियन बैंक और बिहार स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बीच मांगों के चार्टर पर दिनांक 10.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

335. पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, बिहार के बीच दिनांक 08.09.2025 को मांगों के चार्टर पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

336. बिहार जनता खान मजदूर संघ और मेसर्स ईसीएल की एसपी माइंस के बीच दिनांक 09.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–I, धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 47 कामगारों को 1,69,87,884/– रुपये का लाभ मिला।

337. एमडी अयूब और एचसीएल/आईसीसी घाटशिला के बीच दिनांक 08.09.2025 को बहाली के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), चाईबासा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

338. एनएफई यूनियन और मेसर्स एनएफएल के बीच दिनांक 09.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 232 कामगारों को प्रतिवर्ष 7,93,440/– रुपये का लाभ मिला।

339. श्री अर्जुन लोधा और मेसर्स गेल इंडिया लिमिटेड, गुना के बीच दिनांक 25.09.2025 को बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

340. यूवीकेयू सिंगरौली के अध्यक्ष और मेसर्स क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 25.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), शहडोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 20,000/– रुपये का लाभ मिला।

341. यूनियन बैंक ऑफ़ एम्प्लॉइज यूनियन और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच दिनांक 15.09.2025 को गैर–कानूनी ट्रांसफर के मामले में क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

342. मो. सलीम और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

343. दिनेश और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

344. ब्रह्मा सिंह और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

345. प्रमोद तोमर और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

346. रविंदर कुमार और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

347. हरेंद्र सिंह और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

348. तुरशपाल सिंह चौहान और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

349. सत्यवीर सिंह और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

350. अनिल कुमार और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

351. देवेंद्र कुमार और मेसर्स मुकुल राणा सिक्युरिटी एजेंसी एण्ड पीजीसीआईएल, मेरठ के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

352. दुर्गेश कुमार और मेसर्स सीआईएसबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं डीएमआरसी के बीच दिनांक 16.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

353. दुर्गेश कुमार और मेसर्स सीआईएसबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं डीएमआरसी के बीच दिनांक 18.09.2025 को नौकरी में बहाली के मामले पर क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

354. मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, आरवीएनएल पैकेज–5, उत्तराखंड और संविदा श्रमिक संघ, उत्तराखंड के बीच दिनांक 08.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 24 कामगारों को 36,47,873/– रुपये का लाभ मिला।

355. रिज़र्व बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और आरबीआई देहरादून के बीच दिनांक 12.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

356. अनिल कुमार और मेसर्स सीआईएसबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं एसबीआई पंडितवाड़ी , देहरादून के बीच दिनांक 18.09.2025 को बहाली के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

357. मेसर्स एयर इंडिया और उनके कामगारों के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–I, कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 5 कामगारों को 7,17,600/– रुपये का लाभ मिला।

358. मेसर्स रैमको सीमेंट्स लिमिटेड एवं उनके 7 कॉन्ट्रैक्टरों और संविदा कामगारों के बीच दिनांक 15.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, कोलकाता के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 402 कामगारों को 1,47,13,200/– रुपये का लाभ मिला।

359. मेसर्स सतर्क सिक्योरिटी सर्विसेज़ और उनके कामगारों के बीच दिनांक 17.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पोर्ट ब्लेयर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को 11,60,000/– रुपये का लाभ मिला।

360. मेसर्स सतर्क सिक्योरिटी सर्विसेज़ और उनके कामगारों के बीच दिनांक 26.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पोर्ट ब्लेयर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 3,18,000/– रुपये

का लाभ मिला।

361. सीमेंट एण्ड खदान श्रमिक यूनियन, एआईटीयूसी के बीच दिनांक 04.09.2025 को मजदूरी समझौते पर रायपुर क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 476 कामगारों को 3,00,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

362. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडेम और कर्मचारियों के प्रतिनिधित्वकर्ता सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (एआईटीयूसी–मान्यता प्राप्त यूनियन) के कर्मचारी प्रतिनिधि के बीच दिनांक 25.09.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को लाभ मिला।

363. मेसर्स केसी प्रधान और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 19.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को 4,56,784/– रुपये का लाभ मिला।

364. मेसर्स डीईसीओ और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 16.09.2025 को उच्चतर बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

365. मेसर्स केसीसीएल और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 16.09.2025 को उच्चतर बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

366. मेसर्स जेएसडब्ल्यू, जाजंग के कॉन्ट्रैक्टर मकसूद आलम के बीच दिनांक 10.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 40 कामगारों को 6,27,285/– रुपये का लाभ मिला।

367. मेसर्स एसआईएस और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 19.09.2025 को उच्चतर बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

368. मेसर्स केसीसीएल और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 16.09.2025 उच्चतर बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

369. एसजीएस और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 09.09.2025 को उच्चतर बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

370. श्री मेटालिक्स और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 19.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगारों को 11,09,587/– रुपये का लाभ मिला।

371. मेसर्स केएलटी और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 10.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 89 कामगारों को 21,37,133/– रुपये का लाभ मिला।

372. मेसर्स क्विक स्टाफ कंसल्टेंसी और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 19.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 27 कामगारों को 6,04,070/– रुपये का लाभ मिला।

373. मेसर्स एमएलएस इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 19.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को लाभ मिला।

374. मेसर्स ओएमसी के मेसर्स क्वेस कॉरपोरेशन और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 09.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

375. मेसर्स ओएमडीसी और ओएमडीसी के अलग–अलग कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम पर रखे गए 237 संविदा कामगारों के बीच दिनांक 26.09.2025

को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 237 कामगारों को 1.3 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

376. मेसर्स जेएसडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स मा सरला और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 10.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 79 कामगारों को 8,58,690/– रुपये का लाभ मिला।

377. मेसर्स एसके मिनरल्स हैंडलिंग (पी) लिमिटेड और बारबिल रेल लोडिंग वर्कर्स यूनियन (बीआरएलडब्ल्यूयू) के बीच दिनांक 30.09.2025 को बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

378. मेसर्स बीजू कल्याण लोडिंग कॉन्ट्रैक्टर और बारबिल रेल लोडिंग वर्कर्स यूनियन (बीआरएलडब्ल्यूयू) के बीच दिनांक 30.09.2025 को बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

379. मेसर्स एसएस लोडिंग एजेंसी और बारबिल रेल लोडिंग वर्कर्स यूनियन (बीआरएलडब्ल्यूयू) के बीच दिनांक 30.09.2025 को बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

380. मेसर्स सिद्धि विनायक लोडिंग कॉन्ट्रैक्टर और बारबिल रेल लोडिंग वर्कर्स यूनियन (बीआरएलडब्ल्यूयू) के बीच दिनांक 30.09.2025 को बोनस के मामले को लेकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

381. मेसर्स प्राइमा मिनरल्स और बारबिल रेल लोडिंग वर्कर्स यूनियन (बीआरएलडब्ल्यूयू) के बीच दिनांक 30.09.2025 को बोनस के मामले पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

382. वेस्ट एल आयरन एंड स्टील सी. प्राइवेट लिमिटेड, एनएचएआई के दार्जिलिंग टोल प्लाजा और जीएस, सुंदरगढ़ माइंस ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, कोइरा, सुंदरगढ़ के बीच दिनांक 02.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

383. मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनएचएआई के झामुडी टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर और जीएस, सुंदरगढ़ माइंस ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, कोइरा के बीच दिनांक 02.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

384. श्री एसएन मोहंती के केजेएसटी आयरन एमएन. बॉक्साइट माइंस और ओडिशा जॉइंट मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, पोस्ट ऑफिस– बरसुआन, सुंदरगढ़ के संयुक्त सचिव के बीच दिनांक 12.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 213 कामगारों को 67,37,489/– रुपये का लाभ मिला।

385. श्री प्रबोध मोहंती के नुआगांव आयरन एंड एमएन. माइंस और संयुक्त सचिव, उड़ीसा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, पोस्ट ऑफिस– बरसुआन, सुंदरगढ़ के बीच दिनांक 12.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को 4,42,929/– रुपये का लाभ मिला।

386. मेसर्स नारायणी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और उड़ीसा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

387. मेसर्स बिस्वानथ दास, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स

यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

388. मेसर्स ज्योति रंजन पात्रा, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

389. मेसर्स दीपांकर चक्रवर्ती, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

390. मेसर्स सुकुमार पति और सचिव, उड़ीसा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

391. मेसर्स बालाजी माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

392. मेसर्स बालाजी माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 17 कामगारों को लाभ मिला, प्रबंधन ने बोनस के रूप में 4,55,647/– रुपये और अनुग्रह राशि के रूप में 22,100/– रुपये का भुगतान किया।

393. मेसर्स नारायणी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 162 कामगारों को 68,46,269/– रुपये का लाभ मिला।

394. मेसर्स सुकुमार पति, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को 7,13,330/– रुपये का लाभ मिला।

395. मेसर्स बालाजी माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 13 कामगारों को 5,55,863/– रुपये का लाभ मिला।

396. मेसर्स दीपांकर चक्रवर्ती, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगारों को 2,01,699/– रुपये का लाभ मिला।

397. मेसर्स ताज कंस्ट्रक्शन और मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 56 कामगारों को 14,74,030/– रुपये का लाभ मिला।

398. मेसर्स ज्योति रंजन पात्रा, मेसर्स पेंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के रायकेला एण्ड तंत्र आयरन माइंस के कॉन्ट्रैक्टर और ओडिशा मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, बरसुआन, जिला सुंदरगढ़ के सचिव के बीच दिनांक 15.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 5 कामगारों को 1,68,100/–रुपये का लाभ मिला।

399. मेसर्स समल बिल्डर्स, एनएसपीसीएल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर और महासचिव, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल श्रमिक सभा, राउरकेला के बीच दिनांक 19.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 24 कामगारों को 1,92,958/– रुपये का लाभ मिला।

400. मेसर्स आरवीपीआर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएसपीसीएल, राउरकेला के कॉन्ट्रैक्टर और महासचिव, गंगपुर मज़दूर मंच, राउरकेला के बीच दिनांक 25.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 7 कामगारों को 3,67,741/– रुपये का लाभ मिला।

401. मेसर्स मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मेसर्स ओएमसी लिमिटेड के कुरमिटार आयरन ओर माइंस के सब–कॉन्ट्रैक्टर और महासचिव, नॉर्थ ऑडिशा वर्कर्स यूनियन, ओरमपारा, जिला सुंदरगढ़, राउरकेला के बीच दिनांक 26.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

402. मेसर्स एनएडी एंटरप्राइजेज, राउरकेला स्टील प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर, सेल, राउरकेला और महासचिव, राउरकेला इस्पात मजदूर संघ राउरकेला के बीच दिनांक 16.09.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

403. गुलेश्वर कुमार, मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और श्री सुशांत नायक के बीच दिनांक 15.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगारों को 50,648/– रुपये बोनस और 20 दिन की मजदूरी के तौर पर 45,600/– रुपये का लाभ मिला।

404. मेसर्स सोपान ओ एंड एम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और श्री सागर दास और अन्य 8 के बीच दिनांक 18.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 9 कामगारों को 2,12,199/– रुपये का लाभ मिला।

405. मेसर्स सोपान ओ एंड एम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और श्री सुशील कुमार मल्लिक के बीच दिनांक 24.09.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 32,278/– रुपये का लाभ मिला।

406. एमजीएम मिनरल्स के पाटाबेड़ा आयरन माइंस और क्योंझर माइंस एण्ड फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 24.09.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 160 कामगारों को 1,18,76,046/– रुपये का लाभ मिला।

407. एमजी मोहंती के पाटाबेड़ा आयरन माइंस और क्योंझर माइंस एण्ड फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 24.09.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), भुवनेश्वर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 135

कामगारों को 1,07,20,665/– रुपये का लाभ मिला।

408. मेसर्स ईसीएल के भनोरा वेस्ट ब्लॉक कोलियर के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 10.09.2025 को श्री विवेकानंद दत्ता की नियमितीकरण के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

409. मेसर्स ईसीएल के भनोरा वेस्ट ब्लॉक कोलियर के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 10.09.2025 को श्री बिप्लब रॉय के नियमितीकरण के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

410. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम–श्रीपुर क्षेत्र के अंतर्गत सतग्राम प्रोजेक्ट के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 11.09.2025 को श्री शंकर हलदरार की पदोन्नति के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

411. मिठानी कोलियरी के प्रबंधन और कोयला मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 11.09.2025 को श्रीमती मीना कुमारी के नियमितीकरण के मामले पर सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

412. मेसर्स ईसीएल के सोदपुर क्षेत्र के अंतर्गत परबेलिया ग्रुप ऑफ़ माइंस के प्रबंधन और कोयला मज़दूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 40,730/– रुपये का लाभ मिला।

413. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के धेमोमेन ग्रुप के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 श्रमिक को 30,000/– रुपये का लाभ मिला।

414. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के पैराबेलिया ग्रुप ऑफ माइन्स के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार (श्री दिलीप बौरी) को 2,61,383 रुपये का लाभ और 12,000/– रुपये का बोनस मिला।

415. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के पैराबेलिया ग्रुप ऑफ माइन्स के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार (श्रीमती कुनीत भुइया) को 1,25,000/– रुपये का लाभ मिला।

416. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के पैराबेलिया ग्रुप ऑफ माइन्स के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार (श्रीमती निर्मला घोषाल) को 3,72,714/– रुपये का लाभ मिला।

417. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के पैराबेलिया ग्रुप ऑफ माइन्स के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार (श्री दिनु रबिदास) को 69,471/– रुपये का लाभ मिला।

418. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के पैराबेलिया ग्रुप ऑफ माइन्स के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त

(कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार (श्री राजेंद्र गोपे) को 5,98,152/— रुपये का लाभ मिला।

419. मेसर्स ईसीएल के सोदेपुर क्षेत्र के पैराबेलिया ग्रुप ऑफ माइन्स के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार (श्री बोध नारायण सिंह) को 2,97,195/— रुपये का लाभ मिला।

420. श्री हदीस को नियमित करने के मामले पर मेसर्स ईसीएल की निंघा कोलियरी के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 24.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 श्रमिक को लाभ मिला।

421. आफताब आलम को नियमित करने के मामले में मेसर्स ईसीएल की निंघा कोलियरी के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 24.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 श्रमिक को लाभ मिला।

422. श्री अशोक टुडू को नियमित करने के मामले में मेसर्स ईसीएल की निंघा कोलियरी के प्रबंधन और कोयला मजदूर सभा के बीच दिनांक 24.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 श्रमिक को लाभ मिला।

423. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारी संघ और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के बीच दिनांक 03.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 28 श्रमिकों को लाभ मिला।

424. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के अंतर्गत पन्ना मंडल और जे एस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 6,701/— रुपये का लाभ मिला।

425. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के राजेश बौरी और जे एस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 5,137 रुपये का लाभ मिला।

426. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के गंगाधर बौरी और जे एस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 5,137 रुपये का लाभ मिला।

427. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के ग्राहणचंद बौरी और जे एस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 6,441 रुपये का लाभ मिला।

428. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के कौशिक मंडल और जे एस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 6,367 रुपये का लाभ मिला।

429. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स के अधीन बिपुल गोराई बनाम जे एस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 5,137 रुपये का लाभ मिला।

430. पी. जी. सी. आई. एल. के पिंटू सरकार और अंजन कुमार दत्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच पुनर्नियुक्ति के मामले में दिनांक 25.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

431. डब्ल्यूसीआरईयू कोटा के महासचिव और डीआरएम कोटा के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

432. श्री सुद्रेसहन सिंह और मेसर्स स्टर्लिंग विल्सन प्रा के बीच दिनांक 19.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 25,000 रुपये का लाभ मिला।

433. हितेह कुमार और मेसर्स आत्मान इन्फ्रा के बीच दिनांक 02.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष पुनर्नियुक्ति के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

434. मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर संघ और बनास मिनरल्स के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 129 कामगारों को लाभ मिला।

435. मंत्री और बनास स्टोन के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 170 कामगारों को लाभ मिला।

436. मंत्री और कृष्ण अर्थमूवर स्टोन के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 45 कामगारों को लाभ मिला।

437. मंत्री और श्री सैफ खान, खान मालिक के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 33 कामगारों को लाभ मिला।

438. मंत्री और श्री उमाशंकर, खान मालिक के बीच दिनांक 12.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को लाभ मिला।

439. 439 मंत्री और श्रीमती आंचल कौर, खान मालिक के बीच दिनांक 12.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 22 कामगारों को लाभ मिला।

440. मंत्री और श्री सर्वजीत सिंह, खान मालिक, के बीच दिनांक 12.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 48 कामगारों को लाभ मिला।

441. मंत्री और मेसर्स पीसी बांगुर एवं मिनरल्स, के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 47 कामगारों को लाभ मिला।

442. मंत्री और सुजुकी स्टोन के बीच दिनांक 04.09. 2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 35 कामगारों को लाभ मिला।

443. मंत्री और श्री गुजीत सिंह, खान मालिक के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 32 कामगारों को लाभ मिला।

444. मंत्री और गुडविल स्टोन के बीच दिनांक 04.09. 2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस

समझौते के परिणामस्वरूप 53 कामगारों को लाभ मिला।

445. मंत्री और सनराइज स्टोन, के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 48 कामगारों को लाभ मिला।

446. मंत्री और श्रीनाथ एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 32 कामगारों को लाभ मिला।

447. मंत्री और अब्दुल सत्तार अब्दुल अलीम माइन के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 45 कामगारों को लाभ मिला।

448. मंत्री और शिवा स्टोन के बीच दिनांक 04.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 51 कामगारों को लाभ मिला।

449. मंत्री और जुगल किशोर खदान मालिक के बीच दिनांक 15.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 19 कामगारों को लाभ मिला।

450. मंत्री और मेसर्स चौहान मिनरल्स के बीच दिनांक 15.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 28 कामगारों को लाभ मिला।

451. राष्ट्रीय मजदूर संघ और हज़ारे स्टोन के बीच दिनांक 25.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 55 कामगारों को लाभ मिला।

452. राष्ट्रीय मजदूर संघ और अकील अहमद के बीच दिनांक 25.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कामगारों को लाभ मिला।

453. राष्ट्रीय मजदूर संघ और राज स्टोन के बीच दिनांक 25.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को लाभ मिला।

454. राष्ट्रीय मजदूर संघ और एएसआई स्टोन के बीच दिनांक 26.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1846 कामगारों को लाभ मिला।

455. भंगवान और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

456. कालूराम और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

457. सुमेर सिंह और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

458. अजय प्रताप और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

459. रेखा गिरि और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

460. सुनील और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

461. ओगर राम और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

462. प्रकाश सिंह और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

463. गोगाराम राम और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

464. पुष्पा कंवर और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

465. गिरधारी दास और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

466. ओमप्रकाश और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

467. उमेद सिंह और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

468. भारू सिंह और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

469. सुमेर सिंह और एसआईएस लिमिटेड लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

470. नरसी गूजर और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

471. रामप्रसाद और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

472. महिराम और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

473. हरदीन राम और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1

कामगार को लाभ मिला।

474. पवन कुमार और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

475. नीतू सिंह और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

476. नारायण सिंह और एसआईएस लिमिटेड के बीच दिनांक 11.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), जोधपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

477. ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर यूनियन और डीपीओ, डीईएन (कॉर्ड) भारतीय रेलवे के बीच दिनांक 10.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2700 कामगारों को 4,86,000 रुपये का लाभ मिला।

478. लालू राम डांगी और रोलजैक कंस्ट्रक्शन के बीच दिनांक 18.09.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,55,000 रुपये का लाभ मिला।

479. अशोक बैरवा और ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच दिनांक 11.09.2025 को कार्यमुक्ति पत्र के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 92,598 रुपये का लाभ मिला।

480. मेसर्स एचपीसीएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स साई इंडिया रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 16.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 03 कामगारों को 1,41,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

481. मेसर्स एचपीसीएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स चोझा इंडस्ट्रियल केटरर्स और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 16.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 05 कामगारों को 60,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

482. मेसर्स फैरन फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग मेसर्स बीपीसीएल के कान्ट्रैक्टर और ए एंड सीआरजीडब्ल्यूआर यूनियन (आईएनटीयूसी) के बीच दिनांक 17.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 14 कामगारों को 36,96,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

483. मेसर्स एनपीओएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स एएम सपोर्ट सर्विसर और एनपीओएलएमसीडब्ल्यूयू (बीएमएस) के बीच दिनांक 24.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 19 कामगारों को लाभ मिला।

484. मेसर्स एनपीओएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स ए एम सपोर्ट सर्विसर और एनपीओएलएमसीडब्ल्यूयू (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 24.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कामगारों को लाभ मिला।

485. मेसर्स एचपीसीएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स ओमकार मैनपावर कंसल्टेंसी और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 31.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

486. मेसर्स शिवा सीमेंट लिमिटेड के खटकुर्बहाल लाइम और डोलोमाइट खानों के कान्ट्रैक्टर मेसर्स रॉयल मूवर्स और महासचिव, सुंदरगढ़ खान परिवहन कामगार यूनियन, केकोइरा, सुंदरगढ़ के

बीच दिनांक 22.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त(कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

487. मेसर्स शिवा सीमेंट लिमिटेड के खटकुर्बहाल लाइम और डोलोमाइट खानों के कान्ट्रैक्टर मेसर्स केबीएल मिनल्स एंड ट्रांसपोर्ट एलएलपी और महासचिव, सुंदरगढ़ खान परिवहन कामगार यूनियन, कोइरा, सुंदरगढ़, के बीच दिनांक 22.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त(कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

488. मेसर्स शिवा सीमेंट लिमिटेड के खटकुर्बहाल लाइम और डोलोमाइट खानों के कान्ट्रैक्टर मेसर्स नाशनल इंटरप्रैइसेस और महासचिव, सुंदरगढ़ खान परिवहन श्रमिक संघ, कोइरा, सुंदरगढ़, के बीच दिनांक 22.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त(कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

489. मेसर्स शिवा सीमेंट लिमिटेड के खटकुर्बहाल लाइम और डोलोमाइट खानों के कान्ट्रैक्टर मेसर्स पीकेएस टेकोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और महासचिव, सुंदरगढ़ खान परिवहन श्रमिक संघ, कोइरा, सुंदरगढ़ के बीच दिनांक 22.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त(कें.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

490. मेसर्स कलिंगा इंजीनियर्स और नालको थिका मजदूर संघ के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त(कें.), अंगुल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

491. मेसर्स बीएमएस और केसीसीएल, ओएमसी के बीच दिनांक 16.10.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 7 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

492. जी4एस और केएमडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 08.10.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष बोनस और बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 15,021 रुपये का लाभ मिला।

493. ओएमसी के कान्ट्रैक्टर मैसर्स जी4एस और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 08.10.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष अंतिम बकाया राशि एवं बोनस के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को 1,54,700 रुपये का लाभ मिला।

494. सेराजुद्दीन एंड कंपनी और केएमएफडब्ल्यूयू बीच दिनांक 08.10.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष बोनस के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 147 कामगारों को 56,34,265 रुपये का लाभ मिला।

495. मेसर्स मा बसुलाई कंस्ट्रक्शन और पारादीप इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 10.10.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) के समक्ष मांगों के चार्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को लाभ मिला।

496. गैंग विलय के नीतिगत मुद्दे पर महासचिव, एफसीआई मजदूर विकास यूनियन और मंडल प्रबंधक, एफसीआई, प्रयागराज के बीच दिनांक, 29.10.2025 को कानपुर क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

497. मेलूर वट्टा पोथु तोझिललर संगम (सीआईटीयू) और एनएचएआई, त्रिची के कान्ट्रैक्टर मेसर्स कोरल एसोसिएट्स, चित्तमपट्टी टोल प्लाजा के बीच दिनांक 15.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) मदुरै के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 54 कामगारों को 9,65,002 रुपये का लाभ मिला।

498. पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन और पंजाब नेशनल बैंक के बीच दिनांक 14.10.2025 को

सहायक श्रमायुक्त (कें.)–II, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2000 कामगारों को लाभ मिला।

499. श्री भवानी प्रसाद और मेसर्स एएसपीएस के बीच दिनांक 17.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

500. प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ और एसीसी जैमुअल सीमेंट वर्क्स के बीच दिनांक 29.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रायपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 415 कामगारों को 7,92,00,000 रुपये का लाभ मिला।

501. श्री सुनील कुमार त्रिपाठी, पुणे और 1) निदेशक मेसर्स क्वेस कॉर्प लिमिटेड, पुणे 2) प्रबंध निदेशक, मेसर्स वोडाफोन सर्विसेज प्रा लिमिटेड, पुणे के बीच दिनांक 10.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पुणे के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 75,000 रुपये का लाभ मिला।

502. श्री सुरेश शिंदे, पुणे और 1) निदेशक मेसर्स क्वेस कॉर्प लिमिटेड, पुणे के बीच दिनांक 06.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), पुणे के समक्ष सेवा लाभ के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 श्रमिक को लाभ मिला।

503. एनएपीएस कर्मचारी संघ और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बीच दिनांक 06.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष रोजगार की निबंधन एवं शर्तों के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 509 कामगारों को लाभ मिला।

504. नरौरा परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र कर्मचारी यूनियन और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बीच दिनांक 06.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष रोजगार की निबंधन एवं शर्तों के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 509 कामगारों को लाभ मिला।

505. नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना कर्मचारी यूनियन और नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बीच दिनांक 06.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नोएडा के समक्ष रोजगार की निबंधन एवं शर्तों के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 509 कामगारों को लाभ मिला।

506. नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, आरवीएनएल पैकेज–5 और संविदा श्रमिक संघ के बीच दिनांक 28.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.),नोएडा के समक्ष रोजगार की निबंधन एवं शर्तों के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 41 कामगारों को 45,74,390 रुपये का लाभ मिला।

507. बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और बीसीसीएल मुख्यालय के बीच दिनांक 15.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–I, धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 850 कामगारों को 2,90,00,000 रुपये का लाभ मिला।

508. बहुजन मजदूर यूनियन और मेसर्स ईसीएल के मुग्मा क्षेत्र के बीच दिनांक 09.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–I, धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 5,00,000 रुपये का लाभ मिला।

509. राष्ट्रीय मजदूर यूनियन और मेसर्स राम अवतार ईआईपीएल (जेवी) के बीच दिनांक 07.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–I, धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 27 कामगारों को 40,00,000 रुपये का लाभ मिला।

510. राष्ट्रीय मजदूर यूनियन और बीसीसीएल का ई.जे. क्षेत्र के बीच दिनांक 17.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–III, धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 119 कामगारों को 25,85,039 रुपये का लाभ मिला।

511. राष्ट्रीय मजदूर यूनियन और बीसीसीएल का ई.जे. क्षेत्र के बीच दिनांक 17.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.)–III, धनबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 107 श्रमिकों को 10,00,000 रुपये का लाभ मिला।

512. हिन्द मजदूर सभा और बीएनपी देवास के बीच दिनांक 29.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप लगभग 200 कामगारों को 25,00,000 रुपये का लाभ मिला।

513. श्री चंद्र प्रताप और मेसर्स बुंदेलखंड सिक्योरिटी लेबर सप्लायर के बीच दिनांक 15.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 श्रमिक को लाभ मिला।

514. इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के परिसंघ और मेसर्स इंडियन बैंक के बीच दिनांक 15.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), भोपाल के समक्ष बोनस के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 76 कामगारों को लाभ मिला।

515. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी न्यू कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और नुमालीगढ़ रिफाइनरी वर्कर्स यूनियन, एकॉर्ड रिफाइनरी वर्कर्स यूनियन, 3. नुमालीगढ़ रिफाइनरी ड्राइवर यूनियन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ग्रेटर वर्कर्स यूनियन , नुमालीगढ़ वर्कर्स यूनियन रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्चुअल और होनमिलिटो नुमालीगढ़ मेंटेनेंस वर्कर्स यूनियन रिफाइनरी के बीच दिनांक 10.10. 2025 को उप मुख्य श्रमयुक्त (कें.), नागपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप लगभग 1700 कामगारों को लगभग 13,00,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

516. ईसीएल के मेसर्स तपस मुखर्जी कान्ट्रैक्टर और आसनसोल दुर्गापुर थिका श्रमिक अधिकार यूनियन के बीच दिनांक 21.10.2025 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को 2,00,000 रुपये का लाभ मिला।

517. मेसर्स ईसीएल की निंघा कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 76,000 रुपये का लाभ मिला।

518. मेसर्स ईसीएल की निंघा कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 10.10.2025 सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,56,250 रुपये का लाभ मिला।

519. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम–श्रीपुर क्षेत्र के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 14.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,56,250 रुपये का लाभ मिला।

520. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम–श्रीपुर क्षेत्र के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 14.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 97,755 रुपये का लाभ मिला।

521. मेसर्स ईसीएल कुनुस्तोरिया क्षेत्र के अधीन अमृतनगर कोलियरी के प्रबंधन और कोयला मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 29.10.2025 को सहायक

श्रमायुक्त (कें.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,25,000 रुपये का लाभ मिला।

522. अभिकर्ता, डालुरबंद कोलियरी, मेसर्स ईसीएल लिमिटेड और आईएनसीयूसी के बीच दिनांक 08.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 3,41,136 रुपये का लाभ मिला।

523. ईसीजी सुविधा प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड और श्री उत्पल दास के बीच दिनांक 09.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

524. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज और श्री विप्लब रॉय के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 6,880 रुपये का लाभ मिला।

525. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज और श्री पन्ना मोंडल के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 9,211 रुपये का लाभ मिला।

526. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज और श्री गंगाधर बौरी के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 6, 880 रुपये का लाभ मिला।

527. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज और श्री राजेश बौरी के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 6,880 रुपये का लाभ मिला।

528. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज बनाम श्री ग्राहणचंद बौरी के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 8,306 रुपये का लाभ मिला।

529. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज और श्री बिपुल गोराई के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 8,306 रुपये का लाभ मिला।

530. मेसर्स जेएस एंटरप्राइजेज और श्री कौशिक मोंडल के बीच दिनांक 23.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 8,439 रुपये का लाभ मिला।

531. केटीएसएस एवं एचसीएल के चार अन्य यूनियन, केसीसी और मेसर्स एसएमएस लिमिटेड और मेसर्स एसके खेतान इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 27.10.2025 को क्षेत्रीय श्रामायुक्त (कें.), जयपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 617 कामगारों को 9,02,45,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

532. कामगारों के समूह और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के बीच दिनांक 08.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 24 कामगारों को 5,97,471 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

533. कामगारों के समूह और और प्राचार्य, आरआईईई, अजमेर के बीच दिनांक 17.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 75 कामगारों को 8,49,578 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

534. अल्ट्राटेक नाथवारा सीमेंट मजदूर कांग्रेस और चुलगिरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 17.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 282 कामगारों को 77,43,720 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

535. अल्ट्राटेक नाथवारा सीमेंट मजदूर कांग्रेस और दर्शन लाल कान्ट्रैक्टर के बीच दिनांक 17.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1226 कामगारों को 1,61,83,200 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

536. अल्ट्राटेक नाथवारा सीमेंट मजदूर कांग्रेस एवं अल्ट्राटेक नाथवारा सीमेंट श्रमिक संघ और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनियन नाथवारा सीमेंट वर्क्स के बीच दिनांक 17.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 157 कामगारों को 43,11,220 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

537. मंत्रा राष्ट्रीय मजदूर संघ आईएनटीयूसी और श्री अतीकुर रहमा, खान मालिक के बीच दिनांक 16.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष बोनस निपटान के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 75 कामगारों का लाभ हुआ।

538. मंत्रा राष्ट्रीय मजदूर संघ आईएनटीयूसी और मेसर्स तुलसी स्टोन के बीच दिनांक 16.10.2025 को को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष बोनस निपटान के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 75 कामगारों का लाभ हुआ।

539. श्री प्रहलाद गुर्जर और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 27,729 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

540. श्री महावीर और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,34,849 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

541. श्री पवन कुमार और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 35,091 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

542. श्री राजू लाल और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 85,261 रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

543. श्री मांगी लाल और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,20,958 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

544. श्री मनोज चौधरी और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच दिनांक 10.10.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 श्रमिक को 7,244 रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

545. थर्मल पावर हाउस कंस्ट्रक्शन और कान्ट्रैक्टर संघ के बीच दिनांक 18.10.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें,) लखनऊ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 26,026 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

546. नागपुर के अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन और मध्य रेलवे, नागपुर के बीच दिनांक 13.11.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), नागपुर के समक्ष सेवा के मामलों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 483 श्रमिकों को लाभ मिला।

547. झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन और मेसर्स कोर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच

दिनांक 19.11.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), धनबाद के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

548. संजय महतो एवं अन्य और मेसर्स चट्टी बारितु कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), हजारीबाग के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 400 कामगारों को 62,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

549. मेसर्स डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड बंजारी, रोहतास और कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट वर्कर्स यूनियन, बंजार, रोहतास, कुमायू रेंज क्वारिज लेबर यूनियन, बंजारी, रोहतास, कल्याणपुर मजदूर पंचायत, बंजारी एवं बिहार राज्य सीमेंट, पाथेरकट्टी मजदूर यूनियन, रोहतास के बीच दिनांक 14.11.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 418 श्रमिकों को 15,50,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

550. एचबीएल लॉरिटी एंड सुगौली के प्रबंधन और लॉरिए चीनी मिल मजदूर संघ एवं अन्य के बीच दिनांक17.11.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 666 कामगारों को 46,62,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

551. बिहार ग्रामीण बैंक, पटना बिहार के प्रबंधन और बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, पटना के बीच दिनांक 20.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4000 मगारों को 71,70,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

552. यूको बैंक और यूको बैंक कर्मचारी संघ के बीच दिनांक 19.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), पटना के समक्ष स्थानांतरण नियुक्ति के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 4 कामगारों को लाभ मिला।

553. भारतीय ऑयल मथुरा रिफाइनरी और कर्मचारी संघ, मथुरा के बीच दिनांक 21.11.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कानपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 7 कामगारों को लाभ मिला।

554. थर्मल पावर हाउस कंस्ट्रक्शन संघ, ऊंचाहार के बीच दिनांक 28.11.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), लखनऊ के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 श्रमिक को 28,085 रुपये का मौद्रिक लाभ मिला।

555. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पीएनबी स्टाफ यूनियन और पीएनबी के सर्कल हेड, गोरखपुर के बीच दिनांक 11.11.2025 को कानपुर क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 श्रमिक को 1,52,248 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

556. पीएनबी कर्मचारी संघ के महासचिव और सर्कल हेड, पीएनबी, वाराणसी के बीच दिनांक 27.11.2025 को कानपुर क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

557. सिनर्जी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (कान्ट्रैक्टर), आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (पीई) और पीसीएमडब्ल्यूयू (यूनियन) बिस्वजीत बार (आवेदक) के बीच दिनांक 20.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.) कोलकाता के समक्ष पुनर्नियुक्ति के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

558. दक्षिणी रेलवे कान्ट्रैक्टर संगठन और रेलवे कंस्ट्रक्शन लेबर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 04.11.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 500 श्रमिकों को 1,80,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

559. कामगारों के समूह और हिंद कान्ट्रैक्टर एवं आईआरबी के बीच दिनांक 03.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 श्रमिकों को 5,17,880 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

560. प्रकाश कुमार और राजेंद्र मैनेजमेंट ग्रुप के बीच दिनांक 27.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 14,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

561. श्री ओम प्रकाश मेहरा और एफसीआई, कोटा के बीच दिनांक 27.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), कोटा के समक्ष स्थानांतरण के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को लाभ मिला।

562. विभागीय सचिव एफसीआई पूर्व कर्मचारी संघ और एफसीआई कोटा के बीच दिनांक 27.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), कोटा के समक्ष स्थानांतरण के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगारों को लाभ मिला।

563. एफसीआई बीकेएनके के मंडल सचिव और एफसीआई कोटा के बीच दिनांक 27.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), कोटा के समक्ष स्थानांतरण के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

564. अध्यक्ष, एफसीआई मजदूर विकास यूनियन और एफसीआई कोटा के बीच दिनांक दिनांक 20.11.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 43 कामगारों को लाभ मिला।

565. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), राजमुंदरी एसेट, राजमुंदरी और राजमुंदरी पेट्रोलियम जनरल एम्प्लॉइज यूनियन (पीजीईयू) के प्रतिनिधित्व करने वाले उनके कामगारों के बीच दिनांक 19.11.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 26 कामगारों नौकरी पर बहाल हो गए।

566. रसुन ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चिमाकुर्ति, प्रकासम और उनके कामगारों के प्रतिनिधि माननीय अध्यक्ष, चीमाकुर्ति एरिया ग्रेनाइट वर्कर्स यूनियन, चीमाकुर्ति, के बीच दिनांक 25.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.) ,विजयवाड़ा के समक्ष बहाली के मामले में, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

567. दक्षिण–मध्य रेलवे, गुंटूर डिवीजन के कान्ट्रैक्टर श्री धनलक्ष्मी इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज, वारंगल और उनके कामगारों जो गुंटूर डिवीजन रेलवे अनौपचारिक वर्कर्स संघ, गुंटूर के प्रतिनिधि हैं, के बीच दिनांक 28.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), विजयवाड़ा के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 21 कर्मचारी नौकरी पर बहाल हो गए।

568. सिंगरेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जयपुर, मंचिरियल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स वीवीआर कान्ट्रैक्टरों और उनके कामगारों के प्रतिनिधि महासचिव, सिंगरेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, जयपुर, मंचिरियल जिला, तेलंगाना के बीच दिनांक 07.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। । इस समझौते के परिणामस्वरूप 45 कामगारों को 5,10,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

569. संविदा श्रमिक संघ और मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच दिनांक 03.11.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 45 कामगारों को

1,06,05,859 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

570. संविदा श्रमिक संघ और मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच दिनांक 13.11.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 14 कामगारों को लाभ मिला।

571. धारा रेल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री जीवन राणा के बीच दिनांक 19.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), बरेली के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 1,03,532 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

572. ओएमसी (बी एंड जी) के बीच दिनांक 17.11.2025 को बारबिल के समक्ष बोनस के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 27 कामगारों को 10,77,004 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

573. न्यूजेन, जेएसडब्ल्यू और केएमएफडब्ल्यू के बीच दिनांक 24.11.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष छंटनी लाभ के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 9 कामगारों को 1,08,675 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

574. स्टालवार्ट, केएमएफडब्ल्यूयू और जेएसडब्ल्यू के बीच दिनांक 24.11.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष छंटनी मुआवजे के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 9 कामगारों को लाभ मिला।

575. क्वेस, ओएमसी और केएमएफडब्ल्यूयू के बीच दिनांक 17.11.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार बहाल हो गया।

576. मेसर्स शशिकांत जेना और मा तारिणी टोल प्लाजा वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 17.11.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष मांगों के चार्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 10 कामगारों को लाभ मिला।

577. राउरकेला स्टील प्लांट के कान्ट्रैक्टर मेसर्स भारत जी पटेल और राउरकेला कान्ट्रैक्टर वर्कर्स के महासचिव के बीच दिनांक 24.11.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), राउरकेला के समक्ष बोनस के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 70 कामगारों को 5,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

578. सीमेंट श्रमिक संघ और अल्ट्राटेक सीमेंट खोर के बीच दिनांक 11.11.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), भोपाल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 387 कामगारों को 9,32,22,495 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

579. कामगार और डब्ल्यूसीएल के बीच दिनांक 06.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), छिंदवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1072 कामगारों को 22.7 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

580. श्री राजेश कुमार और बीआरओ के बीच दिनांक 10.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

581. श्री अरुण कुमार और बीआरओ के बीच दिनांक 10.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

582. दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन और बीआरओ के बीच दिनांक 10.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

583. श्री रोहित सेवक और आईओसीएल के बीच 10.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

584. श्री रजनेश साम्ब्याल सुपुत्र श्री धूरब सिंह, श्री पुरुषोत्तम सिंह सुपुत्र श्री थोरु सिंह, श्री चमन सिंह

सुपुत्र श्री जय सिंह, श्री शशि राम सुपुत्र श्री बुट्टी राम, श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री जगदीश कुमार, श्री बिन्दु सुपुत्र जोगिंदर पॉल, श्री अर्जुन सिंह सुपुत्र श्री नेक राम, श्री रंजीत कुमार और 11 अन्य और 1 परियोजना निदेशक, एनएचएआई जम्मू, 2 परियोजना प्रबंधक, मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कठुआ, 3 परियोजना प्रबंधक, मेसर्स एंजेर्टिक पीपुल प्राइवेट लिमिटेड कठुआ, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बीच दिनांक 17.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप कामगारों को 14,13,426 रुपये का लाभ हुआ।

585. श्री संजय कुमार और 1 एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जम्मू, सतवारी, जम्मू और कश्मीर, महाप्रबंधक, मेसर्स गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जम्मू हवाई अड्डा, जम्मू और कश्मीर के बीच दिनांक 14.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप कामगारों को 14,13,426 रुपये का लाभ हुआ।

586. किसान मजदूर यूनियन के सलाहकार समिति के अध्यक्ष मार्फत एनएचपीसी वर्कर्स यूनियन, किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर और 1. सीईओ, रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन आरएचपीसी, प्रोजेक्ट द्राभसला, किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर, 2. संयुक्त मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आरएचपीसी प्रोजेक्ट द्राभसला, किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर के बीच दिनांक 17.11.2025 को चंडीगढ़ क्षेत्र में बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 32 कर्मचारी नौकरी पर बहाल हुए।

587. श्री एस दिनेश कुमार और आईडीबीआई बैंक के बीच दिनांक 17.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.)–III, चेन्नई के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को लाभ मिला।

588. मेसर्स ईसीएल के कुनुस्तोरिया क्षेत्र के अधीन अमृतनगर कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 14.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष नियमितीकरण / पदोन्नति के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 34 कामगारों को लाभ मिला।

589. मेसर्स ईसीएल के कुनुस्तोरिया क्षेत्र के अधीन अमृतनगर कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर कांग्रेस के बीच दिनांक 14.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष नियमितीकरण / पदोन्नति के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 श्रमिक को लाभ मिला।

590. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम–श्रीपुर क्षेत्र के अधीन गिरमिंट कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 17.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 2,30,613 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

591. मेसर्स ईसीएल के सतग्राम–श्रीपुर क्षेत्र के तहत गिरमिंट कोलियरी के प्रबंधन और कोलियरी मजदूर सभा (एआईटीयूसी) के बीच दिनांक 17.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 98,132 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

592. सरशतअली ओपनकास्ट कोला माइन के अधीन एएमपीएल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और काजी कबीरुल इस्लाम के बीच दिनांक 24.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

593. मेसर्स एसएस ओयगन सर्विस और श्री दीपक पाल के बीच दिनांक 07.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त

(के.), रानीगंज के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

594. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री पन्ना मंडल के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 8,045 रुपये का अर्थिक लाभ मिला।

595. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री राजेश बौरी के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार 6,208को रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

596. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री कौशिक मंडल के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 7,699 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

597. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री बिपुल गोराई के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 7,789 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

598. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री गंगाधर बौरी के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 6,208 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

599. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री विल्पव रॉय के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 6,208 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

600. मेसर्स जे एस एंटरप्राइजेज और श्री ग्रहणचंद बौरी के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 7,789 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

601. मेसर्स प्रगति कोआपरेटिव लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी और श्री सुनील बौरी के बीच दिनांक 12.11.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.) रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 9,924 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

602. श्री अखिल मेहरोत्रा और इंडियन बैंक के बीच दिनांक 09.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.) अजमेर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 14,000 रुपये का लाभ मिला।

603. पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के महासचिव और डीआरएम, पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा के बीच दिनांक 18.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), कोटा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को आर्थिक लाभ मिला।

604. मेसर्स वीनस एएम सपोर्ट सर्विसेज और दक्षिणी नौसेना कमान ठेका कामगार यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 16.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 200 कामगारों को 1,15,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

605. मेसर्स एम आर क्लीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बीपीसीएल–केआर और जनरल एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 16.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 300 कामगारों को 8,10,000 रुपये का आर्थिक लाभ

मिला।

606. मेसर्स एनके एसोसिएट्स, मेसर्स आईओसीएल और सीआईटीयू, आईएनटीयूसी, एसटीयू एवं बीएमएस से संबद्ध यूनियनों के बीच दिनांक 23.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 42 कामगारों को 72,70,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

607. मेसर्स श्रेयस कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एचपीसीएल और केरल पेट्रोलियम एंड गैस वर्क्स यूनियन के बीच दिनांक 29.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 05 कामगारों को 2,55,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

608. मेसर्स नीलकंठ इंजीनियर्स, मेसर्स बीएसएनएल कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स यूनियन (सीआईटीयू) के बीच दिनांक 16.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), कोचीन के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 67 कामगारों को 15,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

609. एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन (बंगाल सर्कल) और एसबीआई के प्रबंधन के बीच दिनांक 18.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

610. श्री पन्ना मंडल और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को रानीगंज सहायक श्रमायुक्त (के.) के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 8,461 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

611. श्री राजेश बौरी और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.) के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 8,461 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

612. श्री कौशिक मंडल और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 7,644 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

613. श्री बिपुल गोराई और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 8,089 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

614. श्री गंगाधर बौरी और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 7,644 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

615. श्री विप्लब रॉय और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 6,494 रुपये का आर्थिक लाभ मिला ।

616. श्री ग्रहण चंद बौरी और जेएस एंटरप्राइजेज के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 9,111 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

617. कोयला मजदूर कांग्रेस और एजेंट बेजडीह कोलियरी, ईसीएल के बीच दिनांक 16.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 16,4,585 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

618. केएमएफडब्ल्यूयू और मैसर्स औद्योगिक सुरक्षा सलाहकार और सेवाएं, जेएसडब्ल्यू के बीच दिनांक 17.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.),बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के परिणामस्वरूप 22 कामगारों को लाभ मिला।

619. केएमएफडब्ल्यूयू और एसआईएस, जेएसडब्ल्यू के बीच दिनांक 18.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.),बारबिल के समक्ष छंटनी मुआवजे के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 22 कामगारों को लाभ मिला।

620. केएमएफडब्ल्यूयू और कृष्णा फैसिलिटीज सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू के बीच दिनांक 22.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.),बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 90 कामगारों को 9,07,361 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

621. केएमएफडब्ल्यूयू और जी4एस, ओएमसी के बीच दिनांक 17.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

622. केएमएफडब्ल्यूयू और केसीसीएल, ओएमसी (गंधामर्दन) के बीच दिनांक 17.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.), बारबिल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

623. श्री पृथीराज प्रधान (प्रबंध भागीदार) (मेसर्स मा उग्रतारा कंस्ट्रक्शन) पारादीप पोर्ट मजदूर संघ के प्रतिनिधि कमागारों के बीच दिनांक 22.12. 2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगारों को 1,72,800 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

624. बीपीसीएल पीओएल टर्मिनल पारादीप में कार्यरत कान्ट्रैक्टर मेसर्स बाबा बनबिहारी सप्लायर और पारादीप पोर्ट मजदूर संघ के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले कामगारों के बीच दिनांक 22.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर समक्ष हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को 72,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

625. बीपीसीएल पीओएल टर्मिनल पारादीप में कार्यरत कान्ट्रैक्टर मेसर्स मा मंगला कंस्ट्रक्शन और पारादीप पोर्ट मजदूर संघ के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले कामगारों के बीच दिनांक 22.12.2025 को समझौता ज्ञापन पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) के समक्ष हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 12 कामगारों को 6,91,200 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

626. बीपीसीएल पीओएल टर्मिनल पारादीप में कार्यरत कान्ट्रैक्टर मेसर्स मा उग्रतारा कंस्ट्रक्शन और पारादीप पोर्ट मजदूर संघ के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले कामगारों के बीच दिनांक 22.12.2025 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) पारादीप के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 11 कामगारों को 6,33,600 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

627. आरएसपी के कान्ट्रैक्टर मेसर्स हनुमान एंटरप्राइजेज और गंगपुर मजदूर मंच (जीएमएम) के बीच दिनांक 08.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगारों को 41,277 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

628. जेएसपीएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स पावर इंजीनियरिंग कंपनी और उत्तर उड़ीसा वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 15.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 18 कामगारों को 21,21,764 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

629. आरएसपी के कान्ट्रैक्टर लिंडे इंडियन लिमिटेड और राउरकेला कान्ट्रैक्टर कामगार यूनियन के बीच

दिनांक 16.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 8 कामगारों को 5,84,151 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

630. एमसीएल के कान्ट्रैक्टर मेसर्स एसआईएस लिमिटेड और कृष्णा दुबे और अन्यों के बीच दिनांक 30.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3010 कामगारों को 1.9 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

631. राउरकेला स्टील प्लांट और राउरकेला श्रमिक संघ के बीच दिनांक 30.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), राउरकेला के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

632. श्रीमती मनीषा और 2 अन्य और मेसर्स एआईआईएमएस के बीच दिनांक 04.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) भोपाल के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

633. भारतीय बैंक नोट प्रेस मजदूर संघ और बीएनपी देवास के बीच दिनांक 16.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) भोपाल के समक्ष सेवा लाभ के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 387 कामगारों को लाभ मिला।

634. सचिव और यातायात प्रबंधक दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गांधीधाम और श्री लक्ष्मण गोहेल आदिपुर कच्छ के बीच दिनांक 01.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), दीपुर के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार को 5,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

635. मेसर्स एफसीआई और भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के बीच दिनांक10.12.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त(कें.), पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 28 कामगारों को 10,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

636. मेसर्स डीके एंटरप्राइजेज और इंडियन ऑयल एम्प्लॉइज यूनियन (पूर्वी शाखा) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए संविदात्मक श्रमिकों के बीच दिनांक 19.12.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त(कें.) पटना के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 09 कामगारों को 27,95,310 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

637. बिहार ग्रामीण बैंक, पटना और बिहार ग्रामीण वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, पटना के बीच दिनांक 30.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

638. बिहार ग्रामीण बैंक, पटना और बिहार ग्रामीण वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन, पटना के बीच दिनांक 30.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

639. ईसीएल गोड्डा के मेसर्स एएमपीएल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता और रोहित कर्मकर और 5 अन्य के बीच दिनांक 30.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), पाकुड़ के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 6 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

640. आईओसीएल पाइपलाइन मौरीग्राम प्रबंधन और आईओसीएल वर्कर्स यूनियन के बीच दिनांक 16.12.2025 को उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कोलकाता के समक्ष गुप्त मतदान चुनाव के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

641. ग्लोबल फोर्स प्रबंधन सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड पी.सी.

एस.एम.डब्ल्यू.यू (यूनियन) पापाई मोंडल और सुमन चक्रवर्ती (आवेदक) के बीच दिनांक 18.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष नौकरी में बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 2 कामगार नौकरी पर बहाल हो गए।

642. फतह कंस्ट्रक्शन कंपनी (I) विकास रॉय (II) महादेव रॉय (III) रवि पांडी, पीई आईओसीएल सिलीगुड़ी के बीच दिनांक 16.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 3 कामगारों को 2,57,905 रुपए के वेतन के साथ बहाल किया गया।

643. मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, यूके और संविदा श्रमिक संघ उत्तराखंड के बीच दिनांक 04.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 53 कामगारों को 69,69,600 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

644. श्री सुनील कुमार पांडे और मेसर्स ऐडवेश टेक्नो सर्विसेज के बीच दिनांक 04.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (कें.), देहरादून के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 53 कामगारों को 70,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

645. श्रीमती गीतिका कश्यप और एआईआईएमएस के बीच दिनांक 29.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), बरेली के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 3,97,131 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

646. श्री अनिल कुमार और मेसर्स सीआईएसबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 18.12.2025 को देहरादून के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

647. श्री राहुल मोहन बोंगाले और ओएनजीसी राजमुंदरी के कान्ट्रैक्टर फ्लाइंग फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 30.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

648. श्री जी. कृष्णा और बीवीएल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाशम के बीच दिनांक 19.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), विजयवाड़ा के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 8,50,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

649. श्री ठाकुर चरण सिंह और इंडेल मनी लिमिटेड, मंचेरियल के बीच दिनांक 09.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 1,00,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

650. श्री गद्दाम साई किरण और इंडेल मनी लिमिटेड, मंचेरियल के बीच दिनांक 09.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 70,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।

651. श्री एस. सुरेश और मेसर्स एशियन सिक्योरिटी फोर्स, हैदराबाद के बीच दिनांक 22.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

652. श्री एस. राजेश्वर और मेसर्स एशियन सिक्योरिटी फोर्स, हैदराबाद के बीच दिनांक 22.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हैदराबाद के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

653. भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ और स्टेट बैंक

ऑफ इंडिया के बीच दिनांक 18.12.2025 को क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) आसनसोल के समक्ष स्थानांतरण के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को लाभ मिला।

654. बीएमपी ग्रूप, सोदपुर क्षेत्र के प्रबंधन और कोयला मजदूर कांग्रेस के महासचिव के बीच दिनांक 16.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.) आसनसोल के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 1,64,585 रुपये का लाभ मिला।

655. मेसर्स जे एस एंटरप्राइज और श्री कौशिक मंडल के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 8,089 रुपये का लाभ मिला।

656. मेसर्स जे एस एंटरप्राइज और ग्रहणचंद बौरी के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 9,111 रुपये का लाभ मिला।

657. मेसर्स जे एस एंटरप्राइज बनाम श्री पन्ना मंडल के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 8,461 रुपये का लाभ मिला।

658. मेसर्स जे एस एंटरप्राइज और श्री विप्लब रॉय के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 6,494 रुपये का लाभ मिला।

659. मेसर्स जे एस एंटरप्राइज और श्री राजेश बौरी के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 7,644 रुपये का लाभ मिला।

660. मेसर्स जे एस एंटरप्राइज और श्री गंगाधर बौरी के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), रानीगंज के समक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को 7,644 रुपये का लाभ मिला।

661. श्री पुरुषोत्तम और केनरा बैंक के बीच दिनांक 17.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

662. श्री कुमार और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

663. श्रीमती शांतम्मा और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

664. श्रीमती आशा एच आर और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

665. श्रीमती दिव्या टी एच और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

666. श्री चंद्रशेखर और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

667. श्री राजशेखर और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.

12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

668. श्रीमती शोभा जे और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

669. श्रीमती लता एच एस और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

670. श्री श्रीनिवासन और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

671. श्रीमती शेभा और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

672. श्रीमती शांतम्मा और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

673. श्रीमती शारदा और केनरा बैंक के बीच दिनांक 08.12.2025 को सहायक श्रमायुक्त (के.), हुबली के समक्ष बहाली के मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के परिणामस्वरूप 01 कामगार को नौकरी पर बहाल किया गया।

3.18 सोशल मीडिया सेलः

1.00 करोड़ रुपये से अधिक के प्रमुख निपटान मामले अप्रैल, 2025

1. उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुबंई के निरंतर और निष्ठापूर्ण प्रयासों से, कंबटा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के 32 श्रमिकों को उनकी मजदूरी के रूप में 1,31,39,700 रुपये (लगभग) की राशि वितरित की गई है।

2. सीआईटीयू से संबद्ध एक यूनियन और मेसर्स कोंकण स्टोरेज के बीच क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोचिन के समक्ष वेतन के संशोधन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 21 श्रमिकों को लगभग 1,51,20,000/– रुपये का लाभ हुआ है।

मई, 2025

3. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के लगातार प्रयासों से कर्नाटक ग्रामीण बैंक के 678 अस्थायी श्रमिकों को 11वें द्विपक्षीय समझौते के बकाया वेतन 3.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है जो लम्बे समय से लंबित रहे हैं।

अगस्त, 2025

4. सी.आई.टी.यू., आई.एन.टी.यू.सी. से संबद्ध यूनियन और मेसर्स बी.डब्ल्यू.एफ.एस., कोच्चि द्वारा बोनस के भुगतान के संबंध में समाधान पोर्टल के माध्यम से दायर की गई शिकायत का समाधान कर दिया गया है और क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) कोचीन के समक्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 858 कामगारों को लगभग 1.33 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है।

सितंबर, 2025

5. सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के हस्तक्षेप और सुलह प्रयासों के बाद, मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के चित्रा के एस. पी. खानों के श्रमिकों को लंबित बकाया भुगतान से संबंधित औद्योगिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, जिसमें प्रबंधन 1,69,87,884.98 रुपए (एक करोड़ उनहत्तर लाख अट्ठासी हजार आठ सौ चौरासी रुपए और अठानबे पैसे मात्र) की राशि वितरित करने पर सहमत हुआ है, जिससे कुल 47 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

6.	क्षेत्रीय श्रमायुक्त, जयपुर द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण प्रयासों और सुलह के परिणामस्वरूप, एच. सी. एल. खत्री तांबा खदान में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ 346 संविदात्मक श्रमिकों को लगभग 7,62,00,000/– रुपये का लाभ मिला।

7.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ओडिशा के पेटाबेड़ा लौह खान के 295 कर्मचारियों को 2.25 करोड़ रुपये का बोनस प्रदान किया।

8. ईस्टर्न कॉलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), धनबाद के एस पी खान चित्रा में एक लंबे समय से चल रहा बकाया विवाद को श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा सुलह के माध्यम से सफलतापूर्वक हल कर दिया गया है। इस प्रयास से 1.69 करोड़ रुपए के बकाया का वितरण किया जाएगा, जिससे 47 श्रमिकों को लाभ होगा।

अक्तूबर, 2025

9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) एवं सुलह अधिकारी, बारबिल, ओडिशा के हस्तक्षेप और सुलह प्रयासों के बाद, दिनांक 10.09.2025 से ओएमडीसी खान लिमिटेड, ठकुरानी के ठेका श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया और समझौता ज्ञापन के माध्यम से 137 कर्मचारियों को 1.12 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

10. उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), चेन्नई के लगातार और निष्ठापूर्ण प्रयासों से, मेसर्स डालमिया सीमेंट नेशनल वर्कर्स यूनियन और मेसर्स डालमिया सीमेंट लिमिटेड, त्रिची के प्रबंधन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 424 श्रमिकों को 1,83,48,800 रुपये का लाभ हुआ है।

11. मेसर्स एस के खेतान इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन और एचसीएल खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स में यूनियनों के बीच मांगों के चार्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें मजदूरी में, न्यूनतम मजदूरी से 15% अधिक वृद्धि करना प्रमुख मांगों में से एक है, जिससे 271 खदान कामगारों को 1,45,00,000 रुपये (लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपये) का लाभ हुआ।

12. मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय जो श्रम मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, के त्वरित हस्तक्षेप के कारण, लंबी चर्चा के बाद दिनांक 07.10.2025 को प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। इस कदम से कंपनी को अनुमानित 3.36 लाख मानव–घंटों और 1,000 करोड़ रुपये के नुकसान से बचाया गया।

13. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा सफल सुलह के बाद, छह संविदा श्रमिक यूनियनों और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे 15,000 से अधिक संविदा कामगारों को प्रतिवर्ष 13 करोड़ रुपये की राशि का लाभ होगा एवं वेतन संशोधन, स्वास्थ्य बीमा, छुट्टी की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा एकमुश्त प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा दृ यह औद्योगिक शांति, उत्पादकता और कामगारों के कल्याण के लिए एक कदम आगे है।

14. सहायक श्रमायुक्त (कें.), पटना के त्वरित हस्तक्षेप और लगातार प्रयासों के बाद, बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ और बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के बीच एक औद्योगिक विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। समझौते में एनपीएस बकाया, स्थानांतरण मुआवजा और पीटीएस कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन शामिल है, जिससे लगभग 4,000 कर्मचारियों और कामगारों को लगभग ₹71.7 करोड़ लाभ होगा।

15. श्री सचिन कुमार, उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), पटना के लगातार और निष्ठापूर्ण प्रयासों से, मेसर्स डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, बंजारी रोहतास और कलानपुर लाइम एंड सीमेंट वर्कर्स यूनियन, बंजारी, रोहतास के प्रबंधन के साथ–साथ 03 अन्य यूनियनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे 418 कामगारों को 15.5 करोडं रुपये का लाभ मिला। साथ ही 04 वर्षों की अवधि के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता (वीडीए) भी मिला।

दिसंबर, 2025

16. सहायक श्रमायुक्त (कें.), हैदराबाद के निष्ठापूर्ण प्रयासों से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत दिनांक 12.12.2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 23 आईओसीएल संविदा कामगारों को छंटनी मुआवजे और सांविधिक लाभों के लिए ₹1,79,74,830 / – का भुगतान सुनिश्चित किया गया।

17. आसनसोल टीम, माननीय मुख्य श्रमायुक्त (कें.) महोदय को कोयला मंत्रालय के साथ उनके समय पर शीर्ष–स्तरीय हस्तक्षेप के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिससे लगभग 45,000 ईसीएल कर्मचारियों को लगभग 307 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। इससे पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण वेतन–भुगतान मुद्दा हल हुआ।

जनवरी, 2026

18. सहायक श्रम आयुक्त (सी), धनबाद के प्रयासों से, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और मेसर्स बीसीसीएल के सीवी क्षेत्र के प्रबंधन के बीच लंबे समय से लंबित वेतन बकाया विवाद में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 86 कामगारों को 1,08,42,665 रुपये का लाभ हुआ।

19. मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय द्वारा आयोजित लंबी चर्चा के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) द्वारा दिनांक 09.01.2026 को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया, जिससे लगभग 2.48 लाख मानव–श्रम और व्यवसाय में अनुमानित ₹300–400 करोड़ की बचत हुई है।

3.19 मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन की विज़न स्टेटमेंट

विज़न 2030:

औद्योगिक विवादों का समय पर और सार्थक समाधान तथा शिकायतों का निपटारा करके सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना।

I. व्यतिक्रम और उल्लंघनों की निरंतर ट्रैकिंग और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करके श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।

	सात वर्षीय कार्यनीति		तीन-वर्षीय कार्य योजना
1.	औद्योगिक विवादों का **30 दिनों** में सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा 1. नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर जुड़ाव। 2. स्थापना स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।	1.	औद्योगिक विवादों का **40 दिनों** में सुलह समझौते से निपटारा 1. नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर जुड़ाव। 2. स्थापना स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
2.	10 श्रम कानूनों के संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना 1. आईटी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से डिफ़ॉल्ट और उल्लंघनों की रीयल टाइम ट्रैकिंग। 2. **2-3 दिनों** के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करना।	2.	10 श्रम कानूनों के संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना 1. क्षेत्र स्तर की खुफिया और आईटी-सक्षम प्रणालियों के माध्यम से डिफ़ॉल्ट और उल्लंघन की निरंतर ट्रैकिंग। 2. **7 दिनों** के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई करना।
3.	एमडब्ल्यू अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के तहत दावो के आवेदनों का 2 महीने के भीतर निपटान 1. दावों को ऑनलाइन भरना। 2. ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर निपटान।	3.	एमडब्ल्यू अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम और ईआर अधिनियम के तहत दावा आवेदनों का 3 महीने के भीतर निपटान 1. दावों को ऑनलाइन भरना। 2. उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निपटान
4.	निम्नलिखित के द्वारा **2 माह** के भीतर उपदान संदाय अधिनियम के तहत आदेश पारित करना 1. दावों को ऑनलाइन भरना। 2. ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर निपटान।	4.	निम्नलिखित के द्वारा **3 माह** के भीतर उपदान संदाय अधिनियम के तहत आदेश पारित करना 1. दावों को ऑनलाइन भरना। 2. उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निस्तारण।
5.	**20 दिनों** के भीतर उपदान संदाय अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।	5.	**30 दिनों** के भीतर उपदान संदाय अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।
6.	**3 दिनों** के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण/लाइसेंस जारी करना ।	6.	**5 दिनों** के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण/लाइसेंस जारी करना ।
7.	**15 दिनों** के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।	7.	**30 दिनों** के भीतर सीएल (आर एंड ए) अधिनियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आईएसएमडब्ल्यू अधिनियम के तहत अपीलों का निपटान ।

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 एक केंद्रीय अधिनियम है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम कामगारों के व्यवसाय संघों (ट्रेड यूनियनों) के पंजीकरण का प्रावधान देता है और कुछ मामलों में, यह पंजीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है।

2. वर्ष 2001, में व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में अंतिम बार संशोधन किया गया था और दिनांक 09.01.2002 से इसे लागू किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य व्यवसाय संघों की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना, व्यवसाय संघों की बहुलता को कम करना तथा आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।

3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में विलय कर दिया गया है।

3.20 औद्योगिक संबंधों की निगरानी

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–ए एवं 2 (के) के अधीन औद्योगिक विवाद के लिए समाधान पोर्टल (https://samadan.labour.gov.in/)

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी हमेशा से कामगारों के हितों की रक्षा, संरक्षण और उत्थान करना रही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक विवादों (आईडी) की जांच और उपयुक्त सरकार के सुलह अधिकारी द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से समझौते के लिए प्रावधान करना है, जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2–ए और 2(के) के अधीन परिभाषित किया गया है। आईडी अधिनियम, 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में समाहित कर लिया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गया है।

2. डिजिटलीकरण के वर्तमान परिदृश्य में, मंत्रालय ने कामगारों के लिए अपनी शिकायतें/विवादों को दर्ज करने के लिए एक बहुत ही सरल ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिसका नाम समाधान (सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल, हैंडलिंग ऑफ अपरिहेंडेड / मौजूदा औद्योगिक विवाद) है।

3. समाधान, वेब पोर्टल, फरवरी 2019 में 6 अग्रगामी क्षेत्रों, अर्थात् अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली, रायपुर एवं जबलपुर से शुरू किया गया था, जिसे बाद में 17 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किया गया था।

4. इसके अलावा, कामगारों, ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों के लिए एक अलग मॉड्यूल विकसित किया गया और इसे दिनांक 03–10–2022 से प्रारंभ किया गया ताकि वे (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (ख) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (ड़) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत दावे फाइल कर सकें तथा उन शिकायतों को भी दर्ज कर सकें जो इन अधिनियमों में से किसी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

5. समाधान पोर्टल, औद्योगिक विवादों, मांग के चार्टर, लागू श्रम कानूनों के अधीन दावों और रोजगार से संबंधित अन्य शिकायतों के रूप में अपनी शिकायत उठाने के लिए कामगारों के लिए "वन स्टॉप" बन गया है।

6. समाधान पोर्टल का उद्देश्य

यह ऑनलाइन पोर्टल उपयोगकर्ता–अनुकूल है, औद्योगिक विवादों को दर्ज करने के लिए समझने में आसान है, इस तरह से पारदर्शी है कि सभी हितधारकों को हर समय स्थिति (स्टैटस) दिखाई देती है।

(i) पीड़ित कामगार बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से अपने मामले उठा सकते हैं और उस पर नज़र रख सकता है।

(ii) एक एकीकृत पोर्टल होने के कारण, इस पोर्टल तक कामगारों, सुलह अधिकारियों, सीजीआईटी और सरकार के पास विश्लेषण के लिए दस्तावेजों तक सभी की पहुंच है जिसके दस्तावेजों के गुम होने और बार–बार प्रस्तुत करने की स्थिति से बचा जा सके। इससे संचार अंतराल भी कम हुआ है।

(iii) यह प्रणाली संबंधित सुलह अधिकारियों के बीच विवादों के स्वचालित वितरण को सक्षम बनाती है और विवाद निवारण को तेज करती है।

(iv) पोर्टल निम्नलिखित अधिनियम के अधीन उन दावों तथा शिकायतें दर्ज करता है जो इन अधिनियम के तहत कवर नहीं हैं जैसे (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (ख) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (ग) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (ड़) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961।

(v) पोर्टल में उपयोगकर्ता–अनुकूल इंटरफेस है और इससे सभी हितधारकों के लिए शिकायत के समाधान की पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई है। पोर्टल में शिकायतों की आंतरिक निगरानी के लिए भी उपकरण हैं।

(vi) श्रमिकों की सुविधा और पहुंच बढ़ाने के लिए, पोर्टल को कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (CSC), SANDES ऐप और UMANG ऐप के साथ भी एकीकृत किया गया है।

7. दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, उपयोगकर्ता आईडी की कुल संख्या 518083 है, जिनमें से 481978 व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी हैं और 36105 ट्रेड यूनियन उपयोगकर्ता आईडी हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, कुल 49131 औद्योगिक विवाद दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 44424 का निपटान किया जा चुका है। और 31477 सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 27403 का निपटान किया जा चुका है।

8. केंद्रीय बजट 2024–25 में समाधान पोर्टल के व्यापक पुनरुद्धार की घोषणा की गई, ताकि दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और उन्नत प्रौद्योगिकी उन्नयन, समृद्ध सामग्री तथा बेहतर सुविधाओं के माध्यम से इसे अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाया जा सके, जिससे व्यवसाय करने में सुगमता को सुदृढ़ किया जा सके और निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, दिनांक 21.11.2025 से नए श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ, पुनरुद्धार की प्रक्रिया नई संहिताओं के अनुरूप की जा रही है।

3.21 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की जांच और समाधान का प्रावधान है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं: नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और बनाए रखने के लिए उपायों को बढ़ावा देना; नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच और समाधान; अवैध हड़तालों और तालाबंदियों की रोकथाम; छंटनी और सेवा समाप्ति के मामलों में श्रमिकों को राहत तथा सामूहिक सौदेबाजी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अंतिम संशोधन वर्ष 2010 में किया गया और इसे दिनांक 15.09.2010 से प्रभावी किया गया, जिसमें पर्यवेक्षकों के वेतन सीमा को बढ़ाया गया, श्रमिकों को श्रम न्यायालय या अधिकरण तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान की गई तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई।

वर्ष 2018 के दौरान, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की प्रथम अनुसूची में दिनांक 28.12.2018 की अधिसूचना संख्या S-O-6362(E) के माध्यम से "रासायनिक उर्वरक उद्योग" को मद 33 के रूप में सम्मिलित करते हुए संशोधन किया गया।

औद्योगिक विवाद के निपटान की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 39 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2ए के अंतर्गत सुलह अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित की कि यदि सुलह कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो वह उपयुक्त सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बजाय सीधे औद्योगिक विवादों को निर्णय हेतु श्रम न्यायालय या अधिकरण को संदर्भित कर सके, जैसा कि अधिसूचना संख्या S-O-1262(E) एवं S..O.1263(E) दिनांक 17.03.2023 द्वारा अधिसूचित किया

गया है। तत्पश्चात, दिनांक 10.06.2019 की S.O. संख्या 1936(E) को दिनांक 17.04.2023 की S.O. संख्या 1762(E) द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

3.22 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में विलय कर दिया गया है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951

बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 एक केंद्रीय अधिनियम है लेकिन इसे राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रावधान करता है और यह बागान में कार्य की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। यह कानून सभी चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना और इलायची बागानों पर लागू होता है, जिनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक है और जिनमें 15 या अधिक लोग कार्यरत हैं। राज्य सरकारों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे अधिनियम के किसी भी प्रावधान को किसी भी बागान पर लागू कर सकते हैं, चाहे उसका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम हो या उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या 15 से कम हो। यह अधिनियम बागान परिसर के भीतर कार्यालयों, अस्पतालों, डिस्पेंसरी, स्कूलों और क्रेचों को कवर करता है। अधिनियम में स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, बच्चों को रोजगार देने पर रोक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

2. देश में बदलते सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक संबंधों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में संशोधन किया, जिसे दिनांक 07.06.2010 से लागू किया गया। इन संशोधनों का उद्देश्य बागान क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अधिनियम को अधिक कल्याण–केंद्रित बनाना है।

3. बागान श्रम अधिनियम, 1951 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ (OSH) संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में विलय कर दिया गया है।

3.23 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को औपचारिक रूप से उनके अधीन रोजगार की शर्तों को पर्याप्त सटीकता के साथ परिभाषित करने और उनके द्वारा नियोजित कामगारों को रोजगार की उक्त शर्तों को ज्ञात करने की आवश्यकता के लिए अधिनियमित एक अधिनियम है, जिसके लिए उन्हें प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त करना होगा जो मॉडल स्थायी आदेश के अनुरूप होना चाहिए। यह अधिनियम प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें सौ या अधिक कामगार कार्यरत हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे, अर्थात (i) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 2(ii) में परिभाषित औद्योगिक प्रतिष्ठान; (ii) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(एम); (iii) रेलवे; (iv) किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठान जिसने किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिक के साथ अनुबंध को पूरा करने के उद्देश्य से कामगारों को नियोजित किया है। उपयुक्त सरकार अधिनियम को औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अन्य वर्गों तक विस्तारित करने या जहां आवश्यक हो छूट देने में सक्षम है।

2. 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन' की श्रेणी को औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत सभी क्षेत्रों के लिए दिनांक 16.3.2018 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 235(ई) के माध्यम से शामिल किया गया था।

3. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में विलय कर दिया गया है।

3.24 विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976:

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 एक केंद्रीय अधिनियम है जो 06.03.1976 से लागू हुआ है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रतिष्ठानों में विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों की सेवा की कुछ शर्तों को विनियमित करना है। शुरुआत में यह अधिनियम केवल फार्मास्युटिकल उद्योग में कार्यरत विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों पर लागू था। इसके बाद अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया

और दिनांक 31.01.2011 की अधिसूचना संख्या एसओ. 217(ई) के माध्यम से अधिनियम को 10 अन्य उद्योगों पर लागू किया गया, जो इस प्रकार हैंः

(i) कॉस्मेटिक्स, साबुन, घरेलू क्लीनर और कीटाणुनाशक

(ii) रेडीमेड कपड़े

(iii) सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण उद्योग

(iv) बिस्कुट और कन्फेक्शनरी

(v) आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं

(vi) एक्सेसरीज़ और स्पेयर पार्ट्स सहित ऑटोमोबाइल

(vii) सर्जिकल उपकरण, कृत्रिम प्रोस्थेसिस और निदान

(viii) एक्सेसरीज़ और स्पेयर पार्ट्स सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर

(ix) विद्युत उपकरण

(x) पेंट और वार्निश

2. अधिनियम में प्रावधान है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं।

3. केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए सशक्त है।

4. विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता 2020 में विलय कर दिया गया है।

3.25 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961ः

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 मोटर परिवहन कामगारों के कल्याण के लिए और उनके कार्य की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रावधान करता है जैसे चिकित्सा सुविधाएं, कल्याण सुविधाएं, कार्य के घंटे, आराम की अवधि, ओवरटाइम और वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी आदि। इस अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता 2020 में विलय कर दिया गया है।

*****

अध्याय 4

निःशक्तताजन हेतु गतिविधियाँ

4.1 भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय ने अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, दीमापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, पटना, पुडुचेरी, रांची, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, ऊना और वडोदरा में निःशक्तों के लिए 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्व निःशक्तजन व्यावसायिक पुनर्वसा केंद्र) में स्थापित किए हैं। वडोदरा में निःशक्तों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र विशेष रूप से निःशक्त महिलाओं के लिए है।

4.2. निःशक्तों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करना और दिव्यांगजनों को उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और बेंचमार्क अक्षमताओं के अनुसार पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। ये केंद्र व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर परामर्श, अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं। यह केंद्र आउटरीच गतिविधियों का संचालन भी करता है, और व्यावसायिक पुनर्वास की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की सहायता करता है।

4.3. मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, ऊना और रांची में एनसीएससी–डीए के लिए 10 दिव्यांग अनुकूल बाधा मुक्त भवनों का निर्माण किया गया है।

4.4. वर्ष 2024–25 के दौरान इन केंद्रों ने 47166 पंजीकृत किए हैं, 47142 का मूल्यांकन किया है और 17420 दिव्यांगजनों का पुनर्वास किया है।

4.5. वर्ष 2025 (जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025) के दौरान इन केंद्रों ने 49528 पंजीकृत किए हैं, 49505 का मूल्यांकन किया है और 17969 दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का पुनर्वास किया है।

4.6. जनवरी से मार्च 2026 के दौरान अनुमानित वास्तविक उपलब्धि इस प्रकार हैः 13290 पंजीकृत किया गया, 12923 का मूल्यांकन किया गया और 4811 का पुनर्वास किया गया।

*****

अध्याय 5 मजदूरी

परिचय

5.1 भारत जैसे श्रम अधिशेष देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक समान तथा व्यापक मजदूरी नीति होना कठिन है। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सामान्यतः नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझौते के माध्यम से किया जाता है। तथापि, असंगठित क्षेत्र में, अशिक्षा के कारण और प्रभावी सौदेकारी शक्ति के अभाव में श्रमिक शोषण की आशंका रहती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कामगारों के हितों की रक्षा करता है क्योंकि वे निरक्षरता और सौदेबाजी की शक्ति के अभाव के कारण शोषण के खतरे में हैं और नियोक्ताओं को कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य करते हैं, जैसा निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए क़ानून के तहत निर्धारित किया गया है, जिसे सामूहिक समझौते अथवा व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अनुबंध लिंग तटस्थ हैं और इस प्रकार पुरुष और महिला कामगारों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (अधिनियम) के तहत अनुसूची में शामिल रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों का अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार "समुचित सरकारें" हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित नियोजन हैं केन्द्र सरकार ने दिनांक 19.01.2017 से केन्द्रीय क्षेत्र में सभी कार्यक्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर बढ़ाने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहली बार केन्द्रीय क्षेत्र के सभी कार्यक्षेत्रों अर्थात् कृषि, गैर–कृषि, भवन निर्माण आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी लगभग 42% तक बढ़ाई गई है।

5.3 न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ता अर्थात परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए), जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसे वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है जो दिनांक 01 अप्रैल तथा दिनांक 01 अक्तूबर से प्रभावी होता है। केन्द्रीय सरकार तथा सत्ताईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है। केन्द्रीय और राज्य, दोनों सरकारें समय–समय पर अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करती रहती हैं। दिनांक 01.10.2025 से केन्द्रीय क्षेत्र में लागू वीडीए सहित नवीनतम न्यूनतम मजदूरी की दरें तालिका 5.1 में दी गई हैं।

तालिका 5.1

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें (दिनांक 01.10.2025 के अनुसार)

क्र.सं.	अनुसूचित रोजगार	कामगारों की श्रेणी	वीडीए सहित मजदूरी की प्रति दिन दरें (रु. में)		
			क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1.	कृषि	अकुशल	514	470	465
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	562	516	475
		कुशल/लिपिक	610	562	515
		अति-कुशल	675	628	562
2.	झाड़ू लगाना और सफाई करना +	अकुशल	805	674	541
3.	पहरा और निगरानी	शस्त्र के बिना (प्रशिक्षण द्वारा कुशल श्रेणी में उन्नत)	981	893	760
		शस्त्र सहित (पर्यवेक्षण हेतु अति कुशल श्रेणी में उन्नत)	1065	981	893
4.	लादना एवं उतारना #	अकुशल	805	674	541
5.	सन्निर्माण^	अकुशल	805	674	541
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	893	760	632
		कुशल/लिपिक	981	893	760
		अति-कुशल	1065	981	893
6.	पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने में नियोजित कामगार	1. उत्खनन और 50 मीटर सीसा/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अत्यधिक बोझ को हटाना*:			
		(क) नरम मिट्टी		545	
		(ख) चट्टान सहित नरम मिट्टी		818	
		(ग) चट्टान		1083	
		2. 50 मीटर सीसा/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अस्वीकृत पत्थरों को हटाना और ढेर लगाना*		438	
		3. पत्थर तोड़ना या पत्थर की पिसाई निम्नलिखित पत्थर के आकार की श्रेणियों के लिए:			
		(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच तक		3323	
		(ख) 1.5 इंच से अधिक और 3.0 इंच तक		2842	
		(ग) 3.0 इंच से अधिक और 5.0 इंच तक		1669	
		(घ) 5.0 इंच से अधिक		1372	
	गैर - कोयला खदानें $	कामगारों की श्रेणी		जमीन से ऊपर {वीडीए सहित मजदूरी की दरें प्रति दिन (रुपये में)}	जमीन के नीचे {वीडीए सहित मजदूरी की दरें प्रति दिन (रुपये में)}
		अकुशल		541	674
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी		674	805
		कुशल/लिपिक		805	938
		अति-कुशल		938	1048

* प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर या 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक लोड 5.662 क्यूबिक मीटर या 200 क्यूबिक फीट

$ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषिद्ध कार्यकलापों को छोड़कर झाडू लगाने और सफाई करने में नियोजित कर्मचारी।

% लादने एवं उतारने के रोजगार में नियोजित कर्मचारी (i) माल शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय; (ii) अन्य गुड्स शेड, गोदाम, वेयरहाउस और इसी तरह के अन्य रोजगार; (iii) गोदी एवं पट्टनों; और (iv) हवाई अड्डों पर उठाए गए यात्री सामान और कार्गो (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों)में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत।

^ निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा भवन प्रचालन जिसमें रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी संचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों में नियोजित कामगार।

$ जिप्समखान, बेराइट्सखान, बाक्साइटखान, मैग्नीजखान, चीनीमिट्टीखान, केनाइटखान, तांबाखान, क्लेखान, मैंग्नेसाइटखान, व्हाईटक्लेखान, पत्थरखान, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ओकरखान, एसबेसटसखान, फायरक्लेखान, क्रोमाइटखान, क्वार्टजाइटखान, क्वार्टजखान, सिलिकाखान, ग्रेफाइटखान, फेल्सपरखान, लेटेराइटखान, डोलोमाइटखान, रेडआक्साइडखान, वोल्फ्रेमखान, लौह–अयस्कखान, ग्रेनाइटखान, रॉकफास्फेटखान, हेमाटाइटखान, मार्बल एवं कैल्साइटखान, यूरेनियमखान, अभ्रकखान, लिग्नाइटखान, ग्रेवलखान, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में नियोजित कामगार।

क्षेत्र – "क"		**क्षेत्र का वर्गीकरण**			
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलैक्स	
बंगलुरू	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यूए)	चैन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत मुम्बई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकन्दराबाद	
नवीमुम्बई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र –"ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुद्दुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	संगली	(यूए)
बेलगांव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलोंग	(यूए)
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलिगुड़ी	(यूए)
भिवन्ड़ी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोची	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)

बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	तृश्शूर	(यूए)
चण्डीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बतूर	(यूए)	कोषिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार सिटी	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मेंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड़	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेडवघाला	(नगर निगम)	वृहत विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)
क्षेत्र 'ग' में वे क्षेत्र शामिल होंगे जो इस सूची में शामिल नहीं हैं।					
एनबी: यू.ए. शहरी समूह के लिए है।					

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.4 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 उद्योग में नियोजित कामगारों का चालू सिक्के या करेंसी नोट अथवा बैंक खाते में चेक या जमा राशि द्वारा मजदूरी के भुगतान में विलम्ब को विनियमित कर अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार अधिनियमित करता है।

5.5 मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017:– मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 में दिनांक 16.02.2017 को संशोधन किया गया है ताकि कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के अथवा करेंसी नोट अथवा चेक द्वारा करने अथवा उनके बैंक खाते में जमा करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। किया गया संशोधन समुचित सरकार को भी समर्थवान बनाता है जिससे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठान को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका नियोक्ता ऐसे उद्योग अथवा अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मजदूरी का भुगतान केवल चेक द्वारा अथवा उनके बैंक खातों में मजदूरी राशि जमा करेगा।

5.6 केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों नामतः रेलवे, हवाई यातायात सेवाएं, खान और तेल क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान करने के लिए केवल चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने वाले प्रावधान दिनांक 26.04.2017 को अधिसूचित किया गया है।

5.7 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अनुप्रयोग्यता हेतु 1982 में मजदूरी सीमा 1600/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। अधिनियम के अनुप्रयोग्यता के लिए दिनांक 29.08.2017 प्रतिमाह मजदूरी सीमा से 18000/– से बढ़ाकर 24000/– रुपये कर दी है।

मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009

5.8 महिलाओं को पुरुषों के पूर्ण समान मजदूरी के भुगतान के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कार्यबल की सिफारिशों के अनुसरण, में केन्द्र सरकार ने मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 जून, 2009 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 822 (अ) द्वारा मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009 अधिसूचित किए है जिसमें नामिती की प्रक्रिया को परिभाषित किया है तथा कामगारों द्वारा यथा संभव अपने परिवार के सदस्यों को ही नामित करने हेतु इसे सीमित किया है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.9 सरकार संगठित क्षेत्र में कामगारों के कल्याण और कुशलता को बेहतर बनाने और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। जबकि केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में नामित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मजदूरी संहिता, 2019 और मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियमावली, 2025 का प्रारूप

5.10 मजदूरी संहिता, 2019 को चार श्रम कानूनों, अर्थात (i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; (ii) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; (iii) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और (iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को समाहित करके 08.08.2019 को अधिनियमित किया गया था।

5.11 मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधान असंगठित क्षेत्र सहित सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। मजदूरी संहिता, 2019 के कुछ लाभ निम्नलिखित हैंः–

i. सभी नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता का सार्वभौमिकीकरण।

ii. मजदूरी की सीमा और प्रतिष्ठान की संख्या पर ध्यान दिए बिना, सभी कर्मचारियों को मजदूरी का समय पर संदाय।

iii. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक आधारभूत मजदूरी (फ्लोर वेज) के माध्यम से मजदूरी का संरक्षण, जिससे कम मजदूरी का भुगतान किसी भी कर्मचारी को नहीं किया जाएगा।

iv. सामान्य कार्य दिवस के कार्य घंटों का निर्धारण और विश्राम दिवस के लिए पर्याप्त प्रावधान।

v. सामान्य कार्य घंटों से अधिक या विश्राम के दिन कार्य करने के लिए ओवरटाइम मजदूरी की दर के साथ मुआवजे का प्रावधान, जो मजदूरी की सामान्य दर के दोगुने से कम नहीं होगा।

vi. भत्तों को कुल पारिश्रमिक के 50% तक सीमित करना, जिससे अधिक होने पर भत्तों की गणना मजदूरी (अतिरिक्त हिस्सा) के रूप में की जाएगी, जिससे भविष्य निधि अंशदान, ग्रेच्युटी आदि जैसे मजदूरी से जुड़े पर्याप्त वैधानिक लाभ सुनिश्चित होंगे।

vii. दावा दायर करने की परिसीमा अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

viii. यह सिद्ध करने का भार नियोक्ता पर डालना कि उसके द्वारा सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया गया है।

5.12 मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधान 21.11.2025 से प्रभावी हो गए हैं और इसके पश्चात, 30.12.2025 को हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियमावली, 2025 का प्रारूप पूर्व–प्रकाशित किया गया है।

मजदूरी बोर्ड

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

5.13 यह अधिनियम श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करता है। इसकी धारा 9 और 13C क्रमशः श्रमजीवी पत्रकारों और गैर–पत्रकार समाचार पत्र/समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए मजदूरी के निर्धारण और संशोधन हेतु मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान करती हैं। प्रत्येक मजदूरी बोर्ड में नियोक्ता के तीन प्रतिनिधि, कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि और चार स्वतंत्र सदस्य होते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पूर्व

न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं।

5.14 यह अधिनियम मजदूरी बोर्ड के गठन के लिए कोई विशिष्ट आवधिकता निर्धारित नहीं करता है। पिछले मजदूरी बोर्ड, यानी मजीठिया मजदूरी बोर्ड ने 31.12.2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसकी सिफारिशों को अधिसूचना संख्या का. आ . 2532(ड़) दिनांक 11.11.2011 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। ये सिफारिशें वर्तमान में लागू हैं।

5.15 मजदूरी बोर्ड के अधिनिर्णयों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के विशेष सचिव / अपर सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति इसके कार्यान्वयन की निगरानी करती है। केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति की नवीनतम बैठक 29.05.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। 26 राज्यों (एक–व्यक्ति प्रतिष्ठानों को छोड़कर) ने कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया है।

5.16 इस अधिनियम को व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है, जो 21.11.2025 से प्रभावी हुई है। हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियमावली, 2025 के प्रारूप को 30.12.2025 को पूर्व–प्रकाशित किया गया था।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.17 यह अधिनियम 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में लाभ या उत्पादकता के आधार पर कर्मचारियों को बोनस के भुगतान का प्रावधान करता है। देय न्यूनतम बोनस 8.33% है, जबकि उत्पादकता–संबद्ध बोनस सहित अधिकतम बोनस की सीमा मजदूरी के 20% पर निर्धारित है।

5.18 यह अधिनियम दो सीमाएँ निर्धारित करता हैकृपात्रता सीमा (धारा 2(13)) और गणना सीमा (धारा 12)। बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (1.4.2014 से प्रभावी) के अनुसार, पात्रता सीमा को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह और गणना सीमा को ₹3,500 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह या लागू न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, कर दिया गया था।

5.19 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को मजदूरी संहिता, 2019 में समाहित कर दिया गया है, जो 21.11.2025 से प्रभावी हुई है। हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए मजदूरी संहिता नियमावली, 2025 के प्रारूप को 30.12.2025 को प्रकाशित किया गया था।

*****

अध्याय 6 सामाजिक सुरक्षा

6.1 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ संगठित कार्यबल के केवल एक छोटे से हिस्से को ही कवर करती हैं, जिसे उन श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका किसी संगठन के भीतर प्रत्यक्ष नियमित नियोक्ता–कर्मचारी संबंध होता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून अपनी शक्ति और प्रेरणा भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त करते हैं। इनमें अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रावधान है, जो या तो पूरी तरह से नियोक्ताओं के खर्च पर या नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संयुक्त योगदान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। हालांकि कर्मचारियों को सुरक्षात्मक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अनुपालन की जिम्मेदारी काफी हद तक नियोक्ताओं पर होती है।

सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 भारत में संगठित क्षेत्र के लिए लागू किए गए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून निम्नलिखित हैं:

- **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;**
- **कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (असम राज्य में कोयला खदानों और चाय बागानों में कार्यरत कामगारों तथा नाविकों के लिए अलग–अलग भविष्य निधि विधान मौजूद हैं);**
- **कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923;**
- **प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961;**
- **उपदान संदाय अधिनियम, 1972**

इन अधिनियमों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में समाहित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का प्रशासन

6.3 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों को पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नकद हितलाभों को केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जबकि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ मिलकर चिकित्सा देखरेख प्रदान कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। खदानों और सर्कस उद्योग में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंधों को केंद्र सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के माध्यम से और कारखानों, बागानों और अन्य प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 को केंद्र सरकार द्वारा उसके नियंत्रण वाले प्रतिष्ठानों, एक से अधिक राज्यों में शाखाओं वाले प्रतिष्ठानों, प्रमुख बंदरगाहों, खदानों, तेल–क्षेत्रों और रेलवे कंपनियों में प्रशासित किया जाता है, और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

6.4 व्याप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्षेत्रवार चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में एक सामर्थ्यकारी उपबंध है जिसके तहत 'समुचित सरकार' को अधिनियम के उपबंधों को अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों तक विस्तारित करने का अधिकार दिया गया है। इन उपबंधों के अधीन, समुचित सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों को उन दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, सिनेमाघरों

जिनमें प्रीव्यू थियेटर भी शामिल है, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों, बीमा व्यवसाय में लगे प्रतिष्ठानों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पत्तन न्यास, विमानपत्तन प्राधिकरणों और मालगोदाम प्रतिष्ठानों आदि तक विस्तारित किया है, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिनियम के अधीन आने वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो प्रति माह 21,000/– रुपये तक का और निःशक्त कर्मचारी जो प्रति माह 25,000/– रुपये तक का वेतन आहरित करते है, इस योजना के अंतर्गत व्याप्ति में लिए जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अब 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। इस योजना में दिनांक 31.03.2025 तक 3.84 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति और 14.91 करोड़ लाभार्थी व्याप्ति में हैं।

6.5 प्रशासन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निगम के पास 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 41 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा, बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ प्रदान करने के लिए 612 शाखा कार्यालय और 117 औषधालय–सह–शाखा कार्यालय हैं।

6.6 कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्तपोषण और संचालन

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्तपोषण कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान से किया जाता है। अंशदान की दर मासिक वेतन का 4% है, जिसमें से नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान क्रमशः 3.25% और 0.75% है। निगम कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को "खातागत भुगतान" करता है। वर्तमान में, निर्धारित अधिकतम सीमा प्रति वर्ष ₹3,000/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई है। चिकित्सा देखरेख हितलाभ पर होने वाला व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार के बीच 7:1 के अनुपात में निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर साझा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(5) के अधीन राज्य कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के गठन की पहल की गई है, जिसमें अधिकतम सीमा तक 100% व्यय का वहन करने का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और अन्य भवन के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण पर सभी पूंजीगत व्यय अनन्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। तृतीयक देखभाल पर पूरा व्यय भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

6.7 निवेश

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी अंशदान और निधि से संबंधित अन्य सभी धन, जिसकी दैनंदिन खर्चों के लिए तुरंत ज़रूरत नहीं होती, उसे कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 27 के अधीन निर्धारित तरीके से निवेश किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि का निवेश, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त पोर्टफोलियो प्रबंधकों के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार राज्य विकास ऋण (एसडीएलएस), सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) एएए रेटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बंधपत्रों, मियादी जमा आदि में किया जाता है।

30 सितंबर, 2025 तक, विशेष जमा खाता सहित निधि का कुल निवेश ₹1,64,916.45 करोड़ है।

ई एस आई देय की बकाया राशि

6.8 कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया देय राशि व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा चूक/देयों के कारण दिनांक 31.3.2025 तक ₹6182.70 करोड़ का बकाया देय है। ₹ 3818.38 करोड़ की राशि कारखाने का परिसमापन, औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड/राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मामले, नियोक्ता का अता–पता न होना, न्यायालय में विवाद आदि जैसे कई कारणों से तत्काल वसूली योग्य नहीं पाई गई। शेष राशि ₹ 2364.32 करोड़ तत्काल वसूली जाने वाली बकाया राशि को दर्शाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चूककर्ता नियोक्ताओं से कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948/सामाजिक सुरक्षा

संहिता, 2020 के **अध्याय XI** के उपबंधों के अधीन वसूली तंत्र, विधिक और दंडात्मक कार्रवाई और अभियोजन के माध्यम से वसूली कार्रवाई कर रहा है।

ईएसआई योजना के अर्न्तगत स्वास्थ्य लाभ, जिसमें ईएसआई निगम/ईएसआई योजना अस्पतालों की सूची शामिल है।

6.9 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य हितलाभ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों की सूची कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा परिचर्या, उपचार, दवाएं और मरहम पट्टी, विशेषज्ञ परामर्श और अस्पताल में भर्ती के रूप में सम्पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है।

बीमाकृत व्यक्ति और उनके आश्रितजन, बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से ही चिकित्सा हितलाभ के हकदार हैं। बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को रोगियों के आवश्यकतानुसार चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है, जिसमें बाह्य रोगी देखभाल/अंतरंग रोगी देखभाल, विशिष्ट चिकित्सा देखभाल और अति–विशिष्ट चिकित्सा देखभाल शामिल है। इसके अलावा, आयुष अर्थात आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के तहत चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाती हैं।

लाभार्थियों को अस्पतालों, औषधालयों, औषधालय–सह–षाखा कार्यालयों, बीमा चिकित्सा व्यवसायी क्लीनिकों, और नियोक्ता उपयोगी औषधालयों (ईयूडी) तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं से टाई–अप व्यवस्था जैसी वृहद अवसंरचना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं में निवारक, प्रोत्साहक, निवारक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। अंतरंग रोगी सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	जिला	अस्पताल का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1.	विशाखपट्टनम	विशाखपट्टनम
		2.	पूर्व गोदावरी	राजामहेंद्रवरम
		3.	चित्तूर	तिरुपति
		4.	कृष्ण	विजयवाड़ा
		5.	काकीनाड़	काकीनाड़ (क.रा.बी.निगम))
2.	असम	6.	कामरुप महानगर	बेलतला (क.रा.बी.निगम)
		7.	तिनसुकिया	तिनसुकिया (क.रा.बी.निगम)
3.	बिहार	8.	पटना	फुलवारीशरीफ़ (क.रा.बी.निगम)
		9.	रोहतास	डालमियानगर*
		10.	मुंगेर	मुंगेर*
		11.	पटना	बिहटा (क.रा.बी.निगम)
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य-क्षेत्र)	12.	चंडीगढ़	रामदरबार (क.रा.बी.निगम)
5.	छत्तीसगढ़	13.	रायपुर	रायपुर (क.रा.बी.निगम)
		14.	कोरबा	कोरबा (क.रा.बी.निगम)
		15.	रायगढ़	रायगढ़ (क.रा.बी.निगम)
		16.	दुर्ग	भिलाई (क.रा.बी.निगम)
6.	दिल्ली	17.	पश्चिम दिल्ली	बसईदारापुर (क.रा.बी.निगम)
		18.	शाहदरा	झिलमिल (क.रा.बी.निगम)
		19.	दक्षिण पूर्व दिल्ली	ओखला (क.रा.बी.निगम)
		20.	उत्तर पश्चिम दिल्ली	रोहिणी (क.रा.बी.निगम)
7.	गोवा	21.	दक्षिण गोवा	मडगाँव
8.	गुजरात	22.	अहमदाबाद	बापूनगर (क.रा.बी.निगम)
		23.	अहमदाबाद	नरोड़ा, (क.रा.बी.निगम)

		24.	अहमदाबाद	राजपुर हिरपुर
		25.	गांधीनगर	कलोल
		26.	वड़ोदरा	वड़ोदरा
		27.	सूरत	सूरत (क.रा.बी.निगम)
		28.	राजकोट	राजकोट
		29.	भावनगर	भावनगर
		30.	वलसाड	वापी (क.रा.बी.निगम)
		31.	जामनगर	जामनगर
		32.	भरूच	अंकलेश्वर (क.रा.बी.निगम)
		33.	वड़ोदरा	वड़ोदरा (चेस्ट)*
9.	हरियाणा	34.	गुड़गाँव	गुड़गाँव (क.रा.बी.निगम)
		35.	यमुना नगर	जगाधरी
		36.	पानीपत	पानीपत
		37.	फरीदाबाद	बल्लभगढ़
		38.	भिवानी	भिवानी
		39.	गुडगाँव	मानेसर (क.रा.बी.निगम)
		40.	फरीदाबाद	फरीदाबाद चिकित्सा आयुक्त एवं अस्पताल (क.रा.बी.निगम)
10.	हिमाचल प्रदेश	41.	सोलन	परवाणू
		42.	सोलन	बद्दी (क.रा.बी.निगम)
		43.	सिरमौर	काला अंब (क.रा.बी.निगम)
11.	जम्मू और कश्मीर	44.	सांबा	बड़ी ब्राह्मना (क.रा.बी.निगम)
12.	झारखंड	45.	धनबाद	मैथन (क.रा.बी.निगम)
		46.	सराइकेला खरसावाँ/पश्चिम सिंहभूम	आदित्यपुर (क.रा.बी.निगम)
		47.	रांची	नामकुम, रांची (क.रा.बी.निगम)
13.	कर्नाटक	48.	बेंगलूरु शहरी	राजाजीनगर (क.रा.बी.निगम)
		49.	बेंगलूरु शहरी	इंदिरा नगर
		50.	उत्तर कन्नड़	दांडेली
		51.	दावणगेरे	दावणगेरे
		52.	धारवाड़	हुबली
		53.	मैसूर	मैसूर
		54.	दक्षिण कन्नड़	मंगलूरु
		55.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	शाहबाद *
		56.	बेलगाम	बेलगाम
		57.	बेंगलूरु शहरी	पीण्या (क.रा.बी.निगम)
		58.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	गुलबर्गा (क.रा.बी.निगम)

14.	केरल	59.	आलाप्पुड़ा	एलेप्पी
		60.	कोल्लम	आश्रमम (क.रा.बी.निगम)
		61.	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम
		62.	कोल्लम	एषुकोण (क.रा.बी.निगम)
		63.	तृश्शूर	मुलमकुन्नथुकम
		64.	तृश्शूर	ओलाड़ीकारा
		65.	पालक्काड़	पालक्काड़
		66.	तिरुवनंतपुरम	पेरूकाडा
		67.	एर्नाकुलम	उद्योगमंडल (क.रा.बी.निगम)
		68.	कोट्टायम	वडवथूर
		69.	कोषिकोड	फेरोक
		70.	कन्नूर	थोट्टाडा
15.	मध्य प्रदेश	71.	इंदौर	नंदा नगर (क.रा.बी.निगम)
		72.	इंदौर	इंदौर
		73.	उज्जैन	उज्जैन
		74.	ग्वालियर	ग्वालियर
		75.	भोपाल	भोपाल (क.रा.बी.निगम)
		76.	देवास	देवास
		77.	उज्जैन	नागदा
16.	महाराष्ट्र	78.	मुंबई उपनगरीय	अंधेरी (क.रा.बी.निगम)
		79.	ठाणे	उल्हासनगर
		80.	ठाणे	ठाणे
		81.	मुंबई उपनगरीय	मुलुंड
		82.	मुंबई शहर	एमजीएम
		83.	उस्मानाबाद	वाशी
		84.	मुंबई शहर	वर्ली
		85.	मुंबई उपनगरीय	कांदिवली
		86.	सोलापुर	शोलापुर
		87.	नासिक	नासिक
		88.	नागपुर	नागपुर
		89.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
		90.	पुणे	चिंचवाड़
		91.	कोल्हापुर	कोल्हापुर (क.रा.बी.निगम)
		92.	पुणे	बिबवेवाड़ी (क.रा.बी.निगम)
17.	ओडिशा	93.	सुंदरगढ़	कंसबहाल
		94.	कटक	चौद्वार
		95.	रायगड़ा	जयकेपुर
		96.	झारसुगुड़ा	ब्रजराजनगर*
		97.	खोर्धा	भुवनेश्वर

		98.	केन्दुझर (केन्दुझर)	बड़बिल*
		99.	सुंदरगढ़	राउरकेला (क.रा.बी.निगम)
		100.	अंगुल	अंगुल (क.रा.बी.निगम)
18.	पुदुचेरी	101.	पुडुचेरी	गोरिमेडु (क.रा.बी.निगम)
19.	पंजाब	102.	अमृतसर	अमृतसर
		103.	जालंधर	जालंधर
		104.	लुधियाना	लुधियाना (क.रा.बी.निगम)
		105.	एसएएस नगर (मोहाली)	मोहाली
		106.	कपूरथला	फागवारा
		107.	होशियारपुर	होशियारपुर
		108.	फतेहगढ़ साहिब	मंडी गोबिंदगढ़
20	राजस्थान	109.	जयपुर	जयपुर (क.रा.बी.निगम)
		110.	कोटा	कोटा (क.रा.बी.निगम)
		111.	जोधपुर	जोधपुर
		112.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
		113.	पाली	पाली
		114.	अलवर	भिवाड़ी (क.रा.बी.निगम)
		115.	अलवर	अलवर (क.रा.बी.निगम)
		116.	उदयपुर	उदयपुर (क.रा.बी.निगम)
		117.	बीकानेर	बीकानेर (क.रा.बी.निगम)
21.	तमिलनाडु	118.	चेन्नई	अयानवरम, चेन्नई
		119.	मदुरै	मदुरै
		120.	चेन्नई	के.के नगर, चेन्नई (क.रा.बी.निगम)
		121.	वेल्लोर	वेल्लोर
		122.	विरुधुनगर	शिवकाशी
		123.	सेलम	सेलम
		124.	कृष्णगिरी	होसुर
		125.	त्रिची	तिरुचिरापल्ली
		126.	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली (क.रा.बी.निगम)
		127.	कोयंबटूर	कोयंबटूर
		128.	तिरुपुर	तिरुपुर (क.रा.बी.निगम)
22.	तेलंगाना	129.	हैदराबाद	नाचारम
		130.	निजामाबाद	निजामाबाद
		131.	मेडक	आरसी पुरम
		132.	हैदराबाद	एसएस सनतनगर (क.रा.बी.निगम)
		133.	हैदराबाद	सनतनगर (क.रा.बी.निगम)
		134.	आदिलाबाद	सिरपुर-कागज़नगर
		135.	वारंगल शहरी	वारंगल
23.	उत्तराखंड	136.	उधम सिंह नगर	रुद्रपुर (क.रा.बी.निगम)
24.	उत्तर प्रदेश	137.	कानपुर नगर	पांडुनगर, कानपुर
		138.	कानपुर नगर	आजादनगर, कानपुर
		139.	गाजियाबाद	मोदीनगर
		140.	प्रयागराज	नैनी, इलाहाबाद

		141.	कानपुर नगर	सर्वोदय नगर, कानपुर
		142.	लखनऊ	सरोजिनी नगर, लखनऊ (क.रा.बी.निगम)
		143.	गाजियाबाद	साहिबाबाद (क.रा.बी.निगम)
		144.	आगरा	आगरा
		145.	सहारनपुर	सहारनपुर
		146.	कानपुर नगर	किदवई नगर
		147.	बरेली	बरेली (क.रा.बी.निगम)
		148.	कानपुर नगर	जाजमऊ, कानपुर (क.रा.बी.निगम)
		149.	गौतम बुद्ध नगर	नोएडा (क.रा.बी.निगम)
		150.	अलीगढ़	अलीगढ़
		151.	सोनभद्र	पिपरी
		152.	वाराणसी	वाराणसी (क.रा.बी.निगम)
25	पश्चिम बंगाल	153.	पश्चिम बर्द्धमान	आसनसोल
		154.	हावड़ा	बेलुर बेल्ली
		155.	हावड़ा	बाल्टिकुरी
		156.	हुगली	गौरहाटी
		157.	दक्षिण 24 परगना	बज बज
		158.	नदिया	कल्याणी
		159.	कोलकाता	मणिकतला
		160.	उत्तर 24 परगना	कमरहटी
		161.	कोलकाता	सियालदाह
		162.	हावड़ा	उलुबेरिया
		163.	हुगली	श्रीरामपुर
		164.	हुगली	बंदेल
		165.	दक्षिण 24 परगना	जोका(क.रा.बी.निगम)
		166.	पश्चिम बर्द्धमान	दुर्गापुर

***अकार्यशील अस्पताल**

6.10 चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा : –

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) ने देशभर में चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थापित किए हैं, जिनमें चिकित्सा महाविद्यालय, दंत्य महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और परा–चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में 2010 में संशोधन किया गया और धारा 59–ख को 'चिकित्सा और परा–चिकित्सा शिक्षा' से संबंधित प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, जो निगम को अपने परा–चिकित्सा कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है।

चिकित्सा शिक्षा का औचित्य : क.रा.बी.निगम में चिकित्सा शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है: (1) लाभार्थियों की सेवा के लिए योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमी को पूरा करना, (2) विशेष रूप से व्यावसायिक रोगों पर अनुसंधान करना और चिकित्सकों और परा–चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और (3) समावेशिता को बढ़ावा देना, क्योंकि चिकित्सा महाविद्यालयों में विनिर्दिष्ट सीटें बीमाकृत व्यक्तियों/कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। रोगी संतुष्टि में वृद्धि हेतु गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।

	संस्थानों की सूची	**स्थापना वर्ष**	**सीटें**
क.	**चिकित्सा महाविद्यालय**		
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल राजाजी नगर, बैंगलोर	2012	150
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के.के.नगर, चेन्नै	2013	150
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जोका, पश्चिम बंगाल	2013	150
4.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल गुलबर्गा, कर्नाटक	2013	150
5.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल फ़रीदाबाद, हरियाणा	2015	150
6.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सनथनगर, हैदराबाद	2016	150
7.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल अलवर, राजस्थान	2021	100
8.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बिहटा, पटना, बिहार	2021	100
9	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल अंधेरी, महाराष्ट्र	2025	50
10	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बसई दारापुर, दिल्ली	2025	50
11	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बेलतला, गुवाहाटी, असम	2025	50
12	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल इंदौर, मध्य प्रदेश	2025	50
13	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जयपुर	2025	50
14	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लुधियाना	2025	50
15	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नरोदा, बापूनगर, गुजरात	2025	50

16	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नोएडा	2025	50
17	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल वाराणसी	2025	50
ख.	**क.रा.बी.निगम परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम / संस्थान**		
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल गुलबर्गा, कर्नाटक	2019	130
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के.के.नगर, चेन्नै	2024	72
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सनथनगर, हैदराबाद	2024	72

क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय

क्र.सं.	**क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय**	**विज्ञान स्नातक (नर्सिंग) की सीटें**	**बीमाकृत व्यक्ति के प्रतिपालय**
1.	इन्दिरानगर	60	30
2.	गुलबर्गा	60	30
कुल		120	60

क.रा.बी.निगम परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम/संस्थान

क्र.सं.	**संस्थान**	**परा-चिकित्सा सीटें**	बीमाकृत व्यक्ति के प्रतिपालय
1.	गुलबर्गा	130	104
2.	सनथ नगर	72	-
3.	के.के.नगर	72	-
कुल		274	104

क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय

क्र.सं.	**क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय**	**बीडीएस सीटें**	**बीमाकृत व्यक्तियों की प्रतिपाल्य**
1.	रोहिणी	62	-
2.	गुलबर्गा	62	28
योग		124	28

राज्य को हस्तातरित चिकित्सा महाविद्यालय :

क्र.सं.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय	एमबीबीएस सीटें	बीमाकृत व्यक्तियों की प्रतिपाल्य
1.	कोयंबटूर तमिलनाडु	100	20
2.	मंडी, हिमाचल प्रदेश	120	36
3.	कोल्लम, केरल	110	38
	योग	330	94

क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय : अकादमिक वर्ष 2025-26

क्र.सं.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय	एमबीबीएस सीटें	बीमाकृत व्यक्तियों की प्रतिपाल्य
1.	राजाजी नगर, बेंगलुरु	150	67
2.	के.के. नगर, चेन्नई	150	30
3.	जोका, कोलकाता	150	78
4.	गुलबर्गा, कर्नाटक	150	67
5.	फरीदाबाद, हरियाणा	150	52
6.	सनतनगर, हैदराबाद	150	52
7.	अलवर, राजस्थान	100	35
8.	बिहटा, पटना-बिहार	100	35
9.	अँधेरी, महाराष्ट्र	50	25
10.	बसईदारापुर - दिल्ली	50	00
11.	बेलतला-असम	50	25
12.	इंदौर-मध्य प्रदेश	50	25
13.	जयपुर- राजस्थान	50	17
14.	लुधियाना-पंजाब	50	25
15.	नरोड़ा-बापूनगर, गुजरात	50	25
16.	नोएडा, उत्तर प्रदेश	50	25
17.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	50	25
	योग	1550	608

बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपाल्यों की कुल सीटें (एमबीबीएस) = 608+94 = 702

क.रा.बी.निगम में एमबीबीएस सीटों की संख्या-वर्षवार विवरण

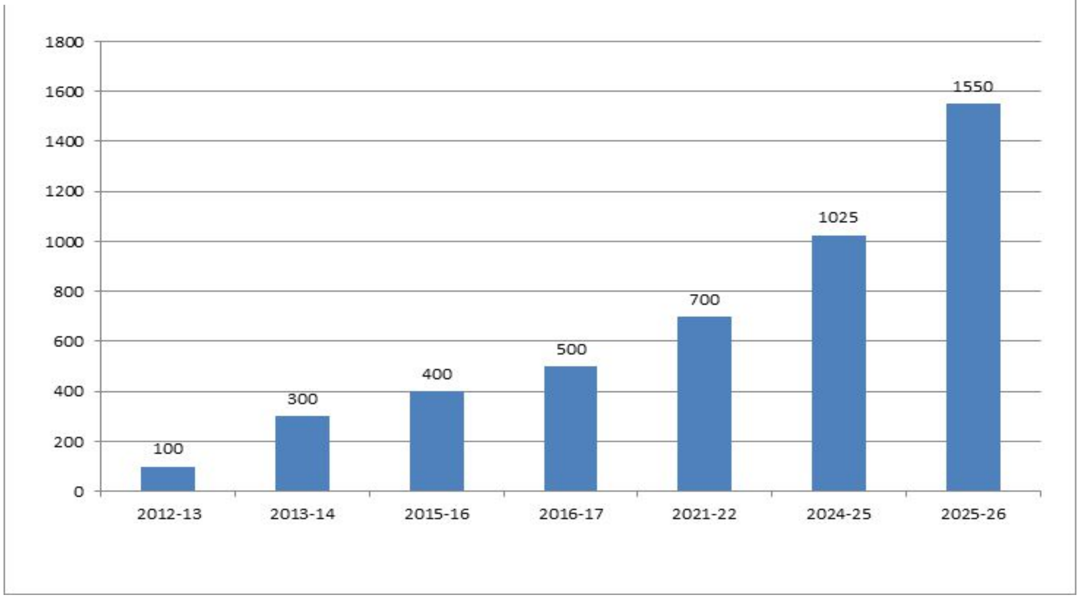

परास्नातक /सुपर स्पेशियलिटी सीटें : अकादमिक वर्ष 2025-26

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	एमडी/एम एस	123	259	275	394	506	559
2.	एनबीईएमएस : डीएनबी/ डिप्लोमा	-	-	81	109	100	182
3.	सुपर-स्पेशियलिटी : डी एम/ एमसीएच	-	-	04	31	31	31
4.	सुपर-स्पेशियलिटी : डॉक्टर एनबी	-	-	-	16	16	12

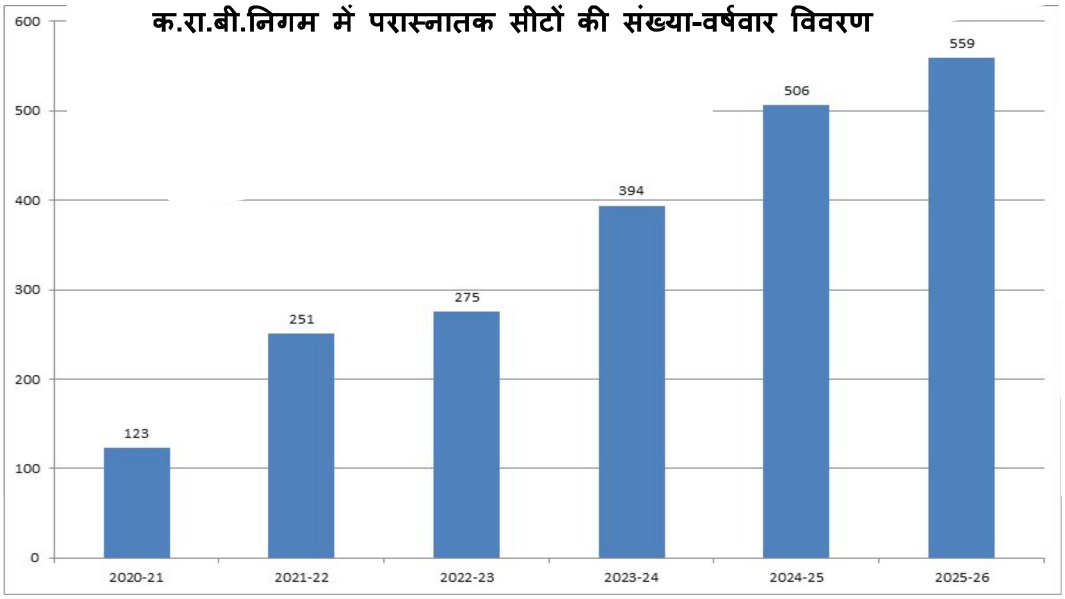

सुपर-स्पेशियलिटी की सीटें : अकादमिक 2025-26

क	सुपर-स्पेशियलिटी : डीएम/एमसीएच	क.रा.बी.निगम बसईदारापुर	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय फ़रीदाबाद	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय सनत नगर
1.	डीएम पलमोनोलॉजी	4	-	-
2.	डीएम कॉर्डिओलॉजी	-	2	-
3.	डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन	-	3	-
4.	एम.सीएच - पीडिएट्रिक सर्जरी	-	2	3
5.	एम.सीएच - न्यूरो सर्जरी	-	2	3
6.	एम.सीएच - कार्डियोथोरेसिस एंड वैस्कूलर सर्जरी	-	-	3
7.	एम.सीएच - यूरोलॉजी	-	-	3
8.	एम.सीएच - प्लास्टिक सर्जरी	-	3	3
		4	12	15
योग		31(4+12+15)		

ख	सुपर-स्पेशियलिटी : एनबीईएमएस 2024-25	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय फ़रीदाबाद	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय सनत नगर	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय राजाजी नगर
1.	डॉक्टर एनबी मेडिकल ओनकोलॉजी	03	02	-
2.	डॉक्टर एनबी रुमेटोलॉजी	-	02	-
3.	डॉक्टर एनबी एंडोक्रिनोलॉजी	-	02	-
4.	डॉक्टर एनबी नेफ्रोलॉजी	-	02	-
5.	डॉक्टर एनबी न्यूरोलॉजी	-	02	-
6.	डॉक्टर एनबी यूरोलॉजी	-		02
7.	डॉक्टर एनबी कॉर्डिओलॉजी	-	02	-
		03	12	02
योग		17 (3+12+2)		

प्रस्तावित नवीन क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय : अकादमिक वर्ष 2026-27 से आगे

क्र.सं.	अस्पताल का नाम
1.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बिब्वेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र
2.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, मानेसर, हरियाणा
3.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, विशाखपट्टनम, आंध्र प्रदेश
4.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, आसनसोल, पश्चिम बंगाल
5.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, सूरत, गुजरात
6.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, मडगाव, गोवा
7.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, कोल्लम, केरल
8.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, पांडुनगर, उत्तर प्रदेश
9.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, चन्द्रशेखरपुर-अंधारुआ, भुवनेश्वर, ओडिशा
10.	क.रा.बी.योजना अस्पताल, नागपुर, महाराष्ट्र

नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य जारी है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ्ढ करने के सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये संस्थाएं चिकित्सा जनशक्ति निर्माण, चिकित्सा शिक्षा में बेहतरीन कार्य करने, समावेशिता और नैदानिक योग्यता को बढ़ावा देने, तथा भारत की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुशल स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा संस्थाओं को तृतीयक देखभाल केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना है। उनका उद्देश्य आधुनिकीकरण, व्यवस्थित, प्रोटोकॉल–आधारित उपचार और बीमाकृत कार्यबल को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रोगियों की देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में हृदय विज्ञान (कार्डियोलॉजी), कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस), गुर्दा रोग विज्ञान (नेफ्रोलॉजी), तंत्रिका विज्ञान (न्यूरोलॉजी), तंत्रिका शल्य चिकित्सा (न्यूरोसर्जरी), अर्बुदविज्ञान (ऑन्कोलॉजी) और अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अति–विशिष्ट सेवाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को नवोन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके।

6.11 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (श्रम एवं रो. मंत्रा), भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाई गयी योजनाओं का प्रबंधन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक कल्याणकारी कानून है जिसे कारखानों और अन्य स्थापनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि और सहबद्ध जमा बीमा निधि की स्थापना करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अधिनियम का लक्ष्य औद्योगिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनके संकट के समय और/या जब वे पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, सामाजिक सुरक्षा और समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करने और साथ ही उन्हें वृद्धावस्था, विकलांगता, एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु और इसी तरह की आकस्मिकताओं से रक्षा करना है।

6.12 कभनि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई योजनाएँ

अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं बनाई गई हैं : –

i. **कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ)** – (1 नवंबर, 1952 से) भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना पर आधारित है,

जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने अनिवार्य अंशदान का भुगतान करते हैं।

ii. **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) (16 नवंबर, 1995 से)** {कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर} "परिभाषित अंशदान" और "परिभाषित लाभ" को मिलाकर पेंशन योजना का निर्माण हुआ है। कर्मचारियों को इस योजना में अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. **कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई)** (1 अगस्त, 1976 से) बीमा योजना एक सहबद्ध जमा योजना है, जो कर्मचारियों से किसी भी अंशदान के बिना 6,00,000 / रुपये तक का लाभ प्रदान करती है।

6.13 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) 16 नवंबर, 1995 को लागू हुई। इसकी शुरुआत के साथ ही, पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 (ईएफपीएस) का संचालन बंद हो गया और इस योजना की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को अंतरित करके इसका विलय कर्मचारी पेंशन कोष में कर दिया गया। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को भविष्य निधि अंशदान के अंतर्गत नियोक्ता के हिस्से से मासिक वेतन का 8.33% के बराबर राशि के साथ–साथ केंद्र सरकार द्वारा मासिक वेतन का 1.16% के अंशदान (केवल पंद्रह हजार रुपये के वेतन पर देय राशि तक सीमित) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

पेंशन योजना के अंतर्गत लाभः

कर्मचारी पेंशन योजना 1995, सदस्यों तथा उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैः

i. 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन।

ii. 50 वर्ष की आयु से समय–पूर्व सदस्य पेंशन।

iii. सेवा के दौरान स्थायी और पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन।

iv. सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन।

v. सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन।

vi. सदस्य की मृत्यु पर यदि, पति/पत्नी नहीं है या पति/पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, 2 अनाथों को 25 वर्ष की आयु तक अनाथ पेंशन।

vii. विकलांग/अनाथ बच्चे को पूरे जीवन के लिए विकलांग/अनाथ पेंशन।

viii. ईपीएस, 1995 के तहत परिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में, सदस्य की मृत्यु पर सदस्य द्वारा विधिवत रूप से पेंशन के लिए नामित व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है।

ix. सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या उसके द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति न हो।

x. रोजगार से बाहर निकलने पर या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान नहीं की हो।

वर्ष 2025 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निपटाये गए पेंशन दावों (सभी लाभों) का श्रेणी–वार विभाजन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

दावों की श्रेणी	01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए निपटाये गए दावों की संख्या (क)	जनवरी-मार्च 2026 अवधि के लिए अनुमान (क/4)
मासिक पेंशन लाभ	4,21,998	11,49,507
निकासी लाभ	45,98,036	11,49,507
कुल	50,20,034	12,55,005

पेंशनभोक्ता

क.पें.यों में शुरूआत से ही लाभार्थियों के संबंध में तेज गति से वृद्धि हुई है । पिछले पांच वर्षों के दौरान पेंशनभोक्ताओं की संख्या को नीचे तालिका एवं ग्राफ में दिखाया गया है :–

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन श्रेणियों का विभाजन

वर्ष	सदस्य पेंशन	पति-पत्नी पेंशन	बाल पेंशन	नामिति पेंशन	माता/पिता पेंशन	अनाथ पेंशन	कुल पेंशनभोक्ता
2020-21	46,27,733	16,57,184	5,55,785	10,402	49,791	18,928	69,19,823
2021-22	48,04,956	18,05,966	5,79,400	10,360	54,675	18,541	72,73,898
2022-23	49,60,922	19,16,647	5,94,256	9,931	59,236	17,921	75,58,913
2023-24	51,32,178	20,21,742	6,04,044	9,644	64,025	17,705	78,49,338
2024-25	53,09,411	21,31,999	6,10,061	9,683	69,817	17,519	81,48,490

6.14 क.पें.यों भुगतान (रुपये करोड़ में)

पेंशन एवं निकासी लाभ के भुगतान में वृद्धि के साथ–साथ सदस्यता तथा वेतन में सामान्य वृद्धि के कारण प्राप्तियों एवं संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में प्राप्तियों एवं कोष में हुई वृद्धि को नीचे तालिका में दिया गया है:

पेंशन निधि प्राप्तियां एवं संग्रह (₹ करोड़ों में)

वर्ष	अंशदान (नियोक्ता का भाग)	अंशदान (सरकार का 1.16% भाग एवं न्यूनतम पेंशन के लिए बजटीय सहायता)	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान	ब्याज	वित्तीय वर्ष के अंत में राशि संग्रह
2020-21	44,009.53	6,552.48	50,562.01	41,472.14	6,02,319.81
2021-22	49,719.98	7,806.20	57,526.18	50,613.95	6,89,210.72
2022-23	56,170.84	8,714.76	64,885.60	52,171.00	7,80,494.11
2023-24	62,423.93	9,356.48	71,780.41	58,668.73	8,88,269.01
2024-25*	73,788.40	10,049.70	83838.10	64,341.77	10,07,460.86

*अलेखापरीक्षित डेटा

6.16 क.पें.यो.भुगतान

वर्ष	संवितरित पेंशन	निकासी लाभ	कुल
2020-2021	12,172.56	8,206.41	20,378.97
2021-2022	12,933.12	7,989.01	20,922.14
01.01.2023 से 31.12.2023	15,181.77	7,883.03	23,064.80
01.01.2024 से 31.12.2024	16,866.95	8,476.67	25,343.62

6.16 न्यूनतम पेंशन उपबंध का कार्यान्वयन

वर्ष 2014–15 के दौरान, क.पें.यों के तहत न्यूनतम पेंशन की लंबे समय से की जा रही मांग को लागू किया गया। केंद्र सरकार ने सदस्य / विधवा (विधुर) / विकलांग / नमिति / आश्रित माता–पिता पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 / – रुपये प्रतिमाह, अनाथ पेंशनभोगियों के लिए 750 / – रुपये प्रतिमाह और बाल पेंशनभोगियों के लिए 250 / – रुपये प्रतिमाह का प्रावधान करने के लिए गजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर.। 593(ई) दिनांक 19.08.2014 एवं जी.एस.आर 603(ई) दिनांक 16.06.2016 जारी की। 1 सितंबर, 2014 से संशोधित न्यूनतम पेंशन का भुगतान शुरू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में लाभान्वित पेंशनभोगियों का विवरण एवं उन्हें संवितरित की गई राशि निम्नानुसार है:

₹1000 के न्यूनतम पेंशन के लिए लाभार्थी एवं बजटीय सहायता

वर्ष	लाभान्वित पेंशनभोक्ताओं की संख्या	मूल पेंशन के रुप में देय पेंशन(₹ करोड़ों में) (ए)	न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के अनुसार भुगतान की गई पेंशन राशि (₹ करोड़ों में) (बी)	न्यूनतम पेंशन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा देय बजटीय सहायता (₹ करोड़ों में) (बी-ए)
2020-2021	19,70,670	1,415.03	2,315.70	900.67
2021-2022	20,44,136	1,421.57	2,348.31	926.74
2022-2023	20,55,878	1,463.01	2,432.77	969.76
01.01.2023 से 31.12.2023	20,55,521	1,471.30	2,450.38	979.08
01.01.2024 से 31.12.2025	20,59,247	1,480.07	2,472.15	992.09
01.01.2025 से 31.12.2025	20,48,728	1,475.22	2,485.96	1,010.74
जनवरी-मार्च, 2026 के लिए अनुमान	20,52,825#	368.80*	621.49*	252.68*

* जनवरी–मार्च,2024 तक के अनुमान की गणना पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत प्रतिशत वृद्धि को 4 से भाग करके की गई है

'कुल राशि को 4 से भाग करके गणना की गई

पेंशन वितरण के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस):

कभनिसं ने जनवरी 2025 से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से अखिल भारतीय पेंशन वितरण के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू की है। सीपीपीएस पहले की पेंशन वितरण प्रणाली से एक बड़ा बदलाव है जो विकेंद्रीकृत थी, जिसमें कभनिसं के प्रत्येक आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3–4 बैंकों के साथ अलग–अलग समझौते करते थे। सीपीपीएस के लाभ इस प्रकार हैं:

1. यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोक्ताओं को देश में, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा, कहीं से अपनी पेंशन को निर्बाध रूप से एक्सेस करने का अधिकार देती है।
2. यह पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना, भले ही पेंशनभोक्ता एक स्थान से दूसरे स्थान चलें जाए या अपना बैंक या

शाखा बदल ले पेंशन के वितरण को पूरे भारत में सुनिश्चित करता है। यह उन पेंशनभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।

3. सभी भुगतानों के मिलान का स्वचालन होगा और पेंशन के क्रेडिट के संबंध में पुष्टि स्वचालित रूप से प्राप्त होगी। यह उन मामलों के लिए त्वरित और सक्रिय कार्रवाई को सक्षम बनाता है जहां पेंशनभोक्ता के बंद या अमान्य बैंक खाते के कारण पेंशन भुगतान विफल हो गया है।

4. सीपीपीएस के प्रचालन के प्रबंधन और सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान और समाधान केंद्र (सीपीपीआरसी) नामक एक विशेष सेल की स्थापना की गई है।

6.17 ई–नामांकनः

कभनिसं ने ई–नामांकन दाखिल करने को बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है क्योंकि इससे सदस्यों को कभनिसं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक नई स्तर की स्वतंत्रता मिलेगी। इससे मृतक सदस्यों / पेंशनभोक्ताओं के परिवार के आश्रित सदस्यों की कठिनाई कम होगी क्योंकि उन्हें अब पेंशन या बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने होंगे। सदस्य पोर्टल में ई–नामांकन के माध्यम से सदस्य अपने नामांकित व्यक्तियों को कितनी ही बार अपडेट कर सकते हैं और केवल नवीनतम नामांकन ही मान्य होगा। वर्ष 2025 के दौरान दायर कुल ई–नामांकन 35,35,727 हैं।

6.18 उच्चतर वेतन पर पेंशन (पीओएचडब्ल्यू) मामलों में प्रगतिः

कभनिसं मुख्यालय नियमित रूप से संयुक्त विकल्प / संयुक्त विकल्पों के सत्यापन और फील्ड कार्यालयों द्वारा पीपीओ जारी करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहा है। आंचलिक कार्यालयों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और आंचलिक कार्यालय भी दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। केभनिआ के स्तर पर भी नियमित रूप से प्रगति की मॉनिटरिंग की जाती है। उच्चतर वेतन पर पेंशन के आवेदनों के निपटान की स्थिति के संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजी जा रही है। कार्यालयों को सलाह दी गई कि वे स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजे गए आवेदनों के संबंध में नियोक्ताओं के साथ समन्वय करें और 31.12.2025 तक अंतिम निपटान सुनिश्चित करें।

5. 31.12.2025 तक, ईपीएफओ में प्राप्त लगभग 15.24 लाख आवेदनों में से करीब–करीब 99.2% का निपटान कर दिया गया है। कुल 4,29,415 मांग पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से बाद में मुख्य रूप से मांग राशि जमा न करने के कारण 42,313 मामले अयोग्य पाए गए। लगभग 2,39,420 आवेदकों ने मांग राशि / सहमति दी, जिनमें से 98,322 सेवा में बने हुए हैं और 1,41,098 पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से पहले से ही सेवानिवृत्त आवेदकों में से 1,34,658 ने फॉर्म 10डी में पेंशन दावा प्रस्तुत किया है और लगभग 1,31,141 आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) पहले ही जारी किए जा चुके हैं जबकि 3,517 पीपीओ को अंतिम रूप दिए जा रहे हैं।

6.19 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976.

कनिसबी योजना दिनांक 1 अगस्त, 1976 को लागू हुई। इस योजना में नियोक्ता को 0.5% का मामूली अंशदान करना होता है। योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं देना होता है।

6.20 अनुप्रयोग तथा कवरेज

बीमा योजना उन सभी फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर लागू होती है, जिन पर क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 लागू होता है। वे सभी कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के सदस्य हैं।

6.21 योजना के अंतर्गत लाभ

किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर,जो मृत्यु के समय स्कीम का सदस्य था को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

i. परिवार को पिछले 12 महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, भविष्य निधि खाते में औसत शेष राशि के बराबर राशि मिलेगी; बशर्ते (क). जहां औसत भविष्य निधि शेष पचास हजार रुपए (₹50,000) से कम है, वहां सदस्यों के आश्रितों/कानूनी वारिसों को पचास हजार रुपए (₹50,000) का न्यूनतम लाभ देय होगा। (ख). जहां औसत शेष राशि पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां देय राशि पचास हजार रुपए के साथ पचास हजार रुपए से अधिक की राशि का 40% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए होगी । लाभ में बीस प्रतिशत तक और वृद्धि की जाएगी।

ii. जहां मृतक सदस्य,जिस महीने से उसकी मृत्यु हुई उससे पूर्व, निरंतर बारह महीनों की अवधि के लिए रोजगार में था, वहां लाभ की मात्रा कर्मचारी की मृत्यु के महीने से पूर्व के बारह महीनों के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन (अधिकतम ₹15,000 के अधीन) को पैंतीस से गुणा करके, साथ ही पिछले बारह महीनों के दौरान मृतक के भविष्य निधि खाते में औसत शेष राशि का पचास प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख पचहत्तर हजार रुपए होगी । इसके अतिरिक्त, जहां सदस्य ने एक वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है, वहां बीमा लाभ दो लाख पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा और सात लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

6.22 ई.डी.एल.आई के मुख्य आंकड़े

पिछले 5 कैलेंडर वर्षों में निपटाए गए ई.डी.एल.आई दावों और वितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

पिछले 5 कैलेंडर वर्षों के मुख्य आंकड़े		
कैलेंडर वर्ष	निपटाए गए दावे	कुल राशि (करोड़ रुपये में)
01.01.2020 से 31.12.2020	28831	716.92
01.01.2021 से 31.12.2021	65584	1908.78
01.01.2022 से 31.12.2022	75883	2168.08
01.01.2023 से 31.12.2023	76347	2099.41
01.01.2024 से 31.12.2024	71518	2090.93
01.01.2025 से 31.12.2025	75104	2286.48

6.23. अंतर्राष्ट्रीय कामगार प्रभाग

भारत ने 22 सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से नवीनतम समझौता पोलैंड के साथ किया गया है। हालांकि, 22 सामाजिक सुरक्षा समझौतों में से दो (अर्जेंटीना और पोलैंड के साथ) अभी लागू होना बाकी हैं। इन देशों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	सा.सु.स देशों के नाम	क्र.सं.	सा.सु.स देशों के नाम
1	बेल्जियम	12	चेक गणराज्य
2	जर्मनी	13	नॉर्वे
3	स्विट्जरलैंड	14	ऑस्ट्रिया

4	डेनमार्क	15	कनाडा
5	लक्ज़मबर्ग	16	ऑस्ट्रेलिया
6	फ्रांस	17	जापान
7	दक्षिण कोरिया	18	क्यूबेक
8	नीदरलैंड	19	पुर्तगाल
9	हंगरी	20	ब्राजील
10	फिनलैंड	21	अर्जेंटीना (29.09.2023 को हस्ताक्षरित, अभी लागू होना शेष)
11	स्वीडन	22	पोलैंड (25.11.2024 को हस्ताक्षरित, अभी लागू होना शेष)

- वर्तमान में 16 देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों के लिए बातचीत चल रही है, जिनमें अमेरिका, यूके, फिलीपींस, स्पेन, रूस, थायलैंड, चिली, उरुग्वे, पेरू, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, श्रीलंका, इटली, चीन और अल्बानिया शामिल हैं ।

- ईपीएफओ इन सामाजिक सुरक्षा समझौतों के प्रावधानों को प्रचालित करने के लिए नामित सक्षम संस्था और संपर्क निकाय है।

- 29.09.2025 से 03.10.2025 तक कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में ईपीएफओ को अगले त्रैवार्षिक 2026–2028 के लिए आईएसएसए ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया। इसके अलावा, ईपीएफओ को आइएसएसए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा वीडियो महोत्सव 2025 में भाग लेने हेतु चार वीडियो योगदानों के लिए श्रेष्ठता प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

- केंभनिआ ने डब्ल्यूएसएसएफ सत्र "कवर करने में कठिन क्षेत्र तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए नवीन दृष्टिकोण" में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

6.24 बैंकिंग अनुभाग

केंद्रीकृत गैर–पेंशन दावा भुगतान प्रणाली (सीसीपीएस) के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

सीआईटीईएस 2.0 परियोजना के तहत, ईपीएफओ केंद्रीकृत गैर–पेंशन दावा भुगतान प्रणाली (सीसीपीएस) के माध्यम से भुगतान की सभी श्रेणियों के लिए विकेंद्रीकृत मोड से केंद्रीकृत मोड में हस्तांतरित हो रहा है। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और ईपीएफओ दोनों की ओर से इस मोर्चे पर तकनीकी एकीकरण वर्तमान में एक उन्नत चरण में है। एकीकरण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जिसमें सभी हितधारक सक्रिय रूप में शामिल हैं ताकि बिना किसी रुकावट के इसे लागू किया जा सके।

चूंकि एकीकरण शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है, ईपीएफओ इस तिमाही में पेंशन भुगतान, गैर–पेंशन भुगतान और भीम यूपीआई भुगतान सहित केंद्रीकृत गैर–पेंशन दावा भुगतान प्रणाली (सीसीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है।

*****

अध्याय 7 श्रम कल्याण

श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू)

7.1 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू) असंगठित कामगारों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए श्रम कल्याण योजनाएं संचालित करता है। यह योजना उन कामगारों के जीवन स्तर को बढ़ाने और समृद्ध करने का एक माध्यम बन जाती है जो समाज के असंगठित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, जिनकी साक्षरता दर बहुत कम है, खराब स्वास्थ्य मानक और प्रति व्यक्ति आय कम है।

7.2 श्रम कल्याण योजना का मूल उद्देश्य बीड़ी/सिने/लोहा, मैंगनीज, क्रोम/चूना पत्थर और डोलोमाइट/अभ्रक खदानों के कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सहायता प्रदान करना है।

7.3 पहले इस योजना का प्रबंधन संसद के अधिनियमों के तहत सृजित कल्याण निधियों के माध्यम से किया जाता था। इसके अंतर्गत पांच कल्याण निधि अधिनियम थे अर्थात बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976; चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972; अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946; लौह–अयस्क, मैंगनीज–अयस्क खान और क्रोम–अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1976 और सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981। निधि का वित्तपोषण संबंधित उपकर अधिनियमों/निधि अधिनियमों के अंतर्गत उपकर एकत्र करके किया जाता था। तीन उपकर अधिनियम थे अर्थात बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976; लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम–अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम 1976; सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981। चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम और अभ्रक खान श्रमिकों के संबंध में उपकर संग्रहण के उपबंध संबंधित कल्याण निधि अधिनियम में निहित थे। सभी उपकर अधिनियमों को अब निरस्त कर दिया गया है। अब श्रम कल्याण योजना को सरकार से अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

7.4 श्रम कल्याण योजना विशिष्ट नियोक्ता और कर्मचारी संबंध के ढांचे से बाहर है क्योंकि संसाधनों का प्रावधान सरकार द्वारा गैर–अंशदायी आधार पर किया जाता है और कल्याण सेवाएं व्यक्तिगत कामगार के अंशदान से जुड़े बिना प्रदान की जाती हैं। श्रम कल्याण योजनाएं, एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाती हैं, जो विभिन्न अन्य गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं, जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं।

7.5 श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण महानिदेशालय प्रभाग की अध्यक्षता महानिदेशक (श्रम कल्याण) द्वारा की जाती है। उन्हें अठारह कल्याण आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास श्रम कल्याण योजना के प्रशासन के उद्देश्य से निर्दिष्ट प्रादेशिक क्षेत्रीय अधिकार है।

7.6 श्रम कल्याण संगठन (एलडब्ल्यूओ) के रूप में पहचाने जाने वाले कल्याण आयुक्तों जिन्हें श्रम कल्याण आयुक्तों के रूप में जाना जाता है, के अठारह (18) कार्यालय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं। 18 एलडब्ल्यूओ के क्षेत्राधिकार को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

कल्याण आयुक्त और उनके अधिकार क्षेत्र		
क्र. सं.	**क्षेत्र का नाम / कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय**	**कवर होने वाले राज्य**
1.	अहमदाबाद	गुजरात, दीव

2.	अजमेर	राजस्थान
3	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
4.	बेंगलुरु	कर्नाटक
5.	भुवनेश्वर	ओडिशा
6.	चंडीगढ़	पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा
7.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुदुचेरी
8.	देहरादून	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
9.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम
10.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
11.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
12.	तिरुवनंतपुरम	केरल, लक्षद्वीप
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, सिक्किम
14.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन
15.	पटना	बिहार
16.	रांची	झारखंड
17.	रायपुर	छत्तीसगढ
18.	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र

श्रम कल्याण योजनाओं (एलडब्ल्यूएस) के घटक

7.7 श्रम कल्याण योजना के 3 (तीन) घटक हैं अर्थात i) संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस 2016), ii) स्वास्थ्य योजना और iii) बीड़ी/सिनेमा/गैर–कोयला खान कामगारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।

7.8 आवास योजनाः संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस), जो श्रम कल्याण योजना का एक घटक है, बीड़ी कामगारों, सिनेमा और गैर–कोयला खदान कामगारों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने में सहायक रही है।

दिसंबर, 2016 में एक संशोधित आवास योजना (आरआईएचएस, 2016) शुरू की गई थी, जिसमें प्रति लाभार्थी परिवार 1,50,000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। सब्सिडी डीबीटी तंत्र के माध्यम से 25:60:15 के अनुपात की तीन किस्तों में जारी की जाती है (अर्थात ₹37,500/–, ₹90,000/–, और ₹22,500/–) अर्थात पहली अग्रिम के रूप में, दूसरी लिंटेल स्तर तक पहुंचने पर और तीसरी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद के घरों का निर्माण पूरा हो जाने पर ।

इस योजना का बाद में वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ अभिसरण कर दिया गया था और दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को आयोजित एसएफसी की बैठक में आवास योजना (आरआईएचएस 2016) की समाप्ति तिथि दिनांक 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गई थी। अतः, यह योजना समाप्त हो चुकी है और इसके तहत कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि,

पहले से स्वीकृत मामलों की लंबित किस्तों/भुगतानों को पूरा किया जाना था।

इसके बाद, दिनांक 06 जुलाई 2023 को आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में यह सिफारिश की गई कि चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इस योजना के अभिसरण के परिणामस्वरूप पिछली एसएफसी बैठक के निर्णयानुसार आरआईएचएस घटक की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2023 थी, इसलिए आरआईएचएस के तहत कोई नई स्वीकृति नहीं दी जाएगी और केवल शेष दूसरी तथा तीसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा तथा सभी भुगतान देनदारियों को दिनांक 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। अतः समय–सीमा को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 को आरआईएचएस योजना समाप्त हो गई।

वर्तमान में, शेष भुगतानों को निपटाने के लिए समाप्ति तिथि को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

7.9 स्वास्थ्य योजना: देश भर में स्थित 11 अस्पतालों और 279 औषधालयों के माध्यम से बीड़ी, सिनेमा और गैर–कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अलावा, निम्नलिखित गंभीर रोगों के मामले में विशेष चिकित्सा उपचार के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है:

कैंसर	कामगारों या उनके आश्रितों द्वारा किए गए उपचार, दवाओं और आहार शुल्क पर 7,50,000/- रुपए तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
तपेदिक	इलाज करने वाले चिकित्सक की सलाह के अनुसार 750 रुपए से 1000 रुपए प्रति माह का निर्वाह भत्ता दिया जाता है।
हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000/- रुपए तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
किडनी प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/- रुपए तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
हर्निया, एपेन्डेक्टॉमी, अल्सर, स्त्रीरोग संबंधी रोग और प्रोस्टेट रोग	कामगारों और उनके आश्रितों को 30,000 रुपए तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।

मोबाइल डिस्पेंसरी: स्वास्थ्य योजना की विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह है कि श्रम कल्याण संगठन देश भर में स्थित अपनी मेडिकल मोबाइल इकाइयों के माध्यम से कामगारों और उनके परिवारों को घर पर ही स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करता है।

7.10 शिक्षा योजना: बीड़ी/लौह अयस्क खदानों, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खदानों (आईओएमएस)/चूना पत्थर खदानों, डोलोमाइट खदानों (एलएसडीएम)/अभ्रक खदानों और सिनेमा कामगारों के आश्रितों (बच्चों) को प्रति वर्ष प्रति छात्र ₹1,000/– से लेकर ₹25,000/– तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत लाभ डीबीटी (DBT) प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं और योजना के अंतर्गत आवेदन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से आमंत्रित और संसाधित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एनएसपी पोर्टल पर इस योजना के तहत एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	
	वित्तीय सहायता दर 2022-23 से प्रभावी (राशि रुपए में प्रति वर्ष प्रति छात्र)
कक्षा	लड़कियां और लड़के दोनों
I से IV (पोशाक/पुस्तकें आदि खरीदने के लिए.)	1000
V से VIII	1500
IX	2000
X	
कक्षा XI और XII	3000
आईटीआई	6000
पॉलीटेक्नीक	
डिग्री कोर्स (बीएससी-एग्री सहित)	
व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बीई/एमबीबीएस/एमबीए)	25000

7.11 असंगठित कामगारों के लिए अभियान

- **जागरूकता कार्यक्रमः** श्रम कल्याण संगठनों द्वारा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी और अन्य योजनाओं जैसे कि पीएम–एसवाईएम, ई–श्रम, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएम –जेएवाई (आयुष्मान भारत) आदि के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है। अब तक, देश भर में श्रम कल्याण संगठनों (एलडब्ल्यूओ) द्वारा पीएम–एसवाईएम, ई–श्रम, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएम–जेएवाई (आयुष्मान भारत) के लिए 7274 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

- **पंजीकरण शिविरः** श्रम कल्याण संगठन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पंजीकृत करने के लिए सीएससी, नोडल बैंकों और संबंधित राज्य सरकारों की मदद से शिविरों का आयोजन करते हैं।

7.12 राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्वः कल्याण आयुक्त भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के सदस्य हैं।

*****

अध्याय 8 असंगठित कामगार

8.1 असंगठित कामगार को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत घरेलू कामगार, स्व–नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र के वेतन कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह कामगार भी शामिल है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या संहिता अध्याय III से VII अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उपदान, प्रसूति प्रसुविधा, कर्मचारी प्रतिकर के अंतर्गत कवर नहीं होता है। इस अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कर दिया गया है।

8.2 असंगठित कामगार रोजगार के अत्यधिक मौसमी चक्रों, औपचारिक नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों की कमी, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे रूग्णता और बेरोजगारी भत्ते के अभाव से ग्रस्त होते हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों

8.3 पहली बार असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। तदनुसार, असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई–श्रम पोर्टल दिनांक 26 अगस्त, 2021 को आरंभ किया गया था, जो आधार से सहबद्ध किया गया है। इसमें कामगारों के नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक अर्हताएं, कौशल प्रकार आदि का विवरण होता है, ताकि उनकी रोजगार–क्षमता का अधिकतम पता लगाया जा सके तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ पहुंचाने में सुविधा हो। यह प्रवासी कामगारों, संन्निर्माण कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का अब तक का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। दिनांक 16 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार 30.51 करोड़ से अधिक कामगारों को ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस पोर्टल के तहत असंगठित क्षेत्रों के और अधिक कामगारों को पंजीकृत किया जाएगा। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः–

- सन्निर्माण कामगारों, प्रवासी कामगारों, प्लेटफार्म कामगारों, फेरीवालों, घरेलू कामगारों, कृषि कामगारों आदि सहित सभी असंगठित कामगारों का आधार से प्रमाणित एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना।
- असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करना।
- असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण, जिनका प्रशासन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा तत्पश्चात अन्य मंत्रालयों द्वारा भी उनका संचालन किया जा रहा है।
- पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में हितधारकों जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ बोर्डों/ एजेंसियों/ केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए एपीआई के माध्यम से सूचना साझा करना।
- प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता। भविष्य में कोविड–19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना।

ई–श्रम "वन–स्टॉप–सॉल्यूशन" पोर्टल को माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को आरंभ किया गया था। इस एकीकृत मंच का उद्देश्य असंगठित

कामगारों हेतु पहुंच बढ़ाने के लिए एक डिजिटल इंटरफेस – ई–श्रम के तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को समेकित करना है। अब तक, 14 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एसआईडीएच, एनसीएस और उमंग जैसे प्रमुख पोर्टलों के साथ–साथ ई–श्रम के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत या मैप किया गया है। "वन–स्टॉप–सॉल्यूशन" पहल का उद्देश्य असंगठित कामगारों के लाभ के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।

श्रम के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत या मैप किया गया है। "वन–स्टॉप–सॉल्यूशन" पहल का उद्देश्य असंगठित कामगारों के लाभ के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम):

8.4 भारत सरकार ने असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम–एसवाईएम) योजना शुरू की है। दिनांक 31.12. 2026 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 51.94 लाख से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें जिसमें 5.06 लाख लाभार्थियों से संबंधित बल्क अपलोड डेटा शामिल है।

8.5 असंगठित कामगार, जिनमें अधिकतर घर पर रह कर काम करने वाले कामगार, फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कामगार, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्ठी कामगार, मोची, कचरा चुनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, अपने बल पर काम करने वाले कामगार, कृषि कामगार, सन्निर्माण कामगार, चमड़ा कामगार, श्रव्य–दृश्य कामगार और इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों में कार्यरत कामगार, शामिल हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। यह 18 से 40 वर्ष के वर्ग के सभी असंगठित कामगारों के लिए उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 15000/– रूपये अधिक अधिक नहीं है। इसके अलावा उसे नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सदस्य न हो एवं आयकर दाता नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों द्वारा मासिक अंशदान उनके प्रवेश की आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह होगा। समान अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

8.6 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में नामांकन देश भर में फैले कॉमन सेवा केन्द्रों के 4 लाख केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल पर जा कर भी अपना नामंकन कर सकता हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन निधि प्रबंधक है और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

8.7 इस योजना की मुख्य बातें निम्नवत हैं:–

1. 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर न्यूनतम 3000/– रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।
2. पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति/ पत्नी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50%, पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा/ होगी।
3. यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो गई है तब उसका पति/ पत्नी नियमित अंशदान का भुगतान करने पर योजना में बने रहने या बाहर होने के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर होने और योजना में जिस प्रकार लागू हो ब्याज के साथ धनराशि की निकासी करने का हकदार होगा।

पीएम–एसवाईएम में विभिन्न नए मॉड्यूल जैसे स्वैच्छिक निकास मॉड्यूल में, स्वैच्छिक निकास मॉड्यूल, दावे की स्थिति, खाता विवरण देखना और पुनरुद्धार मॉड्यूल आरंभ किए गए हैं।

8.8 व्यापारियों, दुकानदारों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना: व्यापारियों, दुकानदारों और स्वदृनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय

पेंशन योजना का शुभारंभ 12.09.2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस योजना की पात्रता और अन्य बातें पीएम–एसवाईएम योजना के समान हैं। यह भी स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना में अभिदाता का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और वह ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस/पीएम–एसवाईएम का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार 60,674 से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जा चुका है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार

8.9 सन्निर्माण कामगार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की प्रमुख श्रेणियों में से एक हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूरे देश भर में राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के गठन के बाद से 5.77 करोड़ कामगारों को सन्निर्माण गतिविधियों में नियोजित किया गया है। इस क्षेत्र के कामगारों के हितों के रक्षोपाय के लिए सरकार ने सन्निर्माण कामगारों के लिए निम्नलिखित विधान अधिनियमित किए हैंः–

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

8.10 ये विधान राज्य स्तर पर गठित राज्य कल्याण बोर्डों के माध्यम भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए नियोजन और सेवा शर्तों, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों को विनियमित करते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों का गठन करना है। कल्याणकारी उपायों को नियोक्ता द्वारा किए गए सन्निर्माण कार्य की लागत पर उपकर लगाकर वित्तपोषित किया जाता है (सरकार ने उपकर / 1% अधिसूचित किया है)।

8.11 एकत्र की गई निधियों का उपयोग पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। लगभग 1,18,060 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपकर के रूप में एकत्रित की गई हैं और लगभग 68,166 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय की तथा दिनांक 30.06.2025 तक कि स्थिति के अनुसार 71,111 करोड़ रुपये शेष है।

8.12 राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों द्वारा कल्याण योजनाओं के लिए उपकर निधि के उपयोग के संदर्भ में सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। निगरानी समिति समय–समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ अपनी बैठक करती है।

8.13 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 318 में मेसर्स नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर बनाम भारत संघ और अन्य के बीच माननीय न्यायालय की बारीकी से जांच के तहत। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.03.2018 के निर्णय और दिनांक 04.10.2018 के आदेश के अनुसार, भवन और अन्य निर्माण कामगारों हेतु मॉडल योजना और कार्य योजना (कार्यान्वयन मशीनरी को मजबूत करने के लिए) तैयार की गई और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंको वितरित की गई।

मॉडल योजना मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए एक ढांचा तैयार किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

8.14 इसके बाद, समय–समय पर आदर्श कल्याणकारी योजनाएं की समीक्षा करने के लिए कई बैठकें हुई हैं। हितधारकों से भी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस पर एक परिशिष्ट जारी किया गया है और दिसंबर, 2023 में निम्नलिखित दिशानिर्देशों के साथ सभी राज्य/संघ राज्य

क्षेत्रों सरकारों को अग्रेषित भी किया गया है:

i. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों का ई–श्रम पोर्टल के साथ एकीकरण होना चाहिए

ii. ई–श्रम पोर्टल पर बीओसी कामगारों को लाना और उनके पास ई–श्रम सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) होना चाहिए

iii. बीओसी कामगारों की लाभों की सुवाह्यता।

iv. पंजीकृत बीओसी कामगारों के वार्डों के लिए विशेष शैक्षिक / प्रशिक्षण संस्थान खोलना

v. बीओसी कामगारों के बच्चों के लिए स्कूल भवन का सन्निर्माण

vi. राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों द्वारा बीओसी कामगारों के पंजीकरण के लिए सुविधा केंद्र

vii. लाभों की सुवाह्यता और प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए गंतव्य और स्रोत राज्यों और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय।

8.15 मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) तैयार किया गया था और सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को एमएमपी को तत्काल लागू करने हेतु अग्रेषित किया गया था। उन्हें सलाह दी गई कि वे एमएमपी को तत्काल क्रियान्वित करें, ताकि सभी छूटे हुए बीओसी कामगारों को पंजीकृत किया जा सके, जो राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पंजीकृत बीओसी कामगारों को राज्य कल्याणकारी बोर्डों की कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र / राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएम–जेएवाई (आयुष्मान भारत), के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम–जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से जीवन और निःशक्तता कवर, पीएम–सुरक्षा बीमा योजना और पीएम–श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 60 साल बाद आजीवन पेंशन और बीओसी कामकारों के कल्याण के लिए उपकर निधि का उपयोग करके बेरोजगारी, बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निर्वाह भत्ता जैसी सरकारें शामिल हैं।

8.16 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों / प्रशासकों; सभी प्रधान सचिवों / सचिवों / श्रम आयुक्तों; और राज्य कल्याणकारी बोर्डों के सभी सचिवों को एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणकारी बोर्डों द्वारा पंजीकृत कामगारों को नकद सहायता हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के उपयोग और वस्तु के रूप में लाभों के वितरण पर प्रतिबंध के संबंध में है। उक्त आदेश, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देशित करता है कि: कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कोई भी मौद्रिक सहायता केवल लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ही प्रदान की जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदा, महामारी, आग, व्यावसायिक खतरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं या इसी तरह के अन्य संकटों जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, वस्तु के रूप में कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में भी, वस्तु के रूप में लाभ देने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति और भारत सरकार के महानिदेशक (श्रम कल्याण) को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।

8.17 माननीय मंत्री ने दिनांक 11.11.2025 को आयोजित राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में डिजिटल लेबर चौक ऐप और एक ऑनलाइन उपकर संग्रह पोर्टल का उद्घाटन किया। लेबर चौक के माध्यम से राज्यों / संघ राज्यों क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उनके लिए काम ढूंढना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन उपकर पोर्टल उपकर संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और एकत्र की गई राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध होगा।

8.18 भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और भवन और

अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशांए संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता, 2020), और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस, संहिता) में शामिल कर दिया गया है। दोनों संहिताओं को दिनांक 21.11.2025 को अधिसूचित किया गया है।

प्रवासी कामगार और अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगार

8.19 प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए, केन्द्र सरकार ने रोजगार/बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए भारत के भीतर प्रवास करने वाले प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया था। अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों के लाइसेंस आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि प्रदान किए जाते हैं।

8.20 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है और संहिता को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त संहिता जिसे आमतौर पर ओएसएच कोड के रूप में जाना जाता है, प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए अच्छी काम करने की स्थिति, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, कौशल में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह संहिता हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होती है जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 10 या अधिक अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगार कार्यरत हैं या कार्यरत थे।

8.21 ओएसएच संहिता, 2020 में अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है: – (i) नियोक्ता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक राज्य में ठेकेदार के माध्यम से दूसरे राज्य में स्थित ऐसे प्रतिष्ठान में रोजगार के लिए भर्ती किया गया है या (ii) एक राज्य से अपने दम पर आया है और दूसरे राज्य के प्रतिष्ठान में रोजगार प्राप्त किया है या बाद में गंतव्य राज्य के भीतर प्रतिष्ठान को बदल दिया है। इस तरह के रोजगार के लिए एक समझौता या अन्य व्यवस्था और मजदूरी 18000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है।

8.22 एक अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगारों ईपीएफओ, ईएसआईसी, बीमा, पेंशन और अन्य लाभों जैसे सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों का हकदार है जो राज्य में किसी भी प्रतिष्ठान में समान रूप से नियुक्त कामगारों हेतु उपलब्ध हैं।

8.23 ओएसएच संहिता, 2020 (धारा 59 से 65) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:–

धार 60 (क) अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान के ठेकेदार/नियोक्ता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काम की उपयुक्त परिस्थितियों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रवासी कामगार को अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में काम करना अपेक्षित है।

धार 60 (ख) घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट के मामले में, नियोक्ता/ ठेकेदार को दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों और कामगारों के करीबी रिश्तेदारों को भी रिपोर्ट करना होगा।

धार 60 (ग) प्रवासी कामगार ईएसआईसी, ईपीएफओ और अन्य लाभों सहित उस प्रतिष्ठान के नियमित कामगार को उपलब्ध सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र है।

धार 60 (घ) वह वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता के लिए पात्र है।

धार 60 (ङ) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नामक पहल के अंतर्गत वह अपने मूल राज्य या गंतव्य राज्य, जहां वह नियोजित है, में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभों के लिए पात्र है।

धार 60 (च) यदि वह भवन और अन्य सन्निर्माण (बीओसी)

कामगार के रूप में काम कर रहा है तो वह उपकर निधि के परिभाषित लाभों के लिए पात्र है।

धार 60 (छ) एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर।

धार 60 (ज) अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगारों के अध्ययन का भी प्रावधान है।

धार 60 (झ) प्रवासी कामगार के रोजगार की समाप्ति के बाद पिछली देयता के ऋण की वसूली के लिए न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

8.24 अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन का मुख्य उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य क्षेत्र में आने वाली स्थापनाओं में क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की है।

गिग और प्लेटफॉर्म कामगार

8.25 भारतीय कार्यबल गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें गिग अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के तेजी से विस्तार और लचीली कार्य व्यवस्थाओं के बढ़ते प्रचलन से प्रेरित होकर, यह तेजी से बढ़ता क्षेत्र कामगारों का एक नया वर्ग तैयार कर रहा है, जो पारंपरिक नियोक्ता–कर्मचारी प्रतिमान से अलग काम करते हैं।

8.26 नीति आयोग ने जून 2022 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" के माध्यम से अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020–21 में 7.7 मिलियन व्यक्ति गिग कार्य में लगे हुए थे, यह संख्या 2029–30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है और आने वाले वर्षों में और भी अधिक हो सकती है।

8.27 इस बढ़ते हुए वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संसद द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को अधिनियमित किया गया है और पहली बार 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। संहिता में जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने और गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का भी प्रावधान है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए रूपरेखा का विकास

8.28 प्रौद्योगिकी के आगमन ने नई और लचीली प्रकार की नौकरियों, व्यापार मॉडल और कार्य व्यवस्था के साथ काम की दुनिया को बदल दिया है और नए प्रकार के रोजगार अर्थात गिग और प्लेटफॉर्म कार्य को जन्म दिया है। विस्तृत अनुसंधान और विश्लेषण सहित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा अवसंरचना विकसित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

प्लेटफ़ॉर्म कामगार का पंजीकरण और ऑन–बोर्डिंग

8.29 सरकार ने प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के पंजीकरण और निर्माण के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई–श्रम पोर्टल आरंभ किया है। यह किसी व्यक्ति को आधार (यूएएन) का उपयोग करके स्व–घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। आज तक ई–श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों सहित 31.47 करोड़ से अधिक कामगारों को पंजीकृत/ उनका प्रोफाइल अपडेट किया गया है, जिसमें प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

8.30 ई–श्रम प्लेटफॉर्म का उपयोग एग्रीगेटर्स से प्राप्त प्लेटफॉर्म कामगारों के डेटा तक आसान पहुंच और एकीकरण प्रदान करने तथा पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म कामगारों के ई–श्रम पोर्टल डेटा का एपीआई एकीकरण और साथ ही एग्रीगेटर्स की ऑनबोर्डिंग और पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।

8.31 एग्रीगेटर्स को दिनांक 02.05.2025 और 23.07.

2025 को एक परामर्शिका जारी की गई थी, जिसमें उनसे स्वयं को और उनके द्वारा नियोजित प्लेटफॉर्म कामगारों को ई–श्रम पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का आग्रह किया गया था। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होगी। एग्रीगेटर्स के लिए स्वयं को तथा उनके द्वारा नियोजित प्लेटफॉर्म कामगारों को पंजीकृत करने के लिए ई–श्रम पोर्टल पर एक अलग मॉड्यूल दिनांक 12.12.2024 को आरंभ किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 12.03.2025 को एक सरलीकृत प्लेटफॉर्म कामगारों पंजीकरण मॉड्यूल लॉन्च किया गया है

8.32 अब तक, 12 प्रमुख प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को ई–श्रम पोर्टल पर शामिल किया गया है, जिनके नाम – जोमैटो, ब्लिंकिट, अंकल डिलीवरी, अर्बन कंपनी, उबर, अमेज़ॅन, ओला, स्विगी, ईकॉम एक्सप्रेस, रैपिडो, ज़ेप्टो और पोर्टर हैं।

8.33 प्लेटफॉर्म कामगारों के डेटा के साथ–साथ एग्रीगेटर्स की ऑनबोर्डिंग और पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण के साथ ई–श्रम पोर्टल का एपीआई एकीकरण शुरू किया गया है।

8.34 ई–श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु, प्लेटफॉर्म कामगारों को संवेदनशील बनाने और उन्हें ई–श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करने हेतु प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के साथ नियमित विचार–विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से दिनांक 7–17 अप्रैल, 2025, 21–30 मई, 2025 और 25 अगस्त–15 सितंबर, 2025 के दौरान जिला/शहर स्तर पर पंजीकरण शिविर आयोजित करके ई–श्रम पर प्लेटफॉर्म कामगारों को नामांकित करने के लिए तीन राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान भी चलाए गए थे।

व्यापक हितधारक परामर्श

8.35 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की व्यापक समझ और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अवसंरचना विकसित करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स और प्लेटफॉर्म कामगार संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार–विमर्श के 36 दौर आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.10.2025 को को प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन/यूनियनों और नॉलेज पार्टनर्स के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। सचिव (एलएंडई) की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2025, 07.07. 2025, 09.07.2025 और 08.08.2025 को एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।

8.36 आईएलओ के साथ दिनांक 27.05.2025 और दिनांक 17.07.2025 को एक सहयोगात्मक अध्ययन पर दो बैठकें आयोजित की गई हैं, ताकि प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या, प्रचलित व्यवसाय मॉडल, संभावित योजनाएं, वित्तीय निहितार्थ (एग्रीगेटर टर्नओवर और योगदान सहित), और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप सहित विभिन्न कारकों का व्यापक आकलन किया जा सके।

*****

अध्याय 9 बंधुआ मजदूर

9.1 बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन से दिनांक 25.10.1975 से संपूर्ण देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा समाप्त कर दी गई है। इसने सभी बंधुआ मजदूरों के कर्ज को परिसमाप्त करने के साथ–साथ एकपक्षीय आधार पर दासता से मुक्त कर दिया। इसके द्वारा बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

9.2 अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, बंधुआ श्रम प्रणाली समाप्त मानी जाएगी और प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को बंधुआ श्रम करने के किसी भी दायित्व से स्वतंत्र और मुक्त कर दिया जाएगा।
- ऐसी प्रथा, अनुबंध या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज जिनके आधार पर कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य था, उन्हें अवैधानिक घोषित कर दिया गया
- बंधुआ ऋण को चुकाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।
- बंधुआ मजदूरों की गिरवी आदि रखी गई संपत्ति को मुक्त कर दिया गया।
- मुक्त बंधुआ मजदूर को उस कृषि फार्म या अन्य आवासीय परिसर से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए जिस पर वह बंधुआ मजदूरी के हिस्से के रूप में रह रहा था।
- जिला न्यायाधीश को इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए कुछ कर्तव्य और दायित्व सौंपे गए हैं।
- जिला और उप–प्रभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित है।
- अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए एक वर्ष कारावास की सजा है, जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना भी है जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए कार्यकारी न्यायाधीशों की शक्तियों को न्यायीक न्यायाधीश की शक्तियां प्रदत्त किया जाना अपेक्षितहै। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई संक्षेप में की जा सकती है।

बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021

9.3 मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए श्रम मंत्रालय ने मई, 1978 में केंद्रीय प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया। मूल रूप से इस योजना के अंतर्गत 4,000/– रुपये की पुनर्वास सहायता राशि प्रत्येक मुक्त बंधुआ मजदूर को उपलब्ध करवाई गई जो कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा की गई। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, अपना हिस्सा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करने पर उन्हें 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

9.4 तत्पश्चात, समय–समय पर इस योजना में संशोधन किया गया। वर्ष 2016 में, इस योजना को संशोधित किया गया और इसे बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए "केंद्रीय क्षेत्र योजना' – 2016 के रूप में जाना गया। इसके अलावा, इस योजना को जनवरी 2022 में संशोधित किया गया और इस 27.01.2022 से प्रभावी हुई योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- मुक्त बंधुआ मजदूर के लिए वित्तीय सहायता प्रति पुरुष लाभार्थी के लिए एक लाख रुपये है, विशेष

श्रेणी के लाभार्थियों जैसे कि अनाथ या संगठित और जबरन भीख मांगने वाले गिरोहों या अन्य प्रकार का बल पूर्वक बाल श्रम से बचाए गए बच्चों और महिलाओं के लिए दो लाख रुपये और बंधुआ या जबरन श्रम के मामले में तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। जिसमें अत्यधिक अभाव या हासिये पर होने की स्थिति शामिल है, जैसे ट्रांसजेंडर या वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसियों आदि में यौन शोषण या तस्करी से छुड़वाए गए बच्चों और महिलाओं के मामलों में या सक्षम व्यक्तियों के मामलों में या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिला मजिस्ट्रेट सही समझें, तीन लाख रुपये तक बढ़ाई गई है।

- राज्य सरकारों से नकद पुनर्वास सहायता के उद्देश्य से समान अंशदान का भुगतान अपेक्षित नहीं है।

- इस योजना में, प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार बंधुआ मजदूरों का सर्वेक्षण करवाने के लिए राज्य सरकारों को 4.50 लाख रुपये प्रति संवेदनशील जिला, मूल्यांकन अध्ययन के लिए 1.50 लाख रुपये (प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच मूल्यांकन अध्ययन) और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति राज्य प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

- पुनर्वास सहायता जारी करना आरोपी की दोष सिद्धि के साथ जोड़ा गया है। हालांकि आपराधिक कार्रवाई की स्थिति पर बयान दिए बगैर जिला प्रशासन द्वारा मुक्त बंधुआ मजदूर को 30,000/– रुपये तक की त्वरित सहायता प्रदान की जा सकती है। साथ–ही उन मामलों में जहां सुनवाई पूरी नहीं हुई है, परन्तु जिला प्रशासन प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंच गया हो तथा उसे बंधुआ होने का साक्ष्य मिल गया हो, तब दोष सिद्धि के विवरण के अभाव में वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को नहीं रोका जाएगा। तथापि, नकद सहायता तथा गैर–नकद सहायता का अंतिम संवितरण बंधुआ होने के साक्ष्य तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अन्य विधिक परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

- यह योजना मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल मदद देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर उपलब्ध न्यूनतम 10 लाख रुपये की निश्चित धनराशि से प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि बनाने का प्रावधान करती है।

- उपर्युक्त लाभ राज्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य नकद या गैर–नकद लाभों के अतिरिक्त हैं।

दिनांक 31.12.2025 तक 3,16,377 बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया जा चुका है तथा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 10,644.40 लाख रुपये की राशि जारी/प्रतिपूर्ति की गई है। यही नहीं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को दिनांक 31.12.2025 तक सर्वेक्षण, जागरूकता सृजन और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए 1198.28 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

*****

अध्याय 10 ठेका श्रमिक

10.1 ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है कि जिन्हें उपयोगकर्ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है। यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण एवं बढ़ता हुआ स्वरुप है। ये श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे कृषि कार्य, बागान, निर्माण उद्योग, बंदरगाह और गोदी, तेल क्षेत्र, कारखाने, रेलवे, शिपिंग, एयरलाइंस, सड़क परिवहन आदि।

10.2 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 इन कामगारों के हितों की रक्षा करने और संरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हों। यह सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होता है।

10.3 केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में रेलवे, बैंक, खान आदि जैसे प्रतिष्ठान आते हैं और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में उस राज्य में स्थित प्रतिष्ठान आते हैं।

10.4 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा उन्हें संदर्भित किए गए अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर संबंधित सरकारों को सलाह देने के लिए 'समुचित' सरकारों की हैसियत से केंद्रीय और राज्य सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड (सीएसीएलबी) का गठन किया जाना अपेक्षित है। यह बोर्ड जैसा उचित समझे, समितियों का गठन करने के लिए प्राधिकृत है।

10.5 केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड (सीएसीएलबी) एक त्रिपक्षीय निकाय है। गैर–सरकारी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। वर्तमान सीएसीएलबी का पुनर्गठन दिनांक 05.01.2024 को किया गया है और इसका कार्यकाल दिनांक 04.01.2027 तक है। अब तक, केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड की 107 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें वर्तमान बोर्ड की छह बैठकें शामिल हैं।

10.6 अब तक, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त करते हुए अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत 95 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं।

10.7 प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को ठेका कार्य कराने के लिए पंजीकरण कराना/लाइसेंस लेना होता है। वेतन, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में ठेका श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ठेका श्रमिकों को कार्य स्थल पर कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पेयजल आदि सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। मजदूरी और अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ठेकेदार की है, और चूक की स्थिति में यह जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की है।

10.8 केन्द्रीय क्षेत्र में, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की अध्यक्षता की जाती है एवं उसके अधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

10.9 ठेका श्रम (विनियमन और प्रतिषेद) अधिनियम, 1970 ओएसएच और डब्ल्यू सी संहिता, 2020 में शामिल किया गया। ओएसएच संहिता में ठेका श्रमिकों के संबंध में संहिता की प्रयोज्यता के उद्देश्य से किसी भी प्रतिष्ठान में ठेका श्रमिकों की संख्या की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। ओएसएच संहिता में किसी प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकलाप को किसी भी कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है और इसमें कोई भी कार्यकलाप शामिल है जो ऐसे कार्यकलाप के लिए अनिवार्य या आवश्यक है। निम्नलिखित कार्यकलापों को अनिवार्य या आवश्यक

कार्यकलाप नहीं माना जाएगा, यदि इस तरह की कार्यकलापों के लिए प्रतिष्ठान स्थापित नहीं किया गया है, यथा: –

(i) सफाई कार्य, जिसमें झाड़ू लगाना, सफाई करना, झाड़ना और सभी प्रकार के कचरे का एकत्रण और निपटान;

(ii) सुरक्षा सेवाओं सहित निगरानी और निगरानी सेवाएं;

(iii) कैंटीन और खानपान सेवाएं;

(iv) लोडिंग और अनलोडिंग कार्यकलाप;

(v) अस्पतालों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, गेस्ट हाउसों, क्लबों और इसी तरह के जहां वे एक प्रतिष्ठान की सहायता सेवाओं की प्रकृति में हैं;

(vi) कूरियर सेवाएं जो एक प्रतिष्ठान की सहायता सेवाओं की प्रकृति में हैं;

(vii) रखरखाव सहित सिविल और अन्य निर्माण कार्य;

(viii) बागवानी और लॉन और अन्य इसी तरह के कार्यकलापों का रखरखाव;

(ix) हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री सेवाएं, और इसी तरह के अन्य कार्यकलाप, जहां ये एक प्रतिष्ठान की सहायता सेवाओं की प्रकृति के हैं;

(x) एम्बुलेंस सेवाओं सहित परिवहन सेवाएं;

(xi) अनिरंतर प्रकृति का कोई कार्यकलाप, भले ही वह किसी प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यकलाप हो।

*****

अध्याय 11 महिलाएं एवं श्रम

महिला कामगारों की भूमिका

11.1 शहरी क्षेत्रों में महिला कामगार क्रमशः 121.8 और 28.0 मिलियन है (स्रोतः 2011 की जनगणना)। कुल 149.8 मिलियन महिला कामगारों में से 35.9 मिलियन महिलाएं कृषक हैं तथा अन्य 61.5 मिलियन महिलाएं खेतिहर मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। शेष महिला कामगारों में से 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में हैं तथा 43.7 मिलियन अन्य कामगारों के रूप में वर्गीकृत हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2001 में 25.63 प्रतिशत की तुलना में 25.51 प्रतिशत है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

11.2 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2023–24 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति (प्रधान स्थिति + सहायक स्थिति) में पूरे भारत स्तर पर 40.3% था और यह ग्रामीण क्षेत्रों में 46.5% था जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 26% था। सामान्य स्थिति (प्रधान स्थिति + सहायक स्थिति) के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पूरे भारत स्तर पर 41.7% थी, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में 47.6% थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 28% थी। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति (मुख्य स्थिति + सहायक स्थिति) में समग्र बेरोजगारी दर भारत स्तर पर 3.2% थी, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1% थी जबकि शहरी क्षेत्रों में 7.1% थी।

चार श्रम संहिताओं के तहत सुरक्षात्मक कानूनी प्रावधान

11.3 भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिता, अर्थात् वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 लागू की गई है, जिससे 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत और शामिल किया गया है। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य दशाएं बनाने के लिए श्रम संहिताओं में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) वेतन संहिता, 2019

वेतन संहिता, 2019 चार श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाहित करती है, अर्थात्:

1. न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम, 1948,
2. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936,
3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1956 तथा
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

वेतन संहिता, 2019 के प्रावधान महिला–पुरुष में बिना भेद –भाव (जेन्डर न्यूट्रल) के हैं और इस प्रकार लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। वेतन संहिता, 2019 के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं जो सभी कर्मचारियों (महिलाओं सहित) पर समान रूप से लागू होते हैं:

i. सभी रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता का सार्वभौमीकरण।

ii. सभी कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान, यद्यपि कोई भी वेतन सीमा और प्रतिष्ठान क्षमता कुछ भी हो।

iii. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सांविधिक न्यूनतम वेतन के निर्धारण के आधार पर वेतन संरक्षण, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को

मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

iv. कार्य घंटों का निर्धारण, सामान्य कार्य दिवस और विश्राम दिवस के लिए पर्याप्त प्रावधान।

v. सामान्य कार्य घंटों से अधिक कार्य करने या आराम के दिन कार्य करने पर, ओवर टाइम मज़दूरी की दर से मुआवज़ा देने का प्रावधान, जो सामान्य मज़दूरी की दर से दोगुने से कम नहीं होगा।

vi. कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत पर भत्तों की अधिकतम सीमा, जिसमें से अधिक भत्तों की गणना मजदूरी (अतिरिक्त भाग/अंतर) के रूप में की जाएगी, जिससे पेंशन अंशदान, उपदान आदि जैसे मजदूरी से जुड़े पर्याप्त सांविधिक लाभ सुनिश्चित होंगे।

vii. दावा क्लेम करने के लिए सीमा अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाना।

viii. यह सिद्ध करने के लिए नियोक्ता पर प्रमाण का बोझ डालना कि उसके द्वारा सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

वेतन संहिता, 2019 की धारा 3 में यह पारित किया गया है कि समान प्रकृति के काम या समान प्रकृति के काम के संबंध में नियोक्ता द्वारा मजदूरी और भर्ती से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

वेतन संहिता, 2019 की धारा 42 में यह पारित किया गया है कि केंद्र के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा गठित किए जाने वाले सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और सलाहकार बोर्ड समय–समय पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और ऐसे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को किस सीमा तक नियोजित किया जा सकता है, इससे संबंधित मामलों में उनकी संबंधित सरकारों को सलाह देगा।

(ख) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020

व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 तेरह श्रम कानूनों के प्रावधानों को समाहित करती है, अर्थात्:

i. कारखाना अधिनियम, 1948,

ii. बागान श्रम अधिनियम, 1951

iii. खान अधिनियम, 1952,

iv. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955,

v. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958,

vi. परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961,

vii. बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966,

viii. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970,

ix. विक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976

x. अंतर–राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1979,

xi. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981,

xii. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, तथा

xiii. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं जो सभी महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं:

धारा 24(3) – प्रतिष्ठान में कल्याणकारी सुविधाएँ, आदि।

(3) केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त स्थान और दूरी पर

उपयुक्त कमरे या कमरों के साथ क्रेच/शिशुगृह की सुविधा प्रदान करने के लिए नियम बना सकती है, चाहे वह अलग से हो या सामान्य सुविधाओं के साथ उन प्रतिष्ठानों में जहां सामान्यतः पचास से अधिक कामगार काम करते हैं।

धारा 43 – महिलाओं का रोजगार।

43. महिलाएं इस संहिता के तहत सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी अन्य शर्त से संबंधित शर्तों के अधीन सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से भी नियोजित किया जा सकता है।

धारा 44 – खतरनाक कार्यों में महिलाओं की रोजगार की पर्याप्त सुरक्षा।

44. जहां समुचित सरकार यह मानती है कि महिलाओं की रोजगार उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी में या किसी विशेष खतरनाक या जोखिम भरे प्रक्रियाओं में, वहां की गई गतिविधियों के कारण, ऐसी सरकार निर्धारित तरीके से नियोक्ता से यह मांग कर सकती है कि वह महिलाओं के लिए ऐसे कार्य में रोजगार से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करे।

धारा 82 – खतरनाक संचालन– समुचित सरकार नियमों द्वारा उन प्रावधानों को बना सकती है जो किसी भी संचालन, कारखाने या कारखानों की किसी श्रेणी या विवरण से संबंधित हैं, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया या संचालन किया जाता है जो इसमें कार्यरत किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट, विषाक्तता या बीमारी के गंभीर जोखिम में डालता है, के लिए –

(ख) गर्भवती महिलाओं की उत्पादन प्रक्रिया या संचालन में रोजगार पर रोक लगाना या उसे सीमित करना।

धारा 93(2) सुरक्षा – राज्य सरकार महिलाओं या किशोरों के लिए खतरनाक रसायनों का उपयोग या संभालने में रोजगार के लिए विशेष सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है।

धारा 135 – राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार–

(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन और अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम सभी या किसी भी निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थातः '

(i) धारा 93 की उप–धारा (2) के तहत महिलाओं या किशोरों की रोजगार पर रोक लगाने या सीमित करने के लिए

ओएसएच और डब्ल्यूसी की धारा 18 (2)(च) संहिता, 2020

महिला कामगारों सहित महिला बीड़ी कामगारों पर लागू सुरक्षा उपाय और हकदारियां मुख्य रूप से धारा 6 (नियोक्ता के कर्तव्य), धारा 23 (स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाएं), धारा 24 (कल्याण प्रावधान), धारा 25 (कार्य घंटे और मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी), भाग V (बीड़ी और सिगार कामगार) और संहिता के अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं।

(ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नौ श्रम कानूनों के उपबंधों को समाहित किया गया है, अर्थात्:

i. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923,

ii. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

iii. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952,

iv. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना)अधिनियम, 1959,

v. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961,

vi. उपदान संदाय अधिनियम, 1972,

vii. सिने–कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981,

viii. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणउपकर अधिनियम, 1996 तथा

ix असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं जो महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं:

प्रसूति प्रसुविधा:

दो बच्चों तक की महिला कर्मचारी/कामगार को 26 सप्ताह की पूर्ण छुट्टी का वेतन और दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह का वेतन; प्रसव/गर्भपात के बाद छः सप्ताह के दौरान महिलाओं के काम पर रोक; दत्तक और अभिभावक (कमीशनिंग) माताओं के लिए प्रावधान; चिकित्सा बोनस; गर्भपात, एमटीपी और ट्यूबेक्टोमी के लिए छोड़ दें; गर्भावस्था से संबंधित बीमारी के लिए अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी; नर्सिंग 15 महीने तक टूट जाती है; ≥ 50 कर्मचारियों के साथ प्रतिष्ठान के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेच सुविधाएं, नियोक्ताओं के लिए महिला कर्मचारी को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और समय अवधि के साथ मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद, जहां भी संभव हो, घर से काम करने की अनुमति देने का प्रावधान है। (जैसा कि धारा 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 और 67 द्वारा निर्धारित किया गया है)।

(घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत तीन श्रम कानूनों के प्रावधानों को शामिल की गई है, अर्थात्:

i. ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926,

ii. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, तथा

iii. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं जो महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं:

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की शिकायत निवारण समिति की धारा 4 (4) में महिला श्रमिकों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि "शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होगी: बशर्ते कि शिकायत निवारण समिति में महिला श्रमिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों में महिला श्रमिकों के अनुपात से कम नहीं होगा।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 66 (निरंतर सेवा की परिभाषा) में प्रावधान है कि निरंतर सेवा की गणना के उद्देश्य से, कोई महिला श्रमिक ने वास्तव में किसी नियोक्ता के तहत काम करने वाले दिनों की संख्या में वे दिन शामिल होंगे जिन पर वह मातृत्व अवकाश पर रही है, हालांकि, इस तरह के मातृत्व अवकाश की कुल अवधि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (53 का 1961) में निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं है।

शिशु देखभाल केंद्र

11.4 श्रम संहिताओं में बाल देखभाल के लिए शिशु देखभाल (क्रेच) हेतु सांविधिक प्रावधान किए गए हैं। इनमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत शामिल हैं।

शिकायत समिति

11.5 कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। यह समिति (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय), (ख) रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), (ग) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, से निपटेगी।

महिला कामगारों का प्रशिक्षण

11.6 महिला कामगारों को सशक्त बनाने पर भारत सरकार के ठोस कदम के अनुरूप, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड) द्वारा बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कामगारों की अधिक भागीदारी करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे पॉश(पीओएसएच) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि। उक्त अवधि के दौरान बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 6,82,598 महिला कामगारों ने भाग लिया है, इनमें से 1,22,321 अनुसूचित जाति श्रेणी से, 44,641 अनुसूचित जनजाति श्रेणी से और 5,15,636 अन्य श्रेणी से शामिल थीं।

11.7 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति संस्थान है, नियमित आधार पर महिला कामगारों के लिए श्रम और रोजगार के मुद्दों पर विभिन्न अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। महिला–पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण लैंगिक समावेशी समाज बनाने के लिए महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए वीवीजीएनएलआई की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रशिक्षण को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में मानते हुए जिसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल, कौशल और व्यवहार परिवर्तन प्रदान करना है, संस्थान महिला–पुरुष समानता के विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। महिला–पुरुष में भेदभाव किए बगैर और महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विशेष रूप से आयोजित उन्नीस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 439 महिलाओं ने भाग लिया, जो इस प्रकार हैं:

वर्ष 2025 के दौरान जेंडर और महिलाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. सतत विकास के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम – 06–10 जनवरी, 2025
2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देना – 10–28 फरवरी, 2025
3. जेंडर और श्रम मुद्दे– फरवरी 12–14–2025
4. जेंडर, कार्य और विकास – 24–28 मार्च, 2025
5. श्रम में महिला–पुरुष संबंधी मुद्देः पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण – 19–23 मई, 2025
6. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जेंडर, कार्य और सामाजिक सुरक्षा – 23–27 जून, 2025
7. ग्रामीण महिला कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और नेतृत्व – जुलाई 21–23, 2025
8. जेंडर और प्रवासन – 04–08 अगस्त, 2025
9. सतत विकास के लिए नेतृत्व विकास – 25–29 अगस्त, 2025
10. जेंडर संवेदनशील परिवेश को सुविधाजनक बनानाः एक व्यवहारिक दृष्टिकोण– 18–22 अगस्त, 2025
11. जेंडर और परिवर्तनकारी नेतृत्व – 26–29 अगस्त, 2025
12. जेंडर और श्रम कानूनः अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय – 01–03 सितंबर, 2025
13. इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए विकास रणनीतियाँ – 08–12 सितंबर, 2025
14. जेंडर और उद्यमिता – 15–17 सितंबर, 2025
15. महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से संबंधित कानून – 22–26 सितंबर, 2025
16. महिलाओं के बीच रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाना – 13–17 अक्टूबर, 2025
17. जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग – 3–7 नवंबर, 2025
18. भारत में महिलाएं और कार्य– 10–14 नवंबर, 2025

19. इनफ़ॉर्मल अर्थव्यवस्था में महिलाएं – 17–19 नवंबर, 2025

11.8 दिसंबर, 2025 से मार्च, 2026 तक आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमः

1. पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के बीच रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना – 20–28 नवंबर, 2025
2. जेंडर और श्रम मुद्दों में रिसर्च के तरीके – 01–05 दिसंबर, 2025
3. कार्य हेतु विश्व में जेंडर के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम – 08–26 दिसंबर, 2025
4. जेंडर और उद्यमिता एक साथ – 15–16 दिसंबर, 2025
5. महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम जनवरी 12–14, 2026
6. जेंडर और श्रम मुद्दे – 18–20 फरवरी, 2026
7. जेंडर, कार्य और विकास – मार्च –09–13, 2026

नौकरी की ईच्छुक महिलाओं को सहायता

महिलाओं के लिए एनसीएस सुविधाएँ

11.9 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) महिलाओं को सही अवसरों से जुड़ने में मदद करने के लिए विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करती है। प्रासंगिक नौकरियों के लिए आसान खोज और आवेदन को सक्षम करने के लिए "फाइन्ड जॉब" अनुभाग के तहत एनसीएस पोर्टल होम पेज पर एक विशिष्ट फ़िल्टर, "महिलाओं के लिए नौकरियां" उपलब्ध है। महिला उम्मीदवारों को देश भर में (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) 407 मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) द्वारा आयोजित रोजगार मेलों और भर्ती अभियानों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

11.10 रोजगार कार्यालय में पंजीकृत महिलाओं की नौकरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता हैं। वर्ष 2023 के दौरान कुल 151.6 और 2024 के दौरान कुल 134.8 हजार महिलाओं को विभिन्न रोजगारों में रखा गया।

11.11 रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया प्लेसमेंट **अध्याय–24 (तालिका 24.2)** में दिया गया है।

*****

अध्याय 12 बच्चे एवं कार्य

प्रस्तावना

12.1 हमारे संविधान में बच्चों को आर्थिक गतिविधियों और उनकी आयु से मेल नहीं खाने वाले व्यवसायों में काम करने से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद–24) में दिया गया है । संविधान में राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत भी इस प्रतिबद्धता को जोरदार ढंग से दोहराते हैं।

संवैधानिक प्रावधानः

अनुच्छेद 21 क

शिक्षा का अधिकार

राज्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसे ढंग से प्रदान करेगा जैसे राज्य, विधि द्वारा, निर्धारित करेगा।

अनुच्छेद 24

कारखानों, आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिमकारी रोजगार में लगाया नहीं जाएगा।

अनुच्छेद 39

राज्य, विशेषतया, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निदेशित करेगाः–

कामगारों, पुरूषों एवं महिलाओं, के स्वास्थ्य एवं शक्ति, तथा बच्चों की नाजुक आयु प्रताडित न हो तथा यह कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता द्वारा अपनी आयु अथवा शक्ति के लिए अनुपयुक्त उपजीविकाओं में जाने को बाध्य न हों।

12.2 नियोजन के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण हेतु किए गए संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों को सन् 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम–नीति में वर्णित किया गया है। इस नीति में बाल श्रम के जटिल मुद्दे को व्यापक, समग्र एवं एकीकृत ढंग से निपटने की बात कही गयी है। इस नीति के अंतर्गत कार्य योजना बहुमुखी है और इसमें मुख्यतया निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:

(i) विधायी कार्य योजना;

(ii) बच्चों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना; और

(iii) बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना।

कार्य स्थल पर बालकों का विधिक संरक्षण

12.3 बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 2016 में यथा संशोधित, अन्य बातों के साथ–साथ सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन या काम पर पूर्ण प्रतिबंध; शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु आयु से नियोजन के प्रतिषेध की आयु को संबद्ध करना; जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14–18 वर्ष की आयु) के नियोजन का निषेध और अधिनिमय के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए और कड़ा दंड बनाना शामिल है।

12.4 बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017 में, अन्य बातों के साथ–साथ, निवारण, बचाव और पुनर्वास तथा कनवर्जेंस, बच्चे के परिवार के स्वामित्व वाले पारिवारिक उद्यमों में "सहायता" की परिभाषा तथा बाल कलाकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनके विनियमन के उपबंध शामिल हैं। इन नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों का उचित रुप से प्रवर्तन हो, जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) तथा जिला मजिस्ट्रेट की

अध्यक्षता में कार्य बल के भी उपबंध हैं।

12.5 केंद्र सरकार या रेलवे प्रशासन या किसी प्रमुख बंदरगाह या खदान या तेल क्षेत्र के नियंत्रण में प्रतिष्ठानों के संबंध में केंद्र सरकार "समुचित सरकार" है। अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार " समुचित सरकार" है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्य कार्य योजना में संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकारों/सघं राज्य क्षेत्रों की ओर से की गई कार्रवाइयों की गणना की गई है।

12.6 अधिनियम की जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं की अनुसूची को दो भागों में विभाजित किया है अर्थात 'भाग क' जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची को शामिल करते हुए जिनमें किशोरों को कार्य करने से और बच्चों को परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने से प्रतिषिद्ध किया गया है तथा 'भाग ख' में व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अतिरिक्त सूची को शामिल करते हुए जिनमें बच्चों को ('भाग क' के अलावा) परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में सहायता करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। अधिनियम की संशोधित अनुसूची **अनुबंध–12.1** में है।

12.7 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 2016 में समुचित संशोधन करने के पश्चात भारत सरकार ने आईएलओ अभिसमय 138 (रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के निकृष्ट रुप) का दिनांक 13.06.2017 को अनुसमर्थन किया। इन दो महत्वपूर्ण अभिसमयों के अनुसमर्थन से, भारत उन अधिकांश देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्चों के नियोजन तथा कार्य करने को प्रतिषिद्ध करने और उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने हेतु इस विधान को अंगीकार किया है।

12.8 मंत्रालय द्वारा निर्मित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाल श्रम के पूर्ण प्रतिषेध तथा जोखिमकारी श्रम से किशोरों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षकों, पेशेवरों तथा निगरानी एजेंसियों के लिए रेडी रेकनर का काम करती है जिससे अंततः बाल श्रम मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) वैधानिक उपबंधों के प्रवर्तन तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के प्रभावी क्रियान्वयन दोनों के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल में शिकायत कॉर्नर, चाइल्ड ट्रैकिंग पद्धति तथा एनसीएलपी डेटा जैसे घटक हैं। अब बाल श्रम की शिकायत त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) को इस पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक ढंग से पंजीकृत की जा सकती है।

एजेंसियों के बीच समन्वय और अभिसरण

- महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय – बाल श्रम की पहचान के लिए बाल हेल्पलाइन, सर्वेक्षण या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोर्टलों से जानकारी साझा करना।

- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समन्वय – स्कूल स्तर पर 30 दिनों तक लगातार स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की रिपोर्टिंग करना और सभी बच्चों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना; और राज्य और केंद्र स्तर पर पाठ्यक्रम और शिक्षा सामग्री में बाल श्रम के बारे में जानकारी शामिल करना बाल श्रम की रोकथाम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

- स्थानीय स्तर के कौशल विकास विभाग के साथ समन्वय और अभिसरण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सुनिश्चित कर सकता है ताकि उन्हें खतरनाक श्रम में नियोजित होने से बचाया जा सके।

बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि का प्रावधानः

12.10 पुनर्वास निधि के लिए सांविधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने जिला स्तर पर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि के गठन हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि न केवल उन्हें बचाया जाए बल्कि बच्चों और किशोरों के कल्याण और शिक्षा के लिए निधि में एकत्रित राशि द्वारा उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। बच्चों या किशोरों के नियोजकों से

वसूले गए जुर्माने की राशि पुनर्वास निधि में जमा की जाएगी तथा काम से बचाए गए प्रत्येक बच्चे और किशोरों के लिए समुचित सरकार द्वारा पंद्रह हजार रुपये की राशि भी जमा कराई जाएगी।

अनुबंध 12.1

"खण्ड क

जोखिमकारी व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें किशोरों का काम करना तथा बच्चों का मदद करना निषेध है

1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें

(ii) ईंटों की भट्ठियां

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे–

(i) पटाखों का उत्पादन, भंडारण अथवा बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतारना अथवा लाना – ले जाना;

(iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य अथवा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों;

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप–उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन; अथवा

(v) प्राकृतिक गैस और अन्य संबद्ध उत्पाद।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमकारी प्रक्रियाएं (क्रम संख्या (3) से (31) नीचे दी गई हैं

(3) लौह धात्विक उद्ययोग

(i) एकीकृत लौह और इस्पात;

(ii) लौह–मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(4) अलौह धात्विक उद्योगः प्राथमिक धात्विक उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम।

(5) ढला ईखाना (लौह और अलौह) : कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा ककसचिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनान बालू और शॉट ब्लॉस्टिंग द्वारा स्वमूदनिंग अथवा रफनिंग।

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग :

(i) कोयला, लिग्नाहट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस सहित)

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग।

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग।

(9) उर्वरक उद्योग

(i) नाइट्रोजनयुक्त;

(ii) फॉस्फेटिक;

(iii) मिश्रित।

(10) सीमेंट उद्योगः पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पुज्जोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)।

(11) पैट्रोलियम उद्योगः

(i) तेल परिष्करण;

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस।

(12) पेट्रो–रसायन उद्योग।

(13) दवा और औषधीय उद्योगः मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स।

(14) फर्मन्टेसन उद्योग (डिस्टिलरीज एवं ब्रिवरीज)

(15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग)।

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग।

(17) चमड़ा शोधन उद्योग।

(18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग।

(19) रसायनिक उद्योगः

(i) कोक ओवन गौण – उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद;

(ii) औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस);

(iii) औद्योगिक कार्बन;

(iv) क्षार और अम्ल;

(v) क्रोमेट्स और डायक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम और मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स);

(viii) इलेक्ट्रो थर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कार्बाइड);

(ix) नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड (साइनाइड, साइनामाइड्स और अन्य नाइट्रोजनस यौगिक पदार्थ);

(x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजनीकृत यौगिक (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)।

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग।

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक।

(22) मानव निर्मित फाइवर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक) उद्योग।

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत।

(24) शीशा ओर सिरेमिक।

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना।

(26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण।

(27) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी।

(28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग।

(29) कार्बन डाइसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम।

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें।

(32) जोखिमकारी रसायन विनिर्माण, संचयन और आयात नियम, 1989 की अनुसूची दृ॰ के भाग–प॰ में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमकारी और विषाक्त रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया।

(33) सिर काटने संबंधी कार्य सहित बूचड़खानों और कसाईखानों में कार्य।

(34) इलैक्ट्रॉनिक कचरा सहित रेडियोधर्मी पदार्थों के

प्रभाव में आने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं।

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 की अनुसूची–ix में यथाविनिर्दिष्ट जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं ।

(38) बीड़ी बनाने अथवा तंबाकू के विनिर्माण, पेस्टिंग और प्रहस्तन सहित तंबाकू के प्रसंस्करण अथवा खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थ उद्योग में किसी औषध अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा अल्कोहल और किसी बार, पब, पार्टी अथवा अन्य सदृश अवसरों पर जिनमें अल्कोहल युक्त पदार्थ परोसे जाते हों, उनमें तंबाकू के विनिर्माण, पेस्टिंग और प्रहस्तन सहित तंबाकू के प्रसंस्करण में कार्य।

भाग –ख

व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की सूची जिनमें परिवार अथवा पारिवारिक उद्यमों में बच्चों का मदद करना निषेध है (भाग क के अलावा)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय–

1. रेलों द्वारा यात्रियों, माल अथवा डाक को इधर उधर ले जाना;
2. रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;
3. रेलवे स्टेशन पर भोजनालय स्थापन में काम करना, इसमें स्थापन के किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता का एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना शामिल है;
4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा अन्य काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;
5. किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;
6. ओटो मोबाइल वर्कशॉप और गैराज;
7. हथकरघा एवं पावर लूम उद्योग;
8. प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;
9. घरेलू कामगार अथवा नौकर;
10. ढाबे (सड़क किनारे की खाने–पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;
11. गोताखोरी;
12. सर्कस;
13. हाथियों की देखभाल;
14. विद्युत चालित बेकरी मशीन;
15. जूता निर्माण;

प्रक्रियाएं

1. कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;
2. सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;
3. कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल है;
4. लाख/शीलैक विनिर्माण;
5. साबुन बनाना;
6. ऊन की सफाई;
7. भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण सामग्री; बढ़ईगिरि; राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
8. स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
9. अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;
10. काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;
11. इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की

नक्काशी एवं टांका लगाने(सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया;

12. अगरबत्ती' का निर्माण;

13. आटोमोबाईल मरम्मत और रख–रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेंट बीटिंग एवं पेन्टिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं;

14. रुफ टाइल्स इकाईयां;

15. रूई सूत की ओटाई और इसकी प्रोसेसिंग और हौजरी का सामान बनाना;

16. डिटरजेंट का निर्माण;

17. फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नानफेरस);

18. रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;

19. क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों की हैंडलिंग;

20. जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;

21. चूनाभट्टा और चूना निर्माण;

22. ताला बनाना;

23. ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु वस्तुओं को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड, वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, सीसा खनन, नलसाजी, केबल बनाना, तारबिछाना, सीसाढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

24. सीमेन्ट पाइप्स या सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

25. कॉंच, कॉच के वर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियों, दूधिया टयूबें, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;

26. कीटनाशकों और टिड्डीनाशकों का निर्माण और उनका रख–रखाव;

27. जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण अथवा प्रसंस्करण और हैंडलिंग;

28. जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;

29. खेल–कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

30. तेल की पिराई और परिष्करण;

31. कागज बनाना;

32. चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

33. पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

34. ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

35. आरामिल–सभी प्रक्रियाएं;

36. रेशम उद्योग प्रसंस्करण;

37. चमड़े और चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग,रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

38. टायर निर्माण, मरम्मत,री–ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

39. बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

40. 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी प्रक्रियाएं (सभी प्रक्रियाएं);

41. ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

42. धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

43. हीरों की कटाई और पालिश;

44. कचरा उठाना और सफाई संबंधी कार्य;

45. मशीनीकृत मछली पालन;

46. खाद्य प्रसंस्करण;

47. पेयपदार्थ उद्योग;

48. मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पंकिंग करने का कार्य;

49. लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

50. लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

51. भंडारागार कार्यकलाप;

52. मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

53. निम्नलिखित खतरनाक मशीनों से किए जाने वाले प्रचालनः—

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट;

(ख) लिफ्टिंग मशीनें, चैने, रस्सियॉ एवं उत्तोलक रस्सियां;

(ग) घूमने वाली मशीनें;

(घ) विद्युत प्रेस;

(ङ) मेटल ट्रेड में प्रयुक्त मशीनी औजार;

54. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 खण्ड (V) के उप—खंड (iv) में मुद्रण में यथाविनिर्दिष्ट छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

*****

अध्याय 13

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई)

13.1 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), मुंबई श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है। यह कारखानों और पत्तनों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों के संबंध में मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है। यह कारखानों और पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नीतियों और कानूनों के निर्माण/समीक्षा में केंद्र सरकार की सहायता करता है, कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना निरीक्षणालयों से संपर्क बनाए रखता है; तकनीकी मामलों पर सलाह देता है, गोदी कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 को लागू करवाता है; औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता आदि के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान करता है; और मुख्य रूप से औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एसोसिएट फेलो ऑफ इंडसट्रियल हेल्थ–एएफआईएच), जोखिम प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षीय कार्मिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य में चार सप्ताह का विशिष्ट प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आदि शामिल है।

डीजीएफएएसएलआई संगठन में मुख्यालय, पांच श्रम संस्थान (फरीदाबाद, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और शिलांग में) और प्रमुख पत्तनों पर मौजूद गोदी सुरक्षा के ग्यारह निरीक्षणालय शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अलग–अलग प्रभाग/प्रकोष्ठ हैं, यथा कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, गोदी सुरक्षा प्रभाग और सन्निर्माण सलाहकार सेवा प्रभाग।

मुंबई में केंद्रीय श्रम संस्थान ने 1959 से काम करना शुरू कर दिया और फरवरी, 1966 में इसे अपने वर्तमान परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ संस्थान ने प्रगति की है और निम्नलिखित प्रभागों सहित एक प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक स्वछता**
- **औद्योगिक चिकित्सा**
- **कार्य–परिवेश अभियांत्रिकी**
- **कर्मचारी प्रशिक्षण और उत्पादकता**
- **भीषण दुर्घटना जोखिम नियंत्रण**

संस्थान के विभिन्न विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करना जैसी गतिविधियां करते हैं और तकनीकी सलाह, सुरक्षा ऑडिट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और अध्ययन एवं सर्वेक्षण करने के लिए परीक्षण और निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, आदि जैसी सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता और शिलांग में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई) देश के उन संबंधित क्षेत्रों की सेवा करते हैं जहां वे स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित विभाग/खंड हैं:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक स्वच्छता**
- **औद्योगिक चिकित्सा**

भारत के 11 मुख्य पत्तनों यथा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कांडला, मार्मुगाव, तूतिकोरिन, कोच्चिन, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं।

31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति अनुसार डीजीएफएएसएलआई की कुल संख्या इस प्रकार थी:

डीजीएफएएसएलआई संगठन की कुल संख्या (31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति अनुसार)

विभाग का नाम	समूह क			समूह			समूह			कुल		
	एस	डब्ल्यू	वी	एस	डब्ल्यू	वी	एस	डब्ल्यू	वी	एस	डब्ल्यू	वी
मुख्यालय	14	11	02	22	06	16	20	04	16	56	22	34
सीएलआई, मुंबई	21	13	08	06	03	03	82	40	42	109	56	53
आरएलआई, चेन्नई	08	05	03	02	02	00	27	09	18	37	16	21
आरएलआई, फरीदाबाद	07	07	00	02	00	02	10	04	06	19	11	08
आरएलआई, कानपुर	08	07	02	02	00	02	29	08	21	39	14	25
आरएलआई, कोलकाता	08	07	01	02	00	02	27	13	14	37	20	17
गोदी निरीक्षणालय सुरक्षा	14	05	09	11	04	07	31	11	20	56	20	36
कुल	80	55	25	47	15	32	226	89	137	353	159	194

नोट : एसः स्वीकृत क्षमता, डब्ल्यूः कार्यरत, वीः रिक्त

ख. संगठन की गतिविधियाँ

i . कारखानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य

कारखानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों को विनियमित करने का प्रमुख विधान, कारखाना अधिनियम, 1948 है। यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है जिसका मुख्य उद्देश्य कारखानों में कार्यरत कामगारों को औद्योगिक और व्यावसायिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, अधिनियम के अंतर्गत अपने नियमों को तैयार करते हैं तथा अपने कारखाना निरीक्षणालयों / महानिदेशालयों द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को लागू करते हैं।

ii. गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय

गोदी कर्मकार(सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 14 अप्रैल, 1987 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1989 और विनियम, 1990 बनाए गए। अधिनियम और विनियम डॉक कार्य के लिए प्रासंगिक कार्य सहित कार्गो की लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन में लगे गोदी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पहलुओं को कवर करते हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए जोखिमपूर्ण रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 को भी डीजीएफएएसएलआई द्वारा भारत के महापत्तनों में डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से लागू किया गया है।

प्रमुख बंदरगाहों में अधिनियम और विनियमन का प्रशासन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा डीजीएफएएसएलआई, मुंबई के माध्यम से किया जाता है। महानिदेशक, डीजीएफएएसएलआई इस अधिनियम के तहत नियुक्त डॉक सुरक्षा के मुख्य निरीक्षक हैं। मुख्य डाक सुरक्षा निरीक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत महापत्तनों में बनाए गए खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 को लागू करने के लिए भी एक प्राधिकरण है।

उपर्युक्त क़ानूनों को सभी प्रमुख बंदरगाहों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, मोरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय में तैनात निरीक्षकों द्वारा लागू किया गया है।

निरीक्षण प्रभाग का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि विधान के तहत प्रावधानों का पालन हो। निरीक्षक की संवैधानिक जिम्मेदारियों में जहाजों, टैंकरों, ढीली मछलीगियर, कंटेनर–हैंडलिंग उपकरण, डॉक, कंटेनर यार्ड और टर्मिनल, खतरनाक प्रतिष्ठान और अलग–अलग भंडारण, टैंक का निरीक्षण शामिल है; दुर्घटनाओं (घातक

और गंभीर) और खतरनाक घटनाओं की जांच करना; नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाना, शिकायतों का समाधान करना, परामर्श सेवाएं प्रदान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसी सुरक्षा प्रचार गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है। निरीक्षण प्रभाग उस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करता है जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है।

डॉक सुरक्षा संविधियों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी प्रमुख पत्तनों पर डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यकलापों (विभिन्न निरीक्षण, जांच, अभियोजन, संवर्धनात्मक कार्यकलापों आदि) का ब्यौरा अनुबंध–1 में दिया गया है।

कारखाना अधिनियम, 1948 और डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के साथ–साथ अन्य 11 अन्य अधिनियमों को व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) कोड, 2020 में शामिल किया गया है। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020 21.11.2025 को लागू हो गया है। हालांकि, ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड 2020 के तहत नियमों, विनियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

iii. प्रशिक्षण कार्यक्रम

डीजीएफएएसएलआई द्वारा अपने केंद्रीय/क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के माध्यम से कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और मानकों/उपायों के प्रभावी अनुपालन के लिए नियमित रूप से अलग–अलग अवधि के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, डीजीएफएएसएलआई द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है:

- औद्योगिक सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा (एडीआईएस), एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स जिसमें विभिन्न निजी और सरकारी संगठनों के उम्मीदवार भाग लेते हैं ताकि वे फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 40(ख) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक सुरक्षा अधिकारियों के लिए पात्र बन सकें।
- औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच), कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कारखाना चिकित्सा अधिकारियों के लिए पात्र होने के लिए तीन माह का प्रमाणपत्र कोर्स।
- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41ग (ख) के तहत जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकों के लिए 4 सप्ताह का विशेष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।
- कारखानों में नए भर्ती निरीक्षकों के लिए 10–दिवसीय बेसिक कोर्स।
- कारखानों के वरिष्ठ निरीक्षकों के लिए 5–दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्र।
- लंबी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम (3 या अधिक दिनों की अवधि)
- अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 या 2 दिन की अवधि)
- संगोष्ठी/कार्यशाला
- उद्योगों के लिए इन–प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सराहना कार्यक्रम, ओएसएच प्रदर्शनी केंद्रों का दौरा, प्रयोगशालाओं का दौरा आदि।
- उद्योग कर्मियों के लिए वार्ता, ऑनलाइन कार्यक्रम आदि

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अनुबंध–II में दिया गया है।

iv. अध्ययन और सर्वेक्षण

कारखानों और डॉक में कार्य करने की स्थितियों, सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने और संविधियों में शामिल करने के लिए उपयुक्त मानक तैयार करने में केन्द्र सरकार की सहायता करने की दिशा में डीजीएफएएसएलआई द्वारा राष्ट्रीय अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाते हैं। प्रबंधन के अनुरोध पर यूनिट स्तरीय परामर्शी अध्ययन किए जाते हैं और संबंधित कारखानों में और सुधार के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

v. औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

केंद्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थान के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पैनल, मॉडल, चार्ट, ग्राफ, राइट–अप आदि के प्रदर्शन के माध्यम से खतरे के संचार को बढ़ावा देते हैं, जिनका दौरा श्रमिकों, उद्योग के अधिकारियों और अन्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

vi. वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण

सीएलआई, मुंबई में औद्योगिक स्वच्छता प्रभाग औद्योगिक कार्य वातावरण में सुधार के साथ चिंतित है। इस प्रभाग में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला (आईएचएल), श्वसन उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला (आरईटीएल) और गैर–श्वसन उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला (एनआरईटीएल) शामिल हैं। आरईटीएल और एनआरईटीएल प्रयोगशालाएं भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वदेशी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का परीक्षण करती हैं।

- **श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण:**

केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई में श्वसन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुसार स्वदेशी श्वसन पीपीई जैसे डस्ट मास्क, कनस्तर/कार्ट्रिज गैस रेस्पिरेटर, एससीबीए वायु गुणवत्ता उपकरण आदि के प्रदर्शन और दक्षता का परीक्षण करती हैं।

- **गैर–श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण:**

केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई में गैर–श्वसन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुसार स्वदेशी गैर–श्वसन पीपीई जैसे सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, सुरक्षा चश्मा, सुरक्षा बेल्ट और वेल्डिंग चश्मा आदि का परीक्षण करती हैं।

vii. बीआईएस समितियों में प्रतिनिधित्व

डीजीएफएएसएलआई के अधिकारियों को सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों से निपटने वाली कई बीआईएस समितियों / उप–समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है और वे मसौदा मानकों पर टिप्पणियां देते हैं।

viii. गतिविधियाँ और भावी योजनाएँ

क. जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान की गई गतिविधियाँ

1. माननीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा डीजीएफएएसएलआई, मुंबई का दौरा किया गया

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा 15 फरवरी 2025 को कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई का दौरा किया गया। दौरे के दौरान, माननीय मंत्री द्वारा अधिकारियों के साथ बातचीत की गई और डीजीएफएएसएलआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। डीजीएफएएसएलआई के अधिकारियों ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच), नियामक ढांचे और चल रही प्रशिक्षण पहलों में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका का अवलोकन प्रदान किया। डॉ. मांडविया ने प्रशिक्षण हॉल, सम्मेलन कक्ष और डिजिटल संसाधन केंद्रों सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का दौरा किया। उन्होंने डीजीएफएएसएलआई द्वारा बनाए रखी गई प्रयोगशालाओं, विशेष रूप से औद्योगिक स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) परीक्षण पर केंद्रित प्रयोगशालाओं में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने ओएसएच ढांचे को मजबूत करने और इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए, उन्होंने अधिकारियों को निरीक्षण सहित प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में तेजी लाने, प्रयोगशालाओं के बेहतर रखरखाव को सुनिश्चित करने और नियामक गतिविधियों में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।

2. गोदी सुरक्षा प्रभाग द्वारा डीजीएफएएसएलआई के तहत 11 प्रमुख बंदरगाहों पर 'गोदी सुरक्षा और खतरनाक रसायनों की हैंडलिंग' पर कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की गई

डीजीएफएएसएलआई (मुख्यालय) के डॉक सुरक्षा प्रभाग ने 'डॉक सुरक्षा और खतरनाक रसायनों की हैंडलिंग' पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करके भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सुरक्षा अंतराल का आकलन करना, महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल को उजागर करना और बंदरगाह पर खतरनाक रसायनों को संभालने में सुरक्षा और तैयारी की संस्कृति को

बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह के अधिकारियों और हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना है।

डीजीएफएएसएलआई के डॉक सुरक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाएं एक पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करना, नियामक परिदृश्य को समझना और खतरनाक रासायनिक घटनाओं से निपटने के लिए बंदरगाह अधिकारियों की तत्परता को बढ़ाना है। बंदरगाहों पर सुरक्षा मानकों और आपातकालीन तैयारियों के संबंध में लगातार बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए कार्यशालाओं को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। कार्यशालाओं ने सुरक्षित हैंडलिंग प्रथाओं, नियामक ढांचे, आग और विस्फोट जोखिम आकलन के साथ–साथ खतरे को कम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों, चिकित्सा हस्तक्षेप और डॉक आपात स्थिति में अग्निशमन प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्देशित किया गया। बंदरगाह प्राधिकरणों, टर्मिनल ऑपरेटरों, जिला प्रशासन और शिक्षाविदों के साथ एक खुले संवाद को बढ़ावा देकर, इन कार्यशालाओं ने सहयोग के लिए एक अनूठा मंच बनाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रथाओं में लगातार सुधार और अद्यतन किया जाता है।

प्रत्येक कार्यशाला में महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ के नेतृत्व वाली चर्चाएं शामिल थीं, जिनमें आग और विस्फोट जोखिम आकलन, सुरक्षित हैंडलिंग प्रथाएं और खतरनाक रासायनिक जोखिमों को कम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां शामिल थीं। इसके अलावा, प्रतिभागियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी हितधारक आपात स्थिति के मामले में तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ज्ञान से लैस हैं।

इन कार्यशालाओं में शामिल सत्रों ने बंदरगाह प्राधिकरणों, टर्मिनल ऑपरेटरों, स्थानीय प्रशासन, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम किया। कार्यशालाओं ने जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा अंतराल को बंद करने और डॉक श्रमिकों, बंदरगाह अधिकारियों और आसपास के समुदायों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में योगदान दिया है।

कार्यशालाओं के कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र थेः

क. खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण, हस्तांतरण और निपटान सुनिश्चित करना।

ख. संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए आग और विस्फोट जोखिम का आकलन।

ग. रासायनिक रिसाव, रिसाव और आग के लिए मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना और बनाए रखना।

घ. खतरनाक रसायनों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे के साथ अनुपालन आवश्यकताएं।

ङ. उन्नत सुरक्षा तकनीकों को लागू करना, जिसमें वास्तविक समय में खतरे का पता लगाना और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण शामिल है।

च. एचएजेडएमएटी और औद्योगिक आपात स्थितियों के लिए चिकित्सा तत्परता और अग्निशमन क्षमताओं को मजबूत करना।

छ रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सक्रिय शमन रणनीतियों को लागू करना।

ज. प्रभावी रासायनिक रिसाव प्रबंधन और रोकथाम प्रक्रियाओं की स्थापना।

कार्यशालाओं के परिणाम और प्रभाव रहे हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैंः

क. प्रतिभागियों के बीच सुरक्षा मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में बेहतर जागरूकता और समझ।

ख. प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय और संचार को मजबूत करना।

ग. सुरक्षा अंतराल की पहचान और व्यावहारिक समाधानों के विकास को सक्षम करना।

घ. संयुक्त योजना और अभ्यास के माध्यम से रासायनिक और डॉकसाइड आपात स्थितियों के लिए समग्र तैयारियों को बढ़ाना।

ङ. रोकथाम, अनुपालन और निरंतर सुधार पर केंद्रित एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा दिया

आयोजित 11 कार्यशालाओं में से चार (04) कार्यशालाएं वर्ष 2024 में आयोजित की गईं और शेष सात (07) कार्यशालाएं वर्ष 2025 में आयोजित की गईं। वर्ष 2025 में आयोजित कार्यशालाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

कार्यशाला संख्या	दिनांक	कार्यक्रम-स्थल	प्रतिभागियों की संख्या	सुप्रसिद्ध संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमुख विशेषज्ञ
1	30 जनवरी 2025	दीनदयाल पत्तन कांडला	214 कर्मचारी	सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
2	14 फरवरी 2025	कोलकाता पत्तन	145 कर्मचारी	भारतीय संस्थान प्रौद्योगिकी, खड़गपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल
3	26 मार्च 2025	कोचीन पत्तन	100 कर्मचारी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान , कालीकट
4	11 अप्रैल 2025	वीओसी पत्तन सामुदायिक हॉल, तूतीकोरिन	150 कर्मचारी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
5	13 जून 2025	विशाखापत्तनम पत्तन, विशाखापत्तनम	136 कर्मचारी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल
6	25 जुलाई 2025	मुंबई पत्तन प्राधिकारी, मुंबई	100 officials	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई
7	28 नवंबर 2025	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकारी (जेएनपीए), नवी मुंबई	172 कर्मचारी	भारतीय प्रौद्योगि की संस्थान बॉम्बे, मुंबई परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड, मुंबई

3. आरएलआई, शिलांग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय सीआईएफ सम्मेलन का आयोजन

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, शिलांग ने 5 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों के लिए कारखानों के मुख्य निरीक्षक (सीआई एफ) और औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सीआईबीएफ, त्रिपुरा और मेघालय के प्रतिनिधियों के साथ–साथ सीआईएफ असम के वरिष्ठ निरीक्षक, अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक, एक निरीक्षक और आरएलआई शिलांग के अधिकारियों ने सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 और संबद्ध नियमों के प्रशासन, अधिनियम और नियमों के विशिष्ट प्रावधानों के भीतर बाधाओं को दूर करने, हाल ही में हुई सामाजिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति पर विचार करते हुए सुधार के अवसरों की खोज करने और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) को बढ़ावा देने के तरीकों की रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

4. आरएलआई, कानपुर द्वारा 16वीं कन्वर्जेंस बैठक का आयोजन

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर द्वारा 21 फरवरी 2025 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों की 16वीं अभिसरण बैठक का आयोजन किया। इस अभिसरण बैठक में कल्याण और उपकर आयुक्त, डिप्टी सीएलसी कार्यालय, श्रम ब्यूरो, ईपीएफओ, डीए के लिए एनसीएससी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएससी, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

5. परामर्श/अध्ययन/सर्वेक्षण/लेखा परीक्षा का संचालन

कारखानों और डॉक में कार्य करने की परिस्थितियों, सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने और संविधियों में शामिल करने के लिए उपयुक्त मानक तैयार करने में केन्द्र सरकार की सहायता करने की दिशा में डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाते हैं। प्रबंधन के अनुरोध पर यूनिट स्तरीय परामर्शी अध्ययन किए जाते हैं और संबंधित कारखानों में और सुधार के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं। वर्ष 2025 के दौरान, डीजीएफएएसएलआई द्वारा कुल 49 परामर्श/अध्ययन/लेखा परीक्षा आयोजित की गई। डीजीएफएएसएलआई द्वारा संचालित इन कार्यकलापों का ब्यौरा अनुबंध–ए में दिया गया है।

6. व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सांख्यिकी बनाए रखना

क्या यह सच है कि डीजीएफएएसएलआई कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रशासन से संबंधित आंकड़े भी रखता है; और डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम, 1990 का प्रशासन। यह सूचना डीजीएफएएसएलआई द्वारा उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जाती है जहां कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखाने हैं। इस सूचना आधार का उपयोग व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों की योजना और कार्यान्वयन के साथ–साथ उपरोक्त अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन से संबंधित विभिन्न संसद प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में किया जाता है। डीजीएफएएसएलआई और सभी श्रम संस्थानों से संबंधित अन्य जानकारी के साथ यह जानकारी डीजीएफएएसएलआई की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है, जिसे मानक संदर्भ नोट के रूप में जाना जाता है और इसे डीएफएएसएलआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

7. व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

डीजीएफएएसएलआई कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और मानकों/उपायों के प्रभावी अनुपालन के लिए नियमित रूप से अलग–अलग अवधि के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न ओएसएच पहलुओं पर सेमिनार, कार्यशालाएं, 3 या अधिक दिनों की अवधि के कार्यक्रम, 1– या 2 दिन की अवधि के कार्यक्रम, प्रशंसा कार्यक्रम, इन–प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। डीजीएफएएसएलआई कार्यस्थलों, कारखानों, निर्माण स्थलों आदि पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2025 के दौरान आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक–ए में उल्लिखित है।

8. गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा प्रवर्तन गतिविधियाँ

डीजीएफएएसएलआई द्वारा डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और विनियम 1990 के अंतर्गत प्रमुख पत्तनों अर्थात मुंबई, कांडला, जेएनपीटी, मुरमुगाओ, चेन्नई, न्यू मंगलौर, तूतीकोरिन,

कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम और पारादीप में अपने डॉक सुरक्षा प्रभाग के माध्यम से निरीक्षण, जांच और अभियोजन जैसे प्रवर्तन कार्यकलाप किए जाते हैं। डॉक सुरक्षा प्रभाग द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यकलापों का ब्यौरा अनुबंध–I में दिया गया है।

9. डीजीयुवी, जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सहयोगः

डीजीएफएएसएलआई ने डीजीयूवी, जर्मनी के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को सफलतापूर्वक संचालन में लाया है, जो एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नवीनीकरण के माध्यम से हुआ है, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतरता सुनिश्चित करता है। डीजीयुवी का संक्षिप्त रूप, जिसका अर्थ है जर्मन वैधानिक दुर्घटना बीमा जर्मनी के अनिवार्य व्यावसायिक दुर्घटना बीमाकर्ताओं का छत्र संगठन है, जो औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में बीमाधारकों के लिए रोकथाम, अनुसंधान और पुनर्वास का समन्वय करता है। मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक तकनीकी परामर्श और समन्वय के बाद, डीजीएफएएसएलआई और डीजीयुवी के बीच औपचारिक समझौता अब पूरी तरह से कार्यशील है, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के सुधार में निरंतर वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करता है।

10. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण

सीएलआई, मुंबई में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला (आईएचएल), श्वसन उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला (आरईटीएल) और गैर–श्वसन उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला (एनआरईटीएल) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्वदेशी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का परीक्षण किया। वर्ष के दौरान, कुल 247 अकाउंट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का परीक्षण किया गया।

11. हिंदी पखवाड़े का आयोजन

हिंदी पखवाड़ा डीजीएफएएसएलआई (मुख्यालय), मुंबई और चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता, शिलांग और केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई और आईडीएस कार्यालयों में सितंबर 2025 के महीने में मनाया गया। इस दौरान पूरे पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषा में निबन्ध लेखन, कविता पाठ, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

12. स्वच्छता अभियान का आयोजन

डीजीएफएएसएलआई मुख्यालय और केंद्रीय श्रम संस्थान मुंबई में एक दिन एक घंटा एक साथ–एक राष्ट्रव्यापी श्रमदान और एक साथ स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। अन्य आरएलआई में भी स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर संस्थान के अधिकारियों, अधिकारियों और छात्रों ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ख. भविष्य की योजनाएँ जनवरी 2026 से मार्च 2026 के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ

1. ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अंतर्गत नियम मानक तैयार करना

उद्योगों में कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड, 2020 के तहत नियम और मानक तैयार किए जा रहे हैं। ये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित सुरक्षा प्रथाओं, जोखिम प्रबंधन, निरीक्षण और अनुपालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेंगे।

2. डीजीएफएएसएलआई, मुंबई और डीजीयूवी, जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन

डीजीएफएएसएलआई और डीजीयूवी के बीच समझौता ज्ञापन व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगा। यह साझेदारी भारत में सुरक्षा मानकों और प्रथाओं में सुधार के लिए ज्ञान के आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण का समर्थन करती है।

3. डीजीएफएएसएलआई, मुंबई में 'कारखानों के मुख्य निरीक्षकों का सम्मेलन' आयोजित किया जा रहा है

कारखानों के मुख्य निरीक्षकों के सम्मेलन का आयोजन भारत भर में कारखाना सुरक्षा में सुधार के लिए रुझानों,

नियामक अपडेट और रणनीतियों पर चर्चा करने, प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

4. डीजीएफएएसएलआई, मुंबई में 'डॉक सुरक्षा निरीक्षकों का सम्मेलन' आयोजित किया जा रहा है

डॉक सुरक्षा निरीक्षकों का सम्मेलन बंदरगाह संचालन में सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें निरीक्षक डॉक श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों, दुर्घटना की रोकथाम और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करते हैं।

5. डीजीएफएएसएलआई, मुंबई में 'सक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला' का आयोजन

सक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार पेशेवरों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करती है, उन्हें उद्योगों में ओएसएच अनुपालन और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए ज्ञान से लैस करती है।

खनन क्षेत्र, श्रम सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)

13.2 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) भारत सरकार का नियामक निकाय है और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। डीजीएमएस का मुख्यालय धनबाद, झारखंड राज्य में स्थित है।

यह भारत में खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य का प्रबंधन करता है और इस क्षेत्र में मंत्रालय के तकनीकी पूरक के रूप में कार्य करता है। भारत के संविधान के तहत खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य केंद्र सरकार की चिंता है (प्रविष्टि 55 – संघ सूची – अनुच्छेद 246)। इन्हें खान अधिनियम, 1952 (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) कोड, 2020 में समाविष्ट) और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। खान अधिनियम और उसके तहत अधीनस्थ विधान को प्रशासित करने के अलावा, डीजीएमएस खनन क्षेत्र में कुछ अन्य संबद्ध कानूनों का भी संचालन करता है। डीजीएमएस की अध्यक्षता खान के मुख्य निरीक्षक (खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित) द्वारा की जाती है।

13.3 बढ़े हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खनन कार्यकलापों का मशीनीकरण किया गया है। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण से खदानों में तैनात व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिक जोखिम पैदा हो गया। तदनुसार, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की भूमिका भी व्यापक हो गई है।

13.4 खान अधिनियम, 1952, उसके तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान और निदेशालय द्वारा प्रशासित अन्य संबद्ध कानून इस प्रकार हैं:

खान अधिनियम, 1952 (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020 में समाविष्ट)

- कोयला खान विनियम, 2017
- धातुकर्म खान विनियम, 1961
- तेल खान विनियम, 2017
- खान नियम, 1955
- खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- खान बचाव नियम, 1985
- खान क्रेच नियम, 1966
- कोयला खान पिट हेड बाथ नियम, 1959

विद्युत अधिनियम, 2003

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 का हिस्सा, जो खदानों पर लागू होता है, जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाया गया है।

संबद्ध विधान

- कारखाना अधिनियम, 1948: अध्याय प्प और प्ट
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जोखिपूर्ण रसायनों के निर्माण, भंडारण और

आयात नियम 1989

- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974

डीजीएम की भूमिका और कार्य

डीजीएमएस का दृष्टिकोण

13.5 खानों में कार्यरत व्यक्तियों के काम और कल्याण की जोखिम और जोखिम मुक्त परिस्थितियों को प्राप्त करना।

डीजीएमएस का अभियान

13.6 खान में और उसके आसपास दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों के जोखिम की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए:

- उपयुक्त कानून, नियम, विनियम, मानकों और दिशानिर्देशों का विकास
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय और
- कार्यशील–व्यक्तियों और हितधारकों के बीच सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति विकसित करने के लिए जागरूकता पहल

डीजीएमएस के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

1. खानों का निरीक्षण।

2. की जांच

   क दुर्घटनाएं

   ख. खतरनाक घटनाएं – आपातकालीन प्रतिक्रिया

   ग. शिकायतें और अन्य मामले।

3. का अनुदानः

   क. वैधानिक अनुमति, छूट और ढील

   ख. खान सुरक्षा उपकरण, सामग्री और यंत्रों की स्वीकृति।

4. भविष्य की योजना बनाने के लिए दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं से संबंधित पूछताछ (नियमों/ विनियमों के अनुसार) आदि के बारे में जानकारी/ रिपोर्ट रखना।

5. उपर्युक्त के आधार पर, आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न संसदीय समितियों को रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

6. कार्यशाला आदि के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों, सामग्री और सुरक्षित कार्य पद्धतियों के विकास के लिए बातचीत की जाती है।

7. खानों (कोयला और गैर–कोयला) से संबंधित दुर्घटनाओं के आंकड़ों से संबंधित डेटा को संकलित, संसाधित और बनाए रखना

8. प्रकाशनः समय–समय पर निम्नलिखित प्रकाशनों को प्रकाशित करने के लिएः

   क. भारत में खानों के आंकड़े, खंडदृ (कोयला) –(वार्षिक)

   ख. भारत में खानों के आंकड़े, खंडदृ (गैर–कोयला)–(वार्षिक)

   ग. दुर्घटना की मासिक समीक्षा (डीजीएमएस वेब साइट पर) (मासिक)

   घ. डीजीएमएस मानक नोट – वार्षिक

   ङ. डीजीएमएस बुलेटिन दृ त्रैमासिक

9. सीएसओ, आईबीएम, श्रम ब्यूरो, राज्य सरकारों, कोयला मंत्रालय आदि जैसे अन्य संगठनों को खान दुर्घटना और सुरक्षा संबंधी डेटा का प्रसार।

10. सुरक्षा कानून और मानकों के विकास की दिशा में सहायता

11. सुरक्षा सूचना प्रसार।

12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सक्षम व्यक्तियों को ही खान प्रबंधक, सर्वेक्षक, ओवरमैन, फोरमैन आदि के रूप में नियुक्त किया जाता है (कोयला खान विनियम, 2017 और धातु खान विनियम, 1961 के तहत) योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करना।

13. सुरक्षा प्रचार पहल जिनमें शामिल हैं:

क. का संगठन –

- खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली खदानों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
- सुरक्षा सप्ताह और अभियान

ख. प्रचार –

- सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम
- सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के माध्यम से
  - ➢ कर्मकारों का निरीक्षक
  - ➢ सुरक्षा समिति
  - ➢ त्रिपक्षीय समीक्षाएं

13.7 संगठन की स्थापना

यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय धनबाद (झारखंड) में है। इसकी अध्यक्षता खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा की जाती है। मुख्यालय में, महानिदेशक को खनन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सांख्यिकी, व्यावसायिक स्वास्थ्य, कानून, सर्वेक्षण, प्रशासन और लेखा विषयों के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यालय में संगठन के बैक–अप समर्थन के रूप में एक तकनीकी पुस्तकालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भी है। फील्ड संगठन का दो–स्तरीय नेटवर्क है। डीजीएमएस के देश भर में आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं; प्रत्येक जोन उप महानिदेशक के प्रभार में है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत तीन से चार क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र खान सुरक्षा निदेशक के प्रभार में है। कुल 38 ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक जोन में खनन संवर्ग के निरीक्षण अधिकारियों के अलावा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और व्यावसायिक स्वास्थ्य विषयों के अधिकारी होते हैं।

परिपत्र

13.8 डीजीएमएस खनन उद्योग को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों पर परिपत्र जारी करता है, जिनका व्यापक प्रभाव हो सकता है। आवश्यकतानुसार तकनीकी परिपत्र, अनुमोदन परिपत्र, सामान्य परिपत्र, सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, विधायी परिपत्र और विधायी निर्देश जारी किए जाते हैं।

वर्ष 2025 में, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा एक तकनीकी निर्देशकृ डीजीएमएस / (तकनीक) / निर्देश / 01 दिनांक 12.09.2025कृ छोटे ओपनकास्ट खानों में प्रबंधकों की नियुक्ति के संबंध में जारी किया; और दो सामान्य निर्देश डीजीएमएस / (सा.) / निर्देश / 01 दिनांक 28.05.2025 खानों के श्रमिक पहचान संख्या (एल आई एन) सृजन करने की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर, और डीजीएमएस / (सा) / निर्देश / 02दिनांक 16.10. 2025 त्रिपक्षीय / द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने वाले डीजीएमएस अधिकारियों के मार्गदर्शन पर जारी किए।

वर्ष 2025 के दौरान, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने सात तकनीकी परिपत्र जारी किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. डीजीएमएस (टेक) / परिपत्र संख्या 01 / 2025 दिनांक 08.04.2025 दृ खानों में उपयोग के लिए प्रदान किए गए विस्फोटकों की गुणवत्ता और शर्तें।
2. डीजीएमएस (टेक) / परिपत्र संख्या 02 / 2025 दिनांक 11.04.2025 – निरंतर खनिक और लॉन्गवॉल पैनलों पर आवश्यक न्यूनतम वायु मात्रा पर मार्गदर्शन।
3. डीजीएमएस (टेक) / परिपत्र संख्या 03 / 2025 दिनांक 25.04.2025 – गर्मियों में गर्मी की लहरों के दौरान उच्च तापमान के संपर्क में आने के कारण दुर्घटनाओं / घटनाओं के खिलाफ सावधानियां।
4. डीजीएमएस (टेक) / परिपत्र संख्या 04 / 2025 दिनांक 19.06.2025 – खदानों में जीवन और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली आग, आपदा या अन्य आकस्मिकताओं के मामले में आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजनाएं।

5. डीजीएमएस (टेक)/परिपत्र संख्या 05/2025 दिनांक 22.07.2025 – भूमिगत खदानों में आपात स्थिति के मामले में बचाव की तैयारी।

6. डीजीएमएस (टेक)/परिपत्र संख्या 06/2025 दिनांक 20.11.2025 – खानों में ऊंचाई से या गहराई में व्यक्तियों के गिरने के कारण दुर्घटनाओं की रोकथाम।

7. डीजीएमएस (टेक)/परिपत्र संख्या 07/2025 दिनांक 20.11.2025 – दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं को रोकने के लिए ओपनकास्ट कोयला और धातु की खदानों में उपयोग की जाने वाली हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) और सहायक उपकरणों में सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

मानक सेटिंग

13.9 विदेशों के देशों के पिछले अनुभवों/अनुभव के आधार पर, डीजीएमएस द्वारा निम्नलिखित विकासात्मक पहलें की जाती हैं–

- सुरक्षा कानूनों में संशोधन,
- परिपत्रों के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन के लिए दिशा–निर्देश जारी करना और
- डीजीएमएस अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन के लिए तकनीकी निर्देश जारी करना।

योग्यता परीक्षण

13.10 यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सक्षम व्यक्तियों को ही खदान प्रबंधकों, सर्वेक्षकों, ओवरमैन, फोरमैन आदि के रूप में नियुक्त किया जाए, कोयला खान विनियमन, 2017 और धातु खान विनियमन, 1961 के तहत गठित खनन परीक्षा बोर्ड की ओर से डीजीएमएस परीक्षा आयोजित करते हैं और योग्यता प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

13.11 इसके अलावा, हमने सीबीटी–2023 से परीक्षा के आधार पर वैधानिक प्रमाणपत्र के ऑनलाइन निर्माण के साथ वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करने और 21 सितंबर, 2023 से छूट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑफ़लाइन जारी करने की जगह ले ली है।

13.12 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 (अस्थायी रूप से) की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों और जारी किए गए योग्यता प्रमाणपत्रों का विवरण तालिका 13.7 में दिया गया है। इसके अलावा, जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 की अवधि के लिए अनुमानित अनुमान अस्थायी रूप से 3500 आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और बाद में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 3500 प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

खान सुरक्षा उपकरणों की स्वीकृति

13.13 कोयला खान विनियम, 2017, धातु खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 2017, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 और खान बचाव नियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए खानों में उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों को मुख्य खान निरीक्षक (खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित) द्वारा मंजूरी दी जाती है। अनुमोदन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और उपकरणों/सामग्री आदि के विनिर्माण की उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए आवेदनों की संवीक्षा शामिल है, जो खानों के प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रूप से कार्य करने में सक्षम होगी और प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक उपयोग के दौरान चालू रहेगी। उपस्कर को संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए और यदि कोई भारतीय मानक नहीं है, तो मूल देश के मानक (आईएसओ/एन/डीआईएन, आदि) हैं। आवेदन में प्रासंगिक मानक के अनुसार अनुमोदित प्रयोगशाला से परीक्षण प्रमाण पत्र भी शामिल होना चाहिए। दस्तावेजों की जांच करने और क्रम में पाए जाने के बाद, विभिन्न खानों में उपकरणों की गड्ढे की योग्यता की जांच करने के लिए फील्ड परीक्षण अनुमोदन प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में उपकरणों को सफलतापूर्वक आजमाने के बाद, संबंधित खान प्रबंधन से प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। यदि उपर्युक्त रिपोर्टें संतोषजनक पाई जाती हैं तो एक विशिष्ट अवधि के लिए नियमित अनुमोदन

प्रदान किया जाता है।

13.14 खनन एक खतरनाक व्यवसाय है। इसलिए, खानों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, मशीनरी, उपकरण, उपकरण और अन्य सामग्रियों को सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय और शत्रुतापूर्ण वातावरण में सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम होना आवश्यक है। उपकरण को प्रतिकूल स्थिति में भी लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रहने की आवश्यकता है।

13.15 खानों में उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों को अनुमोदन प्रदान करने का उद्देश्य मुख्य रूप से कोयला खान विनियम, 2017, धातु खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 2017, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और खान बचाव नियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित वैधानिक दायित्व को पूरा करना है।

13.16 अनुमोदन की आवश्यकता वाले उपकरण/मशीनरी/उपकरण और सामग्री को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

- निजी सुरक्षा उपकरण।
- पर्यावरण निगरानी उपकरण और उपकरण।
- खनन कार्यों को पूरा करने के लिए मशीनरी और अन्य उपकरण और
- भूमिगत खदानों में उपयोग के लिए सुरक्षा सामग्री।

13.17 नीचे दी गई तालिका 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान अनुमोदित वस्तुओं का विवरण दिखाती है।

मदें	**प्रदान किए गए नियमित अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार की संख्या**	**फील्ड ट्रेल अनुमोदन/फील्ड ट्रेल अनुमोदन विस्तार की संख्या**	**दी गई स्वीकृतियों की कुल संख्या**
स्व-बचावकर्ता	04	02	06
विस्फोटक	03	00	03
ई-विस्फोट	07	08	15
श्वास उपकरण	00	00	00
कैप लैंप	03	00	03
गैस डिटेक्टर	03	01	04
डेटोनेटर	12	08	20
विस्फोटक	02	00	02
कुल	34	19	53

13.18 डीजीएमएस द्वारा किए गए क्षेत्र अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन का विवरण नीचे दिया गया है:

1. किया गया वैज्ञानिक अध्ययन: (कैलेंडर वर्ष – 01.01.2025 से 31.12.2025)

क्र. सं.	**गतिविधि**	**2025**	**कैलेंडर वर्ष 2025 (दिसंबर-2025 तक अस्थायी)**
1	एयरबोर्न डस्ट सर्वे	01	2(02खाने)
2	ध्वनि सर्वेक्षण	00	00
3	प्रदीप्ति सर्वेक्षण	00	02 (02खानें)
4	ब्लास्ट इंड्यूस्ड ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग (पीपीवी)	01	01(01 खान)
5	योजनाओं का एएमपी डिजिटलीकरण	00	490 संख्या (समीक्षा)
5(क)	एएमपी समीक्षा (दस्तावेज़) -धातु	900	900 (समीक्षा की गई)
	एएमपी समीक्षा (योजना)-धातु	450	450(समीक्षा की गई)
5(ख)	एएमपी समीक्षा (दस्तावेज़)-कोयला	35000	35000(समीक्षा)
	एएमपी समीक्षा (योजना)-कोयला	3000	3000(समीक्षा)

6	पुस्तकालय डिजिटलीकरण	सीआईएम रिपोर्ट	00	12सख्या
7	उपस्कर रिपोर्ट का अनुमोदन/नवीकरण/फील्ड परीक्षण।		00	05 03 दर्ज किया गया। 02 का अनुमोदन।
8	खदान क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य		00	02 (ई जेड, सीजेड)
9	खदानों से प्राप्त एएमपी/बंद करना/रोक देना		01	03
10	खान प्रबंधन को जारी की गई एएमपी योजना की संख्या		00	00
11	एएमपी योजनाएं जारी करने के लिए जमा की गई कुल राशि		00	रु. 1,10,000.00

31.10.2025 तक अनुमोदनों के निपटान की स्थिति (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

क्रम संख्या	अनुमोदन के प्रकार	दी गई अनुमोदनों की संख्या
1.	फील्ड परीक्षण अनुमोदन/विस्तार	01 (एसएण्डटी)
2.	नियमित अनुमोदन/नवीनीकरण	01 (एसएण्डटी)
दी गई स्वीकृति की कुल संख्या		02

13.19 दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान खानों में यांत्रिक उपकरण आदि के उपयोग के लिए अनुमोदन का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अनुमोदन के प्रकार	दी गई मंजूरियों की संख्या
1.	फील्ड परीक्षण अनुमोदन/विस्तार	17
2.	नियमित अनुमोदन/नवीनीकरण	17
दी गई स्वीकृति की कुल संख्या		34

13.20 खदानों में विद्युत उपकरण आदि के उपयोग के लिए अनुमोदन का विवरण 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान प्रदान किया गया था जो नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अनुमोदन का प्रकार	दी गई स्वीकृति की संख्या
1.	फील्ड परीक्षण अनुमोदन/विस्तार	38
2.	नियमित अनुमोदन/नवीनीकरण	139
दी गई स्वीकृति की कुल संख्या		177

- बीआईएस द्वारा खनन उपकरण, उपकरण और परीक्षण प्रक्रिया का मानकीकरण।

सांख्यिकी प्रभाग, डीजीएमएस

13.21 डीजीएमएस के पास एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रबंधन प्रणाली है जिसका रखरखाव सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है। यह दुर्घटनाओं और रोजगार आउटपुट से संबंधित प्रकाशन भी संकलित करता है।

विजन: भारत की खानों के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में पूरक और पूरक करना।

13.22 सांख्यिकी प्रभाग खान सुरक्षा के विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में सूचना और आंकड़ों का विभिन्न कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस रखता है। डेटाबेस का रखरखाव और डेटा का प्रसंस्करण प्रभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर किया जाता है।

प्रमुख उपलब्धियां

13.23 ऑनलाइन सिस्टम

- श्रम–सुविधा पोर्टल के माध्यम से खदानों का ऑनलाइन निरीक्षण। यादृच्छिक निरीक्षणों का जोखिम आधारित सृजन।
- वेब एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्ति, डीलिंग और अनुमति/छूट/ढील प्रदान करना।
- वेब एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों की ऑनलाइन प्राप्ति, व्यवहार और अनुमोदन प्रदान करना।
- खान प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और सांख्यिकीय आंकड़ों की गणना के लिए ऑनलाइन सांख्यिकीय मॉड्यूल।
- खान प्रबंधन द्वारा दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना प्रस्तुत करने और सांख्यिकीय डेटा की गणना के लिए ऑनलाइन दुर्घटना और सांख्यिकीय मॉड्यूल।
- अब सभी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है।

13.24 विधायी सुधार

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के अधिनियमन ने खान अधिनियम, 1952 को श्रम स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित अन्य 12 अधिनियमों के साथ शामिल कर दिया।
- केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के प्रावधान 21 नवंबर, 2025 से लागू हुए हैं।
- मसौदा खान कामगार नियम, 202... व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 की धारा –23 और 24 के तहत हितधारकों की टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किया गया है।
- कोयला खान विनियम, 1957 को कोयला खान विनियम 2017 के रूप में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। इसी तरह, खनन उद्योग में तकनीकी प्रगति के अनुरूप खान श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव को शामिल करने के लिए तेल खान विनियम, 1984 को तेल खान विनियम, 2017 के रूप में संशोधित किया गया है।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के लागू होने के साथ खानों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध में ढील दी गई थी।
- ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड, 2020 की धारा 136 के तहत कोयला, धातु खदानों और तेल खदानों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मसौदा नियम तैयार किए गए हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है।
- ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड–2020 की धारा 18 के तहत मसौदा मानक तैयार किए गए हैं।
- ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड–2020 की धारा 23 और 24 के तहत मसौदा नियम तैयार किए गए हैं।

13.25 सीबीटी आधारित वैधानिक परीक्षाओं में परिवर्तन

- कोयला खान विनियम 2017 और धातु खान विनियम, 1961 के तहत परीक्षा आयोजित करने के लिए उपनियमों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और अधिसूचना संख्या जीएसआर 555 (अ), जीएसआर 556 (अ), जीएसआर 557 (अ), जीएसआर 558 (अ) और जीएसआर 559 (अ) धनबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। जी.एस.आर. 561 (अ), जीएसआर 562 (अ), जीएसआर 563 (अ), जीएसआर 564 (अ), जीएसआर 565 (अ) और जीएसआर 566 (अ) धनबाद, क्रमशः 11 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
- कोयला खान विनियम, 2017 और धातु खान विनियम 1961 के तहत प्रबंधक योग्यता प्रमाण पत्र

प्रदान करने के लिए परीक्षा अब केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) है और इन प्रमाणपत्रों के लिए कोई मौखिक परीक्षा नहीं है।

- ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सरदार, माइनिंग मेट, ब्लास्टर और गैस परीक्षण योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षाएं भी केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होंगी और इन प्रमाणपत्रों के लिए कोई मौखिक परीक्षा नहीं होगी।

- खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले व्यक्तियों के लिए, गैस परीक्षण परीक्षा की आवश्यकता को हटा दिया गया है और प्रमाण पत्र केवल छूट के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

- एमएमआर 1961 और सीएमआर 2017 और खान अधिनियम 1952 के तहत परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के लिए वैधानिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं जो सीधे उम्मीदवारों को सुरक्षित ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। उम्मीदवार वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

- सीएमआर, 2017, एमएमआर, 1961 और ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड–2020 के तहत जारी प्रमाणपत्रों के लिए पूरे भारत में 24 डीजीएमएस सत्यापन केंद्रों पर ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए मूल दस्तावेजों के सत्यापन को अब आसान बना दिया गया है। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन प्रमाणपत्र सीबीटी –2023 से खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों और सभी पात्र उम्मीदवारों को छूट के आधार पर सुरक्षित मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। इस प्रकार ऑफ़लाइन दस्तावेजों को प्राप्त करना हटा दिया गया है। इसके अलावा, उम्मीदवार वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता, आसानी और सुविधा की सुविधा मिलती है।

- छूट के आधार पर प्रमाण पत्र नवंबर, 2023 से पहले ही ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं

- इस संबंध में किए गए सुधारों के बारे में जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए 2021 के डीजीएमएस (वैधा.) (परीक्षा) परिपत्र संख्या 01 जारी किए गए हैं।

- प्राथमिक चिकित्साः किए गए सुधारों के बारे में जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए डीजीएमएस (टेक) (ओएच) 2021, धनबाद दिनांक 06.08.2021 का परिपत्र संख्या 01 "प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के संचालन और प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक" जारी किए गए हैं।

13.26 डीजीएमएस निर्धारित मानक के अनुसार सुरक्षा से जुड़ी खानों का तकनीकी निरीक्षण और जांच करता है। इन सभी से जुड़ा डेटावेस का रख–रखाव किया जाता है और अलग–अलग वर्षों के आंकड़े 13.6 में प्रदर्शित किया गया है।

13.27 तालिका 13.7 में खानों के अलग–अलग प्रबंधक और दूसरे कर्मचारियों के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या दिखाई गई है और उसी के अनुसार सर्टिफिकेट ऑफ काम्पिटेंसी जारी की जाती है।

दुर्घटना का रुझान

13.28 वर्ष 1971–80 से 2011–20 तक 10 वार्षिक औसत पर नियोजित घातक दुर्घटनाओं और प्रति हजार व्यक्तियों पर मृत्यु दर के संदर्भ में दुर्घटना की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गई हैः

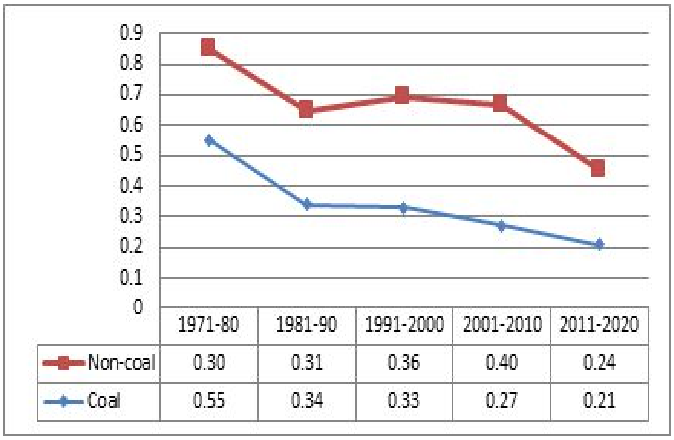

13.29 मृत्यु दर और दशकीय प्रवृत्ति की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को उपरोक्त चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ऊपर दिया गया चार्ट दस वार्षिक औसत आधार पर कोयला और गैर–कोयला खदानों में कार्यरत प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रवृत्ति में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

13.30 तालिका 13.2 2001 से 2025 तक खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को दर्शाती है। दुर्घटनाओं को कोयला और गैर–कोयला खदानों में वर्गीकृत किया गया है। दुर्घटनाओं को आगे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 13.2

वर्ष	खानों में दुर्घटनाओं की प्रवित्तियाँ					
	कोयला खदानों में दुर्घटनाओं की संख्या			गैर-कोयला खदानों में दुर्घटनाओं की संख्या		
	घातक	गंभीर	कुल	घातक	गंभीर	कुल
2001	105	667	772	71	199	270
2002	81	629	710	52	205	257
2003	83	563	646	52	168	220
2004	87	962	1049	57	188	245
2005	96	1106	1202	48	108	156
2006	78	861	939	58	78	136
2007	76	923	999	56	79	135
2008	80	686	766	54	83	137
2009	83	636	719	36	94	130
2010	97	480	577	54	61	115
2011	65	533	598	44	82	126
2012	79	536	615	36	45	81
2013	77	456	533	58	52	110
2014	59	379	438	39	44	83
2015	54	302	356	45	35	80
2016	67	269	336	39	37	76
2017	56	266	322	42	22	64
2018	49	265	314	45	26	70
2019	51	193	244	45	58	103
2020	48	117	165	40	24	64
2021	43	186	229	33	45	78
2022	24	181	205	40	48	88
2023	38	117	155	28	35	63
2024	38	119	157	33	31	64
2025*	42	112	154	41	27	68

* 2025 के आँकड़े अनंतिम है

13.31 तालिका 13.5। 2001 से 2025 तक खानों में दुर्घटनाओं और परिणामी हताहतों की प्रवृत्ति को दर्शाती है। खदानों को कोयला और गैर–कोयला खदानों में वर्गीकृत किया गया है। दुर्घटनाओं को घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 13.5क

खनन में दुर्घटनाएँ और परिणामस्वरूप हताहत हुए लोग

वर्ष	कोयला					गैर-कोयला				
	घातक दुर्घटना			गंभीर दुर्घटना		घातक दुर्घटना			गंभीर दुर्घटना	
	दुर्घटना	मृत	घायल	दुर्घटना	घायल	दुर्घटना	मृत	घायल	दुर्घटना	घायल
2001	105	141	14	667	706	71	81	8	199	200
2002	81	97	15	629	650	52	64	3	205	206
2003	83	113	12	563	578	52	62	16	168	169
2004	87	96	14	962	977	57	64	9	188	194
2005	96	117	19	1106	1119	48	52	4	108	109
2006	78	137	15	861	876	58	71	9	78	79
2007	76	78	77	923	940	56	64	13	79	92
2008	80	93	16	686	693	54	73	35	83	85
2009	83	93	14	636	646	36	44	3	94	101
2010	97	118	23	480	488	54	91	5	61	63
2011	65	67	10	533	546	44	50	9	82	84
2012	79	83	6	536	542	36	38	5	45	45
2013	77	82	11	456	457	58	74	15	52	53
2014	59	62	3	379	391	39	45	10	44	50
2015	54	55	9	302	307	45	48	13	35	38
2016	67	94	7	269	272	39	50	10	37	38
2017	56	61	0	266	272	42	63	11	22	28
2018	49	62	11	265	268	45	51	12	26	26
2019	51	56	6	193	198	45	54	10	58	60
2020	48	53	18	117	120	40	50	8	24	25
2021	43	51	2	186	191	33	50	6	45	46
2022	24	28	3	181	187	40	54	13	48	52
2023	38	41	6	117	124	28	33	7	35	36
2024	38	49	6	119	120	33	40	23	31	36
2025	42	51	4	112	115	41	57	26	27	27

* 2025 का डेटा अनंतिम है।

13.32 तालिका 13.5ख प्रति 1000 व्यक्तियों पर घातक दुर्घटनाओं और मृत्यु दर (दस वार्षिक औसत) की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तालिका औसत दुर्घटना, दुर्घटना दर, औसत मृत्यु और मृत्यु दर को दर्शाती है।

तालिका संख्या 13.5ख								
प्रति 1000 नियोजित व्यक्तियों पर घातक दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में प्रवृत्ति (दस वार्षिक औसत)								
वर्ष	**कोयला खानें**				**गैर कोयला खानें**			
	औसत दुर्घटना	**दुर्घटना दर**	**औसत मृतक**	**मृत्यु दर**	**औसत दुर्घटना**	**दुर्घटना दर**	**औसत मृतक**	**मृत्यु दर**
1951-60	222	0.61	295	0.82	64	0.27	81	0.34
1961-70	202	0.48	260	0.62	72	0.28	85	0.33
1971-80	187	0.4	264	0.55	66	0.27	74	0.3
1981-90	162	0.3	185	0.34	65	0.27	73	0.31
1991-2000	140	0.27	170	0.33	65	0.31	77	0.36
2001-2010	87	0.22	108	0.27	54	0.32	67	0.4
2011-2020	61	0.19	68	0.21	44	0.2	53	0.24

13.33 तालिका 13.6 2021 से 2025 तक खदानों में निरीक्षणों, पूछताछ, जारी किए गए नोटिस, निषेधात्मक आदेश, शुरू किए गए अभियोजन, परिपत्र मुद्दों, निपटाई गई अनुमतियों और अनुमोदनों की संख्या दर्शाती हैं।

तालिका 13.6						
क्रम संख्या	**मापदंड**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025***
1.	निरीक्षणों की संख्या	3460	8310	9008	7886	7433
2.	पूछताछ की संख्या	1083	1400	1284	1445	1620
3.	जारी किए गए नोटिसों की संख्या	111	127	233	241	122
4.	जारी किए गए निषेधाज्ञा की संख्या	76	216	330	338	158
5.	शुरू किए गए मुकदमों की संख्या	34	24	36	34	22
6.	जारी किए गए परिपत्रों की संख्या	2	2	2	7	7
7.	निपटाई गई अनुमतियों की संख्या	4222	5309	6855	8067	7786
8.	निपटान किए गए अनुमोदनों की संख्या	322	313	278	328	445

* वर्ष 2025 से संबंधित डेटा अनंतिम है।

तालिका संख्या. 13.7					
1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 के दौरान प्राप्त आवेदन और जारी योग्यता प्रमाण पत्र (अस्थायी रूप से)					
क्रम संख्या	**योग्यता प्रमाण पत्र की श्रेणी**	**कोयला खान विनियमन, 2017**		**धातुगत खान विनियमन, 1961**	
		प्राप्त आवेदन	**जारी किए गए प्रमाण पत्र**	**प्राप्त आवेदन**	**जारी किए गए प्रमाण पत्र**
1	प्रबंधक	39	95	12	49
2	ऑनलाइन प्रबंधक	1640	1800*	1195	1400*
3	सर्वेक्षक	0	0	0	1
4	ऑनलाइन सर्वेक्षक	185	130	112	71
5	ओवरमैंन/फोरमैन	0	4	0	5
6	ऑनलाइन ओवरमैंन/फोरमैन	1965	2750*	1327	1400*
7	सिरदार/मेट	1	2	84	66
8	ऑनलाइन सिरदार/मेट	89	60*	130	50*
9	ब्लास्टर	NA	NA	50	39
10	ऑनलाइन ब्लास्टर	NA	NA	194	105*
11	वाइंडिंग इंजन चालक	14	11	88	85
12	गैस परीक्षण	9	6	टिप्पणी: जीटी सीएमआर, 2017 और एमएमआर, 1961 दोनों के तहत जारी किया जा रहा है	
13	ऑनलाइन गैस परीक्षण	2830	2580*		

नोट-* (अस्थायी आंकड़ा)

डीजीएमएस में ई–गवर्नेंस

13.34 ई–गवर्नेंस को सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के रूप में समझा जाता है ताकि नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा सकें, व्यावसायिक उद्यमों के साथ बातचीत की जा सके और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित, सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से सूचना का आदान–प्रदान किया जा सके।

13.35 डीजीएमएस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुसार आईटी का उपयोग करते हुए ई–गवर्नेंस शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक ई–गवर्नेंस रोड मैप बनाया गया है, जिसमें औपचारिक संगठनात्मक संरचना और परियोजना प्रबंधन संरचना की स्थापना को महत्व देते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया गया है।

डीजीएमएस द्वारा वर्ष 2025 के दौरान कई आईटी पहल शुरू की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. विभिन्न हितधारकों के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए डीजीएमएस की वेबसाइट को दोबारा से डिजाइन और विशेष रूप से तैयार किया गया है। डीजीएमएस वेबसाइट का दिनांक 27.05.2025 को सफलतापूर्वक सुरक्षा ऑडिट किया गया था और एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन दिनांक 13.07.2023 को जारी किया गया था जो 12.07.2026 तक वैध है। डीजीएमएस वेबसाइट परमिशन पोर्टल

(**https://approval- permission-dgms.gov.in/**) के वेब एप्लिकेशन का 27.06.2025 को सफलतापूर्वक सुरक्षा ऑडिट किया गया।

ख. डीजीएमएस वेबसाइट एक्सीडेंट पोर्टल (**https://accident-statistics.dgms.gov.in/**) के वेब एप्लिकेशन का दिनांक 13.06.2025 को सफलतापूर्वक सुरक्षा ऑडिट किया गया। उपर्युक्त के अलावा, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए, सितंबर, 2025 से अनुमति पोर्टल पर ओटीपी–आधारित लॉगिन अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, डीजीएमएस के लिए एक साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की गई है और मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है, और विभाग के लिए एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

ग. डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, "अनुमोदन प्रणाली", अनुमति / छूट / ढील प्रणाली" नामक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया हैं और उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा उपयोग के लिए लाइव किए गए हैं। मॉड्यूल 17.12.2025 की स्थापना के बाद से अनुमति / छूट / ढील के लिए कुल 40596 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और तदनुसार 39324 पर कार्रवाई की गई है। कैलेंडर वर्ष के दौरान (दिनांक 01.01.2025 से 17.12.2025 तक) अनुमति / छूट / ढील के लिए कुल 7770 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और तदनुसार 7448 पर कार्रवाई की गई है।

घ. "दुर्घटना और सांख्यिकी प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है और दिनांक 01.08.2020 को लाइव किया गया है। इस प्रणाली ने खान उपयोगकर्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना ऑनलाइन भेजने, डीजीएमएस के जांच अधिकारियों द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करने, दुर्घटना रिपोर्टों की अनुवर्ती कार्रवाई करने, कार्रवाई को अंतिम रूप देने में सक्षम बनाया है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए खनन उद्योग को ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपायों के साथ–साथ दुर्घटनाओं की घटना पर प्रासंगिक सूचना और सुरक्षा चेतावनियों का प्रसार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली खान उपयोगकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मंच प्रदान करती है। दिनांक 01–08–2020 से दिनांक 17–12–2025 तक वेब पोर्टल पर कुल 584 घातक दुर्घटनाएं, 970 गंभीर दुर्घटनाएं और 209 खतरनाक घटनाएं दर्ज की गई हैं। 01–01–2025 से 17–12–2025 तक वेब पोर्टल पर कुल 132 घातक दुर्घटनाएं, 154 गंभीर दुर्घटनाएं और 33 खतरनाक घटनाएं दर्ज की गई हैं।

ङ. दैनिक आधार पर खदानों में कार्यरत व्यक्तियों के बीच सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निरीक्षण, पूछताछ, अनुवर्ती कार्रवाइयों, किए गए प्रचार पहलों और सक्रिय कार्यक्रमों का विवरण तैयार करने के लिए अधिकारियों द्वारा दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन लॉगिंग के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे अधिकारियों द्वारा मासिक सारांश कार्य की ऑनलाइन पीढ़ी और रिपोर्टिंग और डीजीएमएस वेबसाइट पर डैश बोर्ड को वास्तविक समय पर अपडेट करने की सुविधा मिलेगी।

च. निरीक्षण के लिए ऑनलाइन उत्पादन के लिए, कोयला खदानों और गैर–कोयला खदानों के लिए "जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली" के तौर–तरीकों को विकसित किया गया है और श्रम सुविधा पोर्टल में शामिल किया गया है। डीजीएमएस के सभी निरीक्षण अधिकारियों को एसएसपी पोर्टल के माध्यम से तैयार और सौंपे गए निरीक्षण करने के लिए एसएसपी के साथ शामिल किया गया है।

छ कोयला खान विनियमन, 2017 और धातु खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सभी वैधानिक परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड पर आयोजित की जा रही हैं। कोयला खान विनियमन, 2017 और धातु खान विनियमन, 1961 के तहत प्रबंधक, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सिरदार, मेट, ब्लास्टर और गैस परीक्षण योग्यता परीक्षा के लिए कंप्यूटर–आधारित परीक्षा (सीबीटी) पूरे भारत में वर्ष 2025 में दो बार आयोजित की गई थी, इसकी चरणⅠ सीबीटी परीक्षा जून 2025 में 3 जून, 2025 से 7 जून, 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 12,837 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और दिसंबर में चरण Ⅱ सीबीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। 8 दिसंबर, 2025 से 12 दिसंबर, 2025 तक 2025 के लिए आवेदन किया गया जिसमें 12,156 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इस प्रकार, कैलेंडर वर्ष 2025 में उपरोक्त परीक्षाओं में 24,993 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इसके

अलावा, कैलेंडर वर्ष 2025 में जारी किए जाने वाले कुल 11,000 संभावित प्रमाणपत्रों में से; कैलेंडर वर्ष 2025 में पात्र उम्मीदवारों को जारी किए गए 10,500 प्रमाण पत्र संभावित डिजिटल वैधानिक प्रमाणपत्र हैं।

ज. डीजीएमएस द्वारा पारदर्शिता, सटीकता बढ़ाने और इसे समय पर जारी करने के लिए उम्मीदवारों को डिजिटल योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने की पहल शुरू की गई है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) प्रणाली के अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा छूट प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी प्रबंधक की योग्यता प्रमाण पत्र, सर्वेक्षक की योग्यता प्रमाण पत्र और ओवरमैन का योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इस प्रणाली के तहत, आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं और उम्मीदवारों के दस्तावेजों और क्रेडेंशियल्स का सत्यापन डीजीएमएस के निकटतम क्षेत्रीय या क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाता है। देरी और भीड़भाड़ को कम करने के साथ–साथ पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन के लिए एक समय–स्लॉट–आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू की गई है। यह ऑनलाइन और समयबद्ध प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए पहुंच में आसानी को बढ़ाती है और प्रमाण पत्र जारी करने में एकरूपता और अखंडता सुनिश्चित करती है।

झ. डीजीएमएस प्रो–एक्टिव ओएचएस उपायों पर हितधारकों को सूचना और जागरूकता के प्रसार के लिए, ट्विटर (अब "**X**") जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म https://twitter.com/DGMS1902, यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com//DGMSINDIA और इंस्टाग्राम https://www.instagram.com/dgms1902/ का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। डीजीएमएस वेबसाइट में प्राप्त मापदंडों को प्रदर्शित करने के लिए एक डैशबोर्ड है, जिसे समय–समय पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा, वेबसाइट पर एक त्रैमासिक बुलेटिन डिजिटल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

हाल ही में डीजीएमएस की शुरू की गई पहलें:

13.36 डीजीएमएस में ई–गवर्नेंस अभियान को मजबूत करना:

डीजीएमएस केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुसार आईटी की शक्ति का उपयोग करते हुए ई–गवर्नेंस के मार्ग पर आगे बढ़ गया है। इस तर्ज पर, डीजीएमएस ने निम्नलिखित वेब–एप्लिकेशन मॉड्यूल को मजबूत और कार्यान्वित किया है।

- खानों का ऑनलाइन पंजीकरण
- अनुमति, छूट और ढील प्रणाली
- अनुमोदन प्रणाली
- वार्षिक रिटर्न का ऑनलाइन सबमिशन
- सभी योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर–आधारित परीक्षा (सीबीटी) और छूट के आधार पर ऑनलाइन प्रणाली
- दुर्घटना और सांख्यिकी
- बजट और खाते

13.37 योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वैधानिक परीक्षा में सुधार:

i. वर्ष 2021 से सीएमआर, 2017 और एमएमआर, 1961 के तहत सभी प्रकार की वैधानिक परीक्षाओं से मौखिक परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।

ii. ओवरमैन, फोरमैन, सिरदार, मेट, ब्लास्टर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) –2024 अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और तेलुगु भाषाओं में आयोजित किए गए थे ताकि विभिन्न खनन क्षेत्रों से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को आसानी हो सके।

iii कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली (सीबीटी) अब सभी योग्यता प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए लागू कर दी गई है और छूट के मामलों को भी वेब एप्लिकेशन मॉड्यूल के माध्यम से निपटान किया जा रहा है।

वैधानिक प्रमाण पत्र जारी किए गए; वर्ष 2023 में 13609 प्रमाण–पत्र, वर्ष 2024 में 12174 प्रमाण पत्र और वर्ष 2025 में 9418 वैधानिक प्रमाण पत्र (अक्टूबर तक) जारी किए गए हैं।

13.38 समूह क अधिकारियों के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल को सितंबर 2022 से शुरू कर दिया गया है और वर्ष 2025 में समूह क के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से किए गए थे।

13.39 ई–ऑफिस का कार्यान्वयन– डीजीएमएस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑन–बोर्डिंग ई–ऑफिस में पूरी हो गई थी। ई–ऑफिस के कामकाज पर 180 अधिकारियों और 50 कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 11.09.2025 को पूरा हो गया है और आगे का प्रशिक्षण चल रहा है। सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ओ.एम. संख्या 8656, दिनांक 24.09.2025 के माध्यम से दिनांक 01.10.2025 से ई–ऑफिस को लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस निदेशालय में ई–ऑफिस को 01.10.2025 से पहले ही लागू किया जा चुका है।

13.40 स्पैरो का कार्यान्वयन–स्पैरो में डीजीएमएस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑन–बोर्डिंग पूरी कर ली गई थी। वर्ष 2025–26 का एपीएआर स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। स्पैरो के कामकाज पर अधिकारियों और कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 19.09.2025 को पूरा हो गया है और आगे का प्रशिक्षण चल रहा है। वर्ष 2024–25 की अवधि के लिए ग्रुप क अधिकारी का एपीएआर पहले ही स्पैरो पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए ग्रुप क, ख और ग के सभी अधिकारियों के एपीएआर को स्पैरो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

13.41 डीजीएमएस के संगठन का पुनरुद्धारः डीजीएमएस को राजपत्र अधिसूचना संख्या 2019 के तहत 8 क्षेत्रों और 38 क्षेत्रों (29 क्षेत्रों और 2 उप–क्षेत्रों के स्थान पर) राजपत्र अधिसूचना संख्या भाग प्प– धारा 3–उप–धारा (प): जी एसआर.300(अ) दिनांक 17 अप्रैल 2023 और जीएसआर 342(अ), दिनांक 02.05.2023 में पुनर्गठित किया गया था।

13.42 डीजीएमएस अधिकारी का क्षमता निर्माणः 368 अधिकारियों को सीवाई–2025 के सीबीटीपी के अनुसार सॉफ्टस्किल्स, व्यवहार और कार्यात्मक के विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है। ब्यौरा अनुबंध–क के रूप में संलग्न किया गया है।

क्रम संख्या	प्रशिक्षण स्थान	कैलेंडर वर्ष - 2025
1	वीवीजीएनएलआई, नोएडा	138
2	आईआईटी(आईएसएम), धनबाद	78
3	इन हाउस (डीजीएमएस मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय), धनबाद	84
4	इन हाउस इंडक्शन ट्रेनिंग-स्टाफ	7
5	मैसर्स ओआईएल, डुलियाजन, असम	20
6	मैसर्स एनएसएसओ भवन, लखनऊ	2
7	आईएसटीएम, दिल्ली	2
8	मैसर्स ओएनजीसी, आईपीएसएचईएम, गोवा	22
9	iGotKarmayogi-मुख्य प्रशिक्षक	2
10	सोशल मीडिया और सूचना पुनर्प्राप्ति का प्रबंधन	1
11	एनआईडीएम	5
12	सी-डैक मोहाली	7
	कुल	**368**

13.43 विशेष अभियान 2.0ः यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक डीजीएमएस के विभिन्न कार्यालयों में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत स्क्रैप सामग्री के निपटान से लगभग 4500 वर्ग फुट की कुल जगह खाली की गई। साथ ही, कार्यक्रम में कुल 1875 फाइलों की समीक्षा की गई और 335 फाइलों को हटा दिया गया।

13.44 स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाया गया।

डीजीएमएस मुख्यालय, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अभियान को समग्र रूप से आयोजित किया गया।

व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति

13.45 खान के कामकाज और इसके पर्यावरण को कुछ स्वास्थ्य खतरों के स्रोत माना जाता है, जिससे एस्बेस्टोसिस, कोयला कामगार के न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस आदि जैसे वायुजनित धूल से होने वाली विमारी होते हैं। इन बीमारियों को रोका जा सकता है लेकिन एक बार हो जाने के बाद; इनका इलाज नहीं हो सकता।

इसलिए, कार्य स्थलों पर धूल को नियंत्रित करके और नियमित अंतराल पर खदानों में हवा में धूल का सर्वेक्षण करके ऐसी बीमारियों को रोकना आवश्यक है।

अन्य सावधानियां को ध्यान रखते हुए जिनमें प्रारंभिक चरणों में वायुजनित धूल रोगों का निदान और पता लगाने के लिए चिकित्सा जांच और खान कामगारों की पुनः जांच शामिल है ताकि निवारक, पुनर्वास उपाय और चिकित्सा देखभाल की जा सके।

अधिसूचित रोग (धारा 25 और 26)

13.46 खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के तहत, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, तंत्रिका प्रकार की मैंगनीज विषाक्तता और फेफड़े या पेट के कैंसर या फुफ्फुस और पेरिटोनियम यानी मेसोथेलियोमा को पहले ही खनन कार्यों से जुड़ी बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया था।

13.47 उपर्युक्त बीमारियों के अलावा, तीन और अतिरिक्त बीमारियों यानी शोर से प्रेरित श्रवण हानि, रेडियम या रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण रासायनिक और पैथोलॉजिकल अभिव्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क के कारण होने वाली संपर्क जिल्द की सूजन को राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 399 ई दिनांक 21 फरवरी, 2011 के माध्यम से खनन से संबंधित बीमारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

13.48 वायुजनित धूल सांद्रता यानी एस्बेस्टस फाइबर के लिए अनुमेय सीमा को 2 फाइबर प्रति मिलीलीटर से घटाकर 1 फाइबर प्रति मिलीलीटर कर दिया गया है। खान प्रबंधन द्वारा डीजीएमएस को रिपोर्ट किए गए सीडब्ल्यूपी, सिलिकोसिस और एनआईएचएल के मामले निम्नानुसार हैं:

वर्ष	कोयला श्रमिकों का न्यूमोकोनियोसिस	सिलिकोसिस	ध्वनि प्रेरित श्रवण हानि
2008	1	3	-
2009	0	0	-
2010	1	0	-
2011	5	1	0
2012	5	0	2
2013	0	4	0
2014	1	1	0
2015	0	0	8
2016	2	0	0
2017	3	0	1
2018	2	5	2
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	3	0	0
2022	2	0	0
2023	1	0	0
2024	2	0	19
2025	0	0	4

13.49 सिलिकोसिस के मामलों का पता लगाने के लिए वित्तीय 2015–2016, 2016–2017 और 2017–2018 में 'पत्थर की खदानों में धूल से संबंधित रोग का बहु केंद्रित अध्ययन और सतत निवारक कार्यक्रम का विकास' परियोजना के तहत राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएमएच), नागपुर द्वारा डीजीएमएस के सहयोग से पत्थर की खदानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना के दौरान 2537 व्यक्तियों की जांच की गई है, सिलिकोसिस के 136 मामलों का पता लगाया गया है और एनआईएमएच द्वारा डीजीएमएस को अधिसूचित किया गया है जो निम्नानुसार हैं –

अधिसूचना वर्ष	सिलिकोसिस के मामलों की संख्या
2017	105
2018	31

13.50 सिलिकोसिस के मामलों का पता लगाने के लिए पत्थर की खदानों और अन्य धातु खदानों में राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य खान प्रबंधन की मदद से डीजीएमएस द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान, 14710 व्यक्तियों की जांच की गई है और सिलिकोसिस के 290 मामलों का पता लगाया गया है जो नीचे दिए गए हैं:

पहचान का वर्ष	सिलिकोसिस के मामलों की संख्या
2017	157
2018	54
2019	51
2020	0
2021	6
2022	16
2023	0
2024	2
2025 (31.10.25तक)	4

प्रचारात्मक पहल

13.51 खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलनः खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय मंच है जिसमें नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सरकार का प्रतिनिधि, डीजीएमएस, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और संबद्ध संस्थानों, पेशेवर निकायों, सेवा संघों आदि भाग लेते हैं। वे आपसी सहयोग की भावना से खानों में सुरक्षा की स्थिति और मौजूदा उपायों की पर्याप्तता की समीक्षा करते हैं। सम्मेलन में खान श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य में और सुधार के उपाय भी सुझाए गए हैं। इन सम्मेलनों की कई सिफारिशों को सांविधिक समर्थन दिया गया है और अधिकांश अन्य को प्रबंधन प्रथाओं और नीतियों में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान निकाले गए निष्कर्षों और सिफारिशों को अनुपालन के लिए खनन उद्योगों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

पहला सम्मेलन वर्ष 1958 में आयोजित किया गया था और बारहवां (12वां) सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2020 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान पांच प्रमुख मुद्दे (**i**) विद्युत सुरक्षा – हाल के रुझान, सुधार के लिए रणनीति, (**ii**) खनन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, (**iii**) श्रमिकों के बीच न्यूमोकोनियोसिस/सिलिकोसिस की व्यापकता, धूल नियंत्रण उपायों की वर्तमान स्थिति और सुधार के लिए रणनीति, (**iv**) कोयला खदानों में आपदा की रोकथाम के लिए कार्यनीतियां और (**v**) संविदा श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे– सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए कार्यनीति, पर विचार–विमर्श किया गया।

महिला सशक्तिकरण/नारी शक्ति

13.52 खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 (1) के तहत भूमिगत और शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच जमीन के ऊपर और खुली खदानों में महिलाओं के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया था, जिसे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के लागू होने और प्रवर्तन होने के बाद रद्द कर दिया गया था।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के अध्याय **X** में धारा 43 और 44 के तहत महिलाओं के रोजगार से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है।

महिलाएं किसी भी प्रतिष्ठान में काम कर सकती हैं और सुबह 6 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से इस संहिता के तहत किसी भी प्रकार का काम कर सकती हैं, और यदि नियोक्ता सभी सुरक्षा का पालन करता है, तो छुट्टी, काम के घंटे और अन्य शर्तों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

कुछ प्रतिष्ठानों (खानों) या जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में महिलाओं को नियोजित करना उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, इसके लिए नियोक्ता को इस तरह के प्रक्रियाओं में महिलाओं के रोजगार से पहले

पर्याप्त सुरक्षा उपाय और उचित सुरक्षा उपाय प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसमें खनन उद्योग में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नियोक्ताओं ने अधिक संख्या में महिला कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए बढ़ी हुई प्रेरणा का प्रदर्शन किया है।

खनन उद्योग में महिलाओं का रोजगार लगातार बढ़ा है जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है:

वर्ष	शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सतह पर और खुले(ओपनकास्टवर्किंग) में काम करने वाली महिलाओं की संख्या	धरातल के नीचे कामकाज में कार्यरत महिलाओं की संख्या
2020	64	20
2021	71	25
2022	143	57
2023	237	102
2024	442	103
2025*	465	112
* आँकड़े अनंतिम है		

खनन में महिलाएं अब खान प्रबंधक, खनन इंजीनियर, भूविज्ञानी, रखरखाव इंजीनियर और हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटरों जैसी विविध भूमिकाएं निभाती हैं।

महिला खनिक अब सक्रिय रूप से खानों के बचाव में भाग ले रही हैं जो सबसे कठिन है।

वर्ष 2024 (अंतर्राष्ट्रीय) – भारत की पहली महिला भूमिगत खान बचाव टीम ने कोलंबिया में आयोजित प्रतिष्ठित ग्प्प् अंतर्राष्ट्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता में भाग लिया अंतर्राष्ट्रीय खान बचाव निकाय (आईएमआरबी) के मार्गदर्शन में कोलंबिया की राष्ट्रीय खनन एजेंसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व स्तर पर 26 से अधिक टीमों ने भाग लिया। हिंदुस्तान जिंक से भारत की सात सदस्यीय महिला बचाव टीम ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

वर्ष 2025(राष्ट्रीय)– 54वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में सात महिला बचाव टीमों की भागीदारी महिलाओं की क्षमताओं की बढ़ती मान्यता का प्रमाण है। ये उपलब्धियां ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव को दर्शाती हैं, और यह बचाव और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ी हुई समावेशिता और समान अवसर का एक उत्साहजनक संकेत है।

"खनन में महिलाओं के लिए सम्मेलन" ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता के कार्यान्वयन के बाद महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे यह संहिता कार्यस्थल सुरक्षा और खनन में महिलाओं के लिए अवसरों में सुधार कर रहा है।

13.53 डीजीएमएस का आधुनिकीकरण: यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीजीएमएस खनन उद्योग की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और इसकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति के कारण सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और खानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के कारण, डीजीएमएस का आधुनिकीकरण निम्नलिखित के लिए किया गया है:

क. नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करना, और

ख. सरल, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन बनाने के लिए ई–गवर्नेंस।

13.54 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 2019 के तहत आदेश संख्या 2019 के तहत कुछ नया विवरण दिया है। एस–65025/02/2021–आईएसएच–ii (ई–125816) ने कोयला, धातु और तेल खदानों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मसौदा नियम तैयार करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी)

संहिता, 2020 की धारा 136 के तहत तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया।

इसके बाद, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड – 2020 के तहत नए नियमों और विनियमों को तैयार करने और लागू करने सहित आगे के विचार–विमर्श को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए, चार अलग–अलग समितियों का गठन किया गया था। समितियों पर विचार–विमर्श चल रहा है।

13.55 गुणवत्ता नीतिः क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 प्रमाणनः डीजीएमएस ने मई 2024 में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन हासिल किया और जून, 2025 में पहले स्तर की ऑडिटिंग की, जो गुणवत्ता, नियामक अनुपालन और हितधारक संतुष्टि के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

13.56 श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से धातु खदानों और तेल खदानों के लिए ऑनलाइन जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

13.57 डीजीएमएस सक्रिय रूप से एक्स (3874 फॉलोअर्स), यूट्यूब (152 वीडियो, 128882 व्यूज) और इंस्टाग्राम (174 पोस्ट और 854 फॉलोअर्स) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। सुरक्षा अलर्ट और अद्यतन जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ती है।

****

गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय द्वारा की गई गतिविधियाँ (जनवरी 2025 - नवंबर 2025)

1. गोदी निरीक्षणालयों द्वारा निरीक्षण सुरक्षा	
शीर्षक	**उपलब्धि**
i. जहाज निरीक्षण	211
ii. डॉक निरीक्षण	317
iii. उपकरण निरीक्षण	394
iv. जोखिमपूर्ण स्थापना	27
v. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो	0
vi. अन्य दौरे	435
कुल	**1384**

2. जांच	
आरंभ किया गया	21
समापन	20

3. अभियोजन	
आरंभ	10
समापन	17

अनुबंध-II

डीजीएफएएसएलआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (जनवरी 2025 से - दिसंबर 2025 तक)

क्रम सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम		संख्या
1.	औद्योगिक सुरक्षा में उन्नत डिप्लोमा (एडीआईएस)	कार्यक्रम	5
		प्रतिभागी	226
2.	औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फ़ेलो (एएफआईएच)	कार्यक्रम	9
		प्रतिभागी	340
3.	जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों में नियुक्त पर्यवेक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स	कार्यक्रम	3
		प्रतिभागी	30
4.	फैक्ट्रियों के निरीक्षक के लिए मूल कोर्स	कार्यक्रम	1
		प्रतिभागी	42
5.	वरिष्ठ फैक्ट्री निरीक्षक के लिए रिफ्रेशर कोर्स	कार्यक्रम	1
		प्रतिभागी	9
6.	अल्पकालिक (1 दिन) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम	6
		प्रतिभागी	86
7.	दीर्घकालिक (3 या अधिक दिन) प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम	96
		प्रतिभागी	1610
8.	सेमिनार/कार्यशाला	कार्यक्रम	21
		प्रतिभागी	1919
9.	संयंत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम	65
		प्रतिभागी	2287
10.	सम्मान समारोह	कार्यक्रम	38
		प्रतिभागी	3132
11.	वार्ता प्रस्तुतीकरण	कार्यक्रम	26
		प्रतिभागी	2257

अनुबंध-III

डीजीएफएएसएलआई द्वारा आयोजित परामर्श/अध्ययन/सर्वेक्षण/लेखा परीक्षा (जनवरी 2025 से-दिसंबर 2025 तक)

क्रम सं	शीर्षक
1	एवरी डेनिसन (इंडिया) प्रा. लि., शिरूर, महाराष्ट्र में कार्य परिवेश वायु निगरानी अध्ययन
2	एवरी डेनिसन (इंडिया) प्रा. लि., शिरूर, महाराष्ट्र में कार्य परिवेश भौतिक खतरों की निगरानी अध्ययन
3	मैसर्स बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा. लि., मैसूरू, कर्नाटक में सुरक्षा ऑडिट
4	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर, हरियाणा में सुरक्षा ऑडिट
5	मैसर्स एनआईएफ लिमिटेड, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा ऑडिट
6	मैसर्स एनएफएल, नया नंगल, रूपनगर, पंजाब में सुरक्षा ऑडिट
7	आरएसपीएल लिमिटेड, झांसी यूनिट, झांसी, उत्तर प्रदेश में कार्य परिवेश निगरानी अध्ययन
8	मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वालिया, भरूच, गुजरात में वेंटिलेशन अध्ययन
9	मैसर्स जमना ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में सुरक्षा ऑडिट
10	आरएसपीएल, यूनिट रानिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश में कार्य परिवेश निगरानी अध्ययन
11	आरएसपीएल, यूनिट भोगनिपुर, कानपुर, यूपी में कार्य पर्यावरण निगरानी अध्ययन
12	आरएसपीएल, यूनिट रायपुर, छत्तीसगढ़ में कार्य पर्यावरण निगरानी अध्ययन
13	आरएसपीएल , बीदर, कर्नाटक में कार्य पर्यावरण निगरानी / औद्योगिक स्वच्छता अध्ययन
14	अरावली पावर कंपनी प्रा. लि., झज्जर, हरियाणा में सुरक्षा ऑडिट
15	मैसर्स आरएसपीएल, द्वारका, गुजरात में भौतिक खतरों के लिए कार्य पर्यावरण निगरानी अध्ययन
16	मैसर्स आरएसपीएल, द्वारका, गुजरात में रासायनिक खतरों के लिए कार्य पर्यावरण निगरानी अध्ययन
17	मैसर्स गोडरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वालिया साइट, अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात में

	वेंटिलेशन अध्ययन
18	बंडेल थर्मल पावर स्टेशन, त्रिबेनी, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा ऑडिट
19	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, कोलाघाट, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा ऑडिट
20	बकेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, सदैपुर, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा ऑडिट
21	मैसर्स बाल्मर लॉरी एंड को. लिमिटेड, सीएफएस द्रोनागिरी, (नवी मुंबई) में सुरक्षा ऑडिट
22	बाल्मर लॉरी - साउदर्न रीजन केमिकल प्लांट, मणाली, चेन्नई में सुरक्षा ऑडिट
23	बाल्मर लॉरी - साउदर्न रीजन केमिकल प्लांट, मणाली, चेन्नई में सुरक्षा ऑडिट
24	सागरदीघी थर्मल पावर स्टेशन में सुरक्षा ऑडिट
25	काडे ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी, उदरबॉन्ड, असम में सुरक्षा ऑडिट
26	बाल्मर लॉरी एंड को. लिमिटेड, आईपी इंडस्ट्रियल प्लांट, तलोजा, रायगढ़, महाराष्ट्र में सुरक्षा ऑडिट
27	बाल्मर लॉरी, साउदर्न रीजन "इंडस्ट्रियल पैकेजिंग (आईपी) यूनिट, मणाली" में सुरक्षा ऑडिट
28	संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन में सुरक्षा ऑडिट
29	बाल्मर लॉरी एंड को. लिमिटेड, कोलकाता में सुरक्षा ऑडिट
30	युफ्लेक्स लिमिटेड - यूनिट 1 एवं 2, जम्मू में सुरक्षा ऑडिट
31	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, आईपी इंडस्ट्रियल प्लांट, पटलगंगा, नवी मुंबई में सुरक्षा ऑडिट
32	बाल्मर लॉरी के साउदर्न रीजन 'कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) यूनिट, मनाली' में सुरक्षा ऑडिट
33	डॉ. नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन (एनटीटीपीएस), विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में सुरक्षा ऑडिट
34	मैसर्स बैंक प्रेस नोट, देवास, मध्य प्रदेश में आईएस 14489:2018 के अनुसार ओएसएच ऑडिट
35	गोदरेज एस्टेक लाइफ साइंस प्रा. लिमिटेड, महाड, महाराष्ट्र में कार्य पर्यावरण वायु निगरानी अध्ययन

36	गोडरेज एस्टेक लाइफ साइंस प्रा. लिमिटेड, महाड, महाराष्ट्र में कार्य पर्यावरण भौतिक खतरे की निगरानी
37	सोलस मरीन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई में कंप्रेसर हवा की सांस लेने वाली गुणवत्ता का परीक्षण
38	बाल्मर लॉरी कोल्ड चेन यूनिट, हैदराबाद, तेलंगाना में सुरक्षा ऑडिट
39	बाल्मर लॉरी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग (आईपी) यूनिट, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में सुरक्षा ऑडिट
40	आर्डनेंस पैराशुट फैक्ट्री, कानपुर में आईएस 14489:2018 के अनुसार ओएसएच ऑडिट
41	कोलकाता, बलमेरोल, ग्रीस और स्नेहन पदार्थ, निर्माण इकाई में सुरक्षा ऑडिट, बलमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड।
42	विसाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में एम/एस आंध्र पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड में सुरक्षा ऑडिट
43	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एम/एस बलमर लॉरी कोल्ड चेन यूनिट में सुरक्षा ऑडिट
44	भुवनेश्वर में मैसर्स बलमर लॉरी लॉजिकोल्ड में सुरक्षा ऑडिट
45	सेलम स्टील प्लांट, सेल के अनुसार आईएस 14489:2018 के अनुसार सुरक्षा ऑडिट, सेल
46	मैसर्स फियाट इंडिया ऑटोमोटिव प्रा. लि., रंजनगांव एमआईडीसी पुणे में 'औद्योगिक स्वच्छता और कार्य पर्यावरण निगरानी अध्ययन'
47	एनटीपीसी ऊंचाहर, उत्तर प्रदेश में वेंटिलेशन अध्ययन
48	मैसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में औद्योगिक स्वच्छता अध्ययन
49	मैसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम में कार्य पर्यावरण निगरानी अध्ययन

*****

अध्याय 14

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

14.1 दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की स्थापना 1958 में की गई थी, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई/ग्राम स्तर पर श्रमिक शिक्षा योजना को क्रियान्वित करता है। बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिक शामिल होते हैं।

14.2 इसके अलावा, वर्ष के दौरान बोर्ड को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार निकाय (मानक) के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक मान्यता प्रदानकर्ता निकाय के रूप में बोर्ड ज्ञान का निकाय बनाने और श्रमिकों को उनकी रोजगार क्षमता और वेतन में सुधार के लिए उनके कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन के लिए इसका प्रसार करने के लिए अधिकृत है।

14.3 बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कामकाजी आबादी के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है। संगठित क्षेत्र में पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय संवर्गों को भी शामिल किया जा रहा है।

श्रमिक शिक्षा

14.4 दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना 1958 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर श्रमिक शिक्षा योजना को लागू करने के लिए की गई थी।

- बोर्ड की प्रकृति त्रिपक्षीय है और इसमें श्रमिकों/नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्रीय/ राज्य सरकारों और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए श्रमिक वर्ग के बीच उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- बोर्ड संगठित, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जैसा कि (अनुलग्नक–1) में दर्शाया गया है।
- बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के कार्यक्रम श्रमिक संघों और प्रबंधन की व्यापक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई दिशा, उन्मुखीकरण और आयाम को प्रतिबिंबित करते हैं।

संरचना

14.5 बोर्ड की अध्यक्षता, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं, और श्रम और रोजगार मंत्रालय के माननीय सचिव दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में शासी निकाय के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड में केंद्र सरकार के केंद्रीय श्रमिकों के संगठनों, नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठनों, राज्य सरकारों और शैक्षिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बोर्ड के मामलों का प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में से चुने गए शासी निकाय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष निकाय की अध्यक्षता करते है। शासी निकाय के अध्यक्ष श्री विरजेश उपाध्याय हैं। महानिदेशक एसीसी द्वारा नियुक्त बोर्ड के प्रशासनिक प्रमुख हैं। डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के महानिदेशक कर्नल नीरज शर्मा हैं।

14.6 क्षेत्रीय निदेशालय स्तर पर, योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने, कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने और क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्येक

क्षेत्रीय निदेशालय स्तर पर त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व के साथ क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है।

14.7 बोर्ड का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है – भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई, जिसे 1970 में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों/संघों, स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके अलावा आईआईडब्ल्यूई बोर्ड के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

14.8 संगठित क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित क्षेत्र में, बोर्ड दो स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यानी राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर।

संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र/कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसमें विभिन्न श्रमिक संघों के सदस्य और श्रमिक संघों द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रतिष्ठानों के श्रमिक भी शामिल होते हैं।

अप्रैल, 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण, जिसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम शामिल हैं, जैसा कि **(अनुलग्नक–2)** में दर्शाया गया है।

14.9 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम:

शुरुआत में बोर्ड ने अपनी गतिविधियों को संगठित क्षेत्र में केंद्रित किया। श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने 1977–1978 से असंगठित/ग्रामीण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में 7 पायलट परियोजनाओं के साथ शुरू किया गया असंगठित/ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम अब एक नियमित और निरंतर कार्यक्रम बन गया है। अप्रैल 2025 से बोर्ड ने परिणाम आधारित कार्यक्रम के लिए नई पहल की है ।

ये कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्य से आयोजित किये जाते हैं:

- श्रमिकों और नागरिकों के रूप में समस्याओं, विशेषाधिकारों और दायित्वों के बारे में गंभीर जागरूकता को बढ़ावा देना;
- आत्मविश्वास बढ़ाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना;
- उन्हें अपने संगठन विकसित करने के लिए शिक्षित करना जिसके माध्यम से वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और ग्रामीण समाज के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ढांचे को मजबूत कर सकें;
- उन्हें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की रक्षा और संवर्धन हेतु शिक्षित करना;
- परिवार कल्याण योजना के लिए प्रेरित करना तथा सामाजिक बुराइयों से लड़ना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण करना।
- बेहतर कमाई और बेहतर जीवन स्तर के लिए रोजगार और नौकरी की भूमिका आधारित कौशल में सुधार करना।

निष्पादन

जनवरी, 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के दौरान बोर्ड ने **9915** कार्यक्रम आयोजित किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों के **569350** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है। ब्यौरा (**अनुलग्नक 1**) में दिया गया है।

14.10 प्रमुख उपलब्धियां

जागरूकता सृजन एवं पंजीकरण शिविर (एसीआरसी)

कार्यक्रम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है और ई–श्रम पोर्टल, पीएमएसवाईएम,

बीओसीडब्ल्यू और अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर श्रमिकों को पंजीकृत करने की भी सलाह देना है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 2921 एसीआरसी कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 207558 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्रमिक चौपाल कार्यक्रम

कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना और पंजीकृत श्रमिकों को ई–श्रम पोर्टल, पीएमएसवाईएम, बीओसीडब्ल्यू, संबल योजना और अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं पर सलाह देना है।

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक वर्ष के दौरान, कुल 5399 श्रमिक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए गए और 312557 प्रतिभागियों को बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

सहायता अनुदान योजना

बोर्ड की अनुदान सहायता योजना वर्ष 1960 में शुरू की गई थी। सहायता अनुदान योजना के नियमों और प्रक्रिया को श्रमिक संघ की आवश्यकताओं के अनुसार सरल बनाया गया है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड अपनी सहायता अनुदान योजना के माध्यम से श्रम संघ संगठनों और शैक्षिक संस्थानों आदि को अपने श्रमिकों के लिए श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

हिंदी का प्रयोग

14 सितंबर, 2025 को हिंदी दिवस मनाया गया। दिनांक 15.9.2025 से 29.9.2025 तक प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। बोर्ड के 50 क्षेत्रीय निदेशालयों ने भी हिंदी दिवस मनाया और हिंदी पखवाड़ा मनाया। इन कार्यक्रमों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विभिन्न दिवसों का आयोजन/समारोह

- नई दिल्ली स्थित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूपपूर्व के.श्र.शि.बो.) तथा भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई ने इस अवसर पर निम्नलिखित दिवस मनाएः–
- 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस
- 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस
- 20 अगस्त को सद्भावना दिवस
- 26 नवंबर को संविधान दिवस
- 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह
- स्वच्छ भारत अभियान, विशेष अभियान 5.0
- 21 जून को योग दिवस

14.11 नई पहल

- वर्ष के दौरान बोर्ड ने श्रमिकों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों और विभागों के साथ भी साझा कार्यक्रम शुरू किया गया है।

1. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने यूपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के उन लाभार्थी एक लाख निर्माण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण के लिए
2. भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पीएमकेवीवाई–4.0 के तहत असंगठित क्षेत्र में 13500 निर्माण श्रमिकों के लिए आरपीएल प्रशिक्षण
3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पीएम–विकास, भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ 2000 निर्माण श्रमिकों के नौकरी की भूमिका आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए

- बोर्ड अपने कार्यक्रमों और उद्देश्यों को पुनः अभिमुख करने तथा लक्षित समूह को ठोस लाभ पहुंचाने वाली नई पहल करने पर काम कर रहा है।

- बोर्ड ई–श्रम में उपलब्ध व्यवसायों के आधार पर तथा एनएसडीसी के परामर्श से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की योजना बना रहा है।

- बोर्ड लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियाँ तैयार करने हेतु ईपीएफओ, ईएसआईसी, ई–श्रम, पीवाईएसवाईएम, एनसीएस आदि के साथ संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा है।

- रोजगार और प्रवीणता संवर्धन कार्यक्रम (ईपीईपी), सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों अनुभव के साथ कौशल आधारित 12 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, छोटे उद्यमों जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार के क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच महत्वपूर्ण कौशल की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

- वर्ष 2024–25 के दौरान पहल की सफलता से प्रेरित होकर, इस कार्यक्रम को वर्ष 2025–26 के दौरान लगभग 80000 श्रमिकों तक बढ़ाया गया है और सर्वोपरि डोमेन विशेषज्ञता वाले संगठनों को उनकी मुख्य कौशल से संबंधित नौकरी की भूमिकाओं पर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जुटाया गया था। वर्ष के दौरान दस संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन आधारित साझेदारी की गई, जिनमें सरकारी विभाग, बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, क्षेत्र कौशल परिषद और एमएसडीई, भारत सरकार के तहत काम करने वाले निकाय शामिल हैं। वर्ष 2025–26 के लिए ईपीईपी के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्रतिभागियों में केंद्रीय भंडार, केल्ट्रॉन, आईटीआई लिमिटेड, लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, एएफसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल आदि शामिल हैं।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एमटीपी (एसजीएफ) कार्यक्रम के तहत व्यवहार आधारित सुरक्षा विषय पर भारत में छह अलग–अलग स्थानों पर स्थित टाटा स्टील स्टील की विभिन्न इकाइयों के 1000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड (टीएसटीएसएल) और टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस लिमिटेड (टीएसएसएसएल) के साथ डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के साथ समझौता ज्ञापन ।

अनुबंध -1

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक श्रमिक शिक्षा के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रम।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल योग
	संगठित क्षेत्र				
1.	श्रमिक संघों के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (02 मॉड्यूल)	162	2603	1141	3744
2.	मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमटीपी) 01 मॉड्यूल	24	244	396	640
3.	मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमटीपी) 02 मॉड्यूल	71	1382	124	1506
4.	स्वयं कोष निर्माण मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 01 मॉड्यूल	91	1484	206	1690
5.	स्वयं कोष निर्माण मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 02 मॉड्यूल	301	6260	522	6782
6.	स्वयं कोष निर्माण मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम - 04 मॉड्यूल	02	29	0	29
7.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम	34	235	207	442
8.	ओएसएच (संगठित क्षेत्र) पर कार्यक्रम	12	238	30	268
9.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	110	1683	1116	2799
कुल		**807**	**14158**	**3742**	**17900**
	असंगठित क्षेत्र				
1.	जागरूकता निर्माण एवं पंजीकरण शिविर (एसीआरसी)	2921	96832	110726	207558
2.	रोजगारपरकता एवं दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (ईपीईपी)	658	-	-	27334
3.	ओएसएच (असंगठित क्षेत्र) पर कार्यक्रम	75	863	1207	2070
4.	श्रमिक चौपाल	5399	157171	155386	312557
5.	करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम	30	577	689	1266
6.	क्षेत्रीय आधारित कार्यक्रम	16	325	242	567
7.	रुटैग	09	53	45	98
कुल		**9108**	**255821**	**268295**	**551450**
कुलयोग		9915	269979	272037	569350

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम

<u>अनुबंध - 2</u>

क्र.सं.	पाठ्यक्रम शीर्षक	लक्ष्य समूह	शामिल विषयों की विस्तृत रूपरेखा
क	संगठित क्षेत्र		
1	**क्षमता निर्माण कार्यक्रम-4 मॉड्यूल**	श्रमिक संघों के पदाधिकारी	विषय आधारित संरचित मॉड्यूल के अनुसार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करना - (i) श्रमिक संघ चेतना; (ii) श्रमिक संघों के उद्देश्य, कार्य और प्रशासन; (iii) औद्योगिक संबंधों का संचालन और उद्योग का ज्ञान; (iv) एक परिपक्व व्यक्ति का विकास और एक नागरिक के रूप में उसकी भूमिका
2	**बोर्ड श्रमिक संघों की क्षमता निर्माण के लिए श्रमिक संघों के माध्यम से श्रमिक शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है - 6 मॉड्यूल सहायता अनुदान ।**	श्रमिक संघों के पदाधिकारियों के लिए	दृष्टिकोण, आदतों, सोचने के तरीकों का प्रबंधन, हमारे समाज के स्वरूप को दर्शाने वाले रुझान
3	**स्वयं कोष निर्माण के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 मॉड्यूल/ 4 मॉड्यूल/ 6 मॉड्यूल)**	उद्योग/प्रतिष्ठान/कार्यालयों के श्रमिक और कर्मचारी	उद्योग परिसर में या पूर्व-संरचित मॉड्यूल (प्रशिक्षण आवश्यकता पहचान या विभिन्न इनपुट के आधार पर) के आधार पर इन-हाउस प्रशिक्षण **विषय-वस्तु: श्रम संहिता, अनुप्रयुक्त औद्योगिक मनोविज्ञान / मानव संसाधन / संगठनात्मक विकास / औद्योगिक डोमेन और श्रमिक संघ प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित विषय** एमटीपी- स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम संगठित क्षेत्र के अंतर्गत देश में श्रमिक शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्व अर्जित करने हेतु संचालित किए जाते हैं
4	**व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा**	संगठित क्षेत्र के श्रमिक	श्रमिकों को आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन मानकों की अवधारणा को समझने और आधुनिक उत्पादन केंद्रों में संलग्न होने के लिए सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में सक्षम बनाना
5	**प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम: 03 दिन**	अलग-अलग उद्योग, व्यापार या पेशे में कार्य करने वाले संभावित प्रशिक्षक, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, ऐसे व्यक्ति जिनमें सहकर्मी प्रशिक्षक बनने की योग्यता हो।	प्रशिक्षकों का एक पूल विकसित करना जो उचित अवधि के आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के माध्यम से आवश्यक जानकारी, ज्ञान और योग्यता के साथ अपने सहकर्मी श्रमिकों को प्रशिक्षित और लैस कर सकते हैं।

	पाठ्यक्रम शीर्षक	लक्ष्य समूह	शामिल विषयों की विस्तृत रूपरेखा
ख	**असंगठित क्षेत्र**		
1	**प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम: 03 दिन**	परिप्रेक्ष्य आर.वी. / सुविधादाता / सहयोगी एजेंसी के प्रतिनिधि	शिक्षकों/ग्रामीण स्वयंसेवकों और सुविधा प्रदाताओं का एक समूह विकसित करना जो असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में बोर्ड के लिए सहायक होगा।
2	**जागरूकता सह पंजीकरण शिविर (एसीआरसी)**	असंगठित एवं ग्रामीण श्रमिक, स्वरोजगार, बेरोजगार युवा	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ऐसी विभिन्न योजनाओं के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। 23 राज्यों के 65 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकांश श्रमिक ई-श्रम, पीएमएसवाईएम, आभा, एनसीएस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि योजनाओं के तहत पंजीकृत थे। कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों आदि की मदद से गांव, ब्लॉक, पंचायत, कॉलोनियों आदि में आयोजित किए जाते हैं।
3	**श्रमिक चौपाल**	ये कार्यक्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रमिक चौक, श्रमिक क्लस्टरों और निर्माण स्थलों पर आयोजित किए जाते हैं।	श्रम और सरकार की अन्य पहलों से संबंधित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और उनसे जुड़ाव।
4	**रोजगारपरकता एवं दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (ईपीईपी)**	निर्माण श्रमिकों को अनिवार्य कल्याण गतिविधि के रूप में शामिल करना	कार्यक्रम 05 दिनों की अवधि के होते हैं और निर्माण स्थलों पर आयोजित किए जाते हैं। अंतिम दिन प्रतिभागियों के मूल्यांकन के लिए रखे जाते हैं। जॉब रोल्स में शटरिंग कारपेंटर, बार बेंडर्स, असिस्टेंट मेसन आदि शामिल हैं।
5	**व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा**	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	श्रमिकों के व्यावसायिक समरूप समूहों को उनकी नौकरी से जुड़े खतरों की ओएचएस पहचान पर 1 दिन के पहल पर पहुंचा जाता है, और जोखिम मूल्यांकन तकनीकों पर चर्चा की जाती है। अंतिम सामूहिक जोखिम प्रबंधन रणनीति को काम के दौरान लागू किया जाता है।
6	**क्षेत्रीय आधारित परियोजना**	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	श्रमिकों के विशेष वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रमिक शिक्षा के साथ-साथ विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और क्षेत्रीय निदेशालय स्तर पर लागू किए गए हैं।

7	**करियर मार्गदर्शन**	आईटीआई, कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्र और नौकरी चाहने वाले	विभिन्न कौशल और शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ छात्रों के लिए एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें रोजगार बाजार और सेवा की शर्तों के बारे में प्राथमिक जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा, सत्र प्रतिभागियों को संचार जैसे रोजगार कौशल युक्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिसमें आईपीआर, दृष्टिकोण और व्यवहार आदि शामिल हैं।
8	**रुटैग स्मार्ट विलेज सेंटर सहयोगात्मक परियोजना**	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करके और विशेष क्षमताओं का निर्माण करके स्मार्ट विलेज सेंटर परियोजना के लिए ग्रामीण तेंचोनोजी एडॉप्शन ग्रुप पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की पहल की सराहना करने के लिए एक सहयोगी कार्यक्रम है।

*****

अध्याय 15 कार्यक्रम

15.1 यह मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल के जीवन और प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए कई योजनों कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं का मुख्य बल ई–श्रम पोर्टल (असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू)), बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन और पुनर्वास, श्रम कल्याण, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) तथा रोजगार सृजन पर है। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैं: कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, असम में चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) और व्यापारियों तथा स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, मंत्रालय ने रोजगार सृजन के लिए एक नई योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) की भी शुरुआत की है। पीएमवीबीआरवाई को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 01.07.2025 को मंजूरी दी गई थी, जिसकी प्रभावी कार्यान्वयन तिथि दिनांक 01.08.2025 है। इसके अतिरिक्त, ई–श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), करियर सेवा केंद्र (अनु. जा./अनु. ज.जा. हेतु एनसीएससी) तथा बीड़ी, सिनेमा और गैर–कोयला खदान कामगारों के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) भी अन्य प्रमुख योजनाएं हैं।

15.2 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निगरानी एवं मूल्यांकन इकाई (एमईयू), अनुसूचित जाति हेतु विकास कार्ययोजना (डीएपीएससी) (पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी)), अनुसूचित जनजाति हेतु विकास कार्ययोजना (डीएपीएसटी) (पूर्ववर्ती जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) / अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईर) घटक के अंतर्गत योजनाओं के व्यय की निगरानी का कार्य करती है।

15.3 वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) की केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की योजनाओं के लिए 31820.80 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय प्रदान किया है। योजना–वार वित्तीय परिव्यय **तालिका 15.1** में दिए गए हैं।

15.4 सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, इस मंत्रालय ने **तालिका 15.1** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति हेतु विकास कार्ययोजना (डीएपीएससी) के लिए 5284.13 करोड़ रुपए (कुल आवंटन का 16.60%) और अनुसूचित जनजाति हेतु विकास कार्ययोजना (डीएपीएसटी) के लिए 2740.11 करोड़ रुपए (कुल आवंटन का 8.60%) निर्धारित किए हैं।

तालिका: 15.1

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं का वित्तीय परिव्यय

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	कुल वित्तीय परिव्यय 2025-26	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डीएपी सी के लिए आवंटन	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डीएपीएसटी के लिए आवंटन।
1	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	72.72	11.00	5.98
2	श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस)	50.68	8.42	4.35
3	कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995	11250.00	1867.50	967.50
4	असम में चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	66.87	1.24	0.30
5	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना	244.02	25.00	21.00
6	व्यापारियों और स्व नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)	5.10	0.00	0.00
7	ई-श्रम पोर्टल - असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू)	27.80	4.61	2.39
8	बंधुआ मजदूर का पुनर्वास	6.00	1.00	0.52
9	अनु. जा./अनु. ज.जा. और ओबीसी हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र	20.61	16.73	2.07
10	राष्ट्रीय करियर सेवाएं (एनसीएस)	77.00	8.63	6.00
11	प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)	20000.00	3340.00	1730.00
कुल		**31820.80**	**5284.13**	**2740.11**

15.5 इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के अंतर्गत विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए आवंटन का 10% (3208.67 करोड़ रुपए) निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, स्थापना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय

15.6 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 11 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करता है। मंत्रालय स्वायत्त

निकायों अर्थात् वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड को सहायता अनुदान भी देता है। बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय के साथ योजनाओं की सूची **तालिका संख्या 15.2 और 15.3** में दी गई है।

तालिका 15.2

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय							
							(रु. करोड़ में)
बजट प्रावधान एवं व्यय							
क्र. सं.	**योजना का नाम**	**बजट अनुमान 2024-25**	**संशोधित अनुमान 2024-25**	**वास्तविक 2024-25**	**बजट अनुमान 2025-26**	**संशोधित अनुमान 2025-26**	**31 दिसंबर, 2025 तक व्यय**
I. केंद्र का स्थापना व्यय							
1	सचिवालय	104.46	98.05	94.32	106.54	122.50	84.55
2	श्रम ब्यूरो	30.07	26.09	25.07	27.67	26.13	20.66
3	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	124.52	111.18	108.58	122.70	118.05	94.26
4	कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली)	39.34	34.08	33.83	39.01	34.00	26.12
5	खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)	119.00	116.36	117.73	126.53	120.91	98.91
6	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	43.14	41.87	38.52	41.99	52.05	4.34
7	रोजगार महानिदेशालय (डीजीई)	76.86	79.48	75.20	73.03	69.50	55.18
8	श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजेएएलडब्ल्यू)	156.36	152.17	149.74	161.42	157.63	124.06
कुल-केंद्र का स्थापना व्यय		693.75	659.28	643.00	698.89	700.77	508.09

II	कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं/परियोजनाएं						
1	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	50.00	26.58	12.72	72.72	25.00	13.77
2^	श्रम कल्याण योजना	50.68	50.68	40.27	50.68	78.09	14.08
3	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	10950.00	10235.00	10235.00	11250.00	10500.00	7857.35
4	असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	66.20	63.39	63.39	66.87	61.37	46.84
5	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना	177.24	242.73	231.50	244.02	244.02	165.39
6	व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना पूर्वर्ती प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना	0.01	0.01	0.00	5.10	2.80	1.90
7*	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8^^	असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	176.84	26.93	24.49	27.80	25.00	15.84
9*	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00
10	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	6.00	6.00	1.31	6.00	3.00	1.06
11	अ.जा., अ.जजा. और अ.पि. वर्गों कोचिंग और मार्गदर्शन	20.60	20.60	18.87	20.61	20.61	14.65
12	राष्ट्रीय करियर सेवाएं	58.00	58.00	47.44	77.00	60.00	39.13
13**	नई रोजगार सृजन योजना	10000.00	6799.43	0.16	20000.00	848.16	1.28
कुल-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं		21705.57	17530.03	10675.82	31820.80	11868.05	8171.28

III. स्वायत्त निकाय							
1	**दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड**	**117.00**	**103.26**	**103.26**	**110.85**	**105.50**	**84.56**
2	**राष्ट्रीय श्रम संस्थान**	**15.15**	**14.65**	**14.42**	**15.65**	**13.73**	**11.62**
कुल - स्वायत्त निकाय		**132.15**	**117.91**	**117.67**	**126.50**	**119.23**	**96.17**
कुल योग		**22531.47**	**18307.22**	**11436.49**	**32646.19**	**12688.05**	**8775.54**

^ श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत आवास घटक दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

* आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को दिनांक 31.03.2024 के बाद बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना को दिनांक 01.04.2021 से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

^^ असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू), इस योजना का 'सृष्टि' (एसआरआईएसटीआई) योजना के अंतर्गत पोर्टल के नवीनीकरण के साथ विलय कर दिया गया है।

** नई रोजगार सृजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) कर दिया गया है।

तालिका 15.3

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पिछले पांच वर्षों के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय।

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2020-2021	12065.49	13719.56	12920.37
2021-2022	13306.50	14248.72	24036.34
2022-2023	16893.68	16117.65	14797.95
2023-2024	13221.73	12521.06	11539.62
2024-2025	22531.47	18307.22	11436.49

*****

अध्याय 16

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

16.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्ववर्ती अ.जा./अ.ज.जा. के लिए कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केंद्र) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के रोजगार महानिदेशालय (पूर्व में प्रशिक्षण और रोजगार महानिदेशालय) द्वारा स्थापित किए गए थे। ये केंद्र रोजगार कार्यालयों (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) में पंजीकृत शिक्षित अ.जा./अ.ज.जा. के नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग, परामर्श और संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों में आत्मविश्वास बढ़ाना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मॉक इंटरव्यू, टाइपिंग, आशुलिपि (शॉर्टहैंड) और कंप्यूटर आदि में प्रशिक्षण और अभ्यास शामिल हैं। आवेदकों को रोजगार कार्यालय में उनके पंजीकरण के समय और अधिसूचित रिक्तियों के लिए उनके नाम प्रायोजित किए जाने के समय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह केंद्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए नियोक्ताओं के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए एनसीएससी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय–24 देखें।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) का प्रतिनिधित्व

16.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / स्वायत्त निकायों सहित, में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	आरक्षण मानदंडों के अनुसार देय संख्या		कार्यरत संख्या		अधिशेष (+)/ कमी (-)	
		अ.जा. (15%)	अ.ज.जा. (7.5%)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह 'क'	5210	781	390	782	344	+1	-46
समूह 'ख'	9814	1472	736	1581	682	+109	-54
समूह 'ग' (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सहित)	31947	4792	2396	5779	2363	+987	-33
कुल	46971	7045	3522	8142	3389	+1097	-133

16.3 संकेतित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकता के अनुसार, 4% पद संकेतित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में संकेतित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या और आंकड़े निम्नानुसार हैं:

श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों / स्वायत्त निकायों सहित, में दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) का प्रतिनिधित्व:		
कर्मचारियों की श्रेणी	**कर्मचारियों की कुल संख्या**	**दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या**
समूह 'क'	5210	62
समूह 'ख'	9814	143
समूह 'ग' (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सहित)	31947	988
कुल	46971	1193

श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसके संबद्ध / अधीनस्थ / स्वायत्त संगठनों सहित, में अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या (31.12.2025 तक)	आरक्षण मानदंडों के अनुसार देय संख्या	कार्यरत संख्या	अधिशेष (+)/ कमी (-)
		अ.पि.व. (27%)	अ.पि.व.	अ.पि.व.
समूह 'क'	5210	1388	1229	-159
समूह 'ख'	9814	2686	2314	-372
समूह 'ग' (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सहित)	31947	8647	7882	-765
कुल	46971	12721	11425	-1296

*****

अध्याय 17 श्रम सांख्यिकी

17.1 श्रम ब्यूरो मूल्य, रोजगार और श्रम आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मजदूरी, आय, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंधों आदि पर जानकारी शामिल है। ब्यूरो द्वारा नियमित रूप से जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमुख मापदंडों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सीपीआई–आईडब्ल्यू), कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–एएल/आरएल), मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) आदि शामिल हैं। ब्यूरो 11 श्रम अधिनियमों के तहत प्रशासनिक आंकड़े भी एकत्र और संकलित करता है।

17.2 श्रम ब्यूरो की प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर नियमित रूप से संकलित तथा अनुरक्षित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार हैः–

(क) नए आधार 2016=100 पर औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू)

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू) कामगार वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्धारित श्रृंखना की कीमतों में परिवर्तन की दर को मापते हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा इसका संकलन तथा रख–रखाव 1946 से किया जा रहा है।

1. आधार सूचकांक (2016=100) नवम्बर, 2025 में जारी किया गया था।

2. श्रृंखला के लिए भारण आरेखों को वर्ष 2016 के दौरान आयोजित कामगारों वर्ग पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किया गया है। विस्तृत समूहों के भारों को बॉक्स 17.1 में दर्शाया गया है।

3. ये सूचकांक प्रेस विज्ञप्ति तथा मासिक इन्डैक्स लैटर के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। इन्हें श्रम ब्यूरो की वैब साइट www.labourbureaunew.gov.-in पर डालने के अतिरिक्त ब्यूरो के मासिक प्रकाशन 'इण्डियन लेबर जरनल' में भी प्रकाशित किया जाता है।

4. वार्षिक प्रतिशत भिन्नता मासिक प्रतिशत भिन्नता और वर्ष –दर –वर्ष मुद्रास्फीति दर्शाने वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी विवरण क्रमशः तालिका 17.1, 17.2 और 17.8 मे दर्शाए गए हैं।

5. इन सूचकांकों का उपयोग मज़दूरी संशोधन, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के निर्धारण, मुद्रास्फीति के रूझानों के मूल्यांकन तथा नीति निर्धारण में किया जाता है।

6. सीपीआई (आईडब्ल्यू) के आधार वर्ष को हाल के वर्ष में संशोधित करने की कवायद शुरू हो गई है।

(ख) 31 आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक

17.3 31 आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक भी प्रति माह संकलित किया जाता है तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजा जाता है ताकि इन चयनित वस्तुओं के मूल्य में उतार–चढ़ाव की निगरानी की जा सके। इन सूचकांकों का संकलन उन भारण आरेखों के आधार पर किया जाता है जिन्हें श्रृंखला के तहत एकत्रित मूल्य आंकड़ों तथा औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत निर्धारित भारों से प्राप्त किया जाता है। सितंबर, 2025 तक के सूचकांकों का संकलन तथा संबंधित एजेन्सियों को प्रेषण किया जा चुका है।

(ग) आवास सूचकांक

17.4 मुख्य व्यवसाय वर्ग पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप मकान किराया पुनर्सर्वेक्षण को 88 केन्द्रों में आयोजित किया गया तथा सभी 88 केन्द्रों में आवास सूचकांकों को संकलित कर लिया गया है। यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रति केन्द्र दो सूचकांक की दर से आवास सूचकांक संकलित करने हेतु छः महीने के अन्तराल में एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।

17.5 पारिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण मूल्यों के सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। श्रम ब्यूरो ने सीपीआई–आईडब्ल्यू की श्रृंखला को एक नए आधार पर अपडेट करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में एक नया श्रमिक वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण किया है। 2016=100 आधार के साथ सूचकांक की नई श्रृंखला सितंबर, 2020 से प्रभावी जारी की गई है।

(घ). ग्रामीण श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सीपीआई (आरएल और एएल)) (आधारः 1986–87=100 और 2019=100)

17.6 600 नमूना गांवों से एकत्रित खुदरा मूल्य आंकड़ों के आधार पर, ग्रामीण मजदूरों और उसके उपसमूह कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई संख्याएं 20 राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर आधार 1986–87=100 पर मई, 2025 तक मासिक आधार पर संकलित की जा रही थी।

17.7 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई–एएल और आरएल) के लिए आधार वर्ष 2019=100 के साथ नवनिर्मित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी की है, जो जून 2025 से प्रभावी है। ये सूचकांक 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 787 नमूना गांवों के एक नए सेट से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। आधार वर्ष को 1986–87 से संशोधित किया गया है।

17.8 वर्ष 2023–24 के लिए कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई संख्या (आधारः 1986–87=100) पर वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है।

17.9 मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्रमशः तालिका 17.4 (i), 17.4 (ii) और 17.5 (i), 17.5 (ii) में प्रस्तुत की गई है।

17.10 इन सूचकांकों का उपयोग, अन्य बातों के साथ–साथ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कृषि में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन और निर्धारण, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन, सीएसीपी द्वारा कृषि फसलों की खरीद/समर्थन मूल्यों के निर्धारण और पीएम–पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

(ङ) मजदूरी दर सूचकांक

17.11 नमूना गांव और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कवरेज को 20 राज्यों के 600 गांवों से बढ़ाकर 787 गांवों और 34 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों तक किया गया है। यह विस्तार सीपीआई–एएल/आरएल के आधार वर्ष (2019) के संशोधन के बाद लिया गया था। 25 कृषि और गैर–कृषि व्यवसायों के लिए मजदूरी दर डेटा संग्रह के लिए नमूना आकार गांवों का एक ही समूह है जहां सीपीआई–एएल/आरएल के लिए खुदरा मूल्य डेटा एकत्र किए जाते हैं। अगस्त, 2025 तक के मजदूरी दर के आंकड़े संकलित और प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के लिए "ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें" शीर्षक वाली पुस्तिका जारी की गई है।

(छ) मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई):

17.12 मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो एक निश्चित समयावधि में चयनित उद्योगों के चयनित व्यवसायों में मैनुअल कामगारों के वेतन में सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। श्रम ब्यूरो 1969 से डब्ल्यूआरआई संकलित कर रहा है। हाल ही में, श्रम ब्यूरो द्वारा डब्ल्यूआरआई के आधार वर्ष को 1963=100 से संशोधित कर 2016=100 कर दिया गया है। नई डब्ल्यूआरआई श्रृंखला के अंतर्गत, तीन क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, बगान और खनन में चयनित 37 उद्योगों के लिए जुलाई 2016 (आधार वर्ष) से अर्ध–वार्षिक वार (बिंदु–दर–बिंदु) डब्ल्यूआरआई डेटा संकलित किया जाता

है। अखिल भारतीय मजदूरी दर सूचकांक दिनांक 1 जुलाई 2023 को भुगतान अवधि तक जारी किया गया है।

(छ) व्यावसायिक वेतन सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस):

17.13 मजदूरी दर सूचकांक संख्या तैयार करने के लिए रोजगार, मजदूरी दरों और महंगाई भत्ते पर व्यवसाय–वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आंकड़े/सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (ओडब्ल्यूएस) के विभिन्न दौर आयोजित किए जा रहे हैं।

अब तक, श्रम ब्यूरो द्वारा ओडब्ल्यूएस के सात दौर आयोजित किए जा चुके हैं। ओडब्ल्यूएस के 7वें दौर के तहत, 56 उद्योगों से मिलकर कुल दस रिपोर्ट तैयार की गई हैं और सभी रिपोर्ट यानी पांच कपड़ा उद्योग, एक कपड़ा परिधान उद्योग, तीन बागान उद्योग, एक चाय प्रसंस्करण उद्योग, चार खनन उद्योग, दस विनिर्माण उद्योग, दस इंजीनियरिंग उद्योग, नौ इंजीनियरिंग उद्योग, नौ विनिर्माण उद्योग और चार सेवा क्षेत्र के उद्योग जारी किए गए हैं।

(ज) श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण:

17.14 16 से 18 जून, 2025 के दौरान श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के 47वें बैच के 30 परिवीक्षाधीनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(झ) श्रम संहिताएं और प्रकाशन

17.15 4 श्रम संहिताएं , अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, मजदूरी संहिता, 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 को 21.11.2025 से लागू किया गया है। संहिताओं में, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल किया गया है और इन सम्मिलित अधिनियमों पर रिपोर्ट संबंधित संहिताओं के तहत प्रकाशित की जाएगी:

श्रम संहिताओं	अधिनियमों को समाहित किया गया
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020	1) कारखाना अधिनियम, 1948 2) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 3) बागान श्रम अधिनियम, 1951
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	1) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 2) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
वेतन संहिता, 2019	1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 2) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	1) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

बॉक्स 17.1	
2016=100 आधार पर सीपीआई के अंतर्गत व्यापक समूहों के लिये भारण	
समूह	भारण
खाद्य और पेय पदार्थ	39.20
पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ	1.80
कपड़े और जूते	5.95
आवास	17.75
ईंधन और प्रकाश	5.49
विविध	29.81
कुल	100·00

तालिका **17.1**

2001=100 तथा **2016=100** आधार पर औद्योगिक कामगारों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विचरणों का तुलनात्मक विवरण

आधार	वित्तीय वर्ष	सूचकांक	प्रतिशत विचरण (वार्षिक)
I. 2001=100	2006-07	125	6.83
	2007-08	133	6.40
	2008-09	145	9.02
	2009-10	163	12.41
	2010-11	180	10.43
	2011-12	195	8.33
	2012-13	215	10.26
	2013-14	236	9.77
	2014-15	251	6.36
	2015-16	265	5.58
	2016-17	276	4.15
	2017-18	284	2.90
	2018-19	300	5.63
	2019-20	322	7.33
	2020(अप्रैल, 20 - अगस्त, 20)	333	} 5.19
II. 2016=100	2020-21(सितंबर,20 - मार्च,21)	119.0	
	2021-22	123.6	5.14
	2022-23	131.1	6.07
	2023-24	137.9	5.19
	2024-25	142.6	3.41

नोट: i) सूचकांक मूल्य संबंधित वित्तीय वर्ष का वार्षिक औसत है।

ii) वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिशत भिन्नता को सितंबर, 2020 से 2.88 के रूपांतरण कारक का उपयोग करके आधार 2016=100 के आंकड़ों से निकाला गया है। 2020-21 (सितंबर, 2020 से मार्च, 2021) के लिए परिवर्तित आंकड़ा 342.7 है।

तालिका 17.2

(आधार: 2001=100 & 2016=100)सीपीआई-आई.डब्ल्यू में मासिक विचरण

वित्तीय वर्ष	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
माह	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन
अप्रैल	312	0.97	329	0.92	120.1	0.42	127.7	1.35	134.2	0.68	139.4	0.36	143.5	0.35
मई	314	0.64	330	0.30	120.6	0.42	129.0	1.02	134.7	0.37	139.9	0.36	144.0	0.35
जून	316	0.64	332	0.61	121.7	0.91	129.2	0.16	136.4	1.26	141.4	1.07	145.0	0.69
जुलाई	319	0.95	336	1.20	122.8	0.90	129.9	0.54	139.7	2.42	142.7	0.92	146.5	1.03
अगस्त	320	0.31	338	0.60	123.0	0.16	130.2	0.23	139.2	-0.36	142.6	-0.07	147.1	0.41
सितम्बर	322	0.63	118.1	0.62	123.3	0.24	131.3	0.84	137.5	-1.22	143.3	0.49	147.3	0.14
अक्तूबर	325	0.93	119.5	1.19	124.9	1.30	132.5	0.91	138.4	0.65	144.5	0.84	147.7	0.27
नवबंर	328	0.92	119.9	0.33	125.7	0.64	132.5	0.00	139.1	0.51	144.5	0.00		
दिसबंर	330	0.61	118.8	-0.92	125.4	-0.24	132.3	-0.15	138.8	-0.22	143.7	-0.55		
जनवरी	330	0.00	118.2	-0.51	125.1	-0.24	132.8	0.38	138.9	0.07	143.2	-0.35		
फरवरी	328	-0.61	119.0	0.68	125.0	-0.08	132.7	-0.08	139.2	0.22	142.8	-0.28		
मार्च	326	-0.61	119.6	0.50	126.0	0.80	133.3	0.45	138.9	-0.22	143.0	0.14		

नोट: (i) सितंबर, 2020 से सूचकांक नए आधार 2016=100 पर आधारित है।

(ii) **2.88** के लिंकिंग कारक का उपयोग करके 2016 = 100 के आंकड़े को परिवर्तित करके सितंबर, 2020 के लिए प्रतिशत भिन्नता प्राप्त की गई है।

<u>तालिका 17.3</u>

औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मंहगाई की वार्षिक दर

(आधार: 2001=100 & 2016=100)

वर्ष/ माह	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन	सूचकांक	प्रतिशत विचलन
जनवरी	307	6.6	330	7.49	118.2	3.15	125.1	5.84	132.8	6.16	138.9	4.59	143.2	3.10
फरवरी	307	6.97	328	6.84	119.0	4.48	125.0	5.04	132.7	6.16	139.2	4.90	142.8	2.59
मार्च	309	7.67	326	5.50	119.6	5.64	126.0	5.35	133.3	5.79	138.9	4.20	143	2.95
अप्रैल	312	8.33	329	5.45	120.1	5.13	127.7	6.33	134.2	5.09	139.4	3.87	143.5	2.94
मई	314	8.65	330	5.10	120.6	5.25	129	6.97	134.7	4.42	139.9	3.86	144	2.93
जून	316	8.59	332	5.06	121.7	5.57	129.2	6.16	136.4	5.57	141.4	3.67	145	2.55
जुलाई	319	5.98	336	5.33	122.8	5.26	129.9	5.78	139.7	7.54	142.7	2.15	146.5	2.66
अगस्त	320	6.31	338	5.62	123.0	4.80	130.2	5.85	139.2	6.91	142.6	2.44	147.1	3.16
सितम्बर	322	6.98	118.1	5.62	123.3	4.40	131.3	6.49	137.5	4.72	143.3	4.22	147.3	2.79
अक्तूबर	325	7.62	119.5	5.91	124.9	4.52	132.5	6.08	138.4	4.45	144.5	4.41	147.7	1.52
नवबंर	328	8.61	119.9	5.27	125.7	4.84	132.5	5.41	139.1	4.98	144.5	3.88		
दिसबंर	330	9.63	118.8	3.67	125.4	5.56	132.3	5.50	138.8	4.91	143.7	3.53		

नोट: (i) मुद्रास्फीति की दर की गणना पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में प्रतिशत वृद्धि के रूप में की गई है।

(ii) सितंबर, 2020 से सूचकांक नए आधार 2016=100 पर आधारित है।

(iii) **<u>2.88</u>** के लिंकिंग कारक का उपयोग करके 2016 = 100 के आंकड़े को परिवर्तित करके सितंबर, 2020 के लिए प्रतिशत भिन्नता प्राप्त की गई है।

बॉक्स 17.2: आधार 1986-87=100 पर कृषि मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भिन्नता का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	सीपीआई-एएल	सीपीआई-आरएल	वार्षिक प्रतिशत भिन्नता	
			सीपीआई-एएल	सीपीआई-आरएल
1995-1996	237	238	-	-
1996-1997	256	256	8.02	7.56
1997-1998	264	266	3.13	3.91
1998-1999	293	294	10.98	10.53
1999-2000	306	307	4.44	4.42
2000-2001	305	307	-0.33	0.00
2001-2002	309	311	1.31	1.30
2002-2003	318	321	2.91	3.22
2003-2004	331	333	4.09	3.74
2004-2005	340	342	2.72	2.70
2005-2006	353	355	3.82	3.80
2006-2007	380	382	7.65	7.61
2007-2008	409	409	7.63	7.07
2008-2009	450	451	10.02	10.27
2009-2010	513	513	14.00	13.75
2010-2011	564	564	9.94	9.94
2011-2012	611	611	8.33	8.33
2012-2013	672	673	9.98	10.15
2013-2014	750	751	11.61	11.59
2014-2015	800	802	6.67	6.79
2015-2016	835	839	4.38	4.61
2016-2017	870	875	4.19	4.29
2017-2018	889	895	2.18	2.29
2018-2019	907	915	2.02	2.23
2019-2020	980	986	8.05	7.76
2020-2021	1034	1040	5.51	5.48
2021-2022	1075	1084	3.97	4.23
2022-2023	1148	1160	6.79	7.01
2023-2024	1229	1240	7.05	6.90
2024-2025	1299	1311	5.70	5.73
2025-2026	1306*	1320*	-	-

नोटः- (i) वर्ष 1995-96 का औसत पांच महीनों अर्थात नवंबर, 1995 से मार्च, 1996 पर आधारित है।

(ii) सूचकांक मूल्य संबंधित वित्तीय वर्ष के वार्षिक औसत हैं।

(iii) आधार 1986-87=100 पर सीपीआई-एएल/आरएल की श्रृंखला नवंबर, 1995 के सूचकांक से जारी की गई थी। सीपीआई-एएल के मामले में, पुरानी (1960-61) और नई (1986-87) श्रृंखला के बीच लिंकिंग कारक 5.89 है, जबकि सीपीआई-आरएल की श्रृंखला पहली बार नवंबर, 1995 के सूचकांक से शुरू की गई थी।

* डेटा अप्रैल और मई 2025 के लिए है।

तालिका: 17.4: सीपीआई (एएल) में मासिक बदलाव (आधार 1986-87=100)

माह	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-26	
	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्रैल	932	0.87	1014	0.70	1041	0.58	1108	0.91	1180	0.43	1263	.032	1307	0.08
मई	940	0.86	1019	0.49	1049	0.77	1119	0.99	1186	0.51	1269	.048	1305	-0.15
जून**	950	1.06	1018	-0.10	1057	0.76	1125	0.54	1196	0.84	1280	0.87	134.08**	0.74
जुलाई	958	0.84	1021	0.29	1061	0.38	1131	0.53	1215	1.59	1290	0.78	135.31	0.92
अगस्त	965	0.73	1026	0.49	1066	0.47	1140	0.80	1224	0.74	1297	0.54	136.34	0.76
सितंबर	976	1.14	1037	1.07	1067	0.09	1149	0.79	1226	0.16	1304	0.54	136.23	-0.08
अक्टूबर	987	1.13	1052	1.45	1081	1.31	1159	0.87	1241	1.22	1315	0.84	136.40	0.12
नवंबर	1000	1.32	1060	0.76	1092	1.02	1167	0.69	1253	0.97	1320	0.38		
दिसंबर	1014	1.40	1047	-1.23	1097	0.46	1167	0.00	1257	0.32	1320	0.00		
जनवरी	1016	0.20	1038	-0.86	1095	-0.18	1170	0.26	1258	0.08	1316	-0.30		
फरवरी	1010	-0.59	1037	-0.10	1095	0.00	1171	0.09	1258	0.00	1309	-0.53		
मार्च	1007	-0.30	1035	-0.19	1098	0.27	1175	0.34	1259	0.08	1306	-0.23		

स्रोत: श्रम ब्यूरो, चंडीगढ

** आधार 2019=100 पर सीपीआई-एएल/आरएल की श्रृंखला जून, 2025 महीने के सूचकांक से प्रभावी जारी की गई थी। एएल के लिए पुरानी (1986-87) और नई 2019 श्रृंखला के बीच लिंकिंग फैक्टर 9.69 है और आरएल 9.78 है।

तालिका: 17.5(i) : <u>कृषि मजदूरों</u> के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (आधार: 1986-87=100)

माह	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-26	
	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
अप्रैल	932	4.95	1014	8.80	1041	2.66	1108	6.44	1180	6.50	1263	7.03	1307	3.48
मई	940	5.50	1019	8.40	1049	2.94	1119	6.67	1186	5.99	1269	7.00	1305	2.84
जून	950	6.26	1018	7.16	1057	3.83	1125	6.43	1196	6.31	1280	7.02	134.08**	1.42
जुलाई	958	6.21	1021	6.58	1061	3.92	1131	6.60	1215	7.43	1290	6.17	135.31	0.77
अगस्त	965	6.39	1026	6.32	1066	3.90	1140	6.94	1224	7.37	1297	5.96	136.34	1.07
सितंबर	976	7.25	1037	6.25	1067	2.89	1149	7.69	1226	6.70	1304	6.36	136.23	-0.07
अक्टूबर	987	8.11	1052	6.59	1081	2.76	1159	7.22	1241	7.08	1315	5.96	136.40	-1.36
नवंबर	1000	9.41	1060	6.00	1092	3.02	1167	6.87	1253	7.37	1320	5.35		
दिसंबर	1014	11.06	1047	3.25	1097	4.78	1167	6.38	1257	7.71	1320	5.01		
जनवरी	1016	11.04	1038	2.17	1095	5.49	1170	6.85	1258	7.52	1316	4.61		
फरवरी	1010	10.14	1037	2.67	1095	5.59	1171	6.94	1258	7.43	1309	4.05		
मार्च	1007	8.98	1035	2.78	1098	6.09	1175	7.01	1259	7.15	1306	3.73		

पिछले वर्ष के इसी महीने के आंकड़ों की तुलना में वृद्धि हुई है।

** आधार2019 =100 पर सीपीआई-एएल/आरएल की श्रृंखला जून, 2025 महीने के सूचकांक से प्रभावी जारी की गई थी। एएल के लिए पुरानी (1986-87) और नई 2019 श्रृंखला के बीच लिंकिंग फैक्टर 9.69 है और आरएल 9.78 है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

तालिका: 17.4: सीपीआई (आरएल) में मासिक बदलाव (आधार 1986-87=100)

[	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025			
	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
अप्रैल	939	0.75	1019	0.59	1049	0.58	1119	0.90	1192	0.51	1275	0.39	1320	0.08
मई	948	0.96	1025	0.59	1057	0.76	1131	1.07	1197	0.42	1281	0.47	1319	-0.08
जून	957	0.95	1024	-0.10	1065	0.76	1137	0.53	1207	0.84	1292	0.86	134.37**	0.71
जुलाई	965	0.84	1028	0.39	1070	0.47	1143	0.53	1226	1.57	1302	0.77	135.66	0.96
अगस्त	972	0.73	1033	0.49	1074	0.37	1152	0.79	1234	0.65	1309	0.54	136.60	0.69
सितंबर	983	1.13	1043	0.97	1076	0.19	1161	0.78	1237	0.24	1316	0.54	136.42	-0.13
अक्टूबर	993	1.02	1057	1.34	1090	1.30	1170	0.78	1251	1.32	1326	0.76	136.50	0.06
नवंबर	1006	1.31	1065	0.76	1101	1.01	1178	0.68	1262	0.88	1331	0.38		
दिसंबर	1019	1.29	1053	-1.13	1106	0.45	1179	0.08	1267	0.40	1331	0.00		
जनवरी	1021	0.20	1045	-0.76	1105	-0.09	1181	0.17	1268	0.08	1328	-0.23		
फरवरी	1016	-0.49	1044	-0.10	1106	0.09	1182	0.08	1269	0.08	1321	-0.53		
मार्च	1013	-0.30	1043	-0.10	1109	0.27	1186	0.34	1270	0.08	1319	-0.15		

**आधार 2019=100 पर सीपीआई-एएल/आरएल की श्रृंखला जून, 2025 महीने के सूचकांक से प्रभावी जारी की गई थी। एएल के लिए पुरानी (1986-87) और नई 2019 श्रृंखला के बीच लिंकिंग फैक्टर 9.69 है और आरएल 9.78 है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

तालिका: 17.5: ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (आधार: 1986-87=100)

माह	2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-26	
	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर@
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
अप्रैल	939	4.80	1019	8.52	1049	2.94	1119	6.67	1192	6.52	1275	6.96	1320	3.53
मई	948	5.45	1025	8.12	1057	3.12	1131	7.00	1197	5.84	1281	7.02	1319	2.97
जून	957	6.10	1024	7.00	1065	4.00	1137	6.76	1207	6.16	1292	7.04	134.37**	1.73
जुलाई	965	6.04	1028	6.53	1070	4.09	1143	6.82	1226	7.26	1302	6.20	135.66	1.01
अगस्त	972	6.23	1033	6.28	1074	3.97	1152	7.26	1234	7.12	1309	6.08	136.60	1.26
सितंबर	983	7.20	1043	6.10	1076	3.16	1161	7.90	1237	6.55	1316	6.39	136.42	0.31
अक्टूबर	993	7.93	1057	6.45	1090	3.12	1170	7.34	1251	6.92	1326	6.00	136.50	-1.06
नवंबर	1006	9.23	1065	5.86	1101	3.38	1178	6.99	1262	7.13	1331	5.47		
दिसंबर	1019	10.64	1053	3.34	1106	5.03	1179	6.60	1267	7.46	1331	5.05		
जनवरी	1021	10.62	1045	2.35	1105	5.74	1181	6.88	1268	7.37	1328	4.73		
फरवरी	1016	9.84	1044	2.76	1106	5.94	1182	6.87	1269	7.36	1321	4.10		
मार्च	1013	8.69	1043	2.96	1109	6.33	1186	6.94	1270	7.08	1319	3.86		

पिछले वर्ष के इसी महीने के आंकड़ों की तुलना में वृद्धि हुई है।

**आधार 2019=100 पर सीपीआई-एएल/आरएल की श्रृंखला जून, 2025 महीने के सूचकांक से प्रभावी रूप से जारी की गई थी। एएल के लिए पुरानी (1986-87) और नई 2019 श्रृंखला के बीच लिंकिंग फैक्टर 9.69 है और आरएल 9.78

स्रोत: श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़

अध्याय 18

श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

18.1 जुलाई 1974 में स्थापित, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान वीवीजीएनएलआई, श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

विज़न

18.2 संस्थान को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

18.3 मिशन

निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा हितधारकों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना; और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

उद्देश्य और अधिदेश

18.4 संगम ज्ञापन (एमओए) में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

क. शिक्षण, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण;

ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है;

ग. परामर्श; और

घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों;

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना;

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना;

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना;

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना; और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएँ प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

18.5 संस्थान का शीर्ष शासी निकाय महापरिषद है, इसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं तथा यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीतिगत मानक निर्धारित करती है। कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। महापरिषद एवं कार्यपरिषद, दोनों त्रिपक्षीय निकाय हैं और इनके सदस्यों में केंद्र सरकार, ट्रेड यूनियन महासंघों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ ही श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले प्रख्यात विद्वान एवं व्यावसायिक शामिल होते हैं। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक को सहायता प्रदान करते हैं।

प्रमुख कार्यकलाप

अनुसंधान

18.6 श्रम एवं संबद्ध मुद्दों पर अनुसंधान का संस्थान के अधिदेशों में प्रमुख स्थान है। संस्थान श्रम अनुसंधान से संबंधित मुद्दों जैसे कि रोजगार के नए रूप, कार्य का भविष्य, संरचनात्मक परिवर्तन और इसके निहितार्थ, कौशल विकास, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, उत्कृष्ट श्रम और कृषि संबंध की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए नीति अनुसंधान एवं क्रियानिष्ठ अनुसंधान कर रहा है। संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सरकार के अन्य नीति निर्धारण निकायों को अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों को विशेषीकृत अनुसंधान केंद्रों के तत्वावधान में किया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान केंद्र में प्रासंगिक सलाह एवं दिशा प्रदान करने के लिए प्रख्यात विद्वानों एवं व्यावसायिकों युक्त एक अनुसंधान सलाहकार समूह है।

18.7 संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा जनवरी 2025 – दिसंबर 2025 के दौरान पूरे किए गए एवं जारी अनुसंधान परियोजनाओं/मामला अध्ययनों की सूची निम्न प्रकार है:

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजना/मामला अध्ययन

- ✓ विभिन्न श्रम संहिताओं के तहत मसौदा नियमों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

जारी अनुसंधान परियोजना

- ✓ भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और रोज़गारः मात्रा, गुणवत्ता और सामाजिक–स्थानिक वितरण का विश्लेषण

सामाजिक संरक्षण एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

- ✓ एकीकृत विकास और श्रम कल्याणः आवास, स्वच्छता और जल कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन
- ✓ बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का मूल्यांकन अध्ययन 2021

जारी अनुसंधान परियोजनाएं

- ✓ कपास उद्योग में कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों (एफपीआरडब्ल्यु) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षकों के लिए एफपीआरडब्ल्यु पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना
- ✓ भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मानचित्रण

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

- ✓ उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती, जिला मुजफ्फरनगर में श्रमिकों की स्थिति और रोजगार के पैटर्न के विशेष संदर्भ में: खेती के स्तर पर
- ✓ उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती, जिला मुजफ्फरनगर में श्रमिकों की स्थिति और रोजगार के पैटर्न के विशेष संदर्भ में: विनिर्माण के स्तर पर

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

- ✓ बिहार राज्य में घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का मानचित्रण और आईएलओ, नई दिल्ली के सहयोग से योजनाओं की पहुंच आकलन पर अध्ययन
- ✓ लचीले कार्य घंटों की नीति तैयार करना: एनसीआर का मामला – सरकारी क्षेत्र
- ✓ लचीली कार्य व्यवस्था तैयार करना – एनसीआर का मामला – आईटी क्षेत्र
- ✓ श्रमिकों के जीवन पर निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का आकलन
  - ⇨ सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0
  - ⇨ दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: आजीविका
  - ⇨ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- ✓ कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय श्रम संस्थान एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों (चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता) का प्रदर्शन और अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) रूपरेखा (केपीआई के लिए रूपरेखा का विकास)

जारी अनुसंधान परियोजना

- ✓ महिलाएं और कार्य का भविष्य: चुनौतियां और अवसर

पूर्वोत्तर भारत केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

- ✓ श्रमिकों के जीवन पर निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का आकलन
  - ⇨ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई)
  - ⇨ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम – जेएवाई)
  - ⇨ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
  - ⇨ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

जारी अनुसंधान परियोजना

- ✓ आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई) का मूल्यांकन (ईपीएफओ द्वारा कमीशन/प्रायोजित)

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

- ✓ भारत में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए निधिकरण के स्थायी स्रोतों को नेविगेट करना

जलवायु परिवर्तन केंद्र

पूरा किया गया मामला अध्ययन

- ✓ कार्य और कौशल प्रभाव: महिला श्रमिकों से संबंधित मामलों का विश्लेषण – एक मामला अध्ययन

नेटवर्किंग (अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय)

18.8 वीवीजीएनएलआई ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एवं

राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए अधिदेशित है जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। संस्थान पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ (आईआईएम–एल); राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद (एनआईआरडी एंड पीआर–एच); टाटा समाजविज्ञान संस्थान, गुवाहाटी (टीआईएसएस–जी); स्व. नारायण मेघा जी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई (एलएनएमएल एमआईएलएस–एम); महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद (एमजीएलआई–ए); दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना (डीएमआईएल एंड ईएस–पी); गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद; राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और राज्य श्रम संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। श्रम और रोजगार के मुद्दों से संबंधित सहयोगात्मक प्रशिक्षण, अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों की सुविधा के लिए संस्थान ने इस अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों के साथ निम्नलिखित तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए:

(i) डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत – 02.04.2025

(ii) गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर– 02.04.2025

(iii) भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक – 02.04.2025

(iv) दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना – 03.10.25

(v) भारतीय प्रबंधन संस्थान, जोधपुर– 17.11.2025

18.9 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा अन्य चार ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य कार्य की दुनिया से संबंधित समकालीन सरोकारों पर अनुसंधान अध्ययन करना है। श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन किए गए:

पूरी की गई अनुसंधान परियोजना

- ✓ प्लेटफ़ॉर्म रोज़गारः श्रम बाज़ार में भूमिका तथा प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के श्रम विनियमन की समस्याएँ (श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क 2024)

जारी अनुसंधान परियोजना

- ✓ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कार्य की दुनिया पर इसका प्रभाव (श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क 2025)

18.10 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, ट्यूरिन, इटली ने 2018–2023 के दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

- नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग, नीति निर्माण पर अनुकरण आधारित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण आदि से संबंधित सुझावों को शामिल करने तथा भारत से अन्य विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के बाद समझौता ज्ञापन के नवीकरण के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

- इस दौरान वीवीजीएनएलआई ने आईएलओ, जिनेवा और आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन के

सहयोग से 07–11 अप्रैल 2025 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में उत्कृष्ट श्रम हेतु साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

- आईएलओ, जिनेवा के सहयोग से उत्कृष्ट श्रम एवं सामाजिक न्याय हेतु साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन (07–11 अप्रैल, 2025) किया गया। इसका लक्ष्य उत्कृष्ट श्रम एवं सामाजिक न्याय हेतु साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण के तत्व प्रदान करना था, और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना था कि प्रभावी साक्ष्य–आधारित नीति–निर्माण के प्रशिक्षण (ऑनलाइन और कक्षा कक्ष, दोनों में) को कैसे डिज़ाइन किया जाए, प्रदान किया जाए और सुविधाजनक बनाया जाए। इस कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और कार्यक्षेत्रों, विशेष

रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन; दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड; केंद्रीय श्रम आयुक्त (सी.) का कार्यालय और राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान, के प्रशिक्षकों सहित 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को श्री नरेन प्रसाद, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रमुख, अनुसंधान विभाग, आईएलओ जिनेवा; सुश्री डेल्फिन डेल'अगाटा, एसोसिएट प्रोग्राम ऑफिसर, आईटीसी–आईएलओ लर्निंग इनोवेशन प्रोग्राम और सुश्री भाविका कोहली, सलाहकार, अनुसंधान विभाग, आईएलओ के द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री नरेन प्रसाद, आईएलओ, जिनेवा ने किया।

प्रशिक्षण और शिक्षण (2025–26)

18.11 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा एकीकृत तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से प्राप्त निरंतर फीडबैक का उपयोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के साथ–साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल को पुनः डिजाइन करने तथा आगे की अनुसंधान गतिविधियों के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है।

18.12 संस्थान के शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के सशक्त साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान के संवर्धन पर समान रूप से बल दिया जाता है।

18.13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान के संकाय के अलावा प्रसिद्ध अतिथि संकाय को भी आमंत्रित किया जाता है।

18.14 संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है:

- केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी;
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी;
- संगठित/असंगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक; और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्ध अन्य व्यक्ति।

18.15 इस वर्ष के दौरान जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक संस्थान ने 03 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित 128 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 25 कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें क्रमशः 2873 और 1201 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

01.01.2025 से 30.11.2025 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों के दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	मानव दिवसों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	09	38	188	745
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	09	36	124	495
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	57	211	1304	4769
4.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम	05	23	103	501
5.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	03	57	82	1558
6.	बाल श्रम कार्यक्रम	05	15	134	418
7.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम	08	40	147	735
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम	09	26	267	836
9.	आंतरिक कार्यक्रम	21	208	498	5468
10.	विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम	02	06	41	123
	कुल योग	**128**	**660**	**2888**	**15638**

01.12.2025 से 31.03.2026 तक आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	06
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	07
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	14
4.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम	02
5.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	05
6.	बाल श्रम कार्यक्रम	05

7.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम	03
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम	05
9.	आंतरिक कार्यक्रम	07
10.	विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम	04
	कुल योग	**58**

कार्यशालाएं / वेबिनार / अध्ययन दौरे

18.16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान ने विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं / वेबिनार / विशेष कार्यक्रम / अध्ययन दौरे भी आयोजित किए। विवरण निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	**कार्यशाला/सेमिनार/कार्यक्रम/अध्ययन दौरे का नाम**	**प्रतिभागियों की संख्या**	**समन्वयक**
1.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता और संवेदनशीलता पर कार्यशाला, बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में - 28 जनवरी 2025	81	शशि बाला
2.	परिवर्तन प्रबंधनः लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली पर कार्यशाला - 04 फरवरी 2025	28	शशि बाला
3.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला - 06 फरवरी 2025	70	शशि बाला
4.	युवाओं के कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगारपरकता पर अभिमुखीकरण कार्यशाला :मोती लाल नेहरू कॉलेज (सांध्य) के छात्रों के लिए - 14 फरवरी 2025	48	अमिताभ खुंटिआ
5.	विजन @ 2047: भारत के कार्यबल के लिए रणनीतिक रोडमैप पर कार्यशाला - 25 फरवरी 2025	14	डॉ.धन्या एम.बी.
6.	श्रम और औद्योगिक कानूनों में समकालीन विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (बेनेट विश्वविद्यालय) - 27-28 फरवरी 2025	50	एलीना सामंतराय
7.	समावेशी सतत विकास के लिए गन्ना उद्योग में रोजगार के रुझान - 05 मार्च 2025	40	शशि बाला
8.	कार्य का भविष्य और स्वचालनः बदलती दुनिया में उभरती नौकरियाँ और कौशल पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला - 18 मार्च 2025	65	धन्या एम.बी.

9.	श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर विचार-मंथन कार्यशाला - 21 मार्च 2025	10	रूमा घोष
10.	"हरित कार्य: कार्य के भविष्य की ओर" पर कार्यशाला - 03 अप्रैल 2025	49	शशि बाला
11.	बिहार राज्य में घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं के मानचित्रण और योजनाओं की पहुंच के मूल्यांकन अध्ययन पर कार्यशाला - 26 अप्रैल 2025	32	एलीना सामंतराय
12.	'कार्य के भविष्य के क्षेत्र में उभरते रोज़गार के अवसर: एक लैंगिक दृष्टिकोण' पर कार्यशाला - 16 मई 2025	22	शशि बाला
13.	'घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाना: बिहार से मिले सबूत' पर मान्यकरण कार्यशाला- 26 मई 2025	35	एलीना सामंतराय
14.	'कार्य के भविष्य में नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं' पर कार्यशाला - 10 जून 2025	21	शशि बाला
15.	उपकर के उपयोग पर विचार-मंथन कार्यशाला - 25 जून 2025	60	रूमा घोष
16.	निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में उपलब्धियों, चुनौतियों और नवाचारों पर विचार-मंथन कार्यशाला - 09 जुलाई 2025	45	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
17.	'बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास: प्रावधान, चुनौतियाँ और संभावनाएँ' पर कार्यशाला - 21-22 अगस्त 2025	21	मनोज जाटव
18.	श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं पर अभिमुखीकरण कार्यशाला (स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस, और पॉलिसी स्टडीज, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, दिल्ली) - 19 सितंबर, 2025	22	संजय उपाध्याय
19.	श्रम और विकास पर एक-दिवसीय कार्यशाला (एनएसएसटीए के आईएसएस अधिकारियों के लिए) - 30 सितंबर 2025	31	एलीना सामंतराय
20.	"सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए बुनियादी बातें" पर दो दिवसीय कार्यशाला (नौसेना अधिकारियों के लिए) - 07-08 अक्टूबर 2025	180	संजय उपाध्याय
21.	कार्य की बदलती दुनिया (परिवर्तन काल में श्रम - कौशल, एआई और समावेशी विकास पर पुनर्विचार) पर राष्ट्रीय सम्मेलन - इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) - 09-10 अक्टूबर 2025	55	धन्या एम.बी.

22.	श्रम अनुसंधान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण, डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से - 15 अक्टूबर 2025	28	मनोज जाटव
23.	श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं पर अभिमुखीकरण कार्यशाला - 12 नवंबर 2025	34	संजय उपाध्याय
24.	वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के मध्य साइबर अपराध पर एक-दिवसीय जागरूकता सृजन कार्यशाला - 12 नवंबर 2025	80	शशि बाला
25.	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यशाला - 12 नवंबर 2025	80	शशि बाला
26.	'कौशल विकास और करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना' पर एक-दिवसीय कार्यशाला - 14 नवंबर 2025	115	डॉ. मनोज जाटव
27.	बीओसीडब्ल्यु कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा श्रमिकों को एकीकृत करने पर विचार-मंथन कार्यशाला - 20 नवंबर 2025	35	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
28.	कमजोर व्यावसायिक समूह पर विचार-मंथन कार्यशाला, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से - 27-28 नवंबर 2025	15	संचारी मुखोपाध्याय
	कुल योग	1366	

दौरा		
मेडागास्कर के श्रम, रोज़गार और सिविल सेवा मंत्री का दौरा) - 09 सितंबर 2025	20	एलीना सामंतराय

20 नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक आयोजित की जाने वाली कार्यशालाएं

क्रम सं.	**कार्यशाला का नाम**	**कार्यक्रम समन्वयक**
1.	बीओसीडब्ल्यु कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा कामगारों को एकीकृत करने पर विचार-मंथन कार्यशाला - 20 नवंबर 2025	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
2.	परिवर्तन प्रबंधनः लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली पर कार्यशाला - 05 दिसंबर 2025	शशि बाला

3.	उन्नत अनुसंधान कार्यप्रणाली और डेटा विश्लेषण पर ऑनलाइन कार्यशाला - 02 मार्च 2026	एलीना सामंतराय
4.	कार्य के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 18 मार्च 2026	धन्या एम.बी.
5.	'जीआईएम के लिए भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे' पर ऑनलाइन कार्यशाला - 30 मार्च 2026	एलीना सामंतराय

प्रकाशन

18.17 विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, सामयिक प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

लेबर एण्ड डेवलपमेंट

18.18 लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही अकादमिक पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें श्रम एवं संबद्ध मुद्दों के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ कानूनी पहलुओं पर उच्च अकादमिक स्तर के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षा को भी प्रकाशित किया जाता है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवाड्‌र्स डाइजेस्टः श्रम कानूनों की पत्रिका

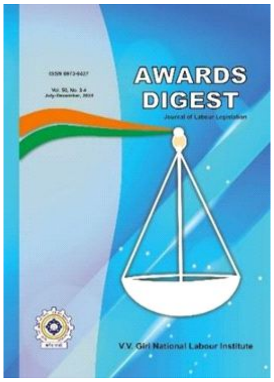

18.19 अवाड्‌र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

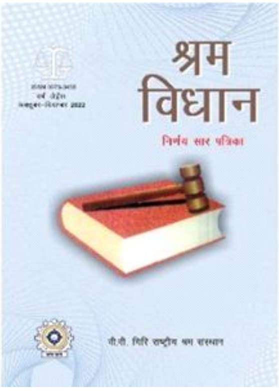

18.20 श्रम विधान एक तिमाही हिंदी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

18.21 यह संस्थान द्वारा प्रकाशित एक त्रैमासिक न्यूजलेटर है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के क्षेत्र में संस्थान की विविध गतिविधियों को दर्शाता है।

इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें महानिदेशक और संकाय सदस्यों की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है, साथ ही संस्थान में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का विवरण भी दिया जाता है।

श्रम संगम

18.22 श्रम संगम संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग की ओर उन्मुख करने तथा हिंदी के प्रसार में उनकी रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली छमाही राजभाषा पत्रिका है। कर्मचारियों द्वारा स्वरचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा इसमें कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलों और महान व्यक्तियों/ लेखकों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

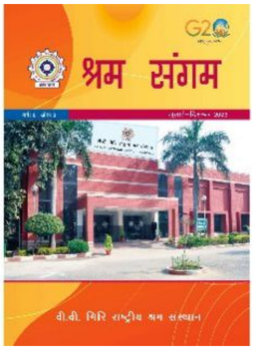

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

18.23 संकाय सदस्यों द्वारा किए गए सभी अनुसंधान अध्ययनों को एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया जाता है, ताकि संस्थान की शोध गतिविधियों के निष्कर्षों का प्रसार किया जा सके। अब तक संस्थान ने एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के रूप में 173 अनुसंधान अध्ययन प्रकाशित किए हैं।

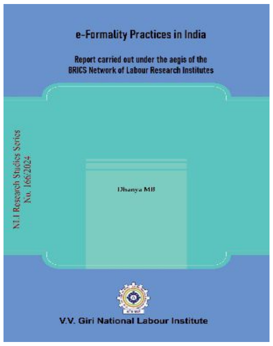

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई)

18.24 एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

भौतिक सम्पदा

पुस्तकें/पत्र–पत्रिकाएं/सेवाएं: जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 तक की अवधि के दौरान पुस्तकालय में 08 किताबें/ रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं/सीडी/ एवी/वीसी खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/ सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 65691 तक पहुंच गई है। पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 102 व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनित प्रसार (एसडीआई), सामयिक (करंट) जागरूकता सेवा, संदर्भ सेवा, ऑनलाइन खोज, पत्रिकाओं के लेखों की अनुक्रमणिका, समाचार पत्रों के लेखों की कतरनें, माइक्रो–फिच खोज और मुद्रण, रिप्रोग्राफिक सेवा, सीडी–रोम खोज, श्रव्य–दृश्य सेवा, सामयिक (करंट) विषय–वस्तु सेवा, आर्टिकल अलर्ट सेवा, उधारी सेवा, तथा अंतर्पुस्तकालय ऋण सेवा।

उत्पाद

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका – तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 102 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन – तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट – साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।

- वर्तमान विषय–वस्तु सेवाः यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा – यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर कतरन सेवाः श्रम और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचार पत्रों की स्कैन कॉपी की साप्ताहिक सेवा।

विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का रखरखाव

निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता हैः

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

18.25 प्रमुख उपलब्धियाँ

- जनवरी से नवम्बर 2025 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने विभिन्न सामाजिक भागीदारों के लिए 03 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित 128 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 28 कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिनमें क्रमशः 2888 प्रतिभागियों और 1366 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- वीवीजीएनएलआई ने श्रम और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर जनवरी से नवम्बर 2025 के दौरान 19 अनुसंधान परियोजनाएं/पेपर/मामला अध्ययन पूरे किए।
- इस संस्थान द्वारा समकालीन मुद्दों और नीति निर्माण से संबंधित आयोजित कुछ कार्यशालाएँ इस प्रकार हैंः

✓ 'परिवर्तन प्रबंधनः लचीली कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्य–जीवन संतुलन बहाल करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रणाली' विषय पर एक कार्यशाला 04 फरवरी

2025 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य लचीली कार्य व्यवस्थाओं के बारे में नीति निर्माण हेतु नवाचारी कार्यनीति पर नियोक्ताओं के दृष्टिकोण को समझना और उस पर चर्चा करना, लचीली कार्य व्यवस्थाओं से संबंधित एडवाइज़री या विनियम बनाने के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देशों को समझना और कर्मचारियों के बीच खुशहाल जीवन संतुष्टि इंडेक्स के लिए लचीली कार्य व्यवस्थाओं और कार्य–जीवन संतुलन के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा करना था। कार्यशाला में 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

✓ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 25 फरवरी 2025 को 'विज़न 2047:विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल के लिए रणनीतिक रोडमैप' पर एक आधे–दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों,

जैसे गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था, के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और कार्यबल को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना था। इसमें भारत के कार्यबल की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विविध हितधारकों को शामिल करके, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करके और सहयोग को बढ़ावा देकर परिवर्तनकारी कार्रवाई को उत्प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कार्यशाला में श्रम विषय पर विशेष रूप से विभिन्न नियोक्ता संगठनों/उद्योगों से कार्य के भविष्य पर काम कर रहे 42 विशेषज्ञों, मंत्रालय, आईएलओ, ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- ✓ संस्थान ने श्रम अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र (सीएलएसआर), स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 27–28 फरवरी 2025 को बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा में 'श्रमिक एवं औद्योगिक कानूनों में समकालीन विकास' विषय पर दो–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए श्रम नियमों और औद्योगिक संबंधों की बदलती गतिशीलता की जाँच करना था। इस सम्मेलन में प्रमुख विद्वानों, विधि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने श्रम कानून में हालिया विकास,

कार्यबल पर वैश्वीकरण और डिजिटल परिवर्तन के प्रभावों, तथा श्रमिकों के अधिकारों, रोजगार मानकों और नियामक ढाँचों से संबंधित उभरते मुद्दों का विश्लेषण किया। सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोणों के बीच अंतर्विषयक चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना था, जिससे समकालीन श्रम और औद्योगिक कानून पर विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन का संचालन सुश्री नूपुर कुमारी, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ एवं डॉ. प्रियंका चटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- ✓ संस्थान ने शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, छात्रों, किसानों, उद्यमियों और नीति विशेषज्ञों जैसे विभिन्न समूहों के लिए 05 मार्च 2025 को 'समावेशी सतत

विकास के लिए गन्ना उद्योग में रोजगार के रुझान' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने स्वागत भाषण दिया। उद्घाटन भाषण डॉ. प्रेम वशिष्ठ, पूर्व निदेशक, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिया। कार्यशाला में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 07 मार्च 2025 को 'महिलाएं, कार्य और कविता' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का

उद्घाटन डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित करते हुए संकाय और कार्यशाला समन्वयक श्री पी. अमिताभ खुंटिआ ने महिलाओं की कार्य क्षमता, दुविधाओं, दृढ़ता, काव्य रचनाओं में परिलक्षित आकांक्षात्मक मुद्दों, लिंग संवेदीकरण में काव्यतत्वों की भूमिका, सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण आदि पर प्रकाश डाला। मुख्य भाषण

प्रोफेसर सविता सिंह, लैंगिक और विकास अध्ययन स्कूल, इग्नू ने दिया जिन्होंने महिलाओं के काम और कविता पर बात की। उन्होंने कविता की सामान्य समझ से अलग महिलाओं की कविता को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से यह कि यह स्वयं की व्यक्तिपरक समझ से दुनिया में कैसे आती है। महिलाओं की कविता का मकसद हमारे समाज में आर्थिक और काव्यात्मक उत्पादन की दुनिया को बढ़ावा देना है। पत्रकार सुश्री सोनल दहिया ने एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने कविताओं का उल्लेख करते हुए आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर बनने और बेहतर कार्य करने पर ज़ोर दिया।

✓ 18 मार्च 2025 को वीवीजीएनएलआई, सैक्टर 24, नौएडा में 'स्वचालन और कार्य का भविष्यः बदलती दुनिया में उभरती नौकरियाँ और कौशल' विषय पर एक–दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत में रोजगार पर ए.आई. के प्रभाव का विश्लेषण करके ज्ञान के अंतर को पाटना, यह आकलन करना कि किन नौकरियों को स्वचालन से खतरा है और कार्यबल अनुकूलन के लिए कौशल सेट चुनौतियों की पहचान करना था। इसका उद्देश्य भविष्य में क्षेत्रीय बदलावों, नौकरी के ध्रुवीकरण, कौशल आवश्यकताओं, नौकरी विस्थापन और उभरते अवसरों पर स्वचालन के प्रभाव पर चर्चा करना भी था। कार्यशाला में सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए अन्य देशों के अनुभवों की जाँच की गई जो भारत को अपने

कार्य के भविष्य को टिकाऊ और समावेशी तरीके से सुरक्षित करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। कार्यशाला की शुरुआत डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई के स्वागत भाषण से हुई। उद्घाटन सत्र को श्री गेब्रियल एच. बोरदादो, कौशल एवं रोजगार विशेषज्ञ, डीडब्ल्यूटी (दक्षिण एशिया), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), नई दिल्ली, और डॉ. राधा आश्रित, संयुक्त सचिव एवं उप महानिदेशक, डीएमईओ, नीति आयोग, भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण विशेष संबोधनों से समृद्ध किया गया। कार्यक्रम में कार्य के भविष्य पर कार्यरत 41 विशेषज्ञों, नियोक्ता संगठनों/उद्योगों, मंत्रालयों के अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ट्रेड यूनियनों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों

और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- ‘श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य’ विषय पर संस्थान परिसर में 21 मार्च 2025 को एक अर्ध–दिवसीय विचार–मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विचार–मंथन कार्यशाला का उद्देश्य इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ उन गतिविधियों पर चर्चा करना था जिनकी योजना वीवीजीएनएलआई में गठित नए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने, चोटों एवं बीमारियों को कम करने तथा कर्मचारियों एवं समाज के समग्र कल्याण में सुधार के लिए बनाई जा सकती है। कार्यशाला में स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के 10 संकाय सदस्यों; डीजीफासली, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, दिल्ली सरकार के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो ने किया

- हरित नौकरियाँः कार्य के भविष्य की ओर’ विषय पर एक कार्यशाला 03 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करके, संसाधनों का सही इस्तेमाल करके और एक स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देकर एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना था। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने या उसकी रक्षा करने, कचरा और प्रदूषण कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने पर ध्यान दिया गया। इस कार्यशाला में छात्रों और शिक्षाविदों सहित 49 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- कार्य के भविष्य में उभरते रोज़गार के अवसरः एक लैंगिक दृष्टिकोण पर एक कार्यशाला 16 मई 2025 को आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य भविष्य में रोज़गार के लैंगिक पहलुओं को समझना, उन्हें मज़बूत करना और उन पर बात करना था। कार्यशाला में छात्रों और शिक्षाविदों सहित 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

"Emerging Employment Opportunities in the Future of Work: A Gender Perspective" on 16th May'2025.

- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली के साथ मिलकर 26 मई 2025 को वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में ’घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुलभ और प्रभावी बनानाः बिहार से साक्ष्य’ विषय पर एक मान्यकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वीवीजीएनएलआई द्वारा आईएलओ, नई दिल्ली और श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से किए गए ’बिहार राज्य में घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं

की मैपिंग और योजनाओं की पहुंच के मूल्यांकन पर अध्ययन' नाम के अध्ययन के नतीजों का प्रसार करना था।

- ✓ 'कार्य के भविष्य में नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं' विषय पर एक कार्यशाला 10 जून 2025 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल नेतृत्व के लैंगिक पहलुओं को समझना और उन पर बात करना था। इसमें महिलाओं के सामने आने वाली रुकावटों, समावेशी विकास के लिए उभरते अवसरों पर चर्चा की गई और बदलते रोज़गार के माहौल में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए ज़रूरी नीतिगत एवं संरचनात्मक बदलावों पर विचार किया गया।

कार्यशाला में 33 प्रतिभागियों ने भाग, जिनमें छात्र, शिक्षाविद और ट्रेड यूनियन के सदस्य शामिल थे। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- ✓ 'भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडबल्यू) अधिनियम, 1966 के तहत उपकर के इस्तेमाल' पर एक विचार–मंथन कार्यशाला 25 जून 2025 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, व्यावसायिकों और सेक्टर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना था ताकि 'भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडबल्यू) फ्रेमवर्क के तहत कम उपयोग किए गए कल्याण कोष की गंभीर चुनौती का मिलकर समाधान किया जा सके। इस

कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार, ट्रेड यूनियनों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी संगठनों और प्राइवेट सेक्टर के 52 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो ने किया।

- ✓ 'निर्माण श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करने में उपलब्धियां, चुनौतियां और नवाचार' विषय पर विचार–मंथन कार्यशाला 09 जुलाई 2025 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य श्रम अधिकारियों, ट्रेड यूनियनों, सिविल सोसाइटी संगठनों, नियोक्ता संगठनों, व्यावसायिकों और शोधकर्ताओं के बीच साक्ष्य–आधारित बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना था। इस कार्यशाला में 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।

- ✓ वीवीजीएनएलआई ने 21–22 अगस्त 2025 को वीवीजीएनएलआई परिसर, नौएडा (सैक्टर–24, 201301) में 'बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासः प्रावधान, चुनौतियाँ और संभावनाएँ' विषय पर दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारकों, जिनमें गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि, राज्य श्रम विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे, की क्षमता को बढ़ाना था ताकि वे बंधुआ मजदूरी खत्म करने के कानूनी और संस्थागत ढांचे, पुनर्वास तंत्र, लागू करने में आने वाली चुनौतियों और बंधुआ मजदूरों को प्रभावी ढंग से बचाने,

पुनर्वास और समाज में फिर से जोड़ने की संभावनाओं को समझ सकें। इन दो दिनों में प्रतिभागियों ने विषयगत प्रस्तुतियों, अनुभव–साझाकरण सत्रों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययन विश्लेषण और खुले सत्रों में भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. मनोज जाटव, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- ✓ 'श्रम कानून और श्रम संहिताएं' पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला 19 सितंबर 2025 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के बारे में जानकारी देना था। इस कार्यशाला में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, दिल्ली के स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज के बीए, एलएलबी के छात्रों सहित 22 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो ने किया।

- ✓ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 'श्रम और विकास' विषय पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 30 सितम्बर 2025 को अपने परिसर में किया। यह कार्यशाला सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी सेवा प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों (प्रोबेशनर्स) के लिए थी। इस कार्यशाला में 2025 बैच के 31 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और के श्री रजत, उप निदेशक, एनएसएसटीए, एमओएसपीआई ने किया।

- ✓ भारतीय नौसेना नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के मूल सिद्धांत' पर एक सहयोगात्मक कार्यशाला 07–08 अक्टूबर 2025 को वरुणिका नेवल ऑडिटोरियम, ब्लॉक डी1, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021 में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ संवाद और संचार ढांचा विकसित करने में वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा करना था। कार्यशाला में 150 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय नौसेना और नागरिक कार्मिक निदेशालय के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल थे। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो ने किया।

- ✓ वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन (आईसीआरआईईआर) के साथ मिलकर 09–10 अक्टूबर 2025 को ' परिवर्तन काल में श्रम – कौशल, एआई और समावेशी विकास पर पुनर्विचार विषय के साथ कार्य की बदलती दुनिया पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं,

शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना था ताकि कार्य की दुनिया को नया आकार देने वाले बदलावों पर महत्वपूर्ण चर्चा की जा सके – जो तकनीकी नवाचार, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑटोमेशन से प्रेरित हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए की। मुख्य भाषण सुश्री सुमिता डावरा, भा.प्र.से., पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने दिया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 21 पेपर प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षाविदों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों/उद्योगों और शोधकर्ताओं सहित 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. धन्या एम.बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. तनु गोयल, सीनियर फेलो, आईसीआरआईईआर, नई दिल्ली ने किया।

- ✓ संस्थान ने एशियन लॉ कॉलेज, नोएडा के छात्रों के लिए अपने परिसर में 'श्रम कानून और श्रम संहिताएँ: एक अवलोकन' पर एक अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य श्रम सुधारों और श्रम संहिताओं के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना था। यह कार्यशाला दो बैच में आयोजित की गई (10 अक्टूबर 2025 और 12 नवंबर 2025) और इसमें लगभग 60 छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो ने किया।

- ✓ डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सहयोग से 15 अक्टूबर 2025 को वीवीजीएनएलआई परिसर, नौएडा में श्रम अनुसंधान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को श्रम और रोज़गार के स्थानिक आयामों से परिचित कराना और श्रम बाज़ार संकेतकों की मैपिंग एवं विश्लेषण के लिए ओपन–सोर्स जीआईएस उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव देना था। इस कार्यक्रम में छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और शोधकर्ताओं सहित लगभग 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. मनोज जाटव, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. इंतखाब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज ने किया।

- ✓ 12 नवंबर 2025 को 'वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों के मध्य साइबर अपराध पर एक–दिवसीय जागरूकता सृजन कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में संस्थान के 13 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो ने किया।

- ✓ संस्थान के कर्मचारियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए 12 नवंबर को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के 29 कर्मचारियों ने भाग लिया।

- ✓ संस्थान ने कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 14 नवंबर 2025 को कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में 'कौशल विकास और करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना' विषय पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों को उभरते श्रम बाजार के रुझानों, आईआर 4.0 युग में कौशल आवश्यकताओं, युवाओं के लिए सरकारी पहलों और भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा और नौकरियों के अवसरों से परिचित कराना था। इस कार्यशाला में लगभग 115 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें स्नातक के छात्र और फैकल्टी सदस्य शामिल थे। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. मनोज जाटव, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ.

शिवानी दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया।

विशेष आयोजन

- ✓ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) की कार्यपरिषद की 93वीं बैठक सुश्री सुमिता डावरा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में 13 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; सुश्री अमरजीत कौर, महासचिव, एआईटीयूसी; श्रीमती नीलिमा चिमोटे, अखिल भारतीय सचिव, बीएमएस (ऑनलाइन); श्री मुकेश कुमार जैन, नियोक्ता प्रतिनिधि; प्रो. सुनील माहेश्वरी, प्रख्यात व्यक्ति, आईआईएम, अहमदाबाद (ऑनलाइन); सुश्री परीशा सिंह, उप निदेशक, एआईओई ने बैठक में भाग लिया। बैठक का समन्वय कार्यपरिषद के सदस्य सचिव डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- ✓ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) की कार्यपरिषद की 94वीं बैठक सुश्री सुमिता डावरा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अध्यक्ष, कार्यपरिषद की अध्यक्षता में 20 मार्च 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सुश्री जी. मधुमिता दास, आईपीओएस, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्री अजय शर्मा, आईएएस, महानिदेशक (रोजगार)/संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; श्रीमती नीलिमा चिमोटे, अखिल भारतीय सचिव, बीएमएस (ऑनलाइन); श्री मुकेश कुमार जैन, नियोक्ता प्रतिनिधि (ऑनलाइन); और सुश्री परीशा सिंह, उप निदेशक, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन ने भाग लिया। बैठक का समन्वय कार्यपरिषद के सदस्य सचिव डॉ. अरविंद, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया।

श्रीमती सुमिता डावरा, सचिव (श्रम और रोजगार) कार्यपरिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए

- ✓ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सोनीपत; गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर और भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। 02 अप्रैल 2025 को एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती शोभा करांदलाजे, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने की।

श्रीमती शोभा करांदलॉजे, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता करते हुए

- ✓ वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के

साथ भाग लिया। श्री पी. अमिताभ खुंटिया, फैकल्टी ने अपने स्वागत भाषण में योग दिवस समारोह और इस साल की थीम "एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग" के महत्व पर प्रकाश डाला। यह अब 'वसुधैव कुटुंबकम' की सच्ची भावना में स्वास्थ्य, एकता और सद्भाव का पर्याय बन गया है। सीनियर फैकल्टी डॉ. संजय उपाध्याय ने योग व्यायाम का नेतृत्व किया और सभी प्रतिभागियों ने इसका पालन किया। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए अपने दैनिक जीवन में योग और योग व्यायाम का अभ्यास करने के संदेश के साथ हुआ। इस कार्यक्रम का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिया, एसोसिएट फेलो ने किया।

मेडागास्कर की श्रम, रोज़गार और सिविल सेवा मंत्री का दौरा (09 सितंबर 2025)

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 09 सितंबर 2025 को अपने परिसर कैंपस में मैडागास्कर की माननीय श्रम, रोज़गार और सार्वजनिक सेवा मंत्री, माननीया श्रीमती हनित्रा फिटियावाना रज़ाकाबुआना की मेज़बानी की। इस दौरे का मकसद श्रम, रोज़गार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मंत्री माननीया श्रीमती हनित्रा फिटियावाना रज़ाकाबुआना; श्रम, रोज़गार और सिविल सेवा मंत्री; मैडागास्कर और प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई। इस प्रतिनिधिमंडल में श्री एलेक्जेंडर एंटिलाही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के प्रशिक्षण निदेशक; श्रीमती हरिज़ाफी रहासिम्बोला, मंत्री की मुख्य निजी सचिव; श्रीमती ताहिना रासामोएलिना, चार्ज डी'अफेयर्स, मैडागास्कर गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली और श्री त्सियोरी एंड्रियामपारानियारिवो रैंड्रियनारिवोनी, काउंसलर, मैडागास्कर गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली शामिल थे। इसके बाद डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने संदर्भ स्थापित किया।

*****

अध्याय 19 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/मीडिया संबंधी पहल/ई–गवर्नेंस

19.1 भारत सरकार द्वारा मई 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिकों को उनके स्थानीय क्षेत्रों में सरकारी सेवाएँ सुलभ बनाना था, जिससे दक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की परिकल्पना राष्ट्रीय स्तर पर ई–गवर्नेंस पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि "आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से उसके इलाके में सभी सरकारी सेवाएं सुलभ बनाई जा सकें और सस्ती दरों पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।"

19.2 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने साइबर हमलों को रोकने और साइबर संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में संगठनों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। ये दिशानिर्देश नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, ऑडिटिंग, तृतीय पक्ष आउटसोर्सिंग आदि जैसे विभिन्न सुरक्षा डोमेन पर केंद्रित हैं।

19.3 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नामित किया है, साथ ही अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के लिए अलग–अलग सीआईएसओ भी नियुक्त किए गए हैं। उचित कदम उठाने के लिए सीआईएसओ के अधीन अधिकारियों की एक टीम भी तैनात की गई है।

19.4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रालय के विभिन्न वेब अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन्स)/पोर्टलों के सुरक्षा ऑडिट हेतु जीईएम के माध्यम से एक सीईआरटी–आईएन पैनलबद्ध एजेंसी का चयन किया है। सुरक्षा परीक्षक द्वारा मंत्रालय की वेबसाइटों/पोर्टलों का नियमित ऑडिट किया जा रहा है। मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय भी अपनी आईटी टीम के माध्यम से सीईआरटी–आईएन पैनलबद्ध संगठनों से साइबर सुरक्षा ऑडिट कराते हैं। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, साइबर सुरक्षा ऑडिट आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय रहते आवश्यक कार्रवाई की गई है।

इससे पहले, मंत्रालय के मुख्यालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ संगठनों में ई–ऑफिस (ई–फाइल) प्रणाली लागू की गई थी। अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार क्षेत्रीय कार्यालयों तक कर दिया गया है, जिससे सभी स्तरों पर निर्बाध, पारदर्शी और कुशल शासन सुनिश्चित हो सके।

19.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय और इसके अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईः

क. मंत्रालय में गतिविधियाँः

i. मंत्रालय में कई आईटी पहलें की गईं, उदाहरण के लिए मंत्रालय के आंतरिक डैशबोर्ड का विकास, आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्रालय के डैशबोर्ड का उन्नयन (अपग्रेडेशन), और 'इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल' को मंत्रालय के 'श्रम सुविधा पोर्टल' के साथ एकीकृत करना।

ii. समाधान (आशंकित/विद्यमान औद्योगिक विवादों की निगरानी और निपटान, प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन) एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे श्रमिकों के लिए संबंधित सुलह अधिकारी के पास अपना विवाद दर्ज करने के एक आसान तरीके के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। इस प्रणाली को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह विवाद के सभी हितधारकों (जैसे श्रमिक, सुलह अधिकारी, उपयुक्त सरकार और सीजीआईटी) को एक ही मंच यानी 'समाधान' पर

एकीकृत करती है।

iii. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 'मिशन मोड प्रोजेक्ट्स' (एमएमपी) में से एक के रूप में ई–ऑफिस को लागू किया गया। आधिकारिक लेन–देन में ई–ऑफिस का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। ई–ऑफिस वास्तविक समय में ट्रैकिंग, स्थान–निरपेक्ष निपटान, सार्वभौमिक खोज और फाइलों की पुनः प्राप्ति जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है।

iv. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधित अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और बेहतर निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए **पेंसिल** (पेंसिल–प्लेटफॉर्म फॉर ईफेक्टिव एन्फोर्स्मेन्ट फॉर नो चाइल्ड लेबर) पोर्टल लॉन्च किया गया था। पेंसिल पोर्टल के पांच घटक हैं: (i) शिकायत कोना (ii) जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) डेटा, (iv) राज्य सरकार और (v) केंद्र सरकार। मंत्रालय अन्य बातों के साथ–साथ बेहतर ट्रैकिंग और निगरानी के उद्देश्य से मौजूदा पेंसिल पोर्टल को 'बाल श्रम, बंधुआ श्रम और महिला श्रम' के लिए एक व्यापक पोर्टल के रूप में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया में है।

एनसीएलपी योजना को 1 अप्रैल 2021 के बाद चरणबद्ध तरीके से शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की "समग्र शिक्षा अभियान" योजना के साथ सम्मिलित कर दिया गया है।

ख. रोज़गार महानिदेशालय (डीजीई) ने नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल www.ncs.gov.in के माध्यम से नियोक्ताओं, प्रशिक्षकों और बेरोजगारों को एक ही मंच पर लाने की पहल की है। 31 दिसंबर 2025 तक, एनसीएस प्लेटफॉर्म पर 6.14 करोड़ पंजीकृत नौकरी चाहने वाले, 55.22 लाख सक्रिय नियोक्ता और 9.07 लाख सक्रिय रिक्तियां उपलब्ध हैं। 2015 में इसकी शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर कुल 8.5 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं। एनसीएस पोर्टल को ई–श्रम पोर्टल, उद्यम (यूडीवाईएएम) पोर्टल और स्किल इंडिया डिजिटल हब (एस आई डी एच) के साथ एकीकृत किया गया है। यह 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के रोज़गार पोर्टलों के साथ भी एकीकृत है, जबकि 7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण के लिए सीधे इसका उपयोग कर रहे हैं। अपना, क्वेस, क्विकर जॉब्स, फाउंडिट, फ्रेशर्स वर्ल्ड, फर्स्ट जॉब, मेरा जॉब, सिनर्जी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वीएसएस टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सरल रोज़गार, कैसियस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हायरमी आदि जैसे विभिन्न निजी जॉब पोर्टलों के साथ एनसीएस पोर्टल के एकीकरण ने निजी नियोक्ताओं से अधिक रिक्तियां जुटाने का मार्ग प्रशस्त किया है। एनसीएस पोर्टल पर 'इंटरनेशनल जॉब्स मॉड्यूल' विदेश मंत्रालय के पंजीकृत एजेंटों को पोर्टल पर अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों के अवसर पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

एनसीएस पोर्टल पर एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टूल (रोज़गार क्षमता मूल्यांकन उपकरण) नौकरी चाहने वालों को उनकी रोज़गार क्षमता का आकलन करने में मदद करता है। वहीं, टीसीएस आईओएन और डिजीसक्षम के तहत डिजिटल कौशल प्रशिक्षण में एक्सेल, एज़्योर, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आदि जैसे विभिन्न निःशुल्क पाठ्यक्रम शामिल हैं। एनसीएस पोर्टल पर "करियर स्किल ट्रेनिंग" शिक्षार्थियों को सॉफ्ट स्किल्स की एक विस्तृत श्रृंखला से सुसज्जित करती है। ये कार्यक्रम औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से संचालित किए जाते हैं।

ग. खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने वर्ष 2025 के दौरान कई आईटी पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विभिन्न हितधारकों के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस और पारदर्शिता प्रदान करने हेतु डीजीएमएस की वेबसाइट को पुनः डिज़ाइन और अनुकूलित किया गया है। 27.05.2025 को डीजीएमएस की वेबसाइट का सुरक्षा ऑडिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और 13.07.2023 को एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन जारी किया गया था, जो 12.07.2026 तक वैध है। डीजीएमएस वेबसाइट के **अनुमति पोर्टल** (https://approval-permission.dgms.gov.in)

के वेब एप्लिकेशन का 27.06.2025 को सफलतापूर्वक सुरक्षा ऑडिट किया गया।

ii. डीजीएमएस वेबसाइट के **दुर्घटना पोर्टल** (https://accident-statistics.dgms.gov.in) के वेब एप्लिकेशन का 13.06.2025 को सफलतापूर्वक सुरक्षा ऑडिट किया गया। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए, सितंबर 2025 से अनुमति पोर्टल पर ओटीपी –आधारित लॉगिन अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के आईटी सेल के निर्देशों के अनुसार, डीजीएमएस के लिए एक साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार कर मंत्रालय को सौंप दी गई है, और विभाग के लिए एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी नियुक्त किया गया है।

iii. डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, उपयोगकर्ता उद्योग के उपयोग के लिए "अनुमोदन प्रणाली" और "अनुमति / छूट / शिथिलता प्रणाली" नामक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित कर लाइव कर दिए गए हैं। मॉड्यूल की शुरुआत से 17.12.2025 तक अनुमति / छूट / शिथिलता के लिए कुल 40,596 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 39,324 आवेदनों का तदनुसार निपटान किया गया है। कैलेंडर वर्ष (01.01.2025 से 17.12.2025 तक) के दौरान, ऑनलाइन कुल 7,770 आवेदन प्राप्त हुए और 7,448 आवेदनों का निपटान किया गया।

iv. "दुर्घटना और सांख्यिकी प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित कर 01.08.2020 को लाइव किया गया था। इस प्रणाली ने खदान उपयोगकर्ताओं द्वारा दुर्घटना की ऑनलाइन सूचना भेजने, डीजीएमएस के जांच अधिकारियों द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करने, दुर्घटना रिपोर्टों के फॉलो–अप और कार्रवाई को अंतिम रूप देने में सक्षम बनाया है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए खनन उद्योग को प्रासंगिक जानकारी, दुर्घटनाओं पर सुरक्षा अलर्ट और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निवारक उपायों का प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली खदान उपयोगकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने हेतु एक मंच प्रदान करती है। 01–08–2020 से 17–12–2025 तक वेब पोर्टल पर कुल 584 घातक दुर्घटनाएं, 970 गंभीर दुर्घटनाएं और 209 खतरनाक घटनाएं दर्ज की गई हैं। 01–01–2025 से 17–12–2025 तक कुल 132 घातक दुर्घटनाएं, 154 गंभीर दुर्घटनाएं और 33 खतरनाक घटनाएं पोर्टल पर दर्ज हुई हैं।

v. अधिकारियों द्वारा दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन लॉगिंग के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो खदानों में कार्यरत व्यक्तियों के बीच सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए निरीक्षणों, जांचों, अनुवर्ती कार्रवाइयों, प्रवर्धनात्मक पहलों और सक्रिय कार्यक्रमों का विवरण तैयार करता है। यह अधिकारियों द्वारा मासिक कार्य सारांश की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डीजीएमएस वेबसाइट पर डैशबोर्ड के रियल–टाइम अपडेशन की सुविधा प्रदान करेगा।

vi. निरीक्षणों के ऑनलाइन सृजन के लिए, कोयला और गैर–कोयला खदानों हेतु "जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली" की कार्यप्रणाली विकसित की गई है और इसे श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) में शामिल किया गया है। डीजीएमएस के सभी निरीक्षण अधिकारियों को एसएसपी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित निरीक्षणों को पूरा करने के लिए इस पोर्टल पर जोड़ दिया गया है।

vii. कोयला खान विनियम, 2017 और धातुमय खान विनियम, 1961 के तहत सभी वैधानिक परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड पर आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2025 में पूरे भारत में प्रबंधक, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सरदार, मेट, ब्लास्टर और गैस टेस्टिंग सक्षमता परीक्षा के लिए सीबीटी दो बार आयोजित की गई। प्रथम चरण की परीक्षा जून 2025 (3 से 7 जून) में हुई जिसमें 12,837 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, और द्वितीय चरण की परीक्षा दिसंबर 2025 (8 से 12 दिसंबर) में हुई जिसमें 12,156 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इस प्रकार, कैलेंडर वर्ष 2025 में उपरोक्त परीक्षाओं में कुल 24,993 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। इसके अलावा, वर्ष

2025 में जारी किए जाने वाले कुल 11,000 संभावित प्रमाणपत्रों में से 10,500 डिजिटल वैधानिक प्रमाणपत्र पात्र उम्मीदवारों को जारी किए जाने की संभावना है।

viii. डीजीएमएस ने पारदर्शिता, सटीकता और समय पर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को डिजिटल सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने की पहल की है। कंप्यूटर–आधारित टेस्ट (सीबीटी) प्रणाली के अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने छूट प्रावधानों के तहत द्वितीय श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र, सर्वेयर सक्षमता प्रमाणपत्र और ओवरमैन सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इस प्रणाली के तहत, आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं और उम्मीदवारों के दस्तावेजों एवं क्रेडेंशियल्स का सत्यापन डीजीएमएस के निकटतम क्षेत्रीय या जोनल कार्यालय में किया जाता है। पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ–साथ देरी और भीड़ को कम करने के लिए सत्यापन हेतु समय–स्लॉट आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू की गई है। यह ऑनलाइन और समयबद्ध प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए पहुँच को आसान बनाती है और प्रमाणपत्र जारी करने में एकरूपता एवं अखंडता सुनिश्चित करती है।

ix. ई–ऑफिस का कार्यान्वयन– डीजीएमएस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई–ऑफिस में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ई–ऑफिस की कार्यप्रणाली पर 180 अधिकारियों और 50 कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 11.09.2025 को पूरा हो गया है और आगे का प्रशिक्षण जारी है। कार्यालय ज्ञापन संख्या 8656, दिनांक 24.09.2025 के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 01.10.2025 से ई–ऑफिस लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस निदेशालय में 01.10.2025 से ई–ऑफिस पहले ही लागू किया जा चुका है।

x. स्पैरो का कार्यान्वयन– डीजीएमएस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 'स्पैरो' पोर्टल पर जोड़ लिया गया है। वर्ष 2025–26 की एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। स्पैरो की कार्यप्रणाली पर अधिकारियों और कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 19.09.2025 को पूरा हो गया है और आगे का प्रशिक्षण जारी है। अवधि 2024–25 के लिए ग्रुप 'ए' अधिकारियों की एपीएआर पहले ही स्पैरो पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। अवधि 2025–26 के लिए सभी ग्रुप ए, बी और सी अधिकारियों की एपीएआर स्पैरो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

xi. ग्रुप 'ए' अधिकारियों के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल सितंबर 2022 से क्रियाशील है और वर्ष 2025 में सभी ग्रुप 'ए' अधिकारियों के स्थानांतरण इसी पोर्टल के माध्यम से किए गए थे।

xii. हितधारकों के बीच सूचना के प्रसार और डीजीएमएस के सक्रिय व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) उपायों के बारे में जागरूकता के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर (अब "एक्स") https://twitter.com/DGMS1902, यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/ /DGMSI और इंस्टाग्राम https://www.instagram.com/dgms1902@ का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। प्राप्त किए गए मापदंडों को प्रदर्शित करने के लिए डीजीएमएस वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड उपलब्ध है, जिसे समय–समय पर अपडेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक तिमाही बुलेटिन भी वेबसाइट पर डिजिटल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

घ. कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफ़एएसएलआई) ने वर्ष 2025 के दौरान कई आईटी पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ई–ऑफिसः इसे लागू कर दिया गया है और यह डीजीएफ़एएसएलआई के सभी कार्यालयों में पूरी तरह से क्रियाशील है।

2. ई–स्पैरोः डीजीएफ़एएसएलआई के सभी समूह क,

ख और ग कर्मचारियों की एपीएआर फाइलिंग के लिए ई–स्पैरो प्रणाली लागू की गई है।

3. स्थानांतरण पोर्टलः डीजीएफ़एएसएलआई स्थानांतरण पोर्टल लागू कर दिया गया है और वर्तमान में कार्य कर रहा है।

4. आधिकारिक वेबसाइटः डीजीएफ़एएसएलआई की आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट किया गया है और इसका नियमित रूप से रखरखाव किया जा रहा है।

5. सर्वर माइग्रेशनः डीजीएफ़एएसएलआई वेबसाइट सर्वर को मेघराज 2.0 पर स्थानांतरित करने और एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

6. सोशल मीडियाः डीजीएफ़एएसएलआई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स) बना लिए गए हैं और उनका नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है।

7. डीजीएफएएसएलआई (मुख्यालय) और सीएलआई, मुंबई में एमटीएनएल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एनआईसी नेटवर्क स्थापित किया गया है।

ङ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में आईटी पहलः

ईपीएफओ ने वर्ष 2025 के दौरान कई आईटी पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. जनवरी–अक्टूबर 2025 के दौरान, ईपीएफओ के सूचना सेवा (आईएस) प्रभाग ने आईटी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, प्रणाली के प्रदर्शन में वृद्धि, डेटा सुरक्षा में सुधार और नागरिक–केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कई पहलें कीं। इन पहलों में **सीआईटीईएस 2.01** कार्यक्रम के तहत वितरित विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सेवा वितरण, प्रणाली लचीलापन और उपयोगकर्ता अनुभव को मजबूत करना है।

2. नागरिक एवं सदस्य–केंद्रित पहलः

क. सरलीकृत और डिजिटल सदस्य सेवाएं:

i. **सरलीकृत संयुक्त घोषणा सुविधाः** सदस्यों को सत्यापन के आधार पर अपने प्रोफाइल में सुधार को स्वयं अनुमोदित करने में सक्षम बनाने के लिए यह सुविधा शुरू की गई, जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों के हस्तक्षेप पर निर्भरता कम हो गई है।

ii. **नियोक्ता के अनुमोदन के बिना ऑनलाइन स्थानांतरण दावेः** ई–केवाईसी अनुपालन वाले खातों वाले ईपीएफ सदस्य अब सीधे ईपीएफओ के पास स्थानांतरण दावे दायर कर सकते हैं।

iii. **त्रुटिपूर्ण/धोखाधड़ी वाले यूएएन को अलग करनाः** सदस्यों को उनके यूएएन लॉगिन में गलत या धोखाधड़ी से जुड़े यूएएन को अलग करने की सुविधा दी गई है ताकि अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके।

iv. **चेहरा प्रमाणीकरण (एफ़एटी) के माध्यम से नए यूएएन का अनिवार्य आवंटनः** अगस्त 2025 में शुरू की गई यह सुविधा कर्मचारियों को उमंग ऐप के माध्यम से आधार–आधारित चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से अपना यूएएन जेनरेट और सक्रिय करने की अनुमति देती है। 29 अक्टूबर 2025 तक, एफ़एटी के माध्यम से 26.35 लाख नए यूएएन पंजीकृत किए गए।

v. सदस्य इंटरफेस पर **'मेंबर पासबुक लाइट'** तैनात की गई है।

vi. सदस्य इंटरफेस पर **अनुलग्नक–V** और **ऑनलाइन स्थानांतरण दावा** सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें वे मामले भी शामिल हैं जहाँ दोनों सेवाओं में कार्यमुक्ति की तिथि 01.01.2011 से पहले की है।

ख. संशोधित फॉर्म 13 (ट्रांसफर–आउट) कार्यप्रणालीः

- तीन–स्तरीय प्रसंस्करण का उन्मूलनः स्रोत कार्यालय से अनुमोदन के बाद फंड और सेवा का स्वतः स्थानांतरण।
- बेहतर सुरक्षा के लिए कर–योग्य और गैर–कर–योग्य घटकों के विभाजन और लेनदेन आईडी की शुरुआत।

- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रदर्शन संबंधी समस्याओं और अपवादों का समाधान किया गया; बेहतर दक्षता के लिए एचए प्रॉक्सी (सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर) को अपग्रेड किया गया।

ग पैरा 68ख(7) के तहत अग्रिमः सदस्य 60 महीने पूरे होने के बाद स्व–घोषणा के आधार पर आवास अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

घ. उच्च वेतन पर पेंशन (पीओएचडब्लू): अनुमोदन के स्तरों को कम किया गया, जिससे लंबित पेंशन मामलों के प्रसंस्करण में तेज़ी आई है।

3. प्रमुख आईटी अवसंरचना और सुरक्षा उन्नयन

क. मुख्य अवसंरचना का आधुनिकीकरणः

- **डेटाबेस अपग्रेडः** यूनिफाइड पोर्टल डेटाबेस को **ओरेकल 12ग से 19ग** में अपग्रेड किया गया, जिससे पीक ईसीआर फाइलिंग अवधि के दौरान सिस्टम थ्रूपुट और कैशिंग दक्षता में सुधार हुआ है।

- **फ़ायरवॉल और नेटवर्क सुरक्षाः** डेटा सेंटर (डीसी), डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट और नेशनल डेटा सेंटर (एनडीसी) में नेक्सजेन फायरवॉल (आईएलएल और एमपीएलएस) और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्लूएएफ़) तैनात किए गए; पालो– ऑल्टो फ़ायरवॉल मैनेजर को संस्करण 11.2. 4–ी4 में अपग्रेड किया गया।

- **डीएनएस, विंडोज एडी और एसएमएस सर्वर माइग्रेशन का** कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- सीआईटीईएस 2.01 के तहत **राउटर और सर्वर की सुरक्षा** को और मजबूत करने का कार्य संपन्न हुआ।

ख. सुरक्षा संवर्द्धनः

- **रेलटेल द्वारा सेवा के रूप में सुरक्षा संचालन केंद्र पूरी तरह** से क्रियाशील हो गया है, जो लगभग सभी एंडपॉइंट्स के लॉग की निगरानी कर रहा है।

- **घटना अलर्ट के लिए एफ़ओआरटीआईएस आईईएम को कॉन्फ़िगर किया गया है और एफ़ओआरटीआईएसओएआर एकीकरण की प्रक्रिया जारी है।**

- महत्वपूर्ण सर्वरों और नेटवर्क उपकरणों पर **डीएएम और सर्वर सुरक्षा समाधान** तैनात किए गए हैं।

- **विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच प्रबंधन (पीएएम): हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संपत्तियों को पीएएम के साथ एकीकृत किया गया है और सभी विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ताओं को इसमें शामिल कर लिया गया है।**

- **डब्लूएएफ़ ऑन–बोर्डिंगः** सदस्य पोर्टल और क्षेत्रीय कार्यालय इंटरफेस को वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्लूएएफ़) पर ऑन–बोर्ड किया गया है।

- **जियो–फेंसिंगः ईपीएफ़ओ की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और इराक से आने वाले ट्रैफिक के लिए जियो–फेंसिंग लागू की गई है।**

4. सॉफ्टवेयर विकास और सीआईटीईएस 2.01 की प्रगति

1. **मुख्य सॉफ्टवेयर मॉड्यूल**

- **पुनर्गठित ईसीआर (ईसीआर) मॉड्यूलः 26 सितंबर 2025** को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

- **पुनर्गठित उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूलः इसका विकास और कार्यान्वयन किया गया।**

2. **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस)**

- आधार सीडिंग सत्यापन के लिए **एनपीसीआई एकीकरण** पूर्ण कर लिया गया है।

- **अंतिम यूएटी (यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग), समाधान, और वीएपीटी (वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग) का** कार्य पूरा हो गया है।

3. **भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी)**

- **सीआईटीईएस प्रोजेक्ट का वीएपीटीः** सीआईटीईएस मॉड्यूल के लिए मेसर्स भारती

एयरटेल (सीईआरटी दृआईएन पैनल में शामिल) द्वारा वीएपीटी आयोजित किया गया।

- **एपीआई का वीएपीटी:** उमंग और डिजिलॉकर का उपयोग करके यूएएन सृजन के लिए एफ़एटी एपीआई का वीएपीटी पूरा हुआ।
- **एडब्लूएस क्लाउड पर अनुप्रयोगों का वीएपीटी:** पीएमवीबीआरवाई और सूचना पोर्टल का वीएपीटी संपन्न हो गया है।

5. **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (पीएमवीबीआरवाई) का कार्यान्वयन:**

1. **पंजीकरण पोर्टल 15 अगस्त 2025 को लाइव हुआ:** इसे https://pmvbry.epfindia.gov.in और https://pmvbry.labour.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
2. नियोक्ता भाग क (पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी) और भाग ख (नियोक्ता प्रोत्साहन) के तहत लाभ का दावा करने के लिए नए कर्मचारियों के यूएएन पंजीकृत और अपलोड करते हैं।
3. 29 अक्टूबर 2025 तक पंजीकरण: कुल 54,112 प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए।

6. **ई–ऑफिस सिस्टम अपग्रेड:**

1. ईपीएफओ के सभी कार्यालयों में **ई–ऑफिस को वर्जन 7.• में अपग्रेड किया गया** (22–29 सितंबर, 2025)।
2. **प्रमुख संवर्द्धन:**

i बेहतर यूजर इंटरफेस – वर्जन 7 अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल और बेहतर इंटरफेस के साथ आता है।

ii ड्राफ्ट पर बहु–हस्ताक्षर – एक ही ड्राफ्ट (जैसे बैठक के कार्यवृत्त) पर कई अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा।

iii रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन – आईपैड, डेस्कटॉप और टैबलेट डिवाइस के साथ पूरी तरह से संगत।

iv दस्तावेजों का निर्बाध अवलोकन – एक साथ कई फाइलों को देखना आसान।

v टैब्ड व्यू – टैब सुविधा का उपयोग करके एक साथ कई फाइलों/रसीदों पर काम करने की सुविधा।

vi कॉमन क्रिएशन पेज – भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक और एस एफ़ एस /नॉन– एस एफ़ एस विकल्पों के अलग–अलग लिंक के स्थान पर अब एक ही ”ब्तमंजम” लिंक पर सभी विकल्प उपलब्ध हैं।

vii येलो नोट – अब 'येलो नोट' में भी संदर्भ दिया जा सकता है।

7. **शासन एवं आईटी निरीक्षण:** ईपीएफओ और एनसीआईआईपीसी द्वारा संयुक्त रूप से सीआईआई पहचान और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफ़सी) द्वारा अनुमोदित की गई; ईपीएफओ को अब साइबर सुरक्षा ढांचे के तहत एनसीआईआईपीसी के निरंतर संरक्षण ढांचे में लाया जाएगा।

च . कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में आईटी पहल:

ईएसआईसी ने वर्ष 2025 के दौरान कई आईटी पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मजबूत आईसीटी पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रयासों से महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का निर्बाध डिजिटलीकरण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई और परिचालन संबंधी अक्षमताओं में भारी कमी आई है। उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने बीमित व्यक्तियों, नियोक्ताओं और ईएसआईसी कर्मियों सहित सभी प्रमुख हितधारकों के लिए सेवा वितरण की सुगमता में सुधार किया है।
2. उपयोगकर्ता–केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च ने लाभार्थियों को उनकी पात्रता और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं तक सुविधाजनक और वास्तविक समय में पहुँच

प्रदान करके और अधिक सशक्त बनाया है। इन प्लेटफार्मों ने प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुलभता को बढ़ाया है।

3. इसके अलावा, ईएसआईसी के प्रौद्योगिकी–संचालित शासन पर ध्यान केंद्रित करने से इसकी डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं को मजबूती मिली है। डेटा–आधारित निर्णय लेने की दिशा में यह बदलाव परिचालन प्रभावशीलता, नीतिगत प्रतिक्रिया और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे रहा है। सामूहिक रूप से, ये उपाय राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस के अनुरूप सेवा वितरण को बढ़ाने और आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल नवाचार का लाभ उठाने के प्रति ईएसआईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

4. **प्रोजेक्ट 'पंचदीप' के तहत आईटी अवसंरचना का उन्नयनः** 'पंचदीप 1.0' के तहत चल रहे बुनियादी ढांचे और नेटवर्क अपग्रेड के हिस्से के रूप में, इस अवधि के दौरान कई सुधार सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। इनमें हार्डवेयर अपग्रेड, नेटवर्क में सुधार (जैसे उच्च क्षमता वाले स्विच, लिंक लोड बैलेंसर, सर्वर लोड बैलेंसर, कोर स्विच और एंड–पॉइंट बैंडविड्थ में वृद्धि), डेटा सेंटर की सुरक्षा स्थिति का उन्नयन (जैसे फ़ायरवॉल, एनआईपीएस, डब्लूएएफ़ , एंटी–डीडीओएस), स्टोरेज क्षमता में वृद्धि, और क्रमशः लोड रनर, एसएएसटी , डीएएसटी और जेडटीएनए जैसे उन्नत प्रदर्शन और एप्लिकेशन सुरक्षा उपकरणों की तैनाती शामिल है।

5. **धन्वंतरि एप्लीकेशन/मॉड्यूल में सुधार के उपायः** धन्वंतरि मॉड्यूल (स्वास्थ्य सूचना प्रणाली एप्लीकेशन) में अस्पतालों, औषधालयों, ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशालाओं और इमेजिंग सेवाओं से संबंधित सभी सेवाएं शामिल हैं। यह पिछले केस इतिहास और लिए गए उपचार सहित रोगी के रिकॉर्ड तक पहुंच में सुधार करके अस्पतालों और औषधालयों को सशक्त बनाता है, जिससे रोगी प्रबंधन अधिक कुशल हो जाता है। अब इसे ईएसआईसी अस्पतालों और औषधालयों में अधिक व्यापक रूप से उपयोग/अपनाया जा रहा है। मुख्य अस्पतालों के साथ टेली–मेडिसिन सुविधा भी लागू की गई है, जो दूरस्थ परामर्श और फॉलो–अप की लचीलापन प्रदान करती है। दवाओं की होम डिलीवरी भी ईएसआईसी की एक अनूठी पहल है।

6. **धन्वंतरि (एचआईएस मॉड्यूल) में प्रमुख विकासः**

क. ईएसआईसी हेल्थ कनेक्ट ऐप (पूर्व में एएए + मोबाइल ऐप) और धन्वंतरि वेब एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो परामर्श का प्रावधानः प्रोजेक्ट पंचदीप के तहत डिजिटल सेवाओं के निरंतर संवर्द्धन के हिस्से के रूप में, ईएसआईसी मोबाइल ऐप में वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गई है। यह कार्यक्षमता डॉक्टरों और बीमित व्यक्तियों (आईपी) को निर्बाध रूप से वीडियो परामर्श करने में सक्षम बनाती है, जिससे सेवाओं की पहुँच में सुधार और सेवा वितरण की दक्षता मजबूत हुई है।

ख. एचआईएस एप्लीकेशन में निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का प्रावधानः एचआईएस एप्लीकेशन अब बीमित व्यक्तियों (आईपी) को वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच कराने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, इस जांच के लिए पात्र आयु को 40 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है, जिससे बीमारियों का जल्दी पता लगाने और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है।

ग. पीएमजेएवाई के साथ ईएसआईसी का अभिसरणः बीमित व्यक्ति (आईपी) अब पीएमजेएवाई रेफरल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीएमजेएवाई रेफरल इतिहास को देख सकते हैं, जिससे अभिसरण ढांचे के तहत बेहतर समन्वय और सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित होती है।

7. **ईएसआईसी ने वर्ष 2025 में निम्नलिखित आईसीटी पहलें लागू की हैं:**

क. स्प्री मोबाइल ऐपः ईएसआईसी ने 'स्प्री 2025' (एसपीआरईई , 2025) जागरूकता अभियान के दौरान क्षेत्र के अधिकारियों के दौरे के समय

नियोक्ताओं का डेटा एकत्र करने और उनके पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।

ख. **स्वैच्छिक आधार और वैकल्पिक पहचान पत्र (आईडी) स्वीकृतिः** ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए स्वैच्छिक आधार और वैकल्पिक आईडी स्वीकृति का प्रावधान लागू किया गया है, जिसमें लाभार्थियों को सत्यापन के उद्देश्य से वैकल्पिक आईडी अपडेट करने का विकल्प दिया गया है।

ग. **नियोक्ताओं का मोबाइल और ईमेल सत्यापनः** ईएसआईसी ने नियोक्ताओं के लिए मोबाइल और ईमेल सत्यापन का प्रावधान लागू किया है। यह एक द्वि–वार्षिक प्रक्रिया (अप्रैल और अक्टूबर) है, जिसमें नियोक्ता ओटीपी के माध्यम से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल का सत्यापन करते हैं ताकि सटीक डेटा और लाभ प्रसंस्करण के लिए सुचारू संचार सुनिश्चित किया जा सके।

घ. **लाभार्थियों का फोटो कैप्चरः** बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों (लाभार्थियों) की पहचान सत्यापित करने के लिए उनकी फोटो खींचने (कैप्चर करने) की प्रक्रिया लागू की गई है।

ङ. **सतर्कता क्लीयरेंस मॉड्यूलः** सतर्कता स्थिति के प्रवासन, अद्यतन और सतर्कता क्लीयरेंस जारी करने के लिए यह मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह डीपीसी, एमएसीपी, पासपोर्ट आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए सतर्कता स्थिति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

च. **डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रः** पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा ईएसआईसी स्टाफ पेंशनभोगियों के पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को एकीकृत किया गया है।

छ. **स्वीकृत, कार्यरत और रिक्ति रिपोर्टः** सभी चिकित्सा अधिकारियों के लिए 'स्वीकृत, कार्यरत और रिक्ति रिपोर्ट' विकसित की गई है, ताकि विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों की स्थिति के बारे में वास्तविक समय में जानकारी मिल सके।

8. **स्थानांतरण मॉड्यूल का विकासः**

क. समूह 'क', 'ख', एसएसओ और पीए (गैर–चिकित्सा संवर्ग) के लिए स्थानांतरण मॉड्यूलः अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्थानांतरण नीति–2024 के अनुसार इसे विकसित और लागू किया गया है। इस मॉड्यूल को स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और एकरूपता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली स्थानांतरण आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने, संसाधित करने और अनुमोदित करने में सक्षम बनाती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।

ख. समूह 'क' (चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा नैदानिक और नर्सिंग) और समूह 'ख' (नार्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग) के अंतर–क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए मॉड्यूलः अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इसे स्थानांतरण नीति–2024 के अनुसार विकसित किया गया है।

ग. समूह 'ग' (पैरामेडिकल संवर्ग) के अंतर–क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए मॉड्यूलः स्थानांतरण नीति–2024 के अनुरूप इसे अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है।

घ. समूह 'ग' (गैर–चिकित्सा संवर्ग) के अंतःक्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए मॉड्यूलः इसे स्थानांतरण नीति–2024 के अनुसार विकसित किया गया है ताकि कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

ङ. परस्पर स्थानांतरण विकल्पः गैर–चिकित्सा संवर्गों के लिए एक 'म्यूचुअल ट्रांसफर' विंडो विकसित की गई है, जो कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यवहार्यता और नीतिगत दिशा–निर्देशों के आधार पर आपसी स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।

9. ईएसआईसी के ई–गवर्नेंस प्रोजेक्ट "पंचदीप" के संस्करण 1.0 से 2.0 के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक समापनः ईएसआईसी–पंचदीप ई–गवर्नेंस प्रोजेक्ट को संस्करण 1.0 से संस्करण 2.0 में बदलने और कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त परामर्श इकाई, मेसर्स डेलॉयट टच तोहमात्सु लिमिटेड ने परियोजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रथम चरण के दौरान की गई प्राथमिक गतिविधियों में 'एलाइनमेंट' और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन शामिल था। परियोजना का द्वितीय चरण, जिसमें वांछित स्थिति का डिज़ाइन, बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन का रोडमैप शामिल है, दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

छ. **श्रम ब्यूरो** ने वर्ष 2025 के दौरान कई आईटी पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ ने अपने कामकाज को आधुनिक बनाने, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए कई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलें की हैं। ये पहलें श्रम सांख्यिकी के स्वचालन, डिजिटलीकरण और प्रभावी प्रसार पर केंद्रित हैं।

2. **स्वचालन और डिजिटल परिवर्तनः** श्रम ब्यूरो ने डेटा संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार से संबंधित अपनी सभी मुख्य गतिविधियों को कवर करने वाली एक स्वचालन परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य मानवीय प्रक्रियाओं को कम करना और श्रम डेटा की सटीकता, समयबद्धता और निरंतरता सुनिश्चित करना है। मुख्य डिजिटल परिवर्तन लक्ष्य इस प्रकार हैं:

   क. वर्कफ़्लो स्वचालन के माध्यम से आंतरिक प्रक्रियाओं को कागज़ रहित बनाना।

   ख. सुरक्षित भंडारण और आसान पुनर्प्राप्ति के लिए अभिलेखीय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।

   ग. मैन्युअल डेटा संग्रह और प्रसंस्करण को कम करने के लिए आईटी–आधारित सर्वेक्षण समाधानों को अपनाना।

   घ. निर्बाध डेटा हस्तांतरण, भंडारण, पहुँच और डेटा अखंडता के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का विकास।

   ङ. वास्तविक समय में डेटा प्रसार के लिए आधिकारिक वेबसाइट के साथ डेटाबेस का एकीकरण।

3. **वेबसाइट और डिजिटल डेटा प्रसारः** श्रम ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट (संइवनतइनतमंन.हवअ.पद) श्रम सांख्यिकी के प्रसार के लिए एक प्रमुख डिजिटल मंच के रूप में कार्य करती है। इसकी मुख्य आईटी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

   क. नवीनतम श्रम संकेतकों को प्रदर्शित करने वाले उपयोगकर्ता–अनुकूल डैशबोर्ड।

   ख. डेटा को एक्सेल, सीएसवी और पीडीएफ प्रारूपों में डाउनलोड करने की सुविधा।

   ग. रिपोर्टों, प्रकाशनों और सर्वेक्षण परिणामों तक ऑनलाइन पहुँच।

   घ. सुलभता मानकों का अनुपालन।

4. **ई–ऑफिस का कार्यान्वयनः** श्रम ब्यूरो ने चंडीगढ़ स्थित अपने मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–ऑफिस लागू कर दिया है। इससे फाइल प्रबंधन सुव्यवस्थित हुआ है, कागजी कार्रवाई में कमी आई है और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है।

5. **ई –स्पैरो का कार्यान्वयनः** गैर–संवर्ग समूह क, ख और ग के कर्मचारियों की ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (अपार) के लिए ई–स्पैरो प्रणाली लागू की जा रही है, जो पारदर्शिता, समयबद्धता और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

6. **सोशल मीडियाः** ब्यूरो के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का नियमित रूप से रखरखाव और संचालन किया जा रहा है।

7. **आईगॉट कर्मयोगीः** ब्यूरो के सभी कर्मचारियों ने आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण करा लिया है और वे निर्धारित पाठ्यक्रमों पर नियमित रूप

से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

8. **कुल प्रभावः** इन आईटी पहलों ने डेटा की गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाकर, सांख्यिकी के तेज़ प्रसार को सक्षम करके और कुशल शासन को बढ़ावा देकर श्रम ब्यूरो की एक आधुनिक और डेटा–संचालित संगठन के रूप में क्षमता को मजबूत किया है।

ज. मीडिया सेल

प्रिंट, डिजिटल, रेडियो, टीवी आदि सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के कुशल और प्रभावी उपयोग पर बढ़ते जोर को देखते हुए, देश के कार्यबल तक श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की योजनाओं/ नीतियों/ पहलों/उपलब्धियों की जानकारी प्रसारित करने के लिए जुलाई, 2014 में इस मंत्रालय में मीडिया सेल का गठन किया गया था।

कैलेंडर वर्ष 2025 में मीडिया सेल की गतिविधियाँ/ उपलब्धियाँः

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का मीडिया सेल, मंत्रालय और मीडिया के बीच प्राथमिक इंटरफेस (संपर्क सूत्र) के रूप में कार्य करता है, जो श्रम नीतियों, रोज़गार पहलों, कल्याणकारी योजनाओं और वैधानिक विकास से संबंधित सूचनाओं का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करता है। यह मंत्रालय के विजन, उद्देश्यों और उपलब्धियों को समयबद्ध, पारदर्शी और सटीक तरीके से जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मीडिया सेल प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफ, प्रेस नोट्स और मीडिया के सवालों के जवाब तैयार करने तथा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय मंत्री के प्रेस सम्मेलनों, साक्षात्कारों और मीडिया इंटरैक्शन का समन्वय करता है, साथ ही मंत्रालय से संबंधित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया कवरेज की निगरानी भी करता है। व्यवस्थित मीडिया निगरानी के माध्यम से, सेल सूचना–आधारित निर्णय लेने और नीतिगत संचार में सहायता के लिए फीडबैक और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, मीडिया सेल श्रम कानूनों, रोज़गार कार्यक्रमों और श्रमिक कल्याण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का लाभ उठाकर सार्वजनिक आउटरीच में सहायता करता है। पत्रकारों और मीडिया संगठनों के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखते हुए, मीडिया सेल जनता का विश्वास बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और मंत्रालय के सार्वजनिक संचार ढांचे को मजबूत करने में योगदान देता है।

मीडिया सेल प्रभावी मीडिया रणनीतियां विकसित करने के लिए एएसी, सीबीसी, पीआईबी, प्रसार भारती, एनएफडीसी और अन्य मीडिया एजेंसियों के साथ भी समन्वय करता है।

पिछले एक वर्ष के दौरान, मंत्रालय के मीडिया सेल ने मंत्रालय के दो प्रमुख अभियानोंः **पीएमवीबीआरवाई और श्रम संहिताओं** का प्रबंधन किया है। दोनों अभियानों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल/सोशल/प्रिंट मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक सशुल्क और निःशुल्क प्रचार किया गया। अभियानों के दौरान मंत्रालय का एक्स (ट्विटर) हैंडल तीसरे और चौथे स्थान पर ट्रेंड हुआ, जो मंत्रालय के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी।

*****

अध्याय 20

सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निवारण

20.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका और कार्य

पृष्ठभूमि – संगठन में शुद्धता, अखंडता और दक्षता बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सचिव को उनके सतर्कता कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। सीवीओ मुख्य कार्यकारी के विशेष सहायक/सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में उसे सीधे रिपोर्ट करता है । सीवीओ मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व करता है और मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच एक लिंक प्रदान करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व परामर्श से की जाती है और कोई भी व्यक्ति जिसकी उस क्षमता में नियुक्ति पर आयोग द्वारा आपत्ति की जाती है, इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

सीवीओ के सतर्कता कार्य व्यापक हैं और इसमें उनके संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथाओं, या किए जाने की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है; उसे रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना; जहां कहीं आवश्यक हो अनुशासनात्मक सलाह पर आगे विचार करने के लिए जांच रिपोर्ट को प्रक्रियान्वित करना, अनुचित प्रथाओं/कदाचार होने से रोकने के लिए कदम उठाना आदि। इसे मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है – (i) निवारक सतर्कता, (ii) दंडात्मक सतर्कता और (iii) निगरानी और पता लगाना।

20.2 वर्ष 2025 के दौरान प्रदर्शन का एक अवलोकन

<u>दंडात्मक सतर्कता</u>

शिकायतें– वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025) के दौरान प्राप्त शिकायतों पर मौजूदा नियमों और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।

विभागीय कार्यवाही – संबंधित जांच अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करके लंबित विभागीय कार्यवाही को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए ईमानदार प्रयास किए गए।

अभियोजन स्वीकृतियां – सीबीआई/एसीबी द्वारा मांगी गई सभी अभियोजन के लिए स्वीकृतियां प्रदान की गईं। अभियोजन स्वीकृति का कोई भी मामला तीन माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

निवारक सतर्कता – मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न की सूक्ष्मता से जांच की गई ताकि किसी भी भ्रष्ट इरादे को रोका जा सके। चल/अचल संपत्ति के अधिग्रहण/निस्तारण के संबंध में दी गई सभी सूचनाओं की भी संबंधित कर्मचारियों की आय के ज्ञात स्रोतों के आलोक में ठीक से जांच की गई। मंत्रालय में दिनांक 27.10.2025 से दिनांक 02.11.2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिनांक 27.10.2025 को ई–निष्ठा शपथ ली।

मुख्य सचिवालय में शिकायत निवारण

20.3 लोक शिकायत निवारण के कार्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और मंत्रालय में इसकी नियमित रूप

से समीक्षा की जाती है। **मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल खाते में दिनांक 30.12.2025 को जनरेट की गई रिपोर्ट के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान पीजी पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर प्राप्त शिकायतों के निवारण की औसत समय–सीमा 11 दिन है।**

20.4 वर्ष 2021 से 2025 की अवधि (अर्थात दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 30.12.2025 तक) के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त और निपटाई गई लोक शिकायतों के वर्ष–वार आंकड़ों और ऐसी शिकायतों के निपटान के प्रतिशत को दर्शाने वाली एक तुलनात्मक तालिका सारणी 1.1 में दिखाई गई है।

तालिका 1.1 वर्ष 2021 से आगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (https://pgportal.gov.in) पर प्राप्त और निपटाई गई लोक शिकायतों का वर्ष–वार ब्यौरा–

क्र.सं.कॉलम. 1)	**वर्ष** (कॉलम 2)	**पिछले वर्ष से अग्रेनीत शिकायतें (कॉलम.3)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें** (कॉलम.4)	**वर्ष के लिए प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (कॉलम5) (कॉलम3+कॉलम 4)**	**वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले** (**कॉलम.** 6)	**वर्ष के अंत में लंबित मामले** (**कॉलम.** 7) [**कॉलम.** 5- **कॉलम.** 6]	**निपटान का प्रतिशतांक** (**कॉलम.** 8) [**कॉलम.** 6/**कॉलम.** 5]X100
2.	**2021**	1536	96375	97911	93840	4071	96%
3.	**2022**	4071	137323	141394	138369	3025	98%
4.	**2023**	3025	165049	168074	163150	4924	97%
5.	**2024**	4924	179828	184752	177761	6991	96%
6.	**2025**	6995	257027	264022	250506	13516	95%

एन.बी.: 1. उपरोक्त आंकड़े सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर दिनांक 30.12.2025 को तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार हैं।
2. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दी गई रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े गतिशील प्रकृति के हैं, अर्थात इनमें से कुछ आंकड़े समय–समय पर रिपोर्ट के निर्माण की तारीख और समय और उनके निपटान / लंबित आदि के आधार पर थोड़ा बदल सकते हैं।

लोक शिकायत निवारण

20.5 कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन के रुप में, 14 करोड़ से अधिक क.रा.बी. लाभार्थियों, अर्थात् देश की जनसंख्या के लगभग 10% लोगों को सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति प्रदान कर रहा है। क.रा.बी. निगम वर्ष भर अपने हितधारकों से प्राप्त होने वाली अनेक लोक शिकायतों/प्रश्नों का निस्तारण कर रहा है।

20.6 भारत सरकार के लोक शिकायत निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, निगम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी लोक शिकायतों के गुणात्मक और त्वरित निवारण हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है। लोक शिकायतें दूरभाष, डाक, ई–मेल, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली आदि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती हैं।

20.7 निगम, सभी क्षेत्र कार्यालयों/क.रा.बी.निगम अस्पतालों में तैनात 148 नामोद्दिष्ट लोक शिकायत अधिकारियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लोक शिकायतों की निगरानी करता है।

20.8 हितधारकों/लाभार्थियों को मार्गदर्शन/सूचना प्रदान करने तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु, निगम ने 24–घंटे कार्यरत बहुभाषी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800–11–2526 प्रारंभ की है। यह हेल्पलाइन उन बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं के लिए सहायक सिद्ध हुई है जो या तो निरक्षर हैं या जिनमें लेखन/कंप्यूटर कौशल का अभाव है।

20.9 शिकायतों का निवारण अधिकतम 21 दिनों की समय सीमा के भीतर समयबद्ध एवं गुणात्मक रूप से किया जाता है। कुछ मामलों में, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता से पुष्टि/स्पष्टीकरण प्राप्त होने में विलंब अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से यह समय–सीमा बढ़ जाती है। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 01–01–2025 से 31–12–2025 की अवधि के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक निपटान किया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	**अग्रेनीत**	**प्राप्त शिकायतें**	**निस्तारित**	**औसत निपटान दिन**	**दिनांक 31.12.2025 तक लंबित**
01/01/2025 से 31/12/2025	470	16098	16051 (99%)	9	517

दिनांक 31/12/2025 तक लंबित	**लंबित 0-10 दिन**	**लंबित 11-21 दिन**	**लंबित 22-30 दिन**	**लंबित 31-45 दिन**	**लंबित 46-60 दिन**	**लंबित 61-90 दिन**	**लंबित 91-180 दिन**
517	286	177	34	10	6	2	2

20.10 लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित एवं मौके पर निवारण हेतु, प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार (अपराह्न) (यदि अवकाश हो, तो अगले कार्य दिवस) को क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में तथा प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को शाखा कार्यालयों में नियमित रूप से सुविधा समागम आयोजित किए जाते हैं। जिन शहरों/नगरों में क.रा.बी.निगम और क.रा.बी. योजना के अस्पताल स्थित हैं, वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक भी क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित इन सुविधा समागमों में शामिल होते हैं और उनके माध्यम से चिकित्सा संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाता है।

- अनेक मामलों में, जहाँ दूरभाष नंबर उपलब्ध होते हैं, वहां शिकायतकर्ता की प्रतिपुष्टि/संतुष्टि के स्तरों की जानकारी भी प्राप्त की जाती है और किसी भी प्रकार के असंतोष की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- प्रत्येक स्तर पर लोक शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु समय–सीमा सहित एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है, जिसमें सभी कार्यालयों को उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी लोक शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- विभिन्न क.रा.बी.निगम कार्यालयों/अस्पतालों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं उचित निपटान की निगरानी हेतु आवधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सतर्कता संबंधी गतिविधियां

20.11 सतर्कता संबंधी गतिविधियों से तात्पर्य उन व्यवस्थित प्रयासों और प्रक्रियाओं से हैं जिन्हें संगठन कदाचार, भ्रष्टाचार तथा अनैतिक व्यवहार का पता लगाने, उन्हें रोकने और उनसे निपटने के लिए अपनाते हैं। ये गतिविधियां संगठनों में

पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सतर्कता गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ऐसे अग्रलक्षी उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसका उद्देश्य न केवल कुप्रथाओं की पहचान करना है, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना भी है जहां कदाचार को हतोत्साहित किया जा सके। ये गतिविधियां संगठनों के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वे नैतिक और कुशलतापूर्वक कार्य करें। अनैतिक आचरणों की पहचान, रोकथाम और सुधार हेतु अग्रलक्षी दृष्टिकोण अपनाने से, संगठन कर्मचारियों और जनता का विश्वास बनाए रखने में सक्षम होते हैं। एक सुदृढ़ सतर्कता ढांचा जवाबदेही और सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने में सहायक होता है। क.रा.बी.निगम के सतर्कता प्रभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी चार सतर्कता निरीक्षण इकाइयां क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नै में स्थित हैं।

दिनांक 01/01/2025 से 31/12/2025 की अवधि के दौरान, पांच आरोप–पत्र जारी किए गए तथा सैंतालीस अनुशासनात्मक मामलों में दंडादेश पारित किए गए। सभी ग्यारह मामलों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर अभियोजनों की संस्वीकृति प्रदान की गईं। इनके अतिरिक्त, अभियोजनों की संस्वीकृति का कोई भी मामला तीन माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रहा। कुल 2,404 वार्षिक संपत्ति विवरणियों की संवीक्षा की गईं। साथ ही, सभी तिमाही संरचित बैठकें समय पर आयोजित की गईं तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को मासिक/तिमाही/वार्षिक रिपोर्टें समय पर प्रेषित की गईं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, क.रा.बी.निगम द्वारा मुख्यालय तथा देश भर में स्थित क्षेत्र कार्यालयों में दिनांक 27 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम 'सतर्कता : हमारा साझा दायित्व' था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 को 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' के साथ हुआ। सप्ताह के दौरान मुख्यालय और क्षेत्र इकाइयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सुविधा समागम और आशुभाषण प्रतियोगिता आदि गतिविधियों तथा आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दिनांक 17/11/2025 को मुख्यालय में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महानिदेशक, वित्तीय आयुक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।

इसके अतिरिक्त, निवारक सतर्कता पर दिनांक 18/08/2025 से 17/11/2025 तक तीन महीने का एक अभियान चलाया गया, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया :

(i) लंबित शिकायतों का निपटान

(ii) लंबित मामलों का निपटान

(iii) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

(iv) परिसंपत्ति प्रबंधन

(v) डिजिटल पहल

लोक शिकायतों का निवारण (ग्राहक सेवा प्रभाग– क.भ.नि.सं.)

20.12 क.भ.नि.सं. नियोक्ता, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करने के अपने जनादेश के अनुरूप ग्राहक सेवा एवं प्रभावी शिकायत निवारण को अत्याधिक महत्व देता है। संगठन द्वारा देश भर में फैले अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत, बहु–स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें मुख्यालय, नई दिल्ली में विद्यमान ग्राहक सेवा प्रभाग, 21 अंचलों एवं 150 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित फील्ड कार्यालय शामिल हैं। ये कार्यालय पूर्ण सुविधा केंद्रों, जनसंपर्क अधिकारियों और प्रशिक्षित सहायक कर्मचारियों से सुसज्जित हैं, जो सभी स्टेकहोल्डरों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करते हैं।

क.भ.नि.सं. शिकायतों को पंजीकृत करने तथा उनका समाधान करने के लिए विभिन्न माध्यम प्रदान करता है,

जिसमें सीपीग्राम, शिकायत अपील, ईपीएफआईजीएमएस, कॉल सेंटर, व्हाट्स एप हेल्पलाइन, आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स / ट्विटर और फेसबुक),अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू), सुविधा केंद्र शामिल हैं।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम)

20.13 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) को लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। सीपीग्राम वेब तकनीकी पर आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) आधार पर मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है जो इन शिकायतों की जांच करते हैं और इन शिकायतों के त्वरित और अनुकूल निवारण के लिए कार्रवाई करते हैं जिसे क.भ.नि.सं. में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सभी कार्यालय शिकायतों को मॉनीटर एवं उनका निवारण करने के लिए नियमित रूप से सीपीग्राम का प्रयोग कर रहे हैं।

सीपीग्राम के माध्यम से 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए शिकायतों की प्राप्ति और निपटान का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आदि शेष	प्राप्त शिकायत	कुल शिकायतें	निपटाई गई शिकायत	निपटान का प्रतिशत	औसत समय
2025	5,999	2,33,052	**2,39,051**	2,28,462	95.57	15

इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निपटान निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शिकायत का स्रोत	कुल प्राप्त	निपटाए गए	निपटान का प्रतिशत
1.	डीपीजी	10,159	9,424	92.77
2.	डीएआरपीजी	949	913	96.21
3.	राष्ट्रपति सचिवालय	1,372	1,343	97.89
4.	पेंशन	7,968	7,663	96.17
5.	प्रधानमंत्री कार्यालय	12,046	11,506	95.52

कर्मचारी भविष्य निधि ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस)

20.14 कर्मचारी भविष्य निधि इंटरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफआईजीएमएस), जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था एवं 2019 में नया रूप दिया गया था, शिकायत निवारण के लिए क.भ.नि.सं. का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली दस्तावेज़ अपलोड करने, इंटरैक्टिव संचार, शिकायतकर्ता प्रतिक्रिया–आधारित समापन और तीन–स्तरीय एस्केलेशन तंत्र (क्षेत्रीय, आंचलिक और मुख्यालय) के साथ–साथ द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) शिकायत पंजीकरण, ओटीपी–आधारित प्रमाणीकरण और सटीक कार्यालय मेपिंग के लिए यूएएन एकीकरण प्रदान करती है। ईपीएफआईजीएमएस सदस्यों, पेंशनभोगियों, स्थापनाओं और नागरिकों के लिए कभी भी, कहीं भी पहुंच को सक्षम बनाता है, जबकि कुशल, प्रौद्योगिकी–संचालित शिकायत प्रबंधन के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाता है।

01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान ईपीएफआईजीएमएस में प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आदि शेष	प्राप्त शिकायत	कुल प्राप्त शिकायत	निपटाई गई	निपटान का प्रतिशत
2025	61,581	17,54,297	18,15,878	17,20,492	94.75

इसके अलावा, ईपीएफआईजीएमएस में, 91.97% शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निवारण किया गया था।

उमंग ऐप में ईपीएफआईजीएमएस

20.15 ईपीएफआईजीएमएस को उमंग ऐप में भी शामिल किया गया है और 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

दर्ज की गईं कुल शिकायतें	उमंग ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायतें	प्राप्ति प्रतिशत (ईपीएफआईजीएमस में दर्ज कुल शिकायतों में से)	उमंग ऐप में प्राप्त शिकायतों का निपटान
17,54,297	5,24,141	29.88	5,18,601

कॉल सेंटर:

20.16 12 स्थानों पर संचालित ईपीएफओ कॉल सेंटर टोल–फ्री नंबर 1800–118–005 और शॉर्ट कोड 14470 के माध्यम से हितधारकों को सहायता प्रदान करता है। 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, कॉल सेंटर को प्राप्त 42,85,034 कॉल्स सफलतापूर्वक संभाली गईं और उनका जवाब दिया गया। समावेशी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पूछताछ का जवाब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 स्थानीय भाषाओं जैसे–तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, असमिया, पंजाबी, मलयालम और ओडिया में दिया जाता है। इंटरसेप्शन के माध्यम से निरंतर लाइव कॉल निगरानी, अनिवार्य कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, गुणवत्ता आश्वासन, जवाबदेही और हितधारक की शिकायतों के प्रभावी सत्यापन को सुनिश्चित करती है।

20.16 व्हाट्सएप हेल्पलाइन:

जुलाई 2020 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में चालू ईपीएफओ की व्हाट्सएप हेल्पलाइन, घर से ही, सुरक्षित एंड–टू–एंड एन्क्रिप्टेड समाधान को सक्षम बनाती है। बहुभाषी एफएक्यू और निर्बाध डिजिटल सेवा वितरण के लिए इन्फोग्राफिक्स द्वारा समर्थित, टीमें 24 घंटे के भीतर जवाब देती हैं।

20.17 सोशल मीडिया:

ईपीएफओ फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, क्वोरा और व्हाट्सएप पर भी अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखता है, जिसमें मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में समर्पित टीमों द्वारा आधिकारिक हैंडल के माध्यम से हितधारक के प्रश्नों का उत्तर किया जाता है, जिससे पारदर्शी और समय पर डिजिटल एंगेजमेंट सुनिश्चित होती है।

20.18 निधि आपके निकट 2.0

जनवरी 2023 में शुरू किया गया निधि आपके निकट 2.0, कभनिसं का मासिक जिला–स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हितधारकों को मौके पर शिकायत निवारण और सूचना सेवाएं प्रदान करना है, साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के जिला–स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने एक निश्चित दिन, सामान्यतः 27 तारीख को जिलों में एक साथ

आयोजित किया जाता है, जिससे पूरे देश में कभनिसं की पहुंच और दृश्यता बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान हल नहीं की गई शिकायतों को समयबद्ध समाधान के लिए ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। जनवरी–दिसंबर 2025 के दौरान, कभनिसं ने देश भर में 2,05,825 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 7,749 आउटरीच शिविरों का आयोजन किया। प्राप्त 78,087 शिकायतों में से, 90% से अधिक (70,621 मामले) मौके पर ही हल कर दिए गए, जो तत्काल शिकायत निवारण, सक्रिय सेवा वितरण और मजबूत फील्ड–स्तरीय प्रतिक्रिया देने में कार्यक्रम की उच्च प्रभावशीलता को दर्शाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से मार्च 2026 की अवधि में लगभग 51456 प्रतिभागियों के साथ 1900 शिविर आयोजित किए जाएंगे।

कभनिसं चैटबॉट– "मैत्रेयी"

उन्नत राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित, कभनिसं की वेबसाइट चैटबॉट, कीवर्ड–आधारित बातचीत, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, सूचना पुनर्प्राप्ति, कार्यालय लोकेटर, वॉइस टू टेक्स्ट सपोर्ट और एकीकृत फॉर्म के माध्यम से कभनिसं सेवाओं तक त्वरित पहुंच को सक्षम बनाती है, जो उत्तरदायी, नागरिक–केंद्रित डिजिटल सेवा डिलीवरी को बढ़ाती है।

संप्रेषण एवं जनसंपर्क अनुभाग

20.19 संप्रेषण एवं जनसंपर्क अनुभाग एक नोडल अनुभाग है जो कभनिसं और उसके हितधारकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसकी जिम्मेदारियों में संप्रेषण अभियान डिजाइन करना, सोशल मीडिया हैंडल का प्रबंधन करना, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना और प्रेस के साथ समन्वय करना शामिल है। यह कभनिसं की ब्रांड छवि बनाने के लिए भी काम करता है जिससे केंद्र सरकार की छवि एक नागरिक–केंद्रित इकाई के रूप में बढ़ती है।

आईआईटीएफ 2025 में कभनिसं मंडप:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (कभनिसं) ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 में अपने पहले अत्याधुनिक मंडप का आयोजन किया। मंडप का उद्घाटन माननीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने माननीय राज्य मंत्री, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कभनिसं और प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति में किया।

कभनिसं के भविष्य के लिए तैयार, सदस्य–केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित संगठन बनने के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, मंडप ने सरकार द्वारा जीवन की सुगमता पर बल दिए जाने के अनुरूप डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया। मंडप ने हजारों आगंतुकों को आकर्षित किया, जिसमें कई सदस्यों और पेंशनभोगियों ने दावा दायर करने, यूएएन सृजन, संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करने और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सुविधाओं सहित लाइव सेवाओं का लाभ उठाया।

हजारों आगंतुक, सदस्य और पेंशनभोक्ता लाइव सेवाओं, जिसमें दावा फाइलिंग, यूएएन जनरेशन, संयुक्त घोषणा और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सुविधाएं शामिल हैं, का लाभ उठा रहे हैं।

पवेलियन में टच–स्क्रीन कियोस्क, पीएफ संबंधी प्रक्रिया समझाने वाले वीडियो, क्विज़, और ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई, पीएम–वीबीआरवाई, और कर्मचारी नामांकन योजना, 2025 पर समर्पित जागरूकता क्षेत्र जैसे इंटरैक्टिव एवं शैक्षणिक तत्व भी शामिल थे।किड्ज़ प्ले ज़ोन, नुक्कड़ नाटक, पपेट शो, सेल्फी पॉइंट और पेंटिंग प्रतियोगिता जैसी सहभागिता पहल ने जनसंपर्क को और सुदृढ़ बनाया, जिससे पवेलियन सभी आयु वर्गों के लिए जानकारीपूर्ण और आकर्षक बन गया।

सोशल मीडिया गतिविधियाँ

31 दिसंबर 2025 तक, ईपीएफओ के ट्विटर पर 3,38,036 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 4,26,265 फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 18,45,665 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 3,04,348 फॉलोअर्स थे। ईपीएफओ के पास केंद्र सरकार के संगठनों में से यूट्यूब पर सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं।

- 01.01.2025 से 31.12.2025 के बीच सोशल मीडिया पर कुल 2518 पोस्ट किए गए।

- अनुमान है कि जनवरी से मार्च, 2026 के बीच 300 सोशल मीडिया पोस्ट किए जाएंगे।

ईपीएफओ की कॉफी टेबल बुक

अपने स्थापना दिवस पर, ईपीएफओ ने एक कॉफी टेबल बुक जारी की, जिसमें ईपीएफओ की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा को दर्शाया गया है। इसमें प्रमुख उपलब्धियों, बड़े सुधारों, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और उन पहलों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने सेवा वितरण को मजबूत किया और सदस्यों के लिए वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया।

20.20 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई नई पहलों का विवरण

ई–ऑफिस वर्जन 7.3.1 5–3 में माइग्रेशन

डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने की अपनी लगातार कोशिशों के तहत, ईपीएफओ ने अपने सभी कार्यालयों में **ई–ऑफिस वर्जन 7.3.15–3** में अपग्रेड कर दिया है।

वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन के लिए स्पैरो को अपनाना

ईपीएफओ ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की ऑनलाइन प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार पहल के रूप में स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) को अपनाया है।

सीबीटी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर नीति की शुरुआत

कर्मचारी प्रबंधन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने व्यापक मानव संसाधन सुधारों के हिस्से के रूप में ईपीएफओ ने सीबीटी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के लिए एक नई स्थानांतरण नीति की शुरुआत की है।

कार्यालयों का तर्कसंगत पुनर्गठन

संगठनात्मक पुनर्गठन और बेहतर सेवा वितरण के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देश भर में अपने फील्ड कार्यालयों का तर्कसंगत पुनर्गठन किया है। इस पहल के अंतर्गत, कुछ नए कार्यालय बनाए गए हैं और अन्य को अपग्रेड किया गया है ताकि उपयुक्त कार्यभार वितरण, बेहतर प्रशासनिक दक्षता और सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ग्रेटर नोएडा, पुणे (विमान नगर), पुणे (हिंजवाड़ी), गुरुग्राम सेंट्रल, मुंबई फोर्ट, बेंगलुरु (बेलांदूर), बेंगलुरु (इंदिरानगर), तिरुवल्लूर–अवाडी, श्रीपेरुम्बुदूर और मुंबई– मुलुंड में नए क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इसके अलावा, पालघर और रायगढ़ में दो नए जिला कार्यालय बनाए गए हैं। इसके अलावा, तिरुप्पुर और अलवर के जिला कार्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालयों में अपग्रेड किया गया है।

20.21 ईपीएफओ में सतर्कता गतिविधियां

ईपीएफओ में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व नई दिल्ली में मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में आठ क्षेत्रीय सतर्कता निदेशालय स्थित हैं।

ईपीएफओ में सतर्कता प्रशासन ने बदलती संगठनात्मक जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण और रणनीति को ढालने का प्रयास किया है। यह भ्रष्ट गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए निवारक और सहभागी सतर्कता पर ज़ोर देता है और मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। यह दंडात्मक सतर्कता के कार्य का भी परीक्षण करता है जो निरंतर नागरिक इंटरफेस और सार्वजनिक धन को संभालने वाले संगठन में आवश्यक है।

i निवारक सतर्कता

01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान ईपीएफओ के 19 कार्यालयों में निवारक सतर्कता निरीक्षण / आकस्मिक जांच की गई।

ii दंडात्मक सतर्कता

- **शिकायतें:**

01.01.2025 से 31.12.2025 तक 1189 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। 31.12.2025 तक 1174 शिकायतों का निपटारा किया गया।

- **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की प्रथम और द्वितीय चरण की सिफारिशें:**

31.12.2025 तक वर्ष के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम चरण की सिफारिशें 40 मामलों में निपटा दी गई, जिनमें से 22 प्रमुख दंड मामले थे और 18 लघु दंड मामले थे। सीवीसी की दूसरी चरण की सिफारिशें 1 मामले में निपटा दी गई, जो एक प्रमुख दंड मामला था।

- **प्रारंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही:**

31.12.2025 तक वर्ष के दौरान 47 अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ शुरू की गईं।

- **अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया:**

वर्ष के दौरान कुल 63 अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें से 37 प्रमुख दंड कार्यवाही और 26 लघु दंड कार्यवाही थीं।

- **अभियोजन स्वीकृति:**

31.12.2025 तक वर्ष के दौरान 24 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।

iii निगरानी और पता लगाना

- **सीबीआई/एसीबी के साथ समन्वय बैठक** :

सीबीआई/एसीबी के साथ समन्वय बैठकें हुईं, सहमति सूची तैयार की गई और ओडीआई सूची को अपडेट किया गया।

iv सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025

ईपीएफओ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 को 27.10.2025 से 02.11.2025 तक **"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" "Vigilance: Our Shared Responsibility"** थीम के साथ मनाया गया।

इसके अलावा, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अग्रगामी के रूप में 18 अगस्त, 2025 से 17 नवंबर, 2025 तक 3 महीने का अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें (शिकायतों के निपटान के बारे में जागरूकता, क्षमता निर्माण और परिपत्रों / दिशानिर्देशों का अद्यतन) पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

1. **अखंडता प्रतिज्ञा:** 27.10.2025 को अखंडता प्रतिज्ञा के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की गतिविधियों की शुरुआत हुई। ई–लेज लिंक को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया और ईपीएफओ के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार किया गया ।

2. **हस्ताक्षर अभियान:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की भावना और संदेश का प्रसार करने के लिए सभी कार्यालयों में एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया।

3. **प्रशिक्षण:** ईपीएफओ की राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों ने निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया:

(i) जांच और रिपोर्ट

(ii) चार्जशीट तैयार करना

(iii) सीटीई प्रकार की गहन परीक्षा आयोजित करना

इस प्रशिक्षण में शामिल फैकल्टी में सीवीसी और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे। नव नियुक्त सहायक आयुक्तों और सामाजिक सुरक्षा सहायकों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे इसे अपने भविष्य के पदस्थापन और कार्यों में प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें।

4. **संपर्क गतिविधियाँ:** फ़ील्ड ऑफिस स्तर पर विभिन्न पहलों को लागू किया गया, जिनमें हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से ईपीएफओ के "निधि आपके निकट" जिला आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सेमिनार, कार्यशालाएँ, पैनल चर्चाएँ और शिकायत निवारण (ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों में) आयोजित किए गए।सार्वजनिक जागरूकता गतिविधियों के रूप में, विभिन्न स्थानों पर स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम सभाओं के लिए

प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, ताकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का संदेश फैलाया जा सके। फ़ील्ड ऑफिस स्तर पर सतर्कता जागरूकता और साइबर हाइजीन पर क्विज़ भी आयोजित किए गए।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रदान की गई थीम को दर्शाने वाले बैनर मुख्यालय और सभी फ़ील्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए गए। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के विषय और संदेश को प्रचारित किया जा सके और अभियान अवधि के दौरान ईपीएफओ द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों को जनता तक पहुँचाया जा सके।

5. **समापन समारोहः** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन मुख्यालय में 03.11.2025 को एक समापन समारोह के साथ सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने की। इस अवसर पर सप्ताह भर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

20.22 सूचना सेवा प्रभाग

ईपीएफओ के सूचना सेवा (आईएस) प्रभाग ने जनवरी–दिसंबर 2025 के दौरान, ईपीएफओ के आईटी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, सिस्टम निष्पादन को बेहतर बनान, डेटा सुरक्षा में सुधार करने और नागरिक–केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कई पहल की। इन पहलों में **साइट्स 2.01** कार्यक्रम के तहत वितरित विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सेवा वितरण, सिस्टम रेजिलिएंस और उपयोगकर्ता अनुभव को मजबूत करना है।

2. प्रमुख आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा

- **डेटाबेस अपग्रेडः** यूनिफाइड पोर्टल डेटाबेस को **ओरेकल 12सी** से 19सी में अपग्रेड किया गया, जिससे व्यस्ततम ईसीआर फाइलिंग अवधि के दौरान कार्यक्षमता और कैशिंग दक्षता में सुधार हुआ।

फ़ायरवॉल और नेटवर्क सुरक्षाः

- नेक्सजेन फ़ायरवॉल (आईएलएल और एमपीएलएस) और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल सभी डेटा सेंटर (डीसी), डिजाज्टर रिकवरी (डीआर) साइट और नेशनल डेटा सेंटर (एनडीसी) में लगाए गए हैं।
- पालो–अल्टो फ़ायरवॉल मैनेजर को संस्करण 11.2.4–एच4 में अपग्रेड किया गया

20.23 अनुपालन

बेहतर अनुपालन के लिए ईसीआर का नवीनीकरण

वेतन माह सितंबर 2025 से शुरू की गई नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक चालान–सह–रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली, जो निरंतरता के लिए ईसीआर फ़ील्ड प्रारूप को अपरिवर्तित रखते हुए देय की गणना में त्रुटियों को रोकने के लिए सिस्टम–आधारित सत्यापन और स्वचालित जांच प्रदान करती है, जबकि है।

यह प्रणाली मासिक अंशदान के साथ अनिवार्य भुगतान हेतु ब्याज की स्वचालित गणना को सक्षम बनाती है और दंडात्मक नुकसानी की गणना और भुगतान का विकल्प प्रदान करती है। यह प्रणाली अनुक्रमिक माह–वार दाखिल और कई प्रकार के रिटर्नकृसक्रिय कर्मचारियों के लिए नियमित रिटर्न दाखिल करने के बाद सदस्यों को जोड़ने के लिए पूरक रिटर्न और पूर्व में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने में सहायक है । नियोक्ताओं को पूर्ण भुगतान, आंशिक भुगतान या प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार, ब्याज और नुकसानी के लिए अलग–अलग चालान जैसे लचीले भुगतान विकल्प चुनने की अनुमति है।

संशोधित ईसीआर (ईसीआर) रिटर्न दाखिल करने को भुगतान प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से अलग करता है ताकि मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जा सके और भविष्य में होने वाली चूक को रोका जा सके। धारा 7क्यू के तहत अनिवार्य ब्याज भुगतान लागू करके और स्वचालित सत्यापन का उपयोग करके, यह सटीक भुगतान सुनिश्चित करता है और गैर–अनुपालन के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है। यह प्रणाली 58 वर्ष से अधिक आयु

के सदस्यों के लिए पेंशन निधि में गलत योगदान को भी रोकती है, सिवाय उन मामलों के जहां आस्थगित पेंशन लागू होती है। कुल मिलाकर, नवीनीकृत ईसीआर स्थापनाओं के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाता है और सदस्यों और पेंशनभोक्ताओं के लिए सटीकता, अनुपालन और जीवन यापन में आसानी में सुधार करता है।

कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी 2025)

ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को उन पात्र कर्मचारियों को, जो 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए थे, स्वेच्छा से नामांकित करने के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करने और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत उनके पिछले अनुपालन को नियमित करने हेतु कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया है।

ईईसी–2025 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह अभियान 6 महीने के लिए चालू है, यानी 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक।
- यह सभी स्थापनाओं के नियोक्ताओं को स्वेच्छा से योग्य कर्मचारियों को जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफ कवरेज से बाहर रह गए, नामांकित करने के लिए एक बार की सुविधा प्रदान करता है,
- ऐसे घोषित कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी का भाग माफ कर दिया जाता है, यदि ऐसे भाग को वेतन से नहीं काटा जाता है।
- नियोक्ता से नियोक्ता के भाग, ब्याज (धारा 7क्यू), प्रशासनिक प्रभार और प्रति स्थापनाओं 100 रुपए की दंडित नुकसानी के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।
- सभी स्थापनाएं योजना में भाग ले सकते हैं, भले ही वे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7ए, क.भ.नि योजना के पैरा 26बी, या क.पें.यो., 1995 के पैरा 8 के तहत जांच का सामना कर रहे हों।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सभी के लिए क.भ.नि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पूर्व रिकॉर्ड को नियमित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। उम्मीद है कि इस अभियान से कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगा और नियोक्ता न्यूनतम लागत और कानूनी बोझ के साथ पूर्व रिकॉर्ड को नियमित कर सकेंगे, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

वर्ष 2025–26 (31–12–2025 तक) के दौरान किए गए आकलन:

वर्ष 25–26 के दौरान (31.12.2025 तक) अधिनियम की धारा 7ए के तहत आकलन के कुल 2079 मामलों को अंतिम रूप दिया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान 28842 दांडिक नुकसानी लगाई गई हैं।

20.24 सम्मेलन

केंद्रीय न्यासी बोर्ड

केंद्रीय बोर्ड (क.भ.नि.) अधिनियम की धारा 5ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक त्रिपक्षीय सांविधिक निकाय है। इसके पास अधिनियम और अधिनियम के तहत तैयार की गई तीन योजनाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, भारत सरकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड का कार्यकाल पांच साल का है।

बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:

अध्यक्ष	01
उपाध्यक्ष	01
सह-उपाध्यक्ष	01
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सदस्य सचिव (पदेन)	01
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि	05
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	15
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	10
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	10
कुल	**44**

केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- बार्ड को सौंपी गई निधियों का प्रशासन।
- योजनाओं के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यकतानुसार प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।
- आय और व्यय के खातों का निर्धारित प्रारूप और तरीके से रखरखाव।
- लेखापरीक्षित लेखों (सीएजी की टिप्पणियों सहित) और क.भ.नि.सं. की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12.01.2024 को केंद्रीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे पांच वर्ष की अवधि के लिए 25.04.2024 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया।

जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान, केंद्रीय बोर्ड की दो बैठकें 10.02.2024 (235वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड) और 30.11.2024 (236वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड) को आयोजित की गईं और, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, केंद्रीय बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गईं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक 28.02.2025 को और केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं केंद्रीय बैठक 13.10. 2025 को आयोजित की गई।

कार्यकारी समिति, केंद्रीय बोर्ड (क.भ.नि.)

कार्यकारी समिति एक सांविधिक समिति है, जिसका गठन केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5एए के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय न्यासी बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना है। कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष और छह माह होता है। हालांकि, कोई सदस्य तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाती। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से की जाती है। धारा 5एए के अनुसार, कार्यकारी समिति का गठन इस प्रकार है: –

अध्यक्ष	01
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सदस्य सचिव (पदेन)	01
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि	02
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	03
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	03
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	03
कुल	**13**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5एए के तहत कार्यकारी समिति का पुनर्गठन 27.09.2024 को किया गया था।

जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान कार्यकारी समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

बैठक संख्या	**बैठक की तिथि**
109वीं कार्यकारी समिति	08.11.2024
110वीं कार्यकारी समिति	16.12.2024

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, कार्यकारी समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

बैठक संख्या	**बैठक की तिथि**
111वीं कार्यकारी समिति	18.01.2025
112वीं कार्यकारी समिति	25.02.2025
113वीं कार्यकारी समिति	28.03.2025
114वीं कार्यकारी समिति	10.07.2025
115वीं कार्यकारी समिति	19.12.2025

20.25 वसूली

वसूली प्रभाग द्वारा वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित नई पहलें की गईं:

(i) कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) और परिसमापन के अंतर्गत मामलों की मॉनिटरिंग के लिए 17.03.2025 को एक समर्पित आईबीबीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

(ii) आंचलिक कार्यालयों/मुख्यालय द्वारा आरआरसी की आवधिक समीक्षा की जा रही है, जिसमें उच्च मूल्य वसूली मामलों और एनआईआर मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(iii) निरंतर प्रयासों द्वारा एनआईआर मामलों को आईआर श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है।

(iv) 28.02.2025 को आयोजित 237वीं बैठक में कें.न्या. बो द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार बकाया मांग की वसूली की निगरानी और सुविधा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यबल का गठन किया गया है।

20.26 विधि

क.भ.नि.सं. के प्रचालन की व्यापकता और जटिलता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के प्रशासन में कानूनी विवाद अंतर्निहित हैं, । ऐसे विवाद आमतौर पर सांविधिक कवरेज, देय राशि के निर्धारण एवं वसूली, ब्याज एवं नुकसानी की वसूली, विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत न्यायनिर्णय, प्रक्रियात्मक अनुपालन, पात्रता एवं लाभों के निर्धारण तथा योजना के प्रावधानों, अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों की व्याख्या से संबंधित मुद्दों के कारण उत्पन्न होते हैं और यह स्थापना एवं सदस्य दोनों ही द्वारा दायर किए जाते हैं।

मुकदमेबाजी प्रबंधन में एकरूपता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, ईपीएफओ ने एक व्यापक कानूनी ढांचा दस्तावेज (एलएफडी) लागू किया है, जिसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 29–30 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 231वीं बैठक में अनुमोदित किया। एलएफडी मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, और मामले की शुरुआत, दलीलें, कानूनी प्रतिनिधित्व, निगरानी, न्यायिक निदेशों का अनुपालन, और अपील और वापसी से संबंधित निर्णयों के लिए प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है। इसके कार्यान्वयन से संरचित प्रक्रियाओं और डेटा–आधारित निगरानी के माध्यम से क.भ.नि.सं. में मुकदमेबाजी प्रबंधन को व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसमें कानून के एक समान अनुप्रयोग, प्रभावी परामर्श प्रबंधन और अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने पर जोर दिया गया है, जिससे एक जिम्मेदार और कुशल वादी के रूप में क.भ.नि.सं. की भूमिका मजबूत हो रही है।

<u>उच्चतम न्यायालय में प्रदर्शन:</u>

सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की पैरवी मुख्यालय के विधि प्रभाग द्वारा सीधे की जाती है। वर्ष के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में क.भ.नि.सं. का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

वर्ष 2025	निर्णीत मामलों की कुल संख्या	पक्ष में निर्णय लिए गए	के विरुद्ध निर्णय लिए गए	वापस किए गए
01.04.2024-31.03.2025	28	12 (42.85%)	15 (53.57%)	1 (3.57%)

<u>उच्च न्यायालयों में मामले: –</u> इस अवधि के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 3092 मामलों पर निर्णय लिया गया।

वर्ष 2025	निर्णीत मामलों की कुल संख्या	पक्ष में निर्णय लिए गए	के विरुद्ध निर्णय लिए गए	वापस किए गए
01.04.2024-31.03.2025	3092	2463 (79.66%)	490 (15.85%)	139 (4.49%)

विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्रम.सं.	श्रेणी	कुल कार्यभार (दिनांक 01.04.2024 तक)	वर्ष के दौरान जोड़े गए कुल मामले	वर्ष के दौरान निर्णय लिए गए			वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल मामले	सी.बी. दिनांक (31.03.2025) को
				के विरुद्ध	पक्ष में	वापस भेजें		
1	सुप्रीम कोर्ट के मामलों की स्थिति	80	40	15	12	1	28	92
2	उच्च न्यायालय के मामलों की स्थिति	11385	3056	490	2463	139	3092	11349
3	जिला न्यायालय के मामलों की स्थिति	5694	919	158	752	8	918	5695
4	राष्ट्रीय आयोग के मामलों की स्थिति	50	34	23	9	1	33	51
5	राज्य आयोग के मामलों की स्थिति	1873	143	40	961	4	1005	1011
6	जिला उपभोक्ता फोरम के मामलों की स्थिति	3013	392	111	496	5	612	2793
7	कें.प्र.अ. मामलों की स्थिति	391	140	28	91	4	123	408
8	सीजीआईटी मामलों की स्थिति	8847	1623	133	631	139	903	9567
9	अन्य	60	37	2	25	0	27	70
	कुल	**31393**	**6384**	**1000**	**5440**	**301**	**6741**	**31036**

*****

अध्याय 21 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

21.1 भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

भारत 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अस्तित्व में आने के बाद से ही इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और 1922 से आईएलओ शासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। आईएलओ की एक अनूठी विशेषता इसकी त्रिपक्षीय स्वरूप है। संगठन में हर स्तर पर, सरकारें दो अन्य सामाजिक भागीदारों, अर्थात् श्रमिकों और नियोक्ताओं से जुड़ी होती हैं। आईएलओ के तीन अंग हैं:

(1) **अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन** – आईएलओ की महासभा जिसकी हर साल जून के महीने में बैठक होती है,

(2) **शासी निकाय** – आईएलओ की कार्यकारी परिषद जिसकी एक वर्ष में तीन बार अर्थात् मार्च, जून और नवंबर के महीनों में बैठक होती है

(3) **अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय** – एक स्थायी सचिवालय।

21.2. आईएलओ को मुख्य रूप से सदस्य राज्यों से प्राप्त अंशदान से वित्तपोषित किया जाता है। आईएलओ का कुल बजट एसएफ381505000 है। आईएलओ बजट उद्देश्य के लिए कैलेंडर वर्ष का अनुसरण करता है और सदस्य शहरों की सरकारों द्वारा वार्षिक योगदान का भुगतान उस पैमाने के अनुसार किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन साल–दर–साल आधार पर संयुक्त राष्ट्र के आकलन के पैमाने के अनुरूप तय करता है। वर्ष 2026 के लिए, भारत के अंशदान का हिस्सा एसएफ4184778 है। भारत ने हमेशा आईएलओ को वार्षिक अंशदान का समय पर भुगतान किया है।

21.3 भारत और आईएलओ के बीच एक स्थायी और जीवंत संबंध है जो वर्षों से घनिष्ठ और गतिशील सहयोग से परिलक्षित होता है। भारत ने आईएलओ के उद्देश्यों, विचार प्रक्रियाओं, विचार–विमर्श और कार्यप्रणाली की शैली की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

21.4 भारत द्वारा अनुसमर्थन

भारत ने 47 अभिसमयों और एक प्रोटोकॉल अनुसमर्थन किया है जिसमें छह मूल / मौलिक अभिसमय शामिल हैं, अर्थात्, बलात श्रम अभिसमय (सी–29), समान पारिश्रमिक अभिसमय (सी–100), बलात श्रम अभिसमय का उन्मूलन अभिसमय (सी–105), भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय (सी–111), न्यूनतम मजदूरी अभिसमय, 1973 (सी–138) और बाल श्रम अभिसमय के सबसे विकृत रूप, 1999 (सी–182), और तीन प्राथमिकता / शासन अभिसमय, यथा श्रम निरीक्षण अभिसमय (सं. 81), रोजगार और सामाजिक नीति अभिसमय (सं 122) और त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक)।

21.5. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 353वाँ सत्र

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय का 353वाँ सत्र 10.03.2025 से 20.03.2025 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इस मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री सुमिता डावरा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा किया गया। जेनेवा में आयोजित इस बैठक में डॉ. प्रदीप कुमार जेना, निदेशक, श्री प्रशांत बैजल, संयुक्त निदेशक और श्री राकेश गौर, उप निदेशक ने भी भाग लिया।

21.6. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 113वाँ सत्र

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 113वाँ सत्र 02–13 जून 2025 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया।

श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री वंदना गुरनानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जेनेवा में आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में श्री आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार; श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव; सुश्री अंजली रावत, उप महानिदेशक; डॉ. प्रदीप खसनोबिस, उप महानिदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय); श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक; डॉ. प्रदीप कुमार जेना, निदेशक; सुश्री श्रीविद्या, वरिष्ठ सहायक उपाध्यक्ष (इन्वेस्ट इंडिया); उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के प्रतिनिधि; श्री प्रशांत बैजल, संयुक्त निदेशक और श्री राकेश गौर, उप निदेशक के साथ–साथ श्रमिक समूहों और नियोक्ता समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे।

सम्मेलन के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार द्वारा किए गए हालिया श्रम सुधारों, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और प्रगतिशील नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला। आईएलओ (आईएलओ) नेतृत्व और कई सदस्य देशों के साथ प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में गरिमापूर्ण कार्य, अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक दायरे में लाना और वैश्विक कौशल अंतराल मानचित्रण पर द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। इन वार्ताओं का केंद्र आईएलओ के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने और डिजिटल गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन तथा समावेशी एवं अभिनव दृष्टिकोणों के माध्यम से रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर रहा।

21.7. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 354वाँ सत्र

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय का 354वाँ सत्र 14 जून, 2025 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव और श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक ने जेनेवा में आयोजित इस शासी निकाय की बैठक में भाग लिया।

21.8. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय का 355वाँ सत्र

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय का 355वाँ सत्र 17 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। सचिव (श्रम एवं रोजगार) सुश्री वंदना गुरनानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जेनेवा में आयोजित आईएलओ के शासी निकाय के 355वें सत्र में भाग लिया। श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव; श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक; श्री प्रशांत बैजल, संयुक्त निदेशक और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

आईएलओ शासी निकाय के 355वें सत्र के दौरान, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बदलते बहुपक्षीय परिवेश में संगठन को कुशल, गतिशील और लचीला बनाए रखने के लिए इसे सुदृढ़ करने के प्रति अपना पुरजोर समर्थन व्यक्त किया। साथ ही, डिजिटल परिवर्तन, एआई, जलवायु परिवर्तन और वेतन नीतियों जैसे उभरते मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र की ओर संक्रमण, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और प्रौद्योगिकी–संचालित शासन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख राष्ट्रीय सुधारों पर प्रकाश डाला और समानता एवं समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए 'सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन' (ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस) का एक प्रमुख मंच के रूप में स्वागत किया। भारत ने अनुसमर्थित सम्मेलनों पर रिपोर्टिंग को सरल बनाने का भी समर्थन किया और निष्पक्ष एवं साक्ष्य–आधारित वेतन नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, कौशल, रोजगार क्षमता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए आईएलओ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गईं।

21.9. ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की पहली बैठक

ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की पहली बैठक 12–13 फरवरी 2025 को

वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया, जिसमें श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक शामिल थे।

21.10. ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की दूसरी बैठक

ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की दूसरी बैठक 27–28 फरवरी 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री एस.वी. रमण, उप सचिव और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने इस बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

21.11. ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की तीसरी बैठक

ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की तीसरी बैठक 03–04 अप्रैल 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने इस बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

21.12. ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की चौथी बैठक

ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की चौथी बैठक 22–23 अप्रैल 2025 को ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सुश्री अंजलि रावत, उप महानिदेशक (डीजीई) और श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कार्य जगत में न्यायसंगत परिवर्तन जैसे विषय थे।

21.13. ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम)

ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम) 25 अप्रैल, 2025 को ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित की गई थी। इस बैठक में माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, श्री वप्रसाद रेड्डी (श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव), सुश्री अंजलि रावत (उप महानिदेशक, डीजीई) और श्री चमन लाल गुलेरिया (निदेशक) ने भाग लिया।

घोषणापत्र के माध्यम से ब्रिक्स राष्ट्र निम्नलिखित विषयों के लिए प्रतिबद्ध हैं:

1. समावेशी एआई नीतियों को बढ़ावा देना जो नवाचार और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखें।
2. निष्पक्ष जलवायु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को आगे बढ़ाना।
3. श्रम शासन, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों के सृजन पर दक्षिण–दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।

21.14. जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की पहली बैठक

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के तहत, रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 18–21 फरवरी 2025 को गेकेबरहा (पोर्ट एलिजाबेथ), दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सुश्री सुमिता डावरा, सचिलिया।

21.15. जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की दूसरी बैठक

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के तहत, जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की दूसरी बैठक 8 से 11 अप्रैल, 2025 तक डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक शामिल हुए।

21.16. जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की तीसरी बैठक

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के तहत, जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की तीसरी बैठक 29 से 30 मई, 2025 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्री अजय शर्मा, संयुक्त सचिव और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने भाग लिया

21.17. जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की चौथी बैठक

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के तहत, जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) की चौथी बैठक 28 से 29 जुलाई 2025 तक जॉर्ज, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने जॉर्ज, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित इस बैठक में भाग लिया।

21.18. जी20 उद्यमिता गोलमेज सम्मेलन 2025

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के तहत, जी20 उद्यमिता गोलमेज सम्मेलन 2025 का आयोजन 4 से 5 नवंबर, 2025 को वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में श्री अकीब जावेद, निदेशक (डीजीई) ने भाग लिया।

21.19 जी–20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम)

दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जी–20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन 30 से 31 जुलाई 2025 तक जॉर्ज, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस बैठक में भारत के उच्चायोग के राजदूत और श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक ने जॉर्ज, दक्षिण अफ्रीका में भाग लिया।

जी–20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान, सदस्य देशों ने 2025 श्रम एवं रोजगार मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया, जो चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित थीः समावेशी विकास, रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना; कार्यबल में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना; असमानता को दूर करना और उचित श्रम आय सुनिश्चित करना; तथा भविष्य के समावेशी कार्य परिवेश के लिए डिजिटलीकरण के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना। दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने देश की परिवर्तनकारी नीतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए दो प्रमुख वक्तव्य दिए। प्रतिनिधिमंडल ने बाल देखभाल बुनियादी ढांचे के विस्तार और कौशल विकास के माध्यम से 2047 तक महिला कार्यबल की भागीदारी 70% तक पहुंचाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। समावेशी विकास और युवा सशक्तिकरण पर भारत ने अपनी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इन वक्तव्यों ने वैश्विक स्तर पर सभ्य कार्य और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने हेतु डिजिटल नवाचार, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक–उत्तरदायी नीतियों का लाभ उठाने में भारत के नेतृत्व को रेखांकित किया।

21.20. माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 सितंबर से 03 अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच (डब्लूएसएएफ) में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में श्री अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक (ईएसआईसी); श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी); सुश्री अपराजिता जग्गी, अपर केंद्रीय आयुक्त (ईपीएफओ); श्री जय प्रकाश शर्मा, संयुक्त निदेशक (ईएसआईसी) और श्री हिमांशु पाठक, माननीय मंत्री के अपर निजी सचिव शामिल थे। भारत को 'सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि' के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने में भारत की व्यापकता, समावेशिता और निरंतर प्रगति की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है।

21.21. द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (डब्लूएसएसडब्लू–2)

श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4–6 नवंबर 2025 तक दोहा, कतर में आयोजित द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (डब्लूएसएसडब्लू –2) में भाग लिया। इस आयोजन के दौरान, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को व्यापक रूप से सराहा गया।शिखर सम्मेलन की उद्घाटन पूर्ण बैठक में, माननीय मंत्री ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया और विश्व नेताओं के साथ मिलकर 'दोहा राजनीतिक घोषणापत्र' को

अपनाया। माननीय मंत्री ने "सामाजिक विकास के तीन स्तंभों को मजबूत करना: गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार तथा गरिमापूर्ण कार्य, और सामाजिक समावेशन" विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने समावेशी और डिजिटल रूप से सक्षम विकास की दिशा में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा साझा की, जो गरिमापूर्ण कार्य और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। माननीय मंत्री ने आईएलओ द्वारा आयोजित 'सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन' के स्पॉटलाइट सत्र में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, मॉरीशस और यूएन–इस्कैप (यूएनईएससीएपी) के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों ने कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डिजिटल गवर्नेंस में सहयोग के नए रास्ते खोले।

21.22. अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का सुदृढ़ीकरण और विस्तारः चुनौतियाँ और नवाचार" पर तकनीकी संगोष्ठी

20–21 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में "अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का सुदृढ़ीकरण और विस्तारः चुनौतियाँ और नवाचार" विषय पर एक तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के सहयोग से किया गया था। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने इस तकनीकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस विचार–विमर्श में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों, विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, तथा श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।व (श्रम एवं रोजगार), श्री रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव और श्री पीयूष कुमार पाठक, उप निदेशक ने भाग लिया।

21.23. सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के नेतृत्व वाले 'सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन' के तत्वावधान में और 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के 74वें स्थापना दिवस' के उपलक्ष्य में 24–25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में "सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद" का आयोजन किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र से गठबंधन के समन्वय समूह के सदस्य के रूप में, भारत ने इस गठबंधन के माध्यम से वैश्विक श्रम और रोजगार परिप्रेक्ष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी क्रम में, भारत ने इस गठबंधन के तत्वावधान में अब तक के पहले क्षेत्रीय संवाद के आयोजन का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम का विषय गठबंधन का एक प्रमुख हस्तक्षेपकृ"सतत और समावेशी समाजों के लिए उत्तरदायी व्यवसाय" था, जिसका भारत ने समर्थन और नेतृत्व करने का निर्णय लिया है।

इस संवाद में एशिया–प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें गठबंधन के भागीदार, विभिन्न देशों की सरकारें, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, नियोक्ता और श्रमिक संगठन, शिक्षाविद और उद्यम, अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञ तथा ईएसआईसी के सदस्य और अधिकारी शामिल थे।

21.24. व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण' को बढ़ावा देने हेतु आईएलओ के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार ने 'व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण' को उन्नत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने भारत सरकार और आईएलओ के बीच इस सहयोग हेतु आयोजित हस्ताक्षर समारोह में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। इस समझौता ज्ञापन पर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिंदम बागची तथा आईएलओ के महानिदेशक श्री गिल्बर्ट एफ. होंगबो ने हस्ताक्षर किए। 16 सितंबर, 2025 को हस्ताक्षरित यह समझौता ज्ञापन कौशल और योग्यता आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के विकास हेतु 'संभाव्यता अध्ययन' का समर्थन करने के लिए है। यह पहल 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी20 रोजगार कार्य समूह

की बैठकों के परिणामों की निरंतरता के रूप में की गई है।

21.25. भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएल ओ) के नवीनतम आईएलओएसटीएटी डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के इस विस्तार को डिजिटल और वित्तीय समावेशन की मजबूत नींव से बल मिला है। जन धन के तहत बैंक खातों का कवरेज, आधार–आधारित पहचान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के समन्वय ने लाभार्थियों तक लाभों को त्वरित और पारदर्शी रूप से पहुँचाना संभव बनाया है।

इस संदर्भ में, भारत को सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के प्रयासों के लिए 'सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आईएसएसए पुरस्कार 2025' से भी सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अज़मान द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित 'विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच' के समापन के दौरान प्रदान किया गया। माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मलेशिया में आयोजित आईएसएसए विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच पर यह पुरस्कार ग्रहण किया।

21.26. कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

- सुश्री दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव और श्री के. सी. साहू, उप निदेशक ने 25–27 फरवरी 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड में प्रोटोटाइप केस मैनेजमेंट सिस्टम पर आईएलओ की 'दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग' कार्यशाला में भाग लिया;
- डॉ. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव ने 30.04.2025 से 02.05.2025 तक वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आईएलओ के 'साउथ 4–केयर लर्निंग हब' में भाग लिया;
- श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव एवं मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने 28–29 जुलाई 2025 तक कोलंबो, श्रीलंका में प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर आईएलओ की नियोक्ताओं की बैठक में भाग लिया;
- श्री आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव एवं मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने 01–05 सितंबर, 2025 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में रेलवे क्षेत्र में 'गरिमापूर्ण कार्य' पर आईएलओ की तकनीकी बैठक में भाग लिया;
- डॉ. शिखा आनंद, निदेशक (रोजगार), डीजीई और श्री सविंद्र सिंह, सहायक निदेशक, डीजीई ने 02–05 सितंबर 2025 तक काठमांडू, नेपाल में यूनिसेफ के 'एशिया–पैसिफिक केयर लर्निंग वीक' में भाग लिया;
- श्री शिवकांत कुमार, उप सचिव ने 14–15 सितंबर 2025 तक सोची, रूस में 'ब्रिक्स ओएसएच नेटवर्क' की बैठक में भाग लिया;
- श्री अकीब जावेद, निदेशक, डीजीई ने 14–18 सितंबर 2025 तक दोहा, कतर में आईएलओ के 'साउथ 4–केयर लर्निंग हब' में भाग लिया;
- श्री सुप्रिया रंजन दत्ता, उप सचिव ने 15–17 सितंबर, 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आईएलओ के "कार्य की बदलती दुनिया में लचीली आपूर्ति श्रृंखला और न्यायसंगत विकासः एशिया और प्रशांत में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देना" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया;
- सुश्री ऋचा शर्मा, निदेशक ने 22–25 सितंबर 2025 तक वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में विश्व बैंक के 'बिजनेस रेडी एक्सरसाइज' में भाग लिया;

- श्री अजोय शर्मा, संयुक्त सचिव ने 27–29 अक्टूबर 2025 तक फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क पर जीआईजेड द्वारा आमंत्रित 'सोशल प्रोटेक्शन सॉल्यूशन लैब' में भाग लिया

- श्री सुमित रॉय, उप महानिदेशक (डीडीजी), डीजीएफ़एएसएलआई, श्री मिन्हाज अहमद, उप सचिव, श्री रमेश सिंह रावत, निदेशक, डीजीएफ़एएसएलआई, श्री राजीव झा, अवर सचिव, श्री हरि ओम गौतम, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और श्री प्रकाश, सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने 09–20 नवंबर 2025 तक जापान में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आयोजित जेआईसीए कार्यक्रम में भाग लिया;

- श्री चमन लाल गुलेरिया, निदेशक और श्री विपिन शर्मा, सहायक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एसीसी), ईपीएफओ ने 18–20 नवंबर 2025 तक लंदन, यूके में भारत–यूके 'डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन' (डीसीसी) में भाग लिया;

- सुश्री अंजली रावत, उप महानिदेशक (रोजगार), डीजीई ने 27–28 नवंबर 2025 तक मास्को, रूस में गतिशीलता समझौते पर भारत और रूस के बीच हुई वार्ताओं में भाग लिया।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और 'व्यापार एवं सतत विकास' (टीएसडी) अध्याय पर चर्चा की। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए कि टीएसडी अध्याय में श्रम–संबंधी प्रावधान भारत के नीतिगत दायरे के अनुरूप और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुकूल हों।

*****

अध्याय 22

प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का लेखांकन संगठन

22.1 सचिव, मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं तथा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएसएण्डएफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेखा संगठन के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं जिनके सहायतार्थ लेखा–नियंत्रक, उप लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय तथा 7 वेतन एवं लेखा कार्यालय होते हैं। संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:–

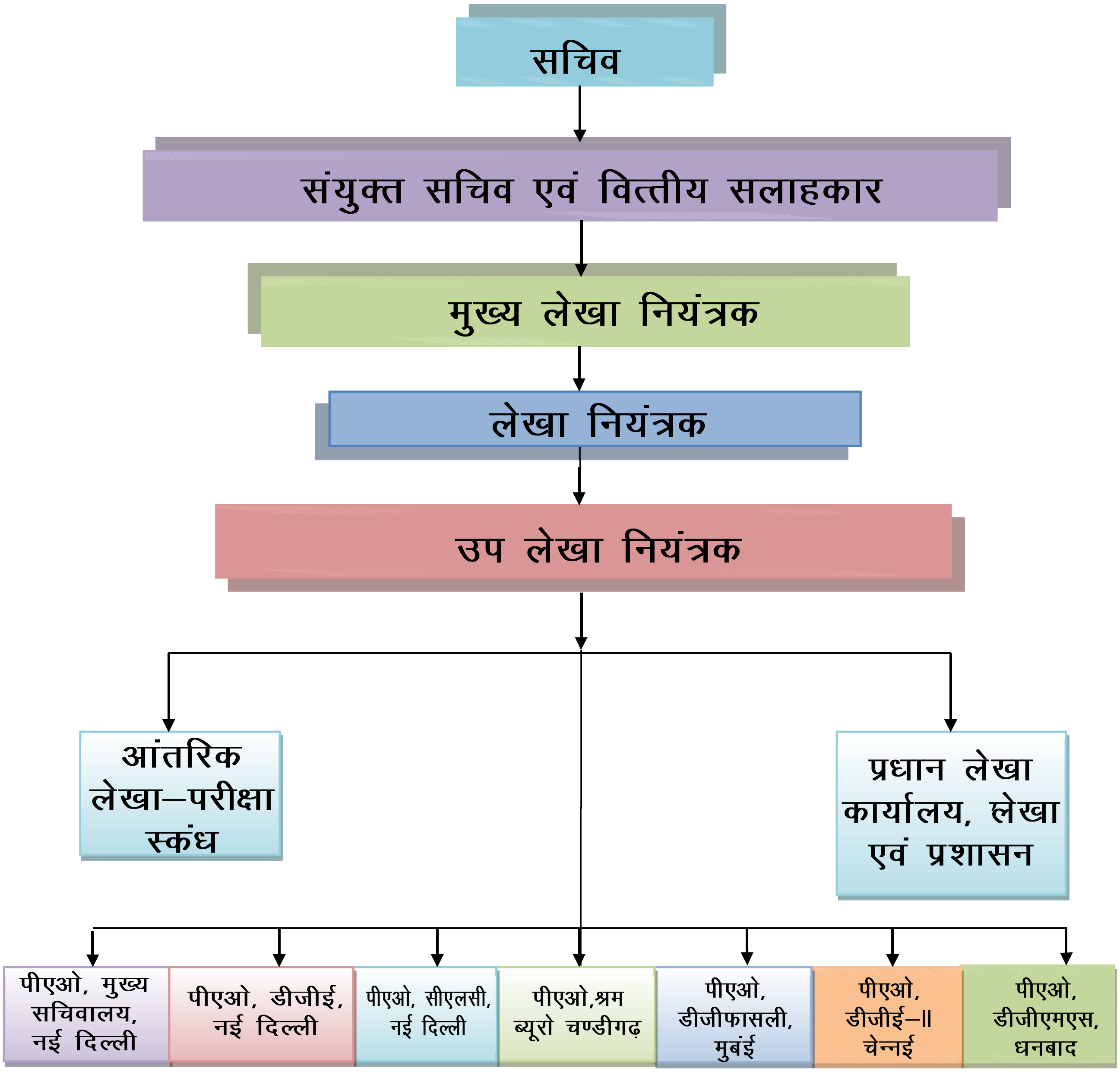

22.2 मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय द्वारा की गई प्रमुख पहलें/कार्य

1. आंतरिक लेखा परीक्षा

सामान्य वित्तीय नियम 236(1) के अनुसार, प्रधान लेखा कार्यालय का लेखा–परीक्षा स्कंध अनुदानप्राप्त करने वाले संस्थानों की लेखा–परीक्षा कराता है तथा इसके साथ ही नियमित लेखा–परीक्षा कराना प्रधान लेखा कार्यालय (मुख्यालय) का कर्तव्य है।

2. अनुदान सहायता

मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न संगठनों को सामान्य वित्तीय नियम–2017 के नियम 228 से 245 के अनुसार पूरे देश में विभिन्न श्रम कल्याण गतिविधियों के लिए अनुदान–सहायता जारी की।

3. उपयोगिता प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 238 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, स्वायत्त निकायों, गैर–सरकारी संस्थाओं, और अन्य संगठनों आदि को जारी अनुदानों के संबंध में अनुदानों के उपयोग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय तत्परता के साथ विभिन्न प्रभागों से लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की मोनिट्रिंग कर रहा है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना सभी ब्यूरो प्रमुखों को भेजी जा रही है तथा आवश्यक अद्यतन हेतु सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा भी की गई।

4. लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की योजनाओं के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सार्वभौम शुरूआत के संबंध में बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में समय–सारणी के अनुसार सभी कार्यक्रम प्रभागों को लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में लोक वित्त प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) मोनिट्रिंग प्रकोष्ठ का गठन किया। पीएफएमएस के उपयोग को सर्वव्यापी बनाने के लिए पीएफएमएस में सीडीडीओ मॉड्यूल भी श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी सीडीडीओ में कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में है।

सभी योजनाओं की अच्छी तरह से समीक्षा की जाती है। पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन हेतु पदानुक्रम घटकों की मैपिंग की गई है। आईटीडी, सीजीए कार्यालय द्वारा जारी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

5. लेखों का मजबूत डिजिटलीकरण

श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभागीकृत लेखा संगठन में लेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया लेखा महानियंत्रक कार्यालय के मार्गदर्शन में मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार मंत्रालय कार्यालय द्वारा शुरू की गई। स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि प्रवाह बढ़ाने के लिए सीएनए, एसएनए और टीएसए जैसे विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यान्वयन जिससे सरकार उपलब्ध निधियों की मोनिट्रिंग और इसका उपयोग करने में सक्षम हो सके।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022–23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई–बिल) प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और डिजिटल इंडिया इको–सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस–पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ाएगा जो वास्तविक समय के आधार पर पता लगाने योग्य होगा। ई–बिल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी 7 पीएओ में कार्यान्वित किया गया है।

6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

चूंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय एक कल्याण–उन्मुख मंत्रालय है, इसलिए कई योजनाएं डीबीटी योजनाओं की श्रेणी में आती हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने अपने वेतन

और लेखा कार्यालयों के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा करने के लिए डीबीटी के तहत भुगतान किया। मंत्रालय में अधिकांश डीबीटी को ई–भुगतान कार्यक्षमता का उपयोग करके पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है ताकि लाभार्थियों के खातों में निधि के वितरण में किसी भी देरी से बचा जा सके।

7. ई–भुगतान प्रणाली का प्रक्रिया प्रवाह

ई–भुगतान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

उच्च सुरक्षा मानक और लेनदेन के सिस्टम लॉग।

पीएओ के एप्लिकेशन्स में प्रभावी ई–भुगतान के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं:

- 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन
- सूचना की अखंडता: हैश एल्गोरिथम एसएचएआई): पीएओ द्वारा बैंक को इंटरनेट पर दिए जा रहे डेटा की गोपनीयता, प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों को डिज़ाइन किया गया है।
- गैर–अस्वीकृति: आरबीआई द्वारा अनुशंसित 128 बिट पीकेआई (पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर) पर आधारित की जनरेशन / डिजिटल हस्ताक्षर
- प्रत्येक ई–भुगतान प्राधिकरण और समाधान की मदवार ट्रैकिंग के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई–भुगतान प्राधिकरण।

ई–भुगतान के लाभ

- डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित विशिष्ट ई–प्राधिकरण आईडी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन निधि अंतरण के कारण समय और प्रयास की बचत।
- भुगतान सुरक्षित मोड।
- भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेक और उनकी मैनुअल प्रोसेसिंग को हटाना।
- भुगतानों का ऑनलाइन ऑटो समाधान।
- लेखों का प्रभावी संकलन।
- किसी भी समय उपलब्ध सभी स्तरों पर लेनदेन का पूरा ट्रेल।

वर्तमान में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी 7 पीएओ पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, वेतन भुगतान के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस), ऑनलाइन जीपीएफ मॉड्यूल और ई–वे बिल को में सभी 7 पीएओ और उनके नियंत्रणाधीन डीडीओ में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

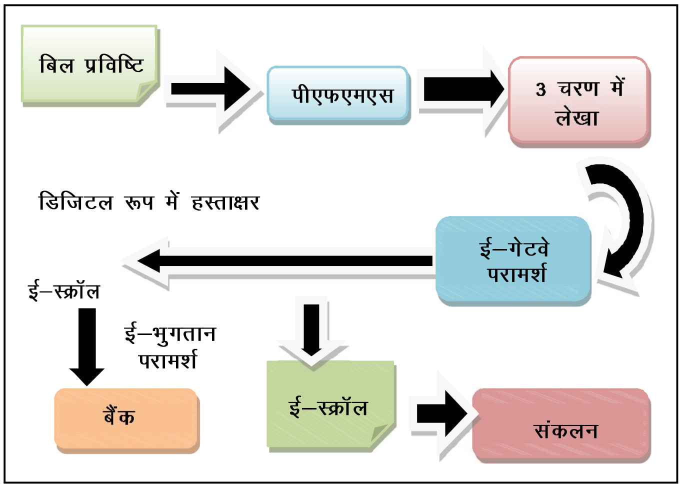

गैर–कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी)

- गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों / कॉर्पोरेट / अन्य उपयोगकर्ताओं को भारत सरकार (जीओआई) को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए वन–स्टॉप विंडो प्रदान करना है। भारत सरकार की गैर–कर प्राप्तियों का वार्षिक संग्रह 3 (तीन) लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
- भारत सरकार के गैर–कर राजस्व में प्राप्तियों का एक बड़ा संग्रह शामिल है, जो अलग–अलग विभागों / मंत्रालयों द्वारा एकत्र किया जाता है।

- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी परिवेश में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंकों में जाने और फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जमा करने की असुविधा से बचाएगा। यह सरकारी खातों में इनके प्रेषण में परिहार्य देरी में भी सहायता करता है और साथ ही बैंक खातों में इनके देरी से जमा करने में अवांछनीय कार्यों को समाप्त करता है।

- ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके एनटीआरपी पारदर्शी परिवेश में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एनटीआर पोर्टल दिनांक 01 नवंबर, 2016 से कार्य कर रहा है।

9. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल 1 और 1ए

व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) ने अपनी सितंबर 2015 की रिपोर्ट के पैरा 125 के तहत सिफारिश की है कि सरकारी ऋण की लागत को कम करने और स्वायत्त निकायों (एबी) को निधि प्रवाह में दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार को सभी एबी को टीएसए प्रणाली के तहत लाना अपेक्षित है।

स्वायत्त निकायों (एबी) को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के तहत लाने के लिए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 3/(06)/पीएफएमएस/2023 द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार एबी को टीएसए प्रणाली के तहत लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

टीएसए मॉडल 1: यह उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका एक वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक में खाता खोलने के लिए पात्र केवल दो स्तर की केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। एजेंसी, कोई केंद्रीय स्वायत्त निकाय/केंद्रीय पीएसयू उद्यम या राज्य सरकार की एजेंसी हो सकती हैं।

टीएसए मॉडल 1क (हाइब्रिड टीएसए): यह उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जहां शामिल उप–एजेंसी भा.रि.बैंक में खाता नहीं खोल सकती है अथवा सरकारी/निजी उप–एजेंसियों के दो से अधिक स्तर शामिल हैं और भा.रि.बैंक एजेंसियों के तीसरे और उससे नीचे के स्तर को खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है।

10. एसएनए मॉडल

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गईं निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर मोनिट्रिंग करने और फ्लोट को कम करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय विभाग ने सीएसएस के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

11. केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) – मॉडल 2

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, व्यय विभाग ने एबी को टीएसए प्रणाली के तहत लाने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं 3/(06)/ पीएफएमएस/2023 के माध्यम से जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, यह मोड 100 करोड़ रुपए से कम के बजट अनुमानों वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए लागू है, तथापि, मंत्रालय/विभाग ऐसी योजनाओं के लिए मॉडल 1/1ए का विकल्प चुन सकते हैं। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) नामित करेगा। सीएनए एक केंद्रीय नोडल खाता (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी कारोबार करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बचत बैंक खाता) खोलेगा। निचले क्रम में शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों को उप–एजेंसियों (एसए) के रूप में नामित किया जाएगा और वे स्पष्ट रूप से परिभाषित आहरण सीमाओं सहित सीएनए खातों का उपयोग करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक नजर में लेखा						
योजनावार व्यय (करोड़ रु में)						
क्र.सं.		बजट अनुमान 2024-25	संशोधित अनुमान 2024-25	वित्तीय अनुमान 2024-25	वास्तविक व्यय	वित्तीय अनुमान के संदर्भ में व्यय का %
(क)	**केंद्र का स्थापना व्यय**	693.75	659.28	657.73	643.00	97.76
(ख)	**केंद्रीय क्षेत्र योजना**					
1	श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसई) (एलओए के माध्यम से व्यक्तियों और एजेंसियों का भुगतान)	50.00	26.58	14.46	12.72	88.01
2	श्रम कल्याण योजना छात्रवृत्ति और आवास अनुदान के लिए डीबीटी के साथ राज्यों में विभिन्न कल्याण कार्यालयों को किया गया भुगतान)	50.68	50.68	44.53	40.27	90.43
3	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएफओ को किया गया भुगतान)	10950.00	10235.00	10235.00	10235.00	100.00
4	असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (असम चाय ईपीएफओ को किया गया भुगतान)	66.20	63.39	63.39	63.39	100.00
5	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (एलआईसी को किया गया भुगतान)	177.24	242.73	232.49	231.50	99.57
6	प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन (एलआईसी को किया गया भुगतान)	0.01	0.01	0.0006	0.000573	95.50
7	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ईपीएफओ को किया गया भुगतान)	150.00	0.00	0.00	0.00	-
8	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	0.00	0.68	0.68	0.6775	99.64
9	बंधुआ मजदूर	6.00	6.00	1.31	1.3065	99.67
10	असंगठित कामगार के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (तकनीकी सहायता के लिए एनआईसी को की गई व्यावसायिक सेवाओं के लिए किए गए भुगतान के साथ-साथ प्रधान लेखा अधिकारी के माध्यम से अड्वाइस के रूप में राज्यों को जीआईए)	176.84	26.93	25.15	24.50	97.40
11	नई रोजगार सृजन योजना (रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना)	10000.00	6799.43	0.25	0.16	65.80
12	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई मुख्यालय नागपुर को पीएओ के माध्यम से जीआईए के लिए इन काइन्ड डीबीटी सहित किया गया भुगतान)	117.00	103.26	103.26	103.26	100.00
13	राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई नोएडा को पीएओ के माध्यम से जीआईए के लिए इन काइन्ड डीबीटी सहित किया गया भुगतान)	15.15	14.65	14.65	14.42	98.40
14	अ.ज./अ.जजा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन (वजीफे के डीबीटी के साथ अलग-अलग संस्थानों को किया गया भुगतान)	20.60	20.60	20.60	18.87	91.59
15	राष्ट्रीय करियर सेवाएं (प्रधान लेखा अधिकारी के माध्यम से राज्यों को अड्वाइस के रूप में जीआईए के साथ पीएओ के माध्यम से अलग-अलग परामर्श एजेंसियों को किया गया भुगतान)	58.00	58.00	58.00	47.44	81.79
	कुल योग	**22531.47**	**18307.22**	**11471.50**	**11436.52**	**99.69**

*****

अध्याय 23 रोजगार महानिदेशालय

पृष्ठभूमि

23.1 विसैन्यीकृत रक्षा सेवा कार्मिकों और कार्यमुक्त किए गए युद्ध कार्मिकों के नागरिक जीवन में पुनर्वासन के लिए, पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएंडई) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) की स्थापना की गई थी जिसे अब रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के रूप में जाना जाता है।

23.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, महानिदेशालय को पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, वर्ष 1948 की शुरुआत में सभी श्रेणियों के रोजगार चाहने वालों को रोजगार सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य तथा वर्ष 1950 में सभी नागरिकों की प्रशिक्षण सेवाओं को निदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया गया था।

23.3 प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (वर्ष 1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में, दिनांक 01.11.1956 से रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण को, केन्द्र तथा राज्यों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया।

23.4 दिनांक 31.03.1969 तक केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के साथ प्रतिष्ठान की लागत पर होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत का लागत साझाकरण जारी रहा, जिसके बाद इस योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में लिए गए निर्णय के आधार पर बन्द कर दिया गया।

23.5 प्रत्येक उत्तरवर्ती वार्षिक योजना के साथ, केंद्र और राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा की गतिविधियों का विस्तार हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 1014 है (जिसमें 65 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो शामिल हैं)।

राज्य सरकारों के पास रोजगार सेवा हेतु उपलब्ध अवसंरचना :–

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे भारत में 1014 रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों (निःशक्तों) के लिए 40 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) कार्यरत हैं।
- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांगजनों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

23.6 वर्तमान में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) की अगुवाई महानिदेशक (रोजगार) द्वारा की जा रही है। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे में रोजगार निदेशालय तथा सचिवालय स्कंध नामक दो मुख्य स्कंध हैं।

इस महानिदेशालय के कामकाज से संबंधित सभी उपयोगी सूचना जैसे कार्य, योजनाएं, प्रकाशित रिपोर्ट/दस्तावेज, भर्ती नियम, रोजगार और बेरोजगारी के आंकडों से संबंधित रिपोर्टें, रिक्तियां, टेलीफोन निर्देशिका, डीजीई कर्मचारियों और कार्यालयों का ब्यौरा इत्यादि अभी हाल ही में विकसित की गई वेबसाइट (https://dge.gov.in/dge/) पर उपलब्ध है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस वेबसाइट के अप्रैल, 2022 में शुरू होने के बाद से दिनांक 31.12.2024 तक 1.22 करोड़ से अधिक हिट मिल चुके हैं जो उपयोगकर्ताओं की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

डीजीई ने दो रोजगार सृजन योजनाएं अर्थात पीएमआरपीवाई और एबीआरवाई भी लागू की हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

दिनांक 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) ने ईपीएफओ के माध्यम से तीन वर्षों के लिए नए कर्मचारियों (₹15,000/माह तक अर्जित करने वाले) के लिए पूर्ण 12% ईपीएफ और ईपीएस अंशदान का भुगतान करके नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया। इसका उद्देश्य अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में लाना था। योजना के लिए पंजीकरण दिनांक 31 मार्च 2019 को बंद हो गया।

2. शुरू में, सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में सभी क्षेत्रों के नियोक्ताओं के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान कर रही थी। इस योजना के लाभों को मेड–अप्स और परिधान क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के तहत कपड़ा क्षेत्र तक भी विस्तारित किया गया था, जहाँ सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के अतिरिक्त 3.67% ईपीएफ अंशदान का भुगतान कर रही थी, जिससे कुल प्रोत्साहन 12% हो गया। सीसीईए के अनुमोदन के साथ दिनांक 1.4.2018 से योजना के दायरे को बढ़ाया गया ताकि सभी क्षेत्रों के लिए पूर्ण 12% नियोक्ता अंशदान का लाभ प्रदान किया जा सके।

3. इस योजना का दोहरा लाभ था, जहाँ एक ओर नियोक्ता को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और दूसरी ओर, बड़ी संख्या में कामगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में नौकरियां मिलेंगी। एक सीधा लाभ यह है कि इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच होगी। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी आधार से जुड़े (आधार सीडेड) हैं।

4. दिनांक 2 अगस्त 2021 तक, पीएमआरपीवाई के तहत 1,21,69,960 लाभार्थियों को कवर करने वाले 1,52,900 प्रतिष्ठानों को कुल 9,155.85 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

एबीआरवाई की घोषणा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक हिस्से के रूप में अर्थव्यवस्था को गति देने, कोविड के बाद सुधार के चरण में रोजगार सृजन को बढ़ाने और कोविड–19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

2. एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार क्षमता के आधार पर दो साल की अवधि के लिए देय अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से (वेतन का 12%) और नियोक्ताओं के हिस्से (वेतन का 12%) दोनों को, या केवल कर्मचारियों के हिस्से को जमा कर रही थी। एबीआरवाई के तहत लाभ ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान और उनके नए कर्मचारियों (15,000/– रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले) को प्रदान किए गए थे, यदि प्रतिष्ठान 1.10.2020 को या उसके बाद और दिनांक 30 जून, 2021 तक नए कर्मचारियों को रखते हैं या वे लोग जिन्होंने दिनांक ने 01.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 के बीच अपनी नौकरी खो दी थी।

3. योजना के दायरे अर्थात् योजना के तहत नए कर्मचारियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को दिनांक 30.06.2021 को आयोजित अपनी बैठक में सीसीईए के अनुमोदन से दिनांक 30 जून 2021 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत लाभार्थी योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष तक लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे।

4. दिनांक 31 मार्च 2024 तक, एबीआरवाई के तहत 152517 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को कुल 10188.50 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। हालांकि, योजना के तहत दिनांक 31.03.2024 तक कुल पंजीकरण 7510968 है (और यह आंकड़ा योजना की समाप्ति तिथि अर्थात दिनांक 31.03.2022 से स्थिर बना हुआ है)।

5. दिनांक 31.03.2024 तक एबीआरवाई योजना का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्र. सं.	वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	लाभान्वित प्रतिष्ठानों की संख्या	कुल सवितरित राशि
1	2020-21	1297120	56225	351.07
2	2021-22	4191801	83208	4046.36
3	2022-23	545720	12684	4593.05
4	2023-24	14646	400	1198.02

उत्तरदायित्त्व रोजगार निदेशालय

- राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं निरूपित करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।
- रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा कर्मचारी प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करना।
- राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्य–पद्धतियों के मूल्यांकन का आवधिक कार्यक्रम संचालित करना जिसका उद्देश्य सेवा के प्रगामी विकास के लिए राज्य सरकारों का मूल्यांकन एवं परामर्श प्रदान करना और राष्ट्रीय नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- रोजगार बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार–प्रसार करना तथा संगठित क्षेत्र एवं रोजगार कार्यालयों के लिए समान रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं निर्धारित करना।
- बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त करियर के चयन एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स), एमसीसी के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं करियर परामर्श सेवा का समन्वय करना।
- निःशक्तता की बाकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भारत सरकार के जिन मंत्रालयों के कार्यकलाप देश में रोजगार की स्थिति को प्रभावित करते हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करना तथा उनसे परामर्श करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं अत्मविश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करना।

सांविधिक उपबंध

23.7 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) द्वारा प्रवर्तित किए गए सांविधिक उपबंध इस प्रकार हैं :–

- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम। रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के तहत कार्य कर रहे गैर–सांविधिक निकाय निम्नानुसार हैं:–

गैर–सांविधिक निकाय

23.8 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के अंतर्गत

कार्यरत गैर–सांविधिक निकाय राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यकारी समूह है।

रोजगार सेवा हेतु उपलब्ध अवसंरचना

राज्य सरकारों के पासः–

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे भारत में 1014 रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं (दिव्यांगों (निःशक्तों) के लिए 40 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित)।
- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांगजनों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

केन्द्र सरकार के पासः

- दिव्यांगजनों हेतु 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्व में वीआरसी) स्थापित हैं जिनमें से वडोदरा में एक केन्द्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्व में सीजीसी) स्थापित किए गए हैं।
- नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस) (पूर्व में सीआईआरटीईएस) स्थापित किया गया है।
- रोजगार निदेशालय के अंतर्गत नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय स्थापित किया गया है।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

23.9 रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) किसी भी प्रकार की रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है। इसकी भूमिका भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से देश में हो रहे रोजगार सृजन का समन्वय करना और इस पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क वर्ष 1951 में 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 1014 रोजगार कार्यालय हो गया है।

23.10 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका बेरोजगार युवाओं को, वैतनिक रोजगारों में कमी होने के कारण, स्व–रोजगार उपक्रमों हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना है। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व–रोजगार संवर्धन प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

23.11 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करने के लिए देश के रोजगार कार्यालयों में 409 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा विश्वविद्यालय परिसरों में 65 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स) कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

परिचय

23.12 रोजगार सेवा केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त विषय है। डीजीई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार सेवाओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं के साथ–साथ रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) एकत्र करने, व्यावसायिक मार्गदर्शन (वीजी) और रोजगार परामर्श प्रदान करने तथा दिव्यांग व्यक्तियों के प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतियां, मानक और प्रक्रियाएं राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर एक कार्य समूह इस परामर्श प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह की नियमित बैठकें महानिदेशक (रोजगार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में राज्यों के श्रम एवं रोजगार सचिव/राज्यों के रोजगार निदेशक/अन्य प्रतिनिधि और

डीजीई के अधिकारी भाग लेते हैं। कार्य समूह राष्ट्रीय रोजगार सेवा/राष्ट्रीय करियर सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करता है और आवश्यक सिफारिशें करता है।

23.13 राष्ट्रीय रोजगार सेवा की विशेषताएं

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम राज्य को छोड़कर समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं।
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रणाधीन है।
- यह 1014 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
- प्रशासनिक कार्यकरण के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालयों की सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन, इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्र के कार्य–कलाप शामिल हैं।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित ईआर–I रिटर्न में संगठित क्षेत्र (सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और 10 या अधिक श्रमिकों वाले सभी गैर–कृषि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान) से रोजगार, रिक्तियों, कर्मचारियों के व्यावसायिक और शैक्षिक स्वरूप आदि पर डेटा एकत्र किया जा रहा था। निजी क्षेत्र में 10–24 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर कवर किया जाता है। हालांकि, नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना से संबंधित ईई(सीएनवी) अधिनियम, 1959/ ईई(सीएनवी)नियम 1960 के प्रासंगिक उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है, जो दिनांक 21 नवंबर 2025 को लागू हुई है। मसौदा नियम (केंद्रीय) नवंबर, 2020 में अधिसूचित किए गए हैं। उक्त नियमों का अध्याय XII रोजगार सूचना और निगरानी से संबंधित है यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का अध्याय XIII।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली (एनईएसएम)

23.14 राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली (एनईएसएम) रोजगार कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कामकाज और संचालन से संबंधित निर्देशों और प्रक्रियाओं संबंधी नियमावली है। रोजगार कार्यालय, संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। एनईएसएम को अंतिम बार वर्ष 2022 में संशोधित किया गया था और वर्ष 2023 में प्रकाशित किया गया था ।संशोधित एनईएसएम–2022 में 04 खंड हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा को राष्ट्रीय करियर सेवा में रूपांतरित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर, 2013 के दौरान एक कार्यकारी समूह गठित किया जिसमें राज्य सरकारों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारी शामिल थे। इस कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक दिनांक दिनांक 03 दिसंबर, 2013 को आयोजित की गई थी। रोजगार सेवा की उपयोगिता, पहुंच तथा दक्षता में सुधार करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चाओं एवं ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, राष्ट्रीय रोजगार सेवा की आधारशिला रखने संबंधी सिफारिशों का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। एनसीएस परियोजना को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा एनसीएस पोर्टल चालू है।

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

23.15 नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत नियोक्ताओं द्वारा रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.–I) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर–कृषि कार्यकलापों में रत और 25 या अधिक कामगारों

को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रवर्तन तंत्र स्थापित है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर श्रम संबंधी संसदीय स्थाई समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा यह सिफारिश की गई कि रोजगार कार्यालयों के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम में व्यापक रुप से संशोधन किया जाए।

इस बीच, श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मौजूदा विभिन्न केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को 4 श्रम संहिताओं में सरल, समामेलित और तर्कसंगत बनाने के कदम उठाए थे। ये संहिताएँ हैं: मजदूरी संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। इस प्रक्रिया में, ईई(सीएनवी) अधिनियम, 1959 के प्रासंगिक उपबंधों और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त परिवर्तनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में समाहित कर लिया गया है, जो दिनांक 21 नवंबर 2025 को लागू हुई है। इन परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ–साथ रोजगार कार्यालयों को पुनरपरिभाषित करना, उनकी गतिविधियों को बढ़ाना, रिक्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रावधान आदि शामिल हैं।

मौजूदा नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को सम्मिलित करने के लिए, सितंबर, 2020 के दौरान संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में रोजगार सूचना और निगरानी पर एक अध्याय (अध्याय–XIII) जोड़ा गया है। इस संहिता को दिनांक 28 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, दिनांक 29 सितंबर, 2020 को भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया और यह दिनांक 21 नवंबर 2025 को लागू हुई है। मसौदा नियम (केंद्रीय) नवंबर, 2020 में अधिसूचित किए गए हैं। उक्त नियमों का अध्याय XIII रोजगार सूचना और निगरानी से संबंधित है यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का अध्याय XIII।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्य–निष्पादन '

23.16 1014 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क का विवरण तालिका **23.18** में दिया गया है। रोजगार कार्यालयों की मुख्य गतिविधियाँ पंजीकरण, नौकरी चाहने वालों का प्लेसमेंट, करियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार बाजार सूचना का संग्रह हैं।

तालिका 23.18

➢ रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:	1014
➢ विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स)	65
➢ व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय	11
➢ दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	40
➢ महिलाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	05

23.17 (दिनांक 31.12.2024) की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

श्रेणी	पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की सं.	नियोजित रोजगार चाहने वालों की सं.	चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की सं.
पुरुष	45.54	4.10	228.59
महिलाएं	25.30	1.35	128.69
कुल	71.28	5.45	357.30

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण एवं नियोजन की मुख्य विशेषताएं

23.18 पंजीकरण:

दिसंबर 2024 के अंत तक पंजीकृत कुल 71.28 लाख नौकरी चाहने वालों में से 45.54 लाख पुरुष और 25.30 लाख महिलाएं थीं। नौकरी चाहने वालों की अधिकतम

संख्या 32.77 लाख महाराष्ट्र में दर्ज की गई, जिसके बाद असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात का स्थान रहा, जिनमें से प्रत्येक राज्य में 4 लाख से अधिक पंजीकरण थे।

23.19 नियोजनः

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पाने वाले 5.45 लाख नौकरी चाहने वालों में से 1.4 लाख महिलाएं थीं।

23.20 लाइव रजिस्टरः

लाइव रजिस्टर पर कुल 357.30 लाख नौकरी चाहने वालों में से, 228.59 लाख पुरुष और 128.69 लाख महिलाएं हैं।

23.21 वर्ष 2011–2024 की अवधि के लिए वर्ष–वार पंजीकरण, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियां, भेजे गए नाम तथा लाइव या चालू रजिस्टर **तालिका सं. 23.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 23.23

वर्ष	रोजगार कार्यालय, यूईआईजीबीएक्स	(हजार में)				
		पंजीकरण	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियां	भेजे गए नाम	लाइव/चालू रजिस्टर
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	966	6206.3	471.5	819.7	5142.9	40171.6
2012	956	9722.2	427.6	682.8	2982.2	44790.1
2013	956	5969.4	348.5	510.7	3002.1	46802.5
2014	978	5957.2	338.5	762.0	4220.4	48261.1
2015	978	6939.4	395.0	810.3	4307.6	43502.7
2016	997	5959.9	405.5	1401.4	3906.4	43376.1
2017	997	3948.9	424.6	813.2	1851.1	42444.9
2018	997	3831.3	404.7	1225.3	2584.64	42122.3
2019	997	3455.0	365.9	540.6	1966.6	42405.1
2020	997	2073.9	308.1	419.0	1187.5	42829.2
2021	1005	3224.4	494.1	824.8	2527.3	44071.7
2022	1005	3996.7	644.6	1367.6	2637.6	45717.7
2023*	1005	7229.30	705.50	1533.7	2433.50	44154.5
2024*	1014	7127.84	544.65	1062.6	2326.87	35730.1

नोट*- अनंतिम

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

23.22 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय रोजगार कार्यालय, डीजीई, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में लेवल 05 या उससे ऊपर के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति की रिक्तियों के विज्ञापन के लिए जिम्मेदार है। डीओपीटी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959 (जिसे अब सामाजिक सुरक्षा संहिता का हिस्सा माना गया है) के तहत केंद्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित सभी रिक्तियों को केंद्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) द्वारा रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2016 में डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसी रिक्तियों को नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर भी डालना अनिवार्य है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (ई.एम.आई.) का कार्य–क्षेत्र, विस्तार एवं सीमा

23.23 संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए जा रहे थे जिसे नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 व इसके अंतर्गत बनाए गए

नियमों द्वारा सांविधिक आधार प्रदान किया जाता है। फिर भी, नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को अनिवार्य अधिसूचना से संबंधित ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959/ईई (सीएनवी) नियम 1960 के आवश्यक प्रावधान अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंग हैं तथा नए नियम अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं।

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

23.24 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की भांति ही रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कमजोर वर्गों संबंधी कार्यक्रमों के ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा

23.25 मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपान्तरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को एक मिशन मोड परियोजना के रूप में क्रियान्वित कर रहा है ताकि रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, शिक्षुता, इन्टर्नशिप पर सूचना, आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) द्वारा प्रदान की जा सकें। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को आदर्श करियर केन्द्र की स्थापना हेतु, और एनसीएस पोर्टल को राज्य रोजगार कार्यालय के साथ लिंक करने के लिए निधियाँ प्रदान की गई थीं।

23.26 एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा इन्हें सीधे ही करियर केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों, डाक घरों, मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफे आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। एन सी एस मंच पर विभिन्न हितधारकों में, रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (करियर केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान तथा नियोजन संगठन शामिल हैं।

23.27 एनसीएस पोर्टल (एनसीएसपी) को यूआरएल **(www.ncs.gov.in)** पर चालू किया गया है। यह पोर्टल भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 20.07.2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाईन (बहु–भाषी) मंगलवार से रविवार तक (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) 1514 पर उपलब्ध है। ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यह पोर्टल सभी उपयोगकर्त्ताओं जैसे रोजगार चाहने वाले, नियोक्ता, प्रशिक्षण प्रदाता, नियोजन संगठन, करियर परामर्शदाता के लिए उपलब्ध है। यह पोर्टल रोजगार मेलों के आयोजन को भी सुगम बनाता है जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले परस्पर संपर्क कर सकते हैं।

एनसीएस पोर्टल के संक्षिप्त आंकडे निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय करियर सेवा		
क्र.सं.	**मापदंड**	**दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को संख्या**
1.	पंजीकृत रोजगार चाहने वाले	6,14,11,627
2.	पंजीकृत सक्रिय नियोक्ताओं की संख्या	55,22,249
3.	जुटाई गई सक्रिय रिक्तियां	9,07,612
4.	जुटाई गई कुल रिक्तियां	8,55,30,434

23.28 करियर परामर्श पर सरकार के बढ़ते ध्यान के साथ, मंत्रालय ने करियर परामर्शदाताओं का एक नेटवर्क बनाया है जहाँ करियर केंद्र अपने क्षेत्र में करियर परामर्श के केंद्र (हब) बनेंगे। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 1,182 अनुमोदित करियर परामर्शदाता नौकरी चाहने वालों को करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

23.29 एनसीएस पोर्टल करियर और रोजगार से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए संस्थानों और संगठनों की भागीदारी हेतु एक खुला आर्किटेक्चर भी प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल ने विशिष्ट क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण को वर्गीकृत करने और सुधारने में सहायता करने के लिए विशिष्ट पेज विकसित किए हैं। भागीदार संस्थानों को गैर–अनन्य आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार करने के लिए एनसीएस पोर्टल पर उपयुक्त स्थान और लिंक प्रदान किए जाएंगे और वे निगरानी प्रणालियों के अधीन होंगे।

मंत्रालय ने हमारे कार्यबल के लिए अधिक से अधिक नौकरी के अवसर लाने के लिए टीसीएस आईओएन, क्विकर जॉब्स, फाउंडिट, फ्रेशर्स वर्ल्ड, फर्स्ट जॉब, मेरा जॉब, सिनर्जी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वीएसएस टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सरल रोजगार, कैसियस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हायरमी आदि जैसे कुछ प्रमुख संगठनों के साथ कई संस्थानों और संगठनों को जोड़ा है। डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि रिक्तियों का विज्ञापन अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित नेशनल करियर सर्विस पोर्टल (ncs.gov.in) पर अनिवार्य रूप से डाला जाएगा।

23.30 एनसीएस पोर्टल ने 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रोजगार पोर्टलों के साथ अपने एकीकरण और सहयोग के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जबकि 7 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण के लिए सीधे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कई निजी नौकरी पोर्टलों के साथ एकीकरण ने डेटाबेस को समृद्ध किया है और नौकरी के अवसरों तक पहुंच का विस्तार किया है। एनसीएस को स्किल इंडिया डिजिटल हब, पीएम गति शक्ति पोर्टल, टीएमआई इनपुट और सेवाओं, एमपी रोजगार, महा रोजगार पोर्टल (महाराष्ट्र) और एनईडीएफआई के साथ एकीकृत किया गया है।

23.31 दिनांक 1 जनवरी, 2025 से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल को निजी क्षेत्र के प्रमुख जॉब प्लेटफॉर्म और वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ एकीकृत करके इसे मजबूत करने के लिए कई कार्यनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर 2025 तक, माइक्रोसॉफ्ट, जोमैटो, ज़ेप्टो, मेंटर टुगेदर, क्विकर जॉब्स (नवीनीकरण), रैपिडो, स्विगी, अपना (एपीएनए) और फाउंडिट (पूर्व में मॉन्स्टर) आदि सहित प्रमुख भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सीईओ सत्या नडेला की उपस्थिति में माइक्रोसॉफ्ट के साथ हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एआई–आधारित कौशल, रोजगार प्लेटफार्मों के आधुनिकीकरण और भारतीय प्रतिभाओं के लिए वैश्विक श्रम गतिशीलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनसीएस पर 15,000 से अधिक वैश्विक नियोक्ताओं को जोड़ना है। जोमैटो, स्विगी, रैपिडो, ज़ेप्टो और अपना (एपीएनए) जैसे प्रमुख गिग और लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी से आने वाले वर्षों में कई करोड़ लचीले और औपचारिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, क्विकर जॉब्स और फाउंडिट के साथ सहयोग से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रिक्तियों तक पहुंच का काफी विस्तार होगा, जबकि मेंटर टुगेदर के साथ समझौता ज्ञापन अपने पहले वर्ष में लगभग दो लाख युवाओं को संरचित परामर्श (मेंटरशिप) और करियर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सामूहिक रूप से, ये पहल रोजगार के अवसरों के विस्तार, समावेशी नियुक्तियों को बढ़ावा देने और एनसीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

23.32 एनसीएस को माईभारत प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्ड/शामिल किया गया है ताकि युवाओं, संस्थानों और संगठनों को यूजर फ़्रेंडली अनुभव प्रदान किया जा सके। माईभारत के माध्यम से, एनसीएस कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और उसमें पंजीकृत स्वयंसेवक भाग ले सकते हैं। मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) भी संबद्ध हैं, जो युवा पेशेवरों को रोजगार मेलों और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।

23.33 एनसीएस पोर्टल ने सरकार के भर्ती निकाय – यूपीएससी, एसएससी, एएसआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के साथ भी गैर–अनुशंसित इच्छुक अभ्यर्थियों (नॉन–रिक्मेंडिड विलिंग कंडीडेट) के प्रकटीकरण के लिए संपर्क स्थापित किया है। यह डेटाबेस अन्य नियोक्ताओं के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें रोजगार हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

23.34 पोर्टल में करियर संबंधी सूचना का एक समृद्ध कोष भी उपलब्ध है, जो करियर परामर्शदाताओं/नौकरी चाहने वालों के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन/व्यवसाय चुनने में सहायक है। मंत्रालय ने एनसीओ दस्तावेजों को आईएससीओ–2008 की तर्ज पर अद्यतन किया है और एनसीओ को क्यूपी–एनओएस के साथ मैप किया है। एनसीओ (एनसीओ–2015 श्रृंखला) के वर्तमान खंड में 52 प्रकार के क्षेत्रों के लिए 3,842 नागरिक व्यवसायों संबंधी नौकरियों के विवरण की जानकारी दी गई है। एनसीओ क्षेत्रों/उद्योगों के आकार और प्रोफ़ाइल, व्यवसायों के प्रकार, प्रमुख रुझानों, विकास और किसी विशेष क्षेत्र में प्रगति के अवसरों की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है।

23.35 राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक कार्यनीतिक इकाई टीसीएस आईओएन के साथ साझेदारी की है ताकि अपने पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को "करियर कौशल" पर एक निःशुल्क, सेल्फ–पेस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की जा सके जो शिक्षार्थियों को कई तरह के सॉफ्ट कौशल सिखाएगा।

23.36 ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के सहमति–आधारित पंजीकरण और लाभकारी करियर अवसरों की खोज के लिए एनसीएस पोर्टल को ई–श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। अब तक, 1.84 करोड़ से अधिक ई–श्रम पंजीकृत व्यक्ति एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं।

23.37 एनसीएस पोर्टल को उद्यम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि उद्यम पंजीकृत एमएसएमई का नियोक्ता के रूप में एनसीएस पोर्टल पर सहमति–आधारित पंजीकरण किया जा सके। ये नियोक्ता अपनी रिक्तियों की आवश्यकताओं को एनसीएस पर पोस्ट कर सकते हैं। अब तक एनसीएस पोर्टल पर 52.25 लाख से अधिक एमएसएमई नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं।

23.38 एनसीएस को एसआईडीएच (स्किल इंडिया डिजिटल हब) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो कि एमएसडीई का एक मंच है। यह मंच एनसीएस पर सहमति–आधारित एसआईडीएच उपयोगकर्ता पंजीकरण और एनसीएस से एसआईडीएच उपयोगकर्ता को क्वेरी–आधारित रिक्ति साझाकरण, दोनों के लिए डिजिटल कौशल, अपस्किलिंग, क्रेडेंशियलिंग और जॉब–मैचिंग सेवाओं का समर्थन करता है। उन्नत एनसीएस प्लेटफॉर्म को भी एसआईडीएच के साथ एकीकृत किया गया है।

23.39 एनसीएस पोर्टल पर सरकारी जॉब मॉड्यूल में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) अन्य सरकारी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू संगठनों की ओर से नौकरियां पोस्ट कर सकता है। इस मॉड्यूल का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों या मंत्रालयों में युवा पेशेवरों, सलाहकारों आदि जैसी स्थायी या संविदात्मक रिक्तियों की अधिसूचना के लिए किया जा सकता है।

23.40 अंतर्राष्ट्रीय जॉब मॉड्यूल, एनसीएस पोर्टल पर विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरए को अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नौकरी चाहने वालों को एनसीएस पोर्टल के से इन अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को खोजने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। एनसीएस पोर्टल पर विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पंजीकृत आरए ने लगभग 30,426 रिक्तियां पोस्ट की हैं।

23.41 एनसीएस को डिजी–लॉकर के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। इस निर्बाध एकीकरण के साथ, अब एनसीएस उपयोगकर्ता डिजीलॉकर खातों में संग्रहीत अपने शैक्षिक और रोजगार दस्तावेजों तक सुरक्षित और सहज तरीके से पहुंच सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं। यह नवाचार न केवल नौकरी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि जमा किए गए दस्तावेजों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को भी बढ़ाता है, जिससे नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच विश्वास बढ़ता है।

23.42 एनसीएस ने दिसंबर 2023 में रोजगार योग्यता मूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया है। यह एक ए–आई प्रॉक्टर निःशुल्क ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण है। इसमें 100 मिनट की एक परीक्षा होती है जिसमें साइकोमीट्रिक, संप्रेषणता कौशल, मौखिक क्षमता, तार्किक क्षमता, क्षेत्र ज्ञान और कंप्यूटर कौशल शामिल हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

- नौकरी चाहने वालों को अपनी रोजगार क्षमता के बारे में जानकारी हासिल होती है
- महत्वाकांक्षी नियोक्ताओं का ध्यान आकर्षित होता है।
- अपने गुणों को और सुधार के क्षेत्रों को पहचानने में सहायता मिलती है।
- अपना वीडियो बायोडाटा पोस्ट करके विशिष्ट रूप से पहचान मिलती है।
- ऐप और वेब प्लेटफॉर्म पर पहुंच संभव।
- त्वरित परीक्षण परिणाम।

23.43 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित मॉडल करियर केंद्रों पर जॉब फेयर आयोजित करने के अलावा, एनसीएस पोर्टल ऑनलाइन जॉब फेयर आयोजित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस सुविधा ने दूर–दराज के स्थानों के नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं से ऑनलाइन मिलने में सक्षम बनाया है। दिनांक 01 जनवरी 2025 से दिनांक

31 दिसंबर 2025 तक, कुल 10,055 जॉब फेयर आयोजित किए गए जिनमें 664,702 नौकरी चाहने वालों और 51,313 नियोक्ताओं ने भाग लिया। चूंकि एनसीएस पोर्टल पर अंतिम नियुक्ति के आंकड़ों की पुष्टि करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए नौकरी पर रखने (हायरिंग) का डेटा केवल नियोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से दी गई रिपोर्ट की सीमा तक ही उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान जॉब फेयर के माध्यम से 275,755 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

23.44 एनसीएस अपने उपयोगकर्ताओं को एनसीएस योजना के बारे में अद्यतन जानकारी (अपडेट्स) देने के लिए मासिक आधार पर न्यूज़लेटर प्रकाशित करता है। इसमें विभिन्न नई सेवाओं और विशेषताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें हाल ही में एनसीएस पोर्टल पर जोड़ा गया है। यह विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब–फेयर, कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों पर भी अपडेट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक न्यूज़लेटर में किसी एक प्रमुख क्षेत्र पर करियर से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी जाती है। यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं की कुछ सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डालता है। हर महीने, ये न्यूज़लेटर पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं और प्रत्येक महीने के अंत में सभी पंजीकृत एनसीएस उपयोगकर्ताओं को न्यूज़लेटर के साथ एक मेल अधिसूचना भेजी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर

23.45 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पच्चीस नेशनल करियर सर्विस सेंटर 25 राज्यों में स्थापित किए गए है। इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आत्मविश्वास–सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा उन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 14 केंद्रों में रोजगार चाहने वाले अजा/अजजा को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये केंद्र समूह 'ग' एवं समतुल्य पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परिक्षाओं में अजा/अजजा के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। एनसीएससी– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का ब्यौरा अध्याय 24 में प्रदान किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए नेशनल करियर सर्विस सेंटर

23.46 देश में दिव्यांगजनों के लिए चौबीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी–डीए) (पूर्ववर्ती वीआरसी) कार्यरत हैं, जिनमें से वडोदरा स्थित एक केंद्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करने तथा देश का उत्पादक नागरिक बनाने के उद्देश्य से समायोजन प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र दिव्यांगों के पुनर्वास में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 2024–25 के दौरान इन केंद्रों ने 47166 दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया, 47142 का मूल्यांकन किया और 17420 का पुनर्वास किया। 2025 के दौरान (31.12.2025 तक) इन केंद्रों ने 49528 का पंजीकरण किया, 49505 का मूल्यांकन किया और 17969 का पुनर्वास किया। कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बिठाने के लिए, सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एनसीएससी–डीए में 5 मॉडल करियर केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम अपनाने के लिए दिव्यांग युवाओं हेतु करियर परामर्श को मुख्य गतिविधि के रूप में केंद्रित करते हैं। एनसीएससी–डीए के अधिकारियों को पेशेवर परामर्श तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। आउटरीच परामर्श सत्र और जॉब–फेयर इन करियर केंद्रों की एक प्रमुख गतिविधि हैं। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान अनुमानित भौतिक उपलब्धि हैः पंजीकृत 13290, मूल्यांकित 12923 और पुनर्वासित 4811। **एनसीएससी–डीए का ब्यौरा अध्याय–24 में दिया गया है।**

23.47 डीजीई (मुख्यालय) में स्थापित भूतपूर्व सैनिक सेल के माध्यम से दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और उनके आश्रितों को नियोजन सेवा प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 24 का पैरा 24.15 देखें।

राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस)

23.48 राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस), जिसे पहले रोजगार सेवा में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय संस्थान (सीआईआरटीईएस) के रूप में जाना जाता था, की

स्थापना अक्टूबर 1964 में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार सेवाओं में अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। बाद में 1970 में करियर साहित्य प्रकाशित करने के अतिरिक्त कार्य के साथ और फिर 1987 में व्यावसायिक अनुसंधान एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ इस संस्थान का विस्तार किया गया। 2015 में राष्ट्रीय ई–गवर्नमेंट प्लान (एनई–जीपी) के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत एनसीएस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के साथ, केंद्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान को केंद्र / राज्य सरकार की राष्ट्रीय रोजगार सेवा के तहत काम करने वाले रोजगार सेवा कर्मियों के क्षमता निर्माण हेतु नोडल संस्थान के रूप में पुनर्गठित किया गया और जुलाई 2016 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान कर दिया गया। 2015 से, एनआईसीएस तीन प्रमुख कार्यों को संभाल रहा हैः

- क्षमता निर्माण / पेशेवर सेवाकालीन प्रशिक्षण,
- यंग प्रोफेशनल स्कीम (युवा पेशेवर योजना)
- करियर सेंटर (मॉडल करियर केंद्र)

एनआईसीएस नोएडा की विस्तृत गतिविधियाँ एनआईसीएस नोएडा के मासिक ई–न्यूज़लेटर के माध्यम से इस लिंक पर देखी जा सकती है https://dge.gov.in/dge/nics/introduction

23.49 क्षमता निर्माण कार्यक्रम / पेशेवर सेवाकालीन प्रशिक्षण;

एनआईसीएस नोएडा ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 5752 प्रतिभागियों के साथ **116 कार्यक्रम** आयोजित किए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

- रोजगार सेवा कर्मियों के लिए **265** प्रतिभागियों के साथ पंद्रह **(15)** पेशेवर सेवाकालीन प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण कार्यक्रम / पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एनसीएस (**NCS**) पोर्टल के नौकरी चाहने वालों, छात्रों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए **4957** प्रतिभागियों के साथ चौंसठ **(64)** ओरिएंटेशन / क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- एनसीएस (**NCS**) पोर्टल के विभिन्न हितधारकों के लिए **530** प्रतिभागियों के साथ सैंतीस **(37)** कार्यशालाएं / सेमिनार।

23.50 यंग प्रोफेशनल योजनाः

एनआईसीएस नोएडा ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एनसीएस परियोजना के तहत यंग प्रोफेशनल योजना की अवधारणा तैयार की है और इसे लागू किया है। इस पहल में यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती, 400 अनुमोदित मॉडल करियर केंद्रों पर उनकी तैनाती, पारिश्रमिक और वेतन वृद्धि का संवितरण, अनुबंध विस्तार, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

एनआईसीएस ने वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक 10 भर्ती दौरों के माध्यम से 748 अभ्यर्थियों का चयन किया। यह संगठन यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति के माध्यम से एनसीएस परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में स्थापित 400 से अधिक मॉडल करियर केंद्रों की गतिविधियों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एनसीएस परियोजना के तहत देश भर में राज्य रोजगार विभागों के अंतर्गत कार्यरत मॉडल करियर केंद्रों में **174 यंग प्रोफेशनल्स** कार्यरत हैं।

वाईपी भर्ती विवरण

बैच	चयन प्रक्रिया दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	चयनित अभ्यर्थी	कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी
I	11-13 जून 2015	5 अक्टूबर 2015	48	31
II	1-3rd अप्रैल 2016 8-9th अप्रैल 2016	4 जुलाई 2016	50	28
III	10-12th अगस्त 2016 27th अगस्त 2016	2 जनवरी 2017	44	32
IV	23-25th मार्च 2017	19 जून 2017	52	24
V	10-12th अक्टूबर 2018	14 जनवरी 2019	28	14
VI	27-29th अप्रैल 2022 9-11th मई 2022	20 जून 22	102	78
VII	11-15th जुलाई 2022	22 अगस्त 22	120	68
VIII	22-25th नवंबर 2022	20 दिसंबर 22	156	113
IX	13-15th फरवरी 2023	13 मार्च 23	94	74
X	4-5th जुलाई 2023	21 अगस्त 23	54	38
कुल			**748**	**500**

यंग प्रोफेशनल्स के संबंध में मॉडल करियर केंद्र की स्थिति।

1	कुल अनुमोदित एमसीसी	400
2	कार्यात्मक एमसीसी (यंग प्रोफेशनल्स की तैनाती द्वारा	398
	उन एमसीसी की संख्या जहाँ यंग प्रोफेशनल की 3 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है	170
	उन एमसीसी की संख्या जहाँ वर्तमान में यंग प्रोफेशनल कार्यरत हैं	174
	उन एमसीसी की संख्या जहाँ यंग प्रोफेशनल तैनात थे लेकिन वर्तमान में पद रिक्त हैं	54
3	उन एमसीसी की संख्या जहाँ यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति की गई लेकिन किसी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया	2

23.51 एनआईसीएस में मॉडल करियर केंद्र (एमसीसी)

एनआईसीएस, नोएडा एक मॉडल करियर केंद्र (एमसीसी) का संचालन भी कर रहा है जो रोजगार मेलों/रोजगार अभियानों के आयोजन, करियर परामर्श सत्रों, नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के पंजीकरण, आउटरीच गतिविधियों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान, एमसीसी एनआईसीएस नोएडा ने 36,546 रिक्तियों के सापेक्ष कुल 49 रोजगार मेलों/प्लेसमेंट अभियानों का आयोजन किया, जिसमें 7,995 नौकरी चाहने वालों और 534 नियोक्ताओं ने भाग लिया। लगभग 3,248 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। एमसीसी ने एनसीएस पोर्टल पर 7,192 नौकरी चाहने वालों और 60 नियोक्ताओं को पंजीकृत किया। 4,794 नौकरी चाहने वालों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दिया गया, 238 समूह मार्गदर्शन सत्र और 120 आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

*****

अध्याय 24

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

24.1 रोजगार सेवा, पूर्व की भांति, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, निःशक्त व्यक्तियों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों जैसे कमजोर वर्गों के नौकरी की चाह रखनेवालों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करती रही।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

24.2 भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय देश भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी / एसटी के लिए एनसीएससी) (पूर्व के कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केंद्र (सीजीसी)) के नेटवर्क के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नौकरी की चाह रखनेवालों के कल्याण की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ये केंद्र आइजोल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, जम्मू, जबलपुर, जालंधर, जोवाई, कानपुर, कोहिमा, नागपुर, नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश), पुदुचेरी, रांची, सूरत, तिरुवनंतपुरम, ऊना (पूर्व मंडी) और विशाखापत्तनम में स्थित हैं।

इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर परामर्श, कंप्यूटर प्रशिक्षण, पूर्व–भर्ती प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी की चाह रखनेवालों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। ये केंद्र विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी की चाह रखनेवालों को उचित व्यवसायों में मार्गदर्शन देने के लिए नौकरी मेले, करियर वार्ता और समूह मार्गदर्शन गतिविधियों जैसे आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए एनआईईएलआईटी के माध्यम से नौकरी की चाह रखने वालों को बाजार संचालित ओ–लेवल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव, कार्यालय स्वचालन लेखांकन और प्रकाशन सहायक, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट और साइबर सुरक्षित वेब डेवलपमेंट एसोसिएट प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी की चाह रखनेवालों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक कोचिंग कार्यक्रम भी चलाया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के नौकरी की चाह रखनेवालों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी की चाह रखनेवालों को काम की दुनिया में प्रवेश करने में मदद करने के लिए आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम और पूर्व–भर्ती प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

इस योजना को 1969–70 में 4 केंद्रों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इस योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए, इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य 21 राज्यों में विस्तारित किया गया। वर्तमान में, 25 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, इनमें से 14 केंद्र आशुलिपि और टंकण में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक विभिन्न राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों की भौतिक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

गतिविधियां	**कवर किए गए अभ्यर्थियों की संख्या (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025)**
एनसीएस पर पंजीकरण	42506
व्यक्तिगत मार्गदर्शन/समूह मार्गदर्शन/करियर वार्ता	169567

आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम	53408
टाइपिंग तथा शॉर्ट हैंड में प्रशिक्षण	16730
भर्ती पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)	20534

ये केंद्रः

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों को रोजगार संबंधी कोचिंग–सह–मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ।
- नौकरी की आवश्यकताओं और उन परीक्षणों / साक्षात्कारों के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जिनका सामना उन्हें नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने पर करना पड़ सकता है।
- आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुति के परिणामों का पता लगाने के लिए नियोक्ताओं के साथ उचित अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं ।
- नौकरी के लिए इच्छुक लोगों के लिए व्यावसायिक जानकारी / व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने और आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा नौकरी विकास कार्य करते हैं ।
- रोजगार एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकरण के समय और अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध प्रायोजित होने पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। केंद्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए नियोजनों के साथ भी अनुवर्ती कार्रवाई करता है।
- आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ऊना (पूर्व मंडी), कोहिमा, जोवाई, जम्मू, जालंधर, नाहरलागुन और विशाखापत्तनम में स्थित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों को छोड़कर उपरोक्त केंद्रों पर आशुलिपि और टंकण का अभ्यास करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी की चाह रखनेवालों को सुविधाएं प्रदान करते हैं ।
- विभिन्न नियोजक प्राधिकरणों और भर्ती एजेंसियों के सहयोग से समूह "ग' पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता में सुधार के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए समय–समय पर पूर्व–भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती हैं।

24.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कोचिंग योजना की मुख्य विशेषताएं

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए समूह "ग' पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षणों के लिए एससी / एसटी अभ्यर्थियों को तैयार करने के लिए एक विशेष कोचिंग योजना एनसीएससी के माध्यम से संचालित की जा रही है।
- कोचिंग 11 महीने की अवधि की है और प्रशिक्षुओं को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तकों और सीमित स्टेशनरी के अलावा वजीफा का भुगतान किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थानों को व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- यह योजना 1973 में दिल्ली में एक पायलट आधार पर शुरू की गई थी। उपरोक्त विशेष कोचिंग योजना से प्राप्त लाभों के आधार पर, इस योजना को आइज़ोल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जबलपुर, जालंधर, जोवाई, कानपुर, कोहिमा, नागपुर, नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश), पुडुचेरी, रांची, सूरत, तिरुवनंतपुरम, ऊना (पूर्व मंडी) और विशाखापत्तनम में चौबीस और स्थानों पर विस्तारित किया गया है।
- दिसंबर 2025 तक, 28,769 एससी / एसटी अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक विशेष कोचिंग पूरी कर ली है।

रोजगार एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नौकरी की चाह रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोहोन को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना

24.4 यह योजना फरवरी 2004 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण सुविधाओं की आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार

एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत एससी / एसटी शिक्षित नौकरी की चाह रखने वालों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रशिक्षण छह महीने की अवधि का था।

इस योजना को शुरू में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, सूरत, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, रांची और ऊना (पूर्व मंडी) में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का समन्वय इन स्थानों पर स्थित डीजीई के तहत एससी / एसटी के लिए संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र द्वारा किया गया था। यह देखा गया कि श्रम बाजार में बदलती मांगों को देखते हुए छह महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने में अधिक मदद नहीं कर रहा था। वर्ष 2009–10 से, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत डीओईएससीसी सोसाइटी के माध्यम से 1000 एससी / एसटी अभ्यर्थियों को एक वर्ष का 'ओ' लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, जो 03.08.2009 से शुरू किया गया है। वर्तमान में, इस योजना को एससी / एसटी केंद्रों के लिए 25 एनसीएससी तक विस्तारित किया गया है। वर्तमान में 28,310 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से दिसंबर 2025 तक एक वर्ष के कंप्यूटर प्रशिक्षण (सॉफ्टवेयर) के तहत 'ओ' स्तर के तहत प्रवेश दिया गया और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.5 एक वर्षीय 'ओ' लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण 01.08.2012 से शुरू किया गया था और दिसंबर 2025 तक 11,525 एससी / एसटी अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.6 रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी की चाह रखने वालों को विशेष कोचिंग योजना, ओ' लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण, कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण और तीन नए कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में 2025–26 के दौरान इन पाठ्यक्रमों के तहत 5085 एससी / एसटी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया था।

24.7 तीन नए कंप्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात् ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, साइबर सुरक्षित वेब डेवलपमेंट एसोसिएट 2023–24 से दस केंद्रों, अर्थात बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, सूरत और तिरुवनंतपुरम में शुरू किए गए।

24.8 "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी की चाह रखनेवालों के लिए कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कल्याण और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत और अब तक कवर नहीं किए गए राज्यों में नए एनसीएससी की स्थापना" योजना के लिए 2025–26 के दौरान 20.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

24.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए काम करने वाले एनसीएस केंद्रों का एक प्रमुख उद्देश्य आत्मविश्वास का निर्माण करना है। कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान उन्हें स्वस्थ और सहभागी बातचीत में शामिल करना है। सीबीपी कार्यक्रम सभी अभ्यर्थियों को समूह के सामने बोलने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और सक्रिय भागीदारी और सहकर्मी सीखने के माध्यम से उन्हें अपने आत्मविश्वास में एक झलक मिलेगी।

कोचिंग–सह–मार्गदर्शन केंद्रों (सीजीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूह के नौकरी की चाह रखनेवालों का कल्याण

24.10 वर्तमान में रोजगार एक्सचेंजों के साथ कोचिंग / प्रशिक्षण / परामर्श आदि के माध्यम से पंजीकृत शिक्षित एससी / एसटी नौकरी की चाह रखनेवालों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एससी / एसटी (एससी / एसटी के लिए पूर्ववर्ती सीजीसी) के लिए 25 एनसीएससी चलाए जा रहे हैं। 2025–26 के दौरान छह उप–योजनाओं में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के तहत 25 केंद्रों में कुल 5085 लाभार्थियों को वजीफा वितरित किया जा रहा है।

1. विशेष कोचिंग योजना (2160 लाभार्थी),
2. कंप्यूटर 'ओ' लेवल प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर कोर्स (1350 लाभार्थी)
3. (कंप्यूटर 'ओ' लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण (675 लाभार्थी)।
4. कार्यालय स्वचालन लेखांकन, (300 लाभार्थी)
5. कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, (300 लाभार्थी)।
6. साइबर सुरक्षित वेब डेवलपमेंट एसोसिएट, (300 लाभार्थी)।

एक विशेष महीने के दौरान न्यूनतम 80% उपस्थिति के अध्यधीन 01–07–2017 से वजीफे का भुगतान प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2025 में कुल वजीफे के रूप में रु 3.05 करोड़ डीबीटी के तहत लाभार्थियों को दिया गया था।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

24.11 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नौकरी की चाह रखनेवालों के संबंध में रोजगार एक्सचेंजों का कार्यनिष्पादन 2017 के दौरान नीचे **तालिका 24.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-24.1

(लाख में)

श्रेणी	गतिविधि	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
अनुसूचित जाति	पंजीकरण	3.95	4.65	3.35	3.62	7.09	10.72	5.5
	प्लेसमेंट	0.32	0.24	0.21	0.26	0.38	0.53	0.6
	लाईव रजिस्टर	69.97	70.68	69.96	70.31	72.84	71.84	41.0
अनुसूचित जनजाति	पंजीकरण	1.89	2.25	1.56	1.67	2.42	4.80	1.73
	प्लेसमेंट	0.32	0.30	0..20	0.21	0.22	0.39	0.44
	लाईव रजिस्टर	26.06	26.39	25.05	25.36	30.18	25.31	20.80
अन्य पिछड़ा वर्ग	पंजीकरण	6.77	8.62	6.53	6.46	9.67	17.80	13.73
	प्लेसमेंट	0.06	0.05	0.05	0.06	0.18	0.17	0.72
	लाईव रजिस्टर	114.86	115.15	114.07	114.28	122.15	128.3	71.31

नोट*- अनंतिम

निःशक्त जनों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (डीए के लिए एनसीएससी)

24.12 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) नियमित रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई मंत्रालय) का समन्वय और समर्थन कर रहा है, जो निःशक्त लोगों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है।

- देश में दिव्यांगों के लिए चौबीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी–डीए) (पूर्ववर्ती व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र) काम कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा में एक केंद्र विशेष रूप से निःशक्त महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है।

- ये केंद्र निःशक्त लोगों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करने और उन्हें देश के उत्पादक नागरिक बनाने के लिए गैर–औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी सृजित करने में ये केंद्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

- वर्ष 2025 (जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025) के दौरान इन केंद्रों ने 49528 निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) का पंजीकरण किया, 49505 का मूल्यांकन किया और 17969 का पुनर्वास किया।

- मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, ऊना और रांची में एनसीएससीदृडीए के लिए 10 दिव्यांग अनुकूल बाधा मुक्त भवनों का निर्माण किया गया है।

- वर्ष 2024–25 के दौरान इन केंद्रों ने 47,166 दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण किया, 47,142 का मूल्यांकन किया और 17,420 का पुनर्वास किया।

- जनवरी से मार्च 2026 के दौरान अनुमानित भौतिक उपलब्धि इस प्रकार हैः पंजीकरण 13,290, मूल्यांकन 12,923 और पुनर्वास 4,811।

कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति के बीच संबंध को तालमेल करने के लिए, सरकार ने एनसीएससी–डीए में 5 मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए हैं। ये केंद्र निःशक्त युवाओं के लिए कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम करने के लिए एक प्रमुख गतिविधि के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बाजार संचालित हैं। इन करियर केंद्रों में आउटरीच परामर्श सत्र और नौकरी मेला एक प्रमुख गतिविधि होंगे।

डीबीटी (स्कीम "3468") के माध्यम से दिव्यांग प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए लाभ

"दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) योजना के तहत उम्मीदवारों को वजीफा"

24.13 वर्तमान में, देश में दिव्यांगजनों (पूर्व में विकलांगों के लिए व्हीआरसी) केंद्रों के लिए 24 एनसीएससी हैं, जो दिव्यागों (जिन्हें दिव्यांग व्यक्ति भी कहा जाता है) की लोकोमोटर, दृष्टि और श्रवण बाधित, हल्के मानसिक मंदता और कुष्ठ रोग से ठीक होने वाली श्रेणियों में अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और उनके शीघ्र आर्थिक पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें उचित मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन केंद्रों पर कोई औपचारिक नौकरी उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है, हालांकि, प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को एक विशेष महीने में न्यूनतम 80% उपस्थिति के अधीन, 2500/– रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाता है। मोबाइल शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। 2025 में डीबीटी के तहत पीडब्ल्यूडी लाभार्थियों को कुल 3.52 करोड़ रुपये का वजीफा दिया गया था।

भिन्न रूप से सक्षम भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को सहायता

24.14 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों और प्राथमिकता श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा– सेना के भूतपूर्व सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों और कार्रवाई में शहीद हुए या गंभीर रूप से दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मियों के आश्रितों को पंजीकरण / प्लेसमेंट सेवाएं प्रदान करने के लिए, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में जुलाई, 1972 में एक भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। इसके बाद, फरवरी, 1981 से विशेष सेवा के दायरे को शांति काल के दौरान अलग–अलग रूप से सक्षम पूर्व सैनिकों के लाभ तथा साथ ही शांति काल में मारे गए या गंभीर रूप से अलग–अलग रूप से सक्षम रक्षा सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए भी बढ़ाया गया था, बशर्ते कि उक्त मृत्यु या भिन्न रूप से सक्षमता सैन्य सेवा के दौरान हुई हो।

रोजगार विनिमय के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों को सेवाएंः –

24.15 रोजगार सेवा दिव्यांग नौकरी चाहने वालों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, जिसका पिछले पांच वर्षों के लिए कार्यनिष्पादन निम्नानुसार हैः –

दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार एक्सचेंजः

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	प्लेसमेंट	लाईव रजिस्टर
2018	29.5	2.0	690.9
2019	32.0	2.5	689.5
2020	28.8	2.7	694.3
2021	28.0	2.6	704.8
2022	28.3	2.5	702.7
2023*	27.1	2.2	699.2
2024*	28.0	2.1	416.9

नोट- अनंतिम*

24.16 ये एक्सचेंज अलग–अलग रूप से सक्षम लोगों को उनके अवशिष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के लिए उपयुक्त रोजगार का सबसे संतोषजनक रूप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए 40 विशेष रोजगार एक्सचेंज और नौकरी की चाह रखनेवाले दिव्यांगजनों से संबंधित 38 विशेष प्रकोष्ठ हैं।

महिलाएँ

24.18 नौकरी की चाह रखनेवाली महिलाओं के संबंध में रोजगार एक्सचेंजों का वर्ष–वार कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है। **(तालिका 24.2)**

अल्पसंख्यक

24.17 नौकरी की चाह रखनेवाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार एक्सचेंजों का कार्यनिष्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
पंजीकरण	2488	2448	866	1659	902	556	1571
प्लेसमेंट	184	175	102	145	103	81	111
लाईव रजिस्टर	90665	90471	87431	90902	87185	61862	45586

नोट *- अनंतिम

24.19 राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में अल्पसंख्यकों का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पंजीकरण के मामलों में और रोजगार एक्सचेंजों द्वारा नामों को प्रायोजित करने में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। राज्य सरकारों को यह भी

तालिका 24.2

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	प्लेसमेंट	महिलाओं का लाईव रजिस्टर	कुल लाईव रजिस्टर	कुल की तुलना में महिलाओं के लाईव रजिस्टर का %
2012	3511.0	67.8	15645.8	44790.1	34.9
2013	2233.2	58.8	16549.1	46802.5	35.4
2014	2189.4	60.8	17078.3	48261.1	35.4
2015	2532.7	59.9	15540.0	43502.7	35.7
2016	2256.8	59.7	15731.4	43376.1	36.3
2017	1548.5	85.1	15519.4	42444.9	36.6
2018	1437.0	58.2	15611.0	42122.3	37.1
2019	1375.2	55.2	15709.8	42405.1	37.0
2020	748.8	45.8	15873.2	42829.2	37.1
2021	1327.5	81.1	15829.7	44071.7	35.9
2022	1500.4	122.7	16297.3	45717.7	35.6
2023*	2988.5	151.6	16681.2	44154.5	37.8
2024*	2501.9	134.8	17558.8	45645.0	38.5

टिप्पणी: * - अनंतिम

सलाह दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों के पंजीकरण और नियोजन के मामले में प्रगति पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ बनाएं और रोजगार एक्सचेंजों को अल्पसंख्यक सांद्रता क्षेत्रों में मोबाइल रोजगार एक्सचेंज पंजीकरण शिविर आयोजित करने के लिए निर्देशित करें। दिसंबर 2024 के अंत में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार एक्सचेंजों के लाइव रजिस्टरों पर नौकरी की चाह रखनेवाले कुल 39.0 लाख लोग थे।

24.20. रोजगार की योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों का विवरण नीचे **तालिका–24.17** में दिया गया है:

तालिका-24.17

क्रम संख्या	रोजगार निदेशालय के तहत योजनाएं	वित्तीय वर्ष 2025-26	
	योजनाएं/ कार्यक्रम	बजट अनुमान (क्र.)	व्यय (दिसंबर 2025 तक) करोड़ में।
1	"कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से एससी / एसटी नौकरी की चाह रखनेवालों का कल्याण और एससी / एसटी के लिए मौजूदा राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएस) में नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत और अब तक कवर नहीं किए गए राज्यों में नए एनसीएससी की स्थापना"।	20.61	14.71
2	राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना	77.00	39.13

*****

अध्याय 25 जेंडर बजटिंग

25.1 जेंडर बजट सेल की अध्यक्षता मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) द्वारा की जाती है, जिन्हें लेखा नियंत्रक (सी.ए.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए व्यय को दर्शाने के लिए हर साल केंद्रीय बजट के साथ जेंडर बजट विवरण (विवरण 13) जारी किया जाता है।

जेंडर बजट विवरण (विवरण 13) इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपये में)

मंत्रालय/विभाग		2024-2025 के वास्तविक आंकड़े	2025-2026 बजट अनुमान	2025-2026 संशोधित अनुमान	2026-2027 बजट अनुमान
भाग ख : प्रो-वीमेन (प्रावधान का कम से कम 30%)					
मांग संख्या 64					
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
1.	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन	138.90	147.19	146.41	150.00
2.	श्रमिक कल्याण योजना	22.60	27.20	28.49	19.13
3.	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	689.50	700.00	700.00	700.00
4.	असम में बागान मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा	44.37	47.77	42.96	44.09
कुल :		**895.37**	**922.16**	**917.86**	**913.22**
भाग ख कुल :		**895.37**	**922.16**	**917.86**	**913.22**
भाग ग : प्रो-वीमेन (प्रावधान के 30% से कम)					
मांग संख्या 64					
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
1.	राष्ट्रीय कैरियर सेवाएँ	12.86	15.39	16.27	21.69
2.	नई रोजगार सृजन योजना	0.03	...	170.23	...
3.	प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना	...	...	...	4088.84
कुल:		**12.89**	**15.39**	**186.50**	**4110.53**
भाग ग कुल:		**12.89**	**15.39**	**186.50**	**4110.53**
कुल योग		***908.26***	***937.55***	***1104.36***	***5023.75***

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण

25.2 अजा/अजजा के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आत्मविश्वास निर्माण, भर्ती–पूर्व और कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह योजना जेंडर न्यूट्रल है। ये राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र रोजगार मेलों और आउटरीच गतिविधियों के आयोजन में भी शामिल हैं।

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम	अपेक्षित परिणाम/ उद्देश्य	कार्यक्रम /उप -कार्यक्रम का लिंग घटक	वर्ष (2025-26 से दिसंबर 2025 तक) के लिए कुल सार्वजनिक व्यय	महिलाओं पर कुल सार्वजनिक व्यय/वित्तीय वर्ष (2025-26 से दिसंबर 2025 तक)	लिंग के आधार पर अलग-अलग लाभार्थी (महिलाओं को लाभ की सीमा) (2025-26 से दिसंबर 2025 तक)/ महिला लाभार्थियों के लक्ष्य और प्रदर्शन संख्या/ भौतिक वित्तीय अन्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
"**कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण** के माध्यम से **अजा/अजजा** के **नौकरी चाहने वालों का कल्याण** तथा **अजा/अजजा** के लिए मौजूदा **राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों** में नए पाठ्यक्रम शुरू करना और उन राज्यों में नए केंद्रों की स्थापना करना जो अभी तक इसके अंतर्गत शामिल नहीं हैं।	**कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के ज़रिए अजा/अजजा नौकरी ढूंढने वालों की नौकरी पाने की संभावना बढ़ाना**	**यह कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए है, जो बेरोज़गार, पढ़े-लिखे और नौकरी ढूंढने वाले हैं।**	18.86	9.05	145485 (48.05%)	

*****